खण्ड-373, अंक-2
मंगलवार, 12 भाद्रपद, शक संवत् 1907
(3 सितम्बर, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 373 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय	पृष्ठ संख्या
दिल्ली में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के प्रारुप के संबंध में औचित्य का प्रश्न	..64–65
प्रदेश के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित पत्र से राज्य सरकार के अधिकारियों का अतिक्रमण होने के विषय में औचित्य का प्रश्न..	66
श्री मैनेजर सिंह तथा उत्तर प्रदेश के कुछ संसद सदस्यों की जान को खतरा होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	..66–68
उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	..68–69
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. .	69
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) संशोधन विधेयक, 1985 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	69
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	69
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	69
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	69–70
जनपद लखनऊ में रहीम नगर पड़याना, लतीफनगर, सम्पर्क मार्ग पर सई नदी पर पुल बनाए जाने के संबंध में तथा जनपद लखनऊ में बन्थरा से भटगां जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर दादूपुर गांव के समीप नगवा नाले पर पुल बनाए जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	70
जनपद उन्नाव के गुलरिल, गुरु बख्श गंज मार्ग को अधोहरी से गुलरिता तक डामर रोड़ बनाये जाने तथा जनपद उन्नाव के पुरवां माझेगंवा पिपरी बदौली संपर्क मार्ग पर सरवन ड्रेन पर पुल निर्मित कराये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थिति की गयी)	70
जनपद बांदा के बदौसा कस्बे में नया ब्लाक मुख्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	70
बरेली नगर स्थित इस्लामियां गर्ल्स इण्टरकालेज बरेली को उच्चीकृत करके महा-विद्यालय बनाये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	70
विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	70–71
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 (पुरः स्थापित किया गया)	71

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश होयोपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 (पुर: स्थापित किया गया)	71
सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों के पिछड़ेपन व आबादी के आधार पर केन्द्र सरकार से धन आवंटन की मांग तथा प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े जनपदों के विकास हेतु अधिक धन आवंटित किय जाने के संबंध में संकल्प. . चर्चा जारी)	71–88
(उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिए जाने पर आपत्ति	88–89
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित)	89–96
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित)	96–109
उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों व निगमों में बढ़ते घाटे, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	109 124
सदन में पर्चे फेंकने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	124
प्रदेश में नव-विवाहिता युवतियों को जलाने, गला घोंट कर मारने तथा आत्म हत्या के लिए मजबूर करने की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	124–136
महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा की व्वयस्था किये जाने के विषय में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	136–144
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	144
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में लेखाधिकारियों के चयन में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	144–147
प्रदेश में नजूल तथा अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	147–152
जनपद बस्ती तथा गोरखपुर में चीनी मिले बन्द करने की घोषणा के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	152–158
नत्थियां	159–167

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ
प्रश्नोत्तर	1–59
प्रदेश के मुख्य मंत्री के बदले जाने तथा कृषि मंत्री चौधरी नरेन्द्र सिंह की विदेश यात्रा रद्द किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी) ..	59–61
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	61–62
प्रदेश के मुख्य मंत्री के बदले जाने तथा कृषि मंत्री चौधरी नरेन्द्र सिंह की विदेश यात्रा रद्द किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	62–63
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से जिला परिषद् द्वारा साइकिल लाइसेन्स शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
मुहम्मदाबाद––गोहना, आजमगढ़ से लखनऊ तक सीधी बस सेवा आरम्भ करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
लखनऊ––गोण्डा मार्ग पर सरयू नदी के किनारे जर्जर पुल के टूट जाने के खतरे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
सघन हथकरघा विकास निगम (गोरखपुर व बस्ती) लि0 के बस्ती जिले के बेलोहा केन्द्र से संबद्ध बुनकरों को कपड़े के मूल्य का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
देवीधुरा पिथौरागढ़ के निकट हुई दुर्घटना में पीड़ितों को राहत न दिये जाने तथा घटना की जांच किये जाने व वहां पर एक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65–66
इलाहाबाद, जल संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
आजमगढ़ में सीवर लाइन की खराबी से जलभराव एवं गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66–67
अलीगढ़ में सीवर लाइन के अभाव में गन्दगी एवं भयंकर बीमारियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
नगरपालिका, गंगोह, सहारनपुर में पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने तथा गन्दगी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
मथुरा के गोकुल महावन में रसखान एवं उनके भाई–बहन की प्राचीन समाधि की सुरक्षा एवं जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	67–68
नियम–301 की सभी सूचनाओं को स्वीकार कर लिये जाने की मांग ..	68
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	68–69
बेसिक शिक्षक संघ द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये आश्वासन का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	69
शिक्षा विभाग में उप शिक्षा निदेशक के रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रोन्नति न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	69–70
औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	70–71

विषय	पृष्ठ संख्या
सदन में समय से शासन की रिपोर्टों को प्रस्तुत न किये जाने पर आपत्ति ..	71–72
वाराणसी मण्डल विकास निगम लि0, वाराणसी की सप्तम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1982–83 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	72–73
मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लि0, मुरादाबाद की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1980-81 तथा पंचम वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1981–82 एवं षष्टम वार्षिक प्रतिवेदन एवं आर्थिक चिठ्ठा, 1982–83 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	73
इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1978–79 एवं चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1979–80 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	73
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र वर्ष 1979–80 एवं 1980–81 (सदन के पटल पर रखा गया)	73
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1984–85 (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग) (सदन के पटल पर रखा गया) ..	73
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1985–86 (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग) (सदन के पटल पर रखा गया) ..	73–74
बरेली नगरमहापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	74
मेरठ नगरमहापलिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	74
गोरखपुर नगरमहापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	74
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1981–82, 1982–83 एवं 1983–84 तथा वित्तीय वर्ष 1980–81 के लेखे (सदन के पटल पर रखे गये)	74
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1984 (सदन के पटल पर रखी गयी)	74
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पंचम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1976–77, 1 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 1977 तक (सदन के पटल पर रखा गया)	75
उत्तर प्रदेश (सहकारी समिति केन्द्रीयित सेवाओं के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	75
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1983–84 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया) ..	75
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	75
जनपद बदायूं में तहसील दातागंज के ग्राम बेला ड़ाड़ी में रामगंगा पर पुल बनवाने, विकास क्षेत्र समरढ़े के ग्राम झकुसा में राजकीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल तथा कस्बा दातागंज में राजकीय माध्यमिक विद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	75–76
जनपद शाहजहांपुर में तहसील तिलहर तथा कस्बा कटरा स्थित कन्या विद्यालयों को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	76
आगरा नगर में पेयजल संकट को हल करने के लिये इंडिया मार्क–2 के 900 हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	76

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद उन्नाव के मौरांवा में चुंगी समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	76
जनपद उन्नाव के कस्बा मौरावां में बस स्टेशन से मो0 काजीगढ़ तक जाने वाली सड़क को पक्का कराने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	76
जनपद बरेली में मेडिकल कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	76
जनपद बरेली में नकटिया नदी के चंदपुर घाट पर पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	76
जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव में गंगा नदी पर कार्यरत लिफ्ट सिंचाई नहर सोहांव एवं लिफ्ट सिंचाई नहर पलिया खास को मिलाकर ग्राम सभा भरौली के पास इसका हेड बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	76–77
बलिया जनपद में तहसील बलिया की ग्राम सभा थम्हनपुरा व ग्राम सभा गंगहरा के मध्य टोंस नदी पर पेन्टून ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	77
जनपद बस्ती में डुमरियागंज तहसील के मौलाना आजाद इण्टर कालिज, कादिराबाद में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में विज्ञान के विषय खोलने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	77
जनपद बस्ती में डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत राप्ती नदी के उत्तरी किनारे के 200 गावों को मिट्टी से पाट कर ऊंचा करने एवं लिंक रोड के माध्यम से पक्की सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	77
जनपद बलिया में बलिया बैरिया संसार टोला बांध से आस-पास के गांवों की सुरक्षा हेतु गांवों का उच्चीकरण, रिंग बांध आदि के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	77
अलीगढ़ के चन्दनिया क्षेत्र में विद्युत शव-दाह गृह का निर्माण कराने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	77
जनपद बस्ती में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में लगायी जाने वाली चीनी मिलों में से एक बस्ती के उत्तरांचल में बांसी निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	77–78
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	78–79
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 (पुरस्थापित किया गया)	80
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 (पुर:स्थापित किया गया)	80
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 (पुर:स्थापित किया गया)	80
उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिकरण विधेयक, 1985 (पुर:स्थापित किया गया) ..	80
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985 (पुर: स्थापित किया गया)	81
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 (पुर:स्थापित किया गया)	81
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 (जारी) ..	81–J8

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित)	98–102
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित) ..	102–107
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित) ..	107–109
प्रदेश में सूखे से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा तथा प्रदेश में बिजली आपूर्ति में भीषण अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव को अगले दिनों के लिये स्थगित किये जाने की सूचना ..	109
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	109
वक्तव्य की प्रतियां समय से न मिलने पर आपत्ति	109–110
प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हो रही वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा को बाद में लिये जाने का अनुरोध ..	110
बांदा जनपद की अर्ध निर्मित मसौनी पम्प कैनाल योजना से किसानों में आक्रोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	110–112
जनपद बहराइच में पत्रकार श्री रामशरण सैनी की थानाध्यक्ष नानपारा द्वारा गिरफ्तारी तथा पिटाई के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	112–114
जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में पिटाई से श्री आबिद की हत्या की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	114–116
जनपद जालौन में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	116–118
गोरखपुर कैन्ट थाने के पुलिस तथा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दैनिक पत्र "आज" के प्रबन्धक के आवास से सामान लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	118–120
प्रदेश में जानवरों की तस्करी तथा प्रदेश से गायों का निर्यात किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	120–124
आगरा जिले के समोगर पर जमुना नदी में पैन्टून ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत सूचना	125–129
प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हो रही वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	130–142
नत्थियां	143–149

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
एहतिशाम वली खां, श्री	बहराइच	रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच	विमला सिंह, श्रीमती	गाजियाबाद
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	विलायती राम कल्याल, श्री	कानपुर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	संजय सिंह, राजकुमार	सुल्तानपुर
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
प्रेमपाल सिंह, श्री	एटा	सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
फजले मसूद, श्री	देवरिया	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	हर नारायन सिंह, श्री	राय बरेली
भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद		
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं		

नोट :—श्री अरुण कुमार सिंह, सहकारिता मंत्री, श्री सिव्ते रजी, शिक्षामंत्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ मेरठ, झांसी जिलों को विभाजित करने संबंधी जिला पुनर्गठन समिति का गठन

**1--श्री धनराज यादव, श्री हरिचन्द्र 'हरीश जी' तथा श्री र्य प्रताप शाही--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मेरठ, झांसी जिलों को विभाजित करने से सम्बन्धित जिला पुनर्गठन समिति बनी थी ? यदि हां, तो बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, तथा आजमगढ़ को विभाजित कर नए-नए जिले कब तक बनवा दिये जायगें ? यदि नहीं, तो क्यों

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरीशंकर)--

वर्ष 1976 में जनपद बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, आगरा एवं मिर्जापुर के विभाजन हेतु संस्तुति करने के लिये जिला पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था ।

समिति को देवरिया तथा झांसी जिलों के विभाजन का प्रस्ताव सन्दर्भित नहीं था । समिति ने केवल जनपद बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, आगरा एवं मिर्जापुर के विभाजन की संस्तुति की थी जिनमें से मेरठ को विभाजित कर गाजियाबाद जिले का सृजन दिनांक 14-11-1976 को किया जा चुका है ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में समिति द्वारा संस्तुत अवशेष जिलों को विभाजित कर नये जिले बनाना सम्भव नहीं है ।

श्री धनराज यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सन् 78 में जब नौगढ़ में बाढ़ आयी थी तो उस समय स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहां पर दौरे में गई थी और उनके साथ इस सदन के नेता और प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी भी उस समय मौजूद थे । उस समय उन्होंने वहां पर एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि हम नौगढ़ को एक जिला बनायेंगे । मुख्य मंत्री जी ने भी यह आश्वासन दिया था कि हम इसके लिये शीघ्र प्रयत्न करेंगे । लेकिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो आज स्वर्ग में हैं...

श्री अध्यक्ष--

कृपया प्रश्न करें ।

श्री धनराज यादव--

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री जी नौगढ़ को जिला बनाने में प्राथमिकता देंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैंने आपकी अनुमति से पहले ही सदन को अवगत कराने का प्रयास किया कि इन जिलों के विभाजन के लिये एक जिला पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था जिसको विशेष रूप से इस बात का निर्देश दिया गया था कि वह देखें कि जिलों का क्षेत्रफल उनकी जन संख्या और उनकी भौगोलिक स्थिति सामाजिक व औद्योगिक विकास के आधार पर परीक्षण करे और शासन को इसके बारे में संस्तुति करें । इसी संदर्भ में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा नौगढ़ को जिला बनाने के विषय में जिला पुर्नगठन समिति ने प्रस्ताव किया था कि बस्ती को दो जिलों में डिवाइड किया जाय जिसमें एक का नाम बासी रखा जाय जिसमें बासी, डुमरियागंज और नौगढ़ तथा जो शेष तहसील बस्ती में आती हैं उनमें हरैया और खलीलाबाद को बस्ती जिले में रखा जाय । इस तरह की संस्तुति की गई थी । जहां तक प्रात: स्मरणीय स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जो संदर्भ दिया गया है उसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नही है ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी':--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि समिति ने इस बात पर भी विचार किया होगा कि बस्ती के दो जिले बना देने पर जिलों की आय में कितनी वृद्धि होगी और नया जिला बनाने के कारण प्रशासनिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी और उससे शासनिक दक्षता में कितना अंतर आयेगा ?

श्री गौरीशंकर--

माननीय सदस्य श्री हरीश जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित किया है और कहा कि एक जनपद के गठन पर कितना खर्च आयेगा। जिस समय जिला पुनर्गठन समिति ने चिंतन किया था उस समय की स्थिति के अनुसार एक जिले के गठन में साढ़े नौ करोड़ रुपये का अनुमान था लेकिन वर्तमान में चूंकि हर चीजों के दाम बढ़ गये हैं, वेतन में वृद्धि हो गयी है, भवन सामग्री आदि में काफी वृद्धि हो गयी है तो इन सब चीजों को देखते हुए एक जिले के गठन में लगभग 22 करोड़ से 24 करोड़ के बीच खर्च आने की सम्भावना है।

दूसरी बात आपने प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि की बात कही है तो गठन की जो बात है वह प्रशासन के संज्ञान में नही है। लेकिन प्रथम दृष्ट्या जनपद बस्ती को डिवाइड करने की बात है उसमें मुख्य रूप से तीन तीन तहसीलों का जिला बनाने की बात रखी है जिसमें माननीय हरीश जी को भी मदद करनी चाहिए। अभी मुख्य विषय संसाधन जुटाने की बात है जैसा मूल उत्तर में ही कहा है इतने संसाधन हमारे नहीं हैं इसलिए संसाधन न होने के कारण जिलों के गठन का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा जिला पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट आ गयी है। उन्होंने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है कि बस्ती जिले के आकार को देखते हुए दो हिस्सों में बांट दिया जाय। एक में बांसी, डुमरियागज और नौगढ़ इसी प्रकार दूसरे में नदी के दूसरे किनारे के बस्ती, हरैया और खलीलाबाद को रखा जाय। तो क्या निश्चित बतायेंगे कि कब तक यह संसाधन जुटा लेंगे और कब तक यह कार्यवाही पूरी हो जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है। आज सभी परम्परायें खत्म हो रही हैं यहां पर कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है।

श्री गौरी शंकर--

प्रश्न काल में यह मामला नहीं आता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री होना चाहिये

(व्यवधान)

यह सदन का अनादर है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न काल के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गौरी शंकर--

माननीय सदस्य ने पूछा है कि जिलों का गठन कब तक हो जायेगा। तो मैंने पहले भी निवेदन किया पुनर्गठन में 22 से 24 करोड़ रुपये तक लगभग खर्च आयेगा और इसके लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है, हमें अपने संसाधनों पर ही निर्भर करना है जब कभी संसाधन होंगे जैसे हमने आपने देखा होगा। मेरठ को डिवाइड करके गाजियाबाद जिला बनाया गया और वह भी जिला पुनर्गठन समिति के अनुसार गाजियाबाद जिला बनाया गया है। इसी तरह धीरे-धीरे जैसे-जैसे संसाधन होते जायेंगे संस्तुतियों पर विचार हम करते जायेंगे।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, सरकार विकेन्द्रीयकरण की नीति को स्वीकार करती है और उसी के तहत जिलों का विभाजन होना चाहिये। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि योजनाबद्ध ढंग से किसी निश्चित समय के अन्दर जिलों के पुनर्गठन को स्वीकार करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि क्या मिर्जापुर में चोपन को भी जिला बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मा0 सदस्य ने मिर्जापुर के विषय मे जिज्ञासा जाहिर की है तो मिर्जापुर जनपद को जिला पुनर्गठन समिति द्वारा संस्तुति की गयी थी कि मिर्जापुर जनपद को दो जिलों में बांट दिया जाये। एक जिले में

रावर्टसगंज और दूसरे जनपद में मिर्जापुर और चुनार रख दिया जाये। लेकिन फिर वही समस्या है कि संसाधन होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, देवरिया जनपद की जनगणना 1981 के अनुसार 34 लाख से अधिक की आबादी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 1/2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसको देखते हुये प्रशासनिक और आर्थिक स्रोतों को पढ़ाने के लिये क्या उस जिले का मंत्री जी पुनर्गठन करेंगे ?

प्रदेश में कम से कम 10 जिले ऐसे हैं जिनकी आबादी 34 लाख से 37 लाख तक है, क्या इसको ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश में फिर से जिला पुनर्गठन समिति गठित करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैंने मूल उत्तर में स्पष्ट किया है कि जनपद देवरिया को जिला पुनर्गठन समिति ने डिवाइड करके दो जिले बनाने की संस्तुति नही की थी चूंकि उसके समक्ष यह जिला संदर्भित नहीं था। जैसा निवेदन किया है कि जो संस्तुतियां की गयी हैं, उन जिलों को भी वित्तीय संसाधनों के अभाव में उनकी पूर्ति अभी नहीं कर पाये हैं और आपके अनुसार देवरिया को दो जिलों में बांट दिया जाये, तो सेकेन्ड फेज में जब संसाधन होंगे तो विचार किया जायेगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो आधार या मानक जिला पुनर्गठन समिति के समक्ष रखा गया था उनके आधार पर जो संस्तुतियां दी हैं उसमें से कौन से ऐसे मानक सरकार ने अपनाये जिससे मेरठ को डिवाइड करके गाजियाबाद जिला बनाया गया और बस्ती को नहीं बांटा जा रहा है। साथ ही यह मानक कानपुर शहर और देहात को डिबाइड करने पर क्या लागू किया गया था ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जिला पुनर्गठन समिति ने जो एक सूची दी हैकि इन-इन जिलों को बांट कर दो जिले बनाये जायें। तो या तो संसाधन इतने होते कि पूरी सूची के अनुसार जिलों का गठन कर देते किन्तु वह संभव नहीं हुआ। इसलिये 2-3 को लिया गया। मेरठ को डिवाइड करके गाजियाबाद जिला बनाने की बात सूची में थी इसलिये गाजियाबाद जिला बनाया गया। कानपुर को डिवाइड करके यह बात आयी, तो इससे पहले ही कानपुर देहात का गठन कर दिया गया था और झांसी को डिवाइड करके ललितपुर जिला बनाया गया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सुखपाल पांडेय, दिवाकर विक्रम सिंह जी, इन्होंने संक्षेप में सब कह दिया है, अब मामला यह खत्म हो गया है।

श्री सुखपाल पांडेय--

बस्ती जिले के विभाजन के लिये समिति ने संस्तुति की थी और उसके आधार पर मेरठ में गाजियाबाद जिला बना दिया गया है, किन्तु फिर क्या कारण है कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील का बाढ़ के समय जो जिले से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है और प्रशासन वहां पर असफल रहा है इस जिले को न बनाने का क्या कारण है ? और क्या विशेष परिस्थिति में इस जिले को धन आवंटित करके अब नया जिला बनाने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री गौरीशंकर--

कदाचित् इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। समिति की जो संस्तुति आई है उसमें इस बात का उल्लेख है कि बांसी को वहां नया जिला बना दिया जाए और उसमें तीन तहसीलें हों, और अब जब हमारे पास संसाधन हों तो उस पर विचार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद बन गया है, उसके बाद संसाधन होने पर इसको लिया जा सकता है जो बाढ़ के प्रकोप की बात है, तो बाढ़ जब आती है तो इस समय एक ही जिला बहता है फिर तो दो जिले बहेंगे।

(प्रश्न सं0 2 लेने पर "व्यवधान")

श्री अध्यक्ष--

साधारण तौर पर मंत्री जी ने कह दिया है कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं, अब क्या प्रश्न करेंगे आप लोग ?

कम्प्यूटरीकरण हेतु व्यापारिक संस्थानों को नए पंजीकरण देने की घोषणा

**2--श्री राजेन्द्र गुप्त तथा श्री सत्य प्रकाश विकल--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिक्री-कर आयुक्त, उ0 प्र0 द्वारा 16 मई, 85 को जारी की गयी विज्ञप्ति के अनुसार कम्प्यूटरीकरण हेतु व्यापारिक संस्थानों को नए पंजीकरण नम्बर देने की घोषणा की गयी थी किन्तु अभी तक उन्हें नम्बर एलाट नहीं किये गये जबकि 1 जून, 85के बाद पुराने नम्बरों के उपयोग को अवैध करार कर दिया गया है ? यदि हां, तो नये नम्बर कब तक एलाट किये जायेंगे या सरकार कम्प्यूटरीकरण की योजना पर दुबारा विचार कर रही है ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

आयुक्त बिक्रीकर द्वारा कोई विज्ञप्ति (नोटीफिकेशन) जारी नहीं की गई थी। एक परिपत्र भेजकर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से व्यापारियों को नए पंजीकरण नम्बर सूचित करने के निदेश दिये गए थे।

नम्बर एलाट करने का कार्य मई, 1985 में प्रारम्भ किया जा चुका है।

पुराने नम्बरों के उपयोग की अवधि 1-8-1985 तक बढ़ा दी गई है। इसे पुन: 1-9-1985 तक बढ़ाया जा चुका है।

यह कार्य द्रुत गति से पूरा कराया जा रहा है तथा माह अगस्त, 1985 में इस पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिये जा रहे हैं।

जी नहीं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चार माह हो गये और अभी तक नम्बरों का आबंटन नहीं किया जा सका है, जबकि आपने अगस्त तक नम्बर आबंटन करने की बात कही थी, दूसरी बात कम्प्यूटर्स का प्रयोग जहां-जहां हो रहा है--जसे उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् में रिजल्ट बनाने के कार्य में--सब जगह इनका प्रयोग असफल सिद्ध हो रहा है और इसके फार्म बड़े जटिल हैं, तो क्या सरकार इस बात पर पुनर्विचार करेगी कि कम्प्यूटर प्रणाली लागू न की जाए अर्थात इतने जटिल फार्म उन्हे न दिये जायें ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया--

कम्प्यूटर की जो प्रणाली है, उसमें व्यापारियों को आपरेट नहीं करना है, उसको आपरेट तकनीकी आदमी करेंगे। उसमें व्यापारियों की हिस्ट्री- लेखा-जोखा रहेगा, जो फाइलों में रहता है।एक प्रकार से उसका डुप्लीकेट समझ लीजिए, वह उसमें रहेगा। तकनीकी आदमी उपलब्ध हैं, जो इस काम को करेंगे और अभी मंडलीय स्तर पर इसको किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंके कि जो नम्बर उनको एलाट करने की व्यवस्था है और जो नहीं किया जा सका है, उनको एक प्रस्क्राइब्ड फार्म आप दे रहे हैं, तो उसकी जटिलता को ध्यान में रखते हुये क्या आप उसका कोई समय बढ़ा रहे हैं या उसके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था करा रहे हैं ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया--

17 अगस्त को एक आदेश किया गया है कि सारे अधिकारियों से यह कहा जाए कि वह तुरन्त ही नम्बर एलाट करके उनको नया नम्बर एलाट कर दें। लेकिन उसमें यह बैन नहीं लगा है कि जब तक नये नम्बर न पहुंच जायें, पुराने नम्बरों पर काम नहीं किया जायगा।

पुराने नम्बरों पर ही काम किया जाता रहेगा जब तक उनको नये नम्बर न एलाट हो जायं। जो नम्बर उनको दिये गये हैं वह पुराने ही हैं केवल उनमें एक डिजिट और बढ़ाई जा रही है। यह नम्बर एक्चुअली चेकिंग नम्बर होगा।

(चौधरी नरेन्द्र सिंह के सदन में आने पर।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, परिचय करा दीजिए कृषि मंत्री हैं या मुख्य मंत्री हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग शांत रहें ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

यह जो नम्बर दिये जा रहे हैं इनसे चेकिंग में सुविधा होगी । मान लीजिए "ए" तथा "बी" दो लोगों के खाते हैं । कभी-कभी ऐसा होता था कि "ए" की जगह "बी" हो जाता था और "बी" की जगह "ए" हो जाता था । अब कम्प्यूटर के कोड नम्बर की वजह सें एक्चुअल फाइल की चेकिंग हो जायगी । इसके लिये यह व्यवस्था की गयी है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि नम्बर एलाट करने की अवधि 1-9-85 तक बढ़ायी गयी है । क्या वह निश्चित आश्वासन देंगे कि व्यापारियों को जब तक नया नंबर एलाट नहीं हो जाता तब तक उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी । क्या इस अवधि को और बढ़ायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर, जब तक व्यापारियों को नया नम्बर एलाट नहीं हो जाता तब तक जो पुराने नम्बर हैं उसी से काम चलता रहेगा ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 को पुनः बहाल करने पर विचार

*1---श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में झूठे मुकदमें कायम कराने और विद्वेषवश निर्दोष प्रतिष्ठित हजारों नागरिकों को जेल भिजवाकर अपमानित करने की संभावनाओं को दूर करने के लिए प्रदेश में पुनः अग्रिम जमानत 'एन्टीसिपेटरी बेल' का प्राविधान लागू करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 438 को पुनः बहाल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)---

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-438 को उत्तर प्रदेश में दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश) संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा विचारोपरान्त और जनहित में समाप्त किया गया था । मात्र बुरी संभावनाओं की परिकल्पना पर ही उक्त निर्णय को बदलना प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था के लिए अहितकर होगा ।

जनपद इलाहाबाद के मौजा ऊमरपुर नीवां व हरवारा, तहसील चायल में अमरूद के बागों को कटाने के विरोध सें जांच

*2---श्री शैलेन्द्र कुमार---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंके कि जनपद इलाहाबाद के मौजा ऊमरपुर नीवां व हरवारा तहसीलचायल में स्थित विश्व विख्यात अमरूद के बागों को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18-8-84 को कटाने पर वहां के निवासियों द्वारा विरोध किये जाने पर जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? क्या मंत्री जी उक्त अमरूद के बागों को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बॅजर व कृषि से भिन्न दिखाकर अध्याप्ति की कार्यवाही निरस्त कर उक्त क्षेत्र को फल पट्टी (फ्रूट बेल्ट) घोषित करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)---

जी हां । जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है । फल पट्टी (फ्रूट बेल्ट) घोषित किये जाने के संबंध में जांच करायी जा रही है जिसकी जांच आख्या प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

श्री शैलेन्द्र कुमार---

मान्यवर, क्या माननीया मंत्री जी बताने-का कष्ट करेंगीं यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ---

मान्यवर, जल्दी ही होने की आशा है ।

मोहल्ला गोलागंज, लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल के निकट सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की जांच

*3--श्री गौरी शंकर भइया (अनुपस्थित) - क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला गोलागंज लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल के निकट खसरा नं0 139 की लगभग 5 एकड़ नजूल की जमीन उ0 प्र0 सरकार की सम्पत्ति है और उसे बलरामपुर अस्पताल के विस्तार हेतु छोड़ रखा गया है क्या यह सही है कि उपरोक्त जमीन पर जनता द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने-अपने भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे अनधिकृत निर्माण कार्य को रोके जाने की कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। उपरोक्त भूमि पर अरूणोदय सहकारी आवास समिति लि0 नामक संस्था द्वारा अनाधिकृत निर्माण कार्य शुरु करवाया गया था जिसे पुलिस सहायता से रोकवा दिया गया है। समिति ने सिविल जज मोहन लालगंज न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है।उक्त स्थगनादेश को रद्द कराने हेतु डी0जी0सी0 (सिविल) द्वारा तत्परता से पैरवी की जा रही है। अब हो चुके निर्माण को उक्त स्थगनादेश के रद्द होने के उपरान्त ही हटाया जा सकेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री सरदार सिंह--

[छठें शुक्रवार में नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के सूखाग्रस्त जनपदों में पेयजल संकट को दूर करने हेतु सेना से ली गई सहायता

*2--श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल-मई, 85 में प्रदेश के सूखाग्रस्त जनपदों में पेयजल के संकट को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने सेना से सहायता ली ? यदि हां, तो किन-किन जनपदों में ? क्या यह सत्य है उक्त सहायता केवल पर्वतीय जनपदों में ही पहुंचाई गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां। सेना से 26 कैनवस टैंक लिये गये थे।

सेना से प्राप्त 26 कनवस टैंकों में से 10पर्वतीय जनपदों को 11 झांसी मण्डल को उपलब्ध कराये गये तथा शेष 5 कैनवस टैंकों को सुरक्षित रखा गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि 10 पर्वतीय जनपदों, झांसी मण्डल के 11 जनपदों के अतिरिक्त प्रदेश में अन्य मंडलों के जनपदों में भी पेयजल का अभाव था। अगर था तो जो 5 कैनवस टैंक बच गये थे उनको उन मंडलों में या जनपदों में न भेजने का क्या कारण है। क्या वहां से इस तरह की मांग आयी कि कैनवस टैंक भेजे जायं या नहीं ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

इन जनपदों से कोई मांग नहीं आयी थी।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या इन दोनों मंडलों के अलावा प्रदेश में अप्रैल, मई में किसी प्रकार का पेयजल का अभाव था या नहीं था। अगर था तो सरकार ने जो सेना की सहायता ली पेयजल के संकट को दूर करने के लिये तो उन जनपदों में पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर दी गयी थी। वह 26 टैंकर्स जो भेजे गये थे, वह भी इस्तेमाल नहीं हुए, उनकी जरूरत नहीं पड़ी थी।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 26 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था और 26 जिले उदाहरणार्थ हमारा उन्नाव जिला, कानपुर इसमें शामिल था, जो पानी की सप्लाई करने के लिये कंवेस टैंक मिलिट्री से मांगा गया था, वह अन्य जिलों को सप्लाई नहीं किये गये। 26 जिले जो सूखाग्रस्त घोषित थे, उनको क्यों नहीं सप्लाई किया गया ? इसका क्य कारण था?

श्रीमती पद्मा ठ--

माननीय स्दस्य क्या सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र की बात कर हे हैं

श्री मनोहर लाल--

मैं 26 जिले जो सरकार ने सूखाग्रस्त घोसि किये थे, उसकी बात कर रहा हूं।

संदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

माननीय सदस्य का आशय यही है कि जो पर्वतीय क्षेत्र के जिले थे, वहां पर सेना से जो टैंकर लिये गये थे, उनको तो इस्तेमाल किया गया था, बाकी क्षेत्र जो सूखाग्रस्त थे, वहां पर क्यों टैंकर नहीं इस्तेमाल किया गया था। माननीय सदस्य का यह प्रश्न था। मान्यवर, बाकी जिलों से इन सैनिक टैंकरों की चूंकि मांग नहीं की गयी थी, इसलिये वहां पर ये टैंकर्स नहीं भेजे गये थे।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं सीधा-सीधा सवाल करता हूं। यह प्रश्न मान्यवर, एक बार स्थगित हो चुका है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में सूखा था, बुन्देलखण्ड में 3-4 महीने तक लोग पेय जल के बिना तरसते रहे। पूर्वांचल इस प्रदेश का एकदम पेयजल के अभाव से ग्रसित था। सरकार द्वारा केवल 26 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। मैंने मान्यवर, अल्प सूचित तारांकित प्रश्न किया था, आपने उसे तारांकित कर दिया। मान्यवर, इस पेयजल की समस्या को हल करने के लिये एक तो सेना से मदद मांगी गयी थी और उसका पूरा का पूरा उपयोग नहीं किया गया। मान्यवर, मेरा सीधा-सीधा सवाल है कि अगर वहां पर पेय जल का अभाव था, तो सेना से मदद लेकर पेयजल की पूर्ति क्यों नहीं की गयी थी। माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि किन-किन जनपदों में पेय जल का अभाव था। वह जनपद तो बता दें।

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर 8 पहाड़ी इलाकों में 111 टैंकर्स भेजे गये थे। अन्य डिपार्टमेन्ट से 440 टैंकर्स भेजे गये थे, और जिलों की जिसमें से पहाड़ों पर 111, प्लेन्स में 329, कुल 440 टैंकर्स भेजे गये थे। उनको पेय जल की उपलब्धि थी, कहीं पर पेय जल की कमी नहीं थी।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैंने तो जिला पूछा था, जिला बता दें कि पूर्वांचल में कौन जिले थे, बुन्देखण्ड में कौन-कौन से जिले थे। ये माननीय मंत्री जी मान्यवर, पढ़कर आया करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीया मंत्री जी कौन-कौन से जिले थे वह बता दें।

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्र के जिले (1) पौड़ी (2) टिहरी (3) उत्तरकाशी (4) चमोली (5) अल्मोड़ा (6) नैनीताल (7) देहरादून (8) पिथौरागढ़। मान्यवर, प्लेन्स के जिले (1) मिर्जापुर (2) गाजीपुर (3) वाराणसी (4) बलिया (5) इलाहाबाद (6) फतेहपुर (7) जौनपुर (8) आजमगढ़ (9) बांदा (10) हमीरपुर (11) ललितपुर (12) झांसी (13) जालौन (14) कानपुर देहात (15) कानपुर नगर (16) उन्नाव (17) सहारनपुर (18) मथुरा (19) मैनपुरी (20) एटा (21) प्रतापगढ़।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, 26 जिले जो सूखाग्रस्त घोषित किये गये थे उनके नाम मंत्री जी ने पढ़े हैं, तो 26 जिले जो सूखाग्रस्त थे वहां के जिलाधिकारियों से मांग की गई थी पेयजल की समस्या की समाप्ति के लिये। तो माननीय

मंत्री जी ने उसकी व्यवस्था क्यों नहीं कराई। बनारस, मिर्जापुर, उन्नाव, इलाहाबाद इन तमाम जगहों पर व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जवाब दे दिया है ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, जवाब नहीं दिया है। 26 जिले तो मैंने खुद कहे थे। मंत्री जी ने वही पढ़े हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, हम भी कम पढ़े-लिखे हैं मंत्री जी भी कम पढ़ी-लिखी हैं इसलिये जवाब नहीं दे पा रही हैं ।

(हंसी)

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, जो 26 जिले प्रदेश में सूखाग्रस्त जिले थे वह मंत्री जी ने पढ़ दिये। जब पेयजल की इतनी समस्या थी, कि सेना से सहायता मांगी गयी थी और उन मुख्यालय के जिलाधिकारियों के माध्यम से मांग की गयी थी उन्नाव, बनारस, सहारनपुर, इलाहाबाद आदि जो जिले थे, तो वहां पर इन्होंने व्यवस्था-क्यों नहीं कराई ?

श्री हुकुम सिंह--

माननीय सदस्य ने कहा कि पूरे जिलों में पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। वाराणसी के वारे में आपने प्रश्न किया वाराणसी के 11 ऐसे स्थान थे जहां पीने के पानी की समस्या की जानकारी दी गई थी। वहां सात टैंकर उपलब्ध कराये गये थे। इलाहाबाद में जहां पानी की समस्या आई थी वहां टैंकर भेजे गये थे। जौनपुर में दो टैंकर भेजे गये। बांदा में 11 टैंकर भेजे गये। हमीरपुर में टैंकर भेजे गये। झांसी में सात टैंकर भेजे गये।

श्री सुखपाल पाण्डे--

जिन जिलों से मांग की गई थी उन जिलों में क्या-क्या व्यवस्था की गई ?

श्री अध्यक्ष--

जिन-जिन जिलों का आपने कहा, उन-उन जिलों का उन्होंने बता दिया ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या-क्या मांग की गई थी। पूर्वी जिलों में क्या-क्या मांग की गई थी। और कितनी व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की है यह भी बता दें ।

श्री हुकुम सिंह--

मैं नम्रता के साथ पाण्डे जी को सूचना दे रहा था जिन जिलों से मांग आ ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

आप मांग के बारे में क्यों नहीं बताते हैं ।

श्री हुकुम सिंह--

जिन जिलों से जो मांग आई उसको ध्यान में रखते हुए, जो संसाधन उपलब्ध थे उनको उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया और हमने अपना पूर्ण उत्तरदायित्व निभाया। हमने इस संकट से निपटने का प्रयास किया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय मंत्री जी ने सारी सुविधा दे दी, लेकिन मांग क्या की गई थी कोई एक जिला इलाहाबाद, बुन्देलखण्ड बांदा ले लीजिये। मांग कितनी की गई और आपने व्यवस्था कितनी की ?

श्री अध्यक्ष--

एक जिले का नाम ले लीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डे --

एक जिले का क्यों सब जिले का चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह--

मुझे खेद है कि मैं अपनी बात सही तरीके से नहीं रख सका। किसी जिले से कोई मांग नहीं आयी थी कि 4 या 10 टैंकर दे दीजिये। सूचना यह आयी थी कि इतने गांव सूखे से प्रभावित हैं, पानी का संकट है। जो टैंकर उपलब्ध थे उनको उपलब्ध कराया

गया, जहां हैण्ड पाइप लगनी थी लगाई गई लाईन बिछाई गई। उनकी मांग इतनी थी कि इतने गांव या इतनी बस्ती सूखे से प्रभावित है। शासन स्तर से निर्णय लेकर टैंकर उपलब्ध कराये गये, हैण्ड पाइप लगाये गये, लाईन बिछाई गई।

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना काश्तकारों का बकाया मूल्य

*3--श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री राम नरेश तथा श्री शारदा प्रताप--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेराई सत्र 1984-85 का प्रदेश के गन्ना काश्तकारों का कितना गन्ना मूल्य अभी तक प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों पर बकाया है और उसके भुगतान हेतु शासन की ओर से क्या-क्या कार्यवाहियां की गईं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

पेराई सत्र 1984-85 में गन्ना काश्तकारों का प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक 15-7-85 तक की स्थिति के अनुसार गन्ना मूल्य का 18.83 करोड़ रु0 बकाया है। अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये लेवी चीनी के बढ़े हुए मूल्य से प्राप्त धनराशि तथा मुक्त चीनी के विक्रय पर प्राप्त धनराशि से अतिरिक्त टैगिंग करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

21-8-85 को हमारा प्रश्न स्थगित हुआ था। उस दिन हमने यह जानना चाहा था कि कितनी मिले ऐसी हैं जिन पर टैगिंग प्रणाली लागू नहीं है और किसानों का बकाया है। मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि कौन-कौन सी मिलें हैं, उनका नाम बता दें जिन पर टैगिंग प्रणाली लागू नहीं की गई है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

पूरे प्रदेश में 99 मिलें हैं सभी में टेंगिंग के हिसाब से मूल्य दिया गया है। 33 मिलों पर बकाया नहीं है शेष मिलों पर बकाया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मंत्री जी ने कहा सभी मिलों पर भुगतान टैगिंग के हिसाब से किया गया है। मैं एक मिल बाराबंकी के बारे में जानना चाहता हूं कि कितना प्रतिशत टगिंग फिक्स किया गया था और भुगतान कितना किया गया? मेरी निश्चित जानकारी है कि उस मिल पर 52 लाख रुपया बाकी है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जो माननीय सदस्य ने एक मिल के बारे में जानना चाहा है। मान्यवर, सारी मिलों को टैगिंग के प्रतिशत के लिये खबर भेजी गई, सूचना के लिये 10 मिलों की सूचना मेरे पास उपलब्ध है। शेष की अभी नहीं आ पायी है। उन 10 में कहें तो विस्तार से बता सकता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

यह पूरे प्रदेश का मामला था। हमको मालूम है कि टैगिंग के अनुसार भुगतान नहीं हुआ।

श्री राम नरेश--

18-83 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें से कितना निगम की चीनी मिल पर है, कितना सहकारी चीनी मिल पर है और कितना निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर है ? जो गन्ना का मूल्य का भुगतान है, लेवी चीनी के बढ़े हुए मूल्य का उससे कितने करोड़ रुपये की टैगिंग हो सकेगी?

ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, जो यह 15 तारीख की स्थिति है, वह निजी क्षेत्र में जो कुल देय था, वह 182.53 करोड़ रुपया था, जिसमें से जो भुगतान किया गया, वह 175.51 करोड़ था और अवशेष रह गया 7.02 करोड़ रुपया। राज्य चीनी निगम की जो मिल हैं उन पर 66.90 देय था, भुगतान किया गया 60.65 करोड़ का और अवशेष रह गया 6.25 करोड़। जो सहकारी चीनी मिलें हैं उन पर 70.42 करोड़ देय था, 65.83 का भुगतान किया गया और अवशेष 4.59

करोड़ रह गया । कस्टोडियन वाली मिलों पर कुल 9.36 करोड़ देय था, 8.39 करोड़ दिया गया और .97 करोड़ शेष रह गया । इस तरह से जो टोटल योग आता है, वह 15 जुलाई तक 18.83 करोड़ आता है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि लगभग 7. कुछ करोड़ निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का गन्ने का मूल्य का भुगतान बकाया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें ऐसी भी चीनी मिलें हैं, जिनको सम्पूर्ण गन्ने के मूल्य का 10 प्रतिशत से ज्यादा बकाया है, यदि हां, तो उनको अधिगृहीत न किये जाने का क्या कारण है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां, कई ऐसी मिलें हैं जिन पर 10 प्रतिशत के करीब का शेष है । अधिगृहीत किये जाने और इसमें कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

श्रीमन्, इसमें भारत सरकार ने एक ऐक्ट पास किया है, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि जिन चीनी मिलों का 10 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य बकाया रहेगा, उनको अधिगृहीत कर लिया जाय । उसके बाद उसी ऐक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना जाहता हूं कि उस ऐक्ट के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही, जबकि 10 परसेंट से ज्यादा बकाया है, क्यों नहीं की जा सकती है ?

श्री ओम प्रकाश रिघरिया--

श्रीमन्, सन् 71 का जो ऐक्ट है, उसमें है कि सरकारी ऋण का जो देय होगा, उसके आधार पर करेंगे । हमने 1984 में 12 मिलों का अधिग्रहण किया था, उन पर 134 करोड़ का ऋण बकाया था । लेकिन रोज, हर परिस्थिति में अधिग्रहण के लिये रोज नियमों में संशोधन नहीं हो सकता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

भारत सरकार का संशोधन है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर 1984-85 से पूर्व का गन्ना मूल्य कितना बकाया है और जो गन्ना यूनियन है, उनके चीनी मूल्य का कितना कमीशन बकाया है और उनको दिलाने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, मैंने बताया कि 15 जुलाई तक शेष 18.83 था जो 31 जुलाई तक 16.92 करोड़ रह गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

1984-85 के पूर्व कितना रह गया ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, 1983-84 में जो निजी क्षेत्र की मिलें हैं, उनका जो देय था, वह 217.63 करोड़ था, इसमें 174.78 करोड़ का पेमेंट हो गया और अवशेष 42.85 करोड़ था । जो राज्य चीनी निगम का देय था, 58.03, उसमें भुगतान हुआ 41.12 शेष रह गया है 5.82 । जो सहकारी मिलों का देय था, 71.10 भुगतान हुआ 59.77, शेष रह गया 11.33 इस तरह से कुल जो शेष रह गया था 71.45 यह था 1983-84 का । इसमें भी पेमेंट कर दिया गया है, 15 जुलाई तक बकाये की जो स्थिति थी, वह पूर्व में बता दी गयी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

गन्ना यूनियन जो हैं, उनका कमीशन चीनी मिलों पर कितना बाकी है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

इसमें श्रीमन्, जानकारी की आवश्यकता है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में अनशन चल रहा है, भुगतान न होने के कारण । माननीय हरेन्द्र मलिक जी अनशन पर बैठे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हुए हैं, आप लोग बैठ जायें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय सदस्यों का थोड़ा नाराज होना स्वाभाविक है, आपसे नहीं, सरकार से ।

श्री अध्यक्ष --

मैं तो आपका सहयोग चाहता हूं । श्री (घ) का पहला प्रश्न भी अभी तक नहीं ले पाये हैं । आप और कितना समय लेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मामूली सवाल है, मुजफ्फरनगर की चीनी मिल पर जो बकाया है, उसके लिये वहां अनशन चल रहा है, हरेन्द्र मलिक भी अनशन पर बैठे । उसके भुगतान के लिये आप आश्वासन देंगे कि कब तक हो जायेगा माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनकी जानकारी में होगा अगर माननीय मंत्री जी को नहीं मालूम है । वह पैसा दिलाने की आप क्या व्यवस्था करा रहे हैं ;

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

शीघ्र करा देंगे ।

[मंगलवार दिनांक 3 सितम्बर, 1985 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मथुरा शहर में यमुना नदी के जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु योजना

*1--श्री सरदार सिंह, श्रीकुशल पाल सिंह तथा श्री प्रदीप माथुर--

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर में यमुना नदी के जल प्रदूषण को रोकने के लिये शासन कोई योजना बना रहा है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां मथुरा शहर के निकट यमुना नदी क जल प्रदूषण की रोकथाम के लिये निम्न दो योजनाओं पर कार्य चल रहा है:--

1--मथुरा नगर के निकट यमुना नदी के प्रदूषण नियंत्रण की योजना अनुमानित लागत रु0 25.26 लाख ।

2--वृन्दावन नगर के निकट यमुना नदी के प्रदूषण नियंत्रण की योजना अनुमानित लागत रु0 49.23 लाख ।

यह दोनों योजनायें उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विरचित है तथा इनमें उक्त दोनों नगरों में पूर्व में निर्मित जलोत्सारण व्यवस्था जो उचित रख-रखाव के अभाव में इस समय कार्यरत नहीं है, का जीर्णोद्धार कर पुनः चालू हालत में लाने के लिये आवश्यक कार्य किया जा रहा है । इन योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने के पश्चात् नदी में मिल रहे नालों के दूषित जल को व्यवर्तित (डाइवर्ट) कर सिंचाई हेतु सीवेज फार्म तक पहुंचाया जा सकेगा ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मथुरा के निकट यमुना नदी के प्रदूषण नियंत्रण की योजना के सम्बन्ध में 25.26 लाख रुपये की जो बात कही है, यह बात 1981 से कही जा रही है लेकिन अभी तक उस पर कार्य शुरू नहीं हुआ है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मथुरा और वृन्दावन के लिये जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है, इन पर कब से कार्य शुरू हो जायगा ? गंगा प्राधिकरण, जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी भी जोर दे रहे हैं, इसमें यमुना नदी और विशेषकर मथुरा को जोड़ा जायेगा या नहीं जोड़ा जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया --

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मथुरा के बारे में जो बात कही है, इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि सीवरेज जो था, वह 2 हजार 600मीटर तक उसकी सफाई कर दी गई है । हैण्ड पम्प स्टेशन चालू हो रहा है । मेन बात जो है वह यह है कि साड़ियों की रंगाई का जो कलर आता है नदी में, उसके संबंध में रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के जो

साइनटिस्ट हैं डा0 माथुर, उनसे इसकी पूरी फिजिबल रिपोर्ट बनवाई गई है और हमारा जो प्रदूषण बोर्ड है, उसने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके हिसाब से अनुमानित लागत 62 लाख से 63 लाख है। जो साइड-ए है, इन सारी रंगाई की मशीनों को वहां पर शिफ्ट किये जाने की कोशिश की जा रही है और वहीं पर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट भी लगाया जायेगा, जिससे पानी में जो पाल्यूसन होता है, वह कम हो सके। अन्तिम प्रश्न जो आपने पूछा था, उसे आप दोहरा दें।

श्री सरदार सिंह--

मैंने प्रश्न किया था कि गंगा प्राधिकरण में मथुरा को भी जोड़ा जायगा कि नहीं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, जो गंगा प्राधिकरण बना हुआ है, वह सिर्फ गंगा नदी के लिये बना हुआ है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर आश्वासन भी दिया था कि यह कोशिश की जा रही है कि यमुना को भी उसमें शामिल कर लिया जाय। इसमें हम काफी प्रयास रत हैं लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि कब तक यह सम्भव हो पायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मथुरा में जो यमुना नदी है, क्या उसकी सफाई के लिये कोई योजना बनाई गई है ताकि उसमें जो प्रदूषित पदार्थ बैठ गये हैं, उनकी भी सफाई हो सके ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, सफाई की कोई योजना नहीं है। हां जो प्रदूषण होता है, उसे चेक करने के लिये व्यवस्थायें हैं।

श्री प्रदीप माथुर--

मान्यवर, मथुरा शहर में यमुना नदी में गिरने वाले 17 नालों को एक साथ जोड़कर सीवरेज फार्म में ले जाने की कोई घाट सीवरेज योजना शासन के तहत विचाराधीन है और उसके लिये समुचित पैसे की व्यवस्था कब तक हो पायेगी।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां, इस पर व्यवस्था किये जाने की संभावना है।

पर्वतीय जनपदों में जल निगम द्वारा स्वीकृत मजदूर दरें एवं इनका पुनरीक्षण

*2--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 जल निगम के पर्वतीय जनपदों की शाखाओं में विभाग द्वारा स्वीकृत मजदूर दरें क्या-क्या है तथा ये दरें कब से चली आ रही है। क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा स्वीकृत मजदूर दरों की अपेक्षा मार्केट में वास्तविक मजदूर दरें कहीं अधिक है ? यदि हां, तो विभागीय मजदूर दरों को पुनरीक्षित न किये जाने के कारण क्या हैं तथा कब तक इन स्वीकृत दरों को पुनरीक्षित किये जाने की संभावना है।

श्रीमती पद्मा सेठ---

पर्वतीय जनपदों में जल निगम द्वारा स्वीकृत मजदूर दरें तथा दरों के लागू होने की तिथियां संलग्नक† में अंकित हैं।

कतिपय स्थानों पर विभाग द्वारा स्वीकृत मजदूर दरों की अपेक्षा मार्केट में वास्तविक मजदूर दरें कुछ अधिक हो सकती हैं। यद्यपि जल निगम द्वारा स्वीकृत दरों पर मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं तथापि इन दरों को आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जाता रहता है। इस वर्ष भी कुछ स्थानों की दरें पुनरीक्षित की जा चुकी हैं।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने 8 जिलों के आधार पर दिया है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो नैनीताल जिले के, आखिरी पेज पर है, उस को देखने का कष्ट करें, मूल प्रश्न है कि पर्वतीय अंचल के जितने भी लोग हैं और नेपाल से आने वाले लोग हैं, उनके वेतन दरों में जल निगम की ओर से भिन्नता है और मैं केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं--चौकीदार नैनीताल जिले में, लोकल, स्थानीय आदमी को 10-12 रुपये हिल एरिया में

† छापी नहीं गयी।

और समतल एरिया में 9–10 रुपये, नेपाली को 12–14 रुपये, समतल को 11–13 रुपये....

श्री अध्यक्ष––

आप प्रश्न कर लीजिये ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल––

प्रश्न ही कर रहा हूं कि पहाड़ी लोगों को कम दर मिल रही है और नेपाल से आये लोगों को ज्यादा मूल्य प्रति दिन के हिसाब से, मैं पढ़ कर सुना रहा हूं, जब मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में इसको स्वीकार किया है तो पर्वतीय अंचल के लोगों को कम मूल्य पर क्यों रखा जा रहा है जब कि बाहर के लोगों को ज्यादा रेट दे कर रखा जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न है कि मुकामी लोगों को कम तनख्वाह दी जा रही है और बाहर के लोगों को ज्यादा दी जा रही है ।

श्रीमती पद्मा सेठ––

इसको दिखवा लेंगे, लिखा तो है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

उन्होंने कहा कि दिखवा लेंगे ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल––

जो पर्वतीय अंचल के लोग हैं, अगर उन्हें दिन-प्रति-दिन की मजदूरी भी बाहर के लोगों से कम मिलेगी तो उनमें असंतोष और रोष का आना स्वाभाविक है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कम से कम बराबर मूल्य देने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष––

मैं समझता हूं कि वह आप की भावनाओं का आदर करेंगी ।

प्रदेश मुख्यालय से लेकर जनपद स्तर तक दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित किये जाने की नीति

*3––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश मुख्यालय से लेकर जनपद स्तर तक दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के सिलसिले में कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)––

दैनिक मजदूरी पर विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सीधे नियमित अधिष्ठान में लेने की कोई नीति नहीं है । ऐसे कर्मचारियों की कम से कम 3 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा (मशीनों व वाहनों पर कार्य करने वाले यांत्रिक कर्मचारियों के मामले में कम से कम 3 माह की लगातार संतोषजनक सेवा) पर आवश्यकतानुसार उन्हें अनियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में लिया जाता है और अनियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में तीन वर्ष की लगातार सेवा करने पर उनको नियमित अस्थाई अधिष्ठान में लाये जाने की नीति है ।

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, आप प्रश्न की ओर देखें और उत्तर की ओर देखें । प्रश्न था कि प्रदेश मुख्यालय से लेकर जनपद स्तर तक दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के सिलसिले में कोई नीति निर्धारित की गई है और जो उत्तर मिलता है वह सिर्फ अधिष्ठान के बारे में जो यहां मुख्यालय पर है, तो जो उत्तर है वह अपने में स्वयं अधूरा है । मैं जानना चाहता हूं कि जो 3साल की संतोषजनक सेवा की जिसका जिक्र अपने उत्तर में मंत्री जी ने किया है, कभी पूरी भी हो पाती है किसी कर्मचारी की या नहीं । एक साल काम करने के बाद अधिकारी सैंक्शन रोक देता है, कभी दो साल के बाद सैंक्शन रोक देता है, तो क्या मेरे सुझाव पर मंत्री जी विचार करेंगे कि 3 साल की सेवा, कुल मिला कर के, तीन साल में जितने दिन होते हैं उतने दिनों की सेवा करने के बाद नियमित करने की नीति पर विचार करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने बड़ा चिन्ताजनक विषय उठाया है और उसमें यह जानना भी चाहा है कि नियमित शायद नहीं किये गये हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि नियमित नहीं किया गया है 1-3-68 से 27-3-82 तक लगभग 35 हजार ऐसे आदमियों को हम नियमित कर चुके हैं और साथ ही साथ यह लगातार प्रक्रिया है और इसमें आगे भी जितने लोग हैं 1-3-77 के बाद की तिथियों के जिनकी 3 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है, उनके सम्बन्ध में भी कार्यवाही चल रही है ।

श्री मित्र सेन--

मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में इस विभाग में दैनिक वेतन पर काम करने वाले मजदूर लाखों की तादाद में हैं, जैसा स्वीकार किया । बहुत से मजदूर, जैसा वह कह रहे हैं, 83 तक नियमित कर दिया, किन्तु इसके पूर्व से भी लाखों मजदूर काम करने वाले ऐसे हैं, जिनको नियमित नहीं किया गया जैसा माननीय राम आसरे वर्मा जी ने कहा कि समय-समय पर अधिकारी लोग सैंक्शन के अभाव में रोक देते हैं । जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी नीति बनायेंगे कि जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको 3 साल काम करने पर रेगुलर कर दिया जायगा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

माननीय सदस्य जी के मन में जो इच्छा है और जो वह अनुभव कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं । शासन भी इस प्रक्रिया को करने में कृत संकल्प है । इसके साथ दो शर्तें भी हैं--पद की उपलब्धता एवं नये पदों का सृजन । जब पद उपलब्ध होते हैं, तभी नियमित करते हैं । मैंने बताया 35 हजार हो गये हैं और आगे कार्य चल रहा है । यह रुकेगा नहीं, आश्वस्त रहें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने इस उत्तर को काफी घुमाने-फिराने की कोशिश की है । अगर पद नहीं है तो वे काम कैसे कर रहे हैं ? पद की उपलब्धता तो आपके हाथ में है । ऐसी-ऐसी मिसालें हैं कि 14-14 साल से लगातार लोग काम कर रहे हैं । एक साल उन्होंने काम किया, एक सप्ताह के लिये ब्रेक कर दिया, फिर उन्होंने दूसरे साल काम किया । क्या ऐसे लोगों के बारे में छानबीन कराकर माननीय मन्त्री जी उनको भी नियमित कराने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी और सही बात कही है । इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि नियमितीकरण की जो शर्तें हैं--सन्तोषजनक सेवा, पद की उपलब्धता, वे पूरी होती हैं तभी विनियमितीकरण होता है । फिर भी यदि कुछ ऐसे केसेज उनके संज्ञान में हैं तो हमें सूचित करदें, हम उनको देखेंगे, आश्वस्त रहें ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उनके रिकार्ड के मुताबिक कितने लोग ऐसे हैं, जिनकी 3 साल की सेवा पूरी हो गयी है माननीय सदस्य ने जो कहा कि बीच में ब्रेक कर देते हैं, किन्तु वे काम करते रहते हैं घर नहीं चले जाते हैं, ऐसे लोगों की तादाद कितनी है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, मैंने जैसा कि पहले ही आपकी सेवा में अपना उत्तर उपस्थित किया कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । यह कांटीन्यूअस प्रासेस है । आप निश्चिन्त रहें, इसमें समय तो लग जायेगा परन्तु हम इसे आपको उपलब्ध करा देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह बात सही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बीस-बीस साल काम करने के बाद वृद्ध हो गये हैं और सेवा से निकाल दिये गये हैं । अधिकारी उनका शोषण करते हैं इसलिये मेरा इस संबंध में एक सुझाव है यदि उसे मंत्री जी मानें तो मेरा सुझाव यह है कि तीन वर्ष में 1095 दिन होते

हैं। जिनके 1095 दिन पूरे हो जायं तो वरिष्ठता की सूची में पहले उनको एब्जार्ब किया जाय। क्या मंत्री जी इसको करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, इसके नियम मैंने पहले ही बतला दिये हैं कि स्किल्ड लेबर के और नान-स्किल्ड लेबर के क्या नियम हैं। मान्यवर, जिनका काम सन्तोषजनक है उन्हें ही कंटीन्यू रखा जाता है। 1967 में जो मंत्रिपरिषद् थी उत्तर प्रदेश में तो उसने एक निर्णय यह भी लिया था जिसे वित्त विभाग ने राज्यपाल महोदय की आज्ञा से आदेश कियाथा कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाय जो पहले से ही कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगे रहे हों। इन सब बातों को देख कर नीति बनायी गयी हैं लेकिन यदि कहीं त्रुटि हो तो आप मुझे सूची दे दें, हम उन पर विचार कर लेंगे।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मसला है, सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह सब जानते हैं कि 30 परसेन्ट कमीशन चलता है। जो लोग काम करते रहते हैं उन्हें साढ़े छः रुपया मजदूरी और एक किलो गेंहूं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सरकार की तरफ से दिया जाता है। लेकिन यह गेहूं उनको न देकर बेंच दिया जाता है और यह साढ़े छः रुपया जो मजदूरी के हैं वह भी पूरे उनको नहीं मिल पाते हैं। तो क्या मंत्रीजी ऐसे मजदूरों को स्थायी करने पर विचार करेंगे जिससे कि जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और उनके साथ अन्याय हो रहा है तो क्या मंत्रीजी अपने नियमों में कुछ सरलीकरण करके उनको स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य जी ने प्रश्न किया है, माननीय सदस्य जी का जो आधा प्रश्न है मैं समझता हूं कि वह कल्पना जगत का है और जो आधा प्रश्न आपने किया है तो आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 के तहत एक किलो नहीं बल्कि दो किलो अनाज दिया जा रहा है। दूसरी बात जो है उसे मैं दो बार कह चुका हूं और तीसरी बार फिर कह रहा हूं कि कहीं पर भी आपके संज्ञान मेंऐसी बात हो उसे आप मेरे सामने ला दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको करने की।

नवाब रामपुर के खासबाग स्थित इमामबाड़े से हुई चोरी का पंजीकृत अपराध

*4--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982 में जनपद रामपुर के शाही महल कोठी खास बाग में इमामबाड़े से लगभग 20 करोड़ रुपये के अलम डाका मारकर चोरी किये गये, जिसमें भूप सिंह नामी डाकू को गिरफ्तार किया गया था, जिसका बाद में कत्ल हो गया यदि हां, तो भूप सिंह का डाइंग डिक्लेरेशन क्या था तथा इंगित किये गये पुलिस अफसरों को अभी तक गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार नवाव रामपुर खासबाग स्थित इमामबाड़े मे हुई चोरी के 2 मामले वर्ष 1982 तक थाना सिविल लाइंस रामपुर पर पंजीकृत कराये गये। पहली चोरी का अपराध दिनांक 19-1-80 को श्री सैयद अकबर हुसैन निवासी कोठी खास बाग, रामपुर की लिखित सूचना पर अपराध संख्या-19 अन्तर्गत धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। इस अभियोग की विवेचना से माल व मुल्जिम का पता न चलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। दूसरी चोरी की घटना दिनांक 27-10-80 को घटित हुई जिसके संबंध में श्री सैयद अकबर हुसैन निवासी उपरोक्त की लिखित सूचना पर अपराध संख्या 478/80 अन्तर्गत धारा 457/380 थाना उपरोक्त पर पंजीकृत किया गया। इस अभियोग की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई विवेचना से भूप सिंह सहित 14 अभियुक्त प्रकाश में

आये। अभियुक्त भूप सिंह को दिनांक 19–9–82 को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर लिया गया। उसके कब्जे से 556 ग्राम सोना व 3352 ग्राम चांदी बरामद हुई। इस घटना में करीब 2 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के अलम आदि चोरी जाना ज्ञात हुआ। विवेचना से प्रकाश में आये दो अभियुक्त भूप सिंह व नजाकत की हत्यायें हो चुकी हैं। 10 अभियुक्तों के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। शेष दो अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उन्हें छोड़े जाने की रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 169 दं0 प्र0 सं0 न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है।

अभियुक्त भूप सिंह की हत्या, जमीन व रुपये सम्बन्धित रंजिश के कारण उसी गांव आगापुर (रामपुर) में दिनांक 4/5–1–83 की रात्रि में किया जाना प्रकाश में आया। प्रथम सूचना के अनुसार मृतक भूप सिंह की लाश गांव के गलियारे में पड़ी पाई गई जिसके कारण उसका मरणासन्न बयान अंकित नहीं हो सका। इस हत्या के अभियोग की भी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुहम्मद आजम खां––

मान्यवर, 1982 में मैंने यह प्रश्न किया था, उसका जबाव अब मिलाहै। इस सदी का सबसे बड़ा डाका है और इसका जवाब मंत्री जी इसलिये नहीं दे पायेंगे कि इसमें अधिकारियों और कुछ सियासी लोगों का हाथ है, [× × ×]

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न कर लें, यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां––

क्यों नहीं लिखा जायेगा, जब यह सही है, तो क्यों नहीं लिखा जायेगा। [× × ×] तो मत लिखिये। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है, मंत्री जी ने इस डाके में खुद 2 करोड़ रुपये का माल चोरी होना तस्लीम किया है, एक इमामबाड़े से चोरी हुई। मैंने पहले भी सूचना दी थी, तीन फिट स्टील की छत थी, उसको काट कर डाकू दाखिल हुये और 10–12 रोज उसमें रहे फिर माल गायब हो गया। स्ट्रांग रूम काटकर उसमें डकैत रहते रहे, वहां के मेम्बर आफ पार्लियामेंट है, उनको भी नहीं मालूम हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस डकैती में शाही खानदान की साजिश थी, सी0 बी0 आई0 की इन्क्वायरी हुई और एस0 डी0 एम0 का होना बताया जाता है? इसमें जिले के बड़े अधिकारी का हाथ है...

श्री अध्यक्ष––

आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री मुहम्मद आजम खां––

मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। मान्यवर, पहली रिपोर्ट का दर्ज होना तस्लीम किया गया है, दूसरी रिपोर्ट कब दर्ज हुई और वह किसके नाम दर्ज की गयी? 14 अभियुक्तों का होना बताया जाता है, कोई भी माल बरामद नहीं हुआ है, मालूम नहीं कि माल कहां गया? डकैतों के नाम क्या हैं? दोनों डकैतों का कत्ल कर दिया गया, एक ही जगह पर और उनका कोई बयान नहीं लिया गया।

श्री अध्यक्ष––

आप इतिहास न बताये।

श्री मुहम्मद आजम खां––

रिपोर्ट किसने लाज की, 12 अभियुक्तों के नाम क्या हैं।

श्री जफर अली नकवी––

मान्यवर, 27–10–1980 को दूसरी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, वह नामजद रिपोर्ट नहीं है। जो विवेचना हुई, उससे 14 अभियुक्तों के नाम सामने आये। दो को छोड़ कर सभी पकड़े गये हैं और दो की हत्या हो गयी है।

श्री मुम्हमद आजम खां––

मान्यवर, जो 12 अभियुक्त हैं सी0 बी0 आई0 की इन्क्वायरी किस मुद्दे पर चल रही है। 14 में से 2 पकड़े गये और दोनों

नोट––[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

का कत्ल करा दिया गया लिहाजा कुछ पता नहीं चल सका। इसमें फाइनल रिपोर्ट किस हालत पर लगा दिया, वहां कौन सा डर था। इन 12 डकैतों के नाम क्या हैं और किन के खिलाफ सी0 बी0 आई0 इन्क्वायरी चल रही है, उनका नाम क्या है ?

श्री अफर अली नकवी--

जिनकी हत्या हो गयी उनके नाम बता दिये बाकी के नाम अभी नहीं हैं, मैं बाद में पेश कर दूंगा।

श्री मुहम्मद आजम खां--

यह दोनों डकैत जो 14 में से 2 थे

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जायेगा कि सरकार ने कराया है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं मुझे तो डर यह है कि जो मैं बोलूं वह सभी कुछ न लिखा जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप खुद अन्दाजा लगा लेते हैं, कि यह क्या लिखा जायेगा क्या नहीं लिखा जायेगा?

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर 14 में से 12 डकैतों के नाम क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बताया।

श्री मुहम्मद आजम खां--

(व्यवधान के बीच) सी0 बी0 आई0 इनक्वायरी किन मुद्दे पर चल रही है, आपने किन मामलों पर फाइनल रिपोर्ट लगायी है कौन से डकैतों को संरक्षण देते हुए आपने फाइनल रिपोर्ट लगायी है।

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, इस पूरे प्रकरण की सी0 आई0 डी0 जांच चल रही है, कैसे उनकी हत्या हुई, कैसे वह लोग मारे गये। इन सब की जांच बाकी है जिस समय जांच आ जायेगी इनको भेज दी जायेगी।

श्री सुखपाल पांडे --

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो अभियुक्त हैं 12 इनमें से कौन-कौन से ऐसे हैं [* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

यह मैं इजाजत नहीं देता।

प्रश्न संख्या 5 पुकारे जाने पर--

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्नों का समय समाप्त हो रहा है अभी चौथे प्रश्न पर है।

यूकेलिप्टस नामक पौधे द्वारा वायु तथा भूमि की उर्वरा पर पड़ने वाले कुप्रभाव के संबंध में जानकारी

*5- --श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूकेलिप्टस नामक पौधे द्वारा वायु तथा भूमि की उर्वरा पर पड़ने वाले कुप्रभाव की निश्चित जानकारी मा0 मंत्री जी को है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि की उर्वरा शक्ति और वायु की दीर्घकालीन महत्व को देखते हुए ऐसे पेड़ों के रोपड़ को अतिशीध्र बन्द करने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफ़र अली नकवी--

जी नहीं, यूकेलिप्टस का वायु तथा भूमि की उर्वरा शक्ति पर न तो कोई कुप्रभाव पड़ता है और न ही कथित कुप्रभाव के बारे में कोई प्रमाणित विश्लेषण उपलब्ध है।

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।]

यूकेलिप्टस की उत्तर प्रदेश में लगाई जाने वाली प्रजाति, जो यूकेलिप्टस हाईब्रिड के नाम से जानी जाती है, बल्ली, ईधन तथा कागज़ की लुगदी के लिये उत्तम है। इससे औद्योगिक क्षेत्र तथा घरेलू उपयोग के लिये लकड़ी प्राप्त होती है। अतः इसका रोपण बन्द करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जैसा कि उत्तर के अन्तिम पैरा में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यूकेलिप्टस हाई ब्रिड बल्ली, ईधन तथा कागज की लुगदी बनाने के काम में आता है इसलिये उसका प्लांटेशन बन्द नहीं किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि वह बल्ली, ईधन, कागज की लुगदी व उसके बाद में रेशा आता है फाइवर, फीडर, चारा आता है फल फूट आते हैं यह सारी जरूरत की चीजें है माननीय मंत्री जी को ज्ञात होगा कि पहाड़ों में चिपको आन्दोलन हुआ था, बहुत सारे बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों द्वारा 5 एफ़ प्लान्टेशन जिसमें फूड, फीडर, फाइवर, फ्रूट और फरटीलाइजर जिसका मतलब भोज्य पदार्थ, चारा, रेशा, फल और खाद इस तरह से पांच चीजें यह जिन पेड़ों से प्राप्त होती है उनका प्लान्टेशन किये जाने के लिये सुझाव देना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन सारी चीजों के महत्व को समझते हुये इस तरह के प्लान्टेशन कराने की कोई योजना विचाराधीन है। यदि नहीं, तो क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री जफ़र अली नकवी--

सम्मानित सदस्य यदि ऐसा सुझाव हमें दे देंगे तो उस पर अवश्य विचार कर लिया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, अब मैं प्रश्न के पहले भाग में आता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस निश्चित जानकारी को सही मानते हुये और जैसा कि इकलोजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स ने कहा है कि इकिलिप्टस का पेड़ जो है जमीन के अन्दर की नमी को और वातावरण की नमी को भी पी जाता है जिससे कि वहां पर की ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने विभाग के विशेषज्ञों से इस बात की जानकारी करायेंगे कि इकिवलिप्टस के पेड़ न लगाकर वहां पर दूसरे प्रकार के प्लान्टेशन लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री जफ़र अली नकवी--

मान्यवर, इसकी जानकारी कर ली गई है और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, ऐसा नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव, अध्यक्ष लोकदल पर हुये प्राण घातक हमले के संबंध में जानकारी

*6--श्री किरन पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुलायम सिंह यादव, अध्यक्ष लोकदल, उ0 प्र0 पर माह अप्रैल 1984 में हुए प्राण घातक हमले की सी0 बी0 आई0 द्वारा की जा रही जांच पूरी हो चुकी है ? यदि नहीं, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है तथा रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

श्री मुलायम सिंह यादव, अध्यक्ष लोकदल उत्तर प्रदेश पर माह अप्रैल, 1984 में नहीं बल्कि दिनांक 4-3-84 को हुए प्राण घातक हमले की जांच सी0 बी0 आई0 को सुपुर्द करदी गयी है। कोई जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

थाना बड़ा गांव जिला वाराणसी में फर्जी इन-काउन्टर करने के संबंध में हत्या का मुकदमा

*7--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई 81 को थाना बड़ा गांव जिला वाराणसी के एस0 ओ0 जीवन लाल तिवारी एस0 आई0 ताहिर खां एवं सात सिपाहियों ने राधेश्याम व जगदीश मिश्र गजापुर दूधनाथ सिंह पतेर थाना बड़ागांव व

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

शिवबली दुबे गांव धनुवां रामपुर, थाना रामपुर ज़ौनपुर का इनकाउन्टर कर दिया था जिसकी जांच सरकार ने अपराध अनुसंधान शाखा उ0 प्र0 से कराया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सी0 आई0 डी0 ने 22 दिसम्बर, 82 को थाना बड़ा गांव। जिला वाराणसी में फ़र्ज़ी इकाउन्टर करने के सम्बन्ध में हत्या का मुकदमा एस0 ओ0, एस0 आई0 व सिपाहियों के खिलाफ दर्ज कराया है और मुकदमा चलाने हेतु सरकार को परमीशन हेतु लिखा है ? तो अब तक अपराध अनुसंधान शाखा को परमीशन दिया गया कि नहीं, यदि दिया गया तो कब, नहीं तो कारण क्या है ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 1/2-7-81 की अर्द्धरात्रि की घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा, द्वारा की गयी। जांच से दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा दिनांक 23-12-83 को अभियोग पंज़ीकृत कराया गया। इनके विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

जनपद आगरा के थाना खेड़ा राठौर के ग्राम खोहरी के उपग्राम हीरा लाल का पुरा में व्यक्तियों की सामूहिक हत्या

*8--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना खेड़ा राठौर के ग्राम खोहरी के उप ग्राम हीरालाल का पुरा में दिनांक 2/3-5-85 को मध्य रात्रि के सामूहिक नर संहार में 10 व्यक्तियों की हत्या हुयी ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की तथा घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद आगरा के थाना खेड़ा राठौर के ग्राम खोहरी के उप ग्राम हीरालाल का पुरा में दिनांक 2/3-5-85 की रात्रि में एक ही परिवार के 10 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या की घटना के सम्बन्ध में वादी श्री वासुदेव निवासी ग्राम हीरालाल का पुरा की लिखित सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 22, अन्तर्गत धारा 396 भा0 दं0 वि0 थाना खेड़ा राठौर पर पंजीकृत करके तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गई। स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप इस हत्या के मामले में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी वासुदेव व उसके भाई विमल द्वारा सम्पत्ति के लालच में अपनी निज़ी रायफ़ल व बन्दूक से अपने बड़े भाईयों हरनरायन व बाबूराम, भाभियों फ़ूलमाता व लक्ष्मी, भतीजे रवि, सुनील व आदेश एवं भतीजियों उपमा, साधना व कल्पना की हत्या कर दी गई। अभियुक्तगण वासुदेव व विमल को गिरफ्तार करके ज़ेल भेजा जा चुका है और उनकी निशानदेही पर मृतकों का ज़ेवर आदि बरामद किया गया। विवेचना से अपराध धारा 396 भा0 दं0 वि0 से धारा 304/302/411/404 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। इस मामले की आगे विवेचना प्रचलित है।

थाना अतरौली, जिला हरदोई के ग्राम सकतपुर में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में श्री छविनाथ की निर्मम हत्या

*9--कुंवर मानवेन्द्र सिंह तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 13 फरवरी, 1985 की रात्रि में थाना अतरौली, जिला हरदोई के ग्राम सकतपुर में पुलिस द्वारा फर्ज़ी मुठभेड़ में श्री छविनाथ नामक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गयी? क्या यह सही है कि उक्त घटना की मजिस्ट्रेटी जांच की जा रही है ? यदि हां, तो उसकी अन्तरिम रिपोर्ट क्या है ? क्या उत्तरदायी पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12/13-2-85 की रात्रि में समय लगभग 12.30 बजे पुलिस तथा बदमाशों के मध्य श्री इन्द्र देव सिंह व श्री हरदेव सिंह के बाग में, जो

थाना कोतवाली ह दोई के क्षेत्र के ग्राम सकतपुर की सीमा में है, मुठभेड़ हुई, जिसमें श्री छविनाथ सिंह निवासी ग्राम जनिगांव थाना अतरौली हरदोई की मृत्यु हुई तथा उसके पास से अवैध पिस्तौल व कारतूस बरामद हुए । इस संबंध में थाना कोतवाली हरदोई में अभियोग अपराध संख्या 69/85 धारा 307 भा0 दं0 वि0 एवं अपराध संख्या 70/85 धारा 25 सशस्त्र अधिनियम दिनांक 13-2-85 को पंजीकृत हुये । उपरोक्त घटना की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा गहराई से की जा रही है ।

यह सही है कि उक्त घटना की मजिस्टीरियल जांच की जा रही है, जिसकी कोई अन्तरिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

कोई पुलिस कर्मी निलम्बित नहीं किया गया है। मजिस्टीरियल जांच एवं अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की विवेचना के परिणाम स्वरुप यदि कोई पुलिस कर्मी दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

नगर पौड़ी (गढ़वाल) में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के पास प्राकृतिक जलस्त्रोत में प्रदूषण का तत्काल किये जाने के संबंध में कार्यवाही

*10--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पौड़ी (गढ़वाल) में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के पास स्थित एक प्राकृतिक जल स्त्रोत जिससे लगभग 3000 परिवार जल आपूर्ति लेते थे तथा जिसके ऊपर जल निगम का कार्यालय स्थित है, में विगत दिनों से मल मूत्र आना प्रारम्भ हो गया है जिसका कारण इस स्त्रोत के ठीक ऊपर जल निगम द्वारा कुछ माहपूर्व बनाया गया सैनिटेशन पिट है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रदूषण को तत्काल समाप्त कराकर जल निगम के उत्तरदायी कर्मचारियों के खिलाफ़ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

अप्रैल, 1985 में इस जल स्त्रोत में 2.4 दिनों के लिये प्रदूषण हो गया था। जी नहीं। इस स्त्रोत के ऊपर एक प्राइवेट मकान के सेप्टिक टैंक का मलवा एक गड्ढे में इकट्ठा किया जा रहा था जिसके कारण स्त्रोत प्रदूषित हुआ ।

प्रदूषण समाप्त करा दिया गया है। जल निगम इसके लिये उत्तरदायी नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के डी0 सी0 यू0 प्रखण्ड से सीमेन्ट गायब होने की दर्ज रिपोर्ट

*11--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री को फैजाबाद जनपद स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के डी0 सी0 यू0 प्रखण्ड से लाखों रुपये की सीमेन्ट गायब होने की सूचना है जिसके संबंध में विभाग के अधिकारियों ने कोतवाली थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12,13, 14 मार्च, 1985 को दर्ज करायी है ? यदि हां तो प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है और उसके आधार पर पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सीमेंट और अन्य गायब सामानों की बरामदगी हुई ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13-3-85 को दर्ज कराई गई ।

गत 13-3-85 को थाना कोतवाली जनपद फैजाबाद में श्री मोहम्मद वसीम खां स्थानिक अभियन्ता द्वितीय विभाग निर्माण इकाई सार्वजनिक निर्माण विभाग फैजाबाद ने एक लिखित सूचना दी कि जब फैजाबाद स्थित सा0 नि0 विभाग के स्टोर में स्थित सीमेन्ट के स्टाक का भौतिक सत्यापन किया गया 2645 बोरी सीमेन्ट की कमी पाया गया। तो जिसका मूल्य 50 रु0 प्रति बोरी के दर से रु0 1,32,250 है। उक्त सूचना में स्टोर के प्रभारी अवर अभियन्ता श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय एवं स्टोर कीपर

रामायन दूबे को सीमेन्ट की कमी के लिये दोषी ठहराया गया है। इस सूचना के आ।र पर थाना कोतवाली फैजाबाद में मु0 अ0 सं0 599/85 धारा 409 भा0 दं0 वि0 अंकित किया गया। विवेचना जारी है।

जी नहीं।

रामतीर्थ मार्ग, नरही लखनऊ में गोपाला एपार्टमेन्ट का निर्माण सीवर तथा पानी क कनेक्शन न दिये जाने के संबंध में कार्यवाही

*12--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रामतीर्थ मार्ग नरही लखनऊ में जो गोपाला एपार्टमेन्ट का निर्माण किया गया है उसे विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर तथा पानी के कनेक्शन न दिये जाने हेतु अध्यक्ष जल संस्थान को सूचित किया गया था? यदि हां, तो उक्त भवन को यह सारी सुविधायें किस आधार पर उपलब्ध करायी गयी? क्या यह भी सच है कि वही अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा नगर महापालिका एवं जल संस्थान इन्चार्ज है और वह उपरोक्त अनियमितता को रोकने में असफल रहा है? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध एवं गोपालाएपार्टमेन्ट भवन को गिरवाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

वर्ष 1984 में विकास प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त होने पर गोपाला एपार्टमेन्ट का जल संयोजन, जो निर्देश प्राप्त होने के पूर्व दिया गया था, काट दिया गया। वर्तमान में इस भवन में संस्थान का जल संयोजन नहीं है।

नगर महापालिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कोई सीवर कनेक्शन स्वीकृत नहीं किया गया। इस संबंध में नियमानुसार भवन मालिक को नोटिस महाप्रबन्धक जल संस्थान द्वारा दी गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है। गोपाला एपार्टमेन्ट भवन को गिराने के सन्दर्भ में भवन मालिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गयी है जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये गये हैं और याचिका अभी भी विचाराधीन है।

सहकारी गन्ना विकास समिति सिसवा बाजार के माध्यम से सिसवा बाजार चीनी मिल पर गन्ना कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य

*13--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पेराई सत्र 1982-83 का गन्ना कृषकों का कितना बकाया गन्ना मूल्य सहकारी गन्ना विकास समिति सिसवा बाजार के माध्यम से सिसवा बाजार चीनी मिल पर बकाया है? सरकार उसके भुगतान की क्या व्यवस्था कर रही है तथा उक्त बकाया गन्ना मूल्य कृषकों में कब तक वितरित कर दिया जाएगा?

श्री नारायन दत्त---

पेराई सत्र 1982-83 का गन्ना कृषकों का 10.24 लाख रु0 गन्ना मूल्य का सहकारी गन्ना विकास समिति सिसवा बाजार के माध्यम से सिसवा बाजार चीनी मिल पर बकाया है। यह बकाया धनराशि उक्त चीनी मिल के अधिग्रहण के पूर्व की है। अधिग्रहण के पूर्व के बकाया देयों के संबंध में उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

*14--श्री सुखपाल पाण्डे--

[दिनांक 30-7-85 को तार0 प्र0 सं0 13 द्वारा उत्तरित]

ग्राम मैनहवां तथा ग्राम देवगह शुक्ल, थाना खेसरहा, जनपद बस्ती में पड़ी डकैतियां गिरफ्तारी

*15--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 28/29 अप्रैल 84 की रात में ग्राम मैनहवां तथा ग्राम देवगह शुक्ल, थाना खेसरहा जनपद बस्ती में डकैतियां पड़ी थीं ? क्या यह सत्य है कि ग्राम मेनहवां में 8 घर लोधों के तथा ग्राम देवगाह शुक्ल में तीन घर पंडितों के लूटे गये थे जिसकी प्रथम सूचना श्रीराम जी शुक्ल पुत्र श्री तीरथ शुक्ल ग्राम देवगह शुक्ल ने थाना खेसरहा में दर्ज करायी है? यदि हां, तो प्रथम सूचना में कितने व्यक्ति नामजद किये गये और नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा इन डकैतियों के संबंध में आज तक कुल कितनी गिरफ्तारियां किन-किन लोगों की, की गई? क्या यह भी सत्य है कि दिनांक 2/3 जून 84 की रात में ग्राम कंचनपुर थाना खेसरहा में भी डकैती पड़ी जिसमें 3/2 घर लूटे गये? यदि हां, तो इस डकैती के सम्बन्ध में कौन-कौन सी गिरफ्तारियां की गई तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

जी हां।

ग्राम देवगह में हुई डकैती की प्रथम सूचना थाना खेसरहा पर श्री राम शंकर पुत्र हरिद्वार शुक्ल के द्वारा अंकित करायी गयी। ग्राम मैनहवां की डकैती की सूचना ग्राम मैनहवां के श्री राम लखन पुत्र फागू लोध द्वारा दी गई।

सात व्यक्ति नामजद किये गये थे। सभी का चालान किया गया।

कुल तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये--

1--वीरेन्द्र सिंह पुत्र ललन सिंह सा0 चत्रही थाना-खेसरहा।

2--परमानन्द पुत्र सत्यनारायन सा0 अइयां थाना-मेहदावल।

3--राजाराम पुत्र पूर्णमासी हरिजन सा0 पसाई थाना खेसरहा जनपद बस्ती।

ग्राम कंचनपुर में पड़ी डकैती में 32 घर नहीं बल्कि 18 घर ही लूटे गये थे।

इस डकैती में अभियुक्त बलराम मुन्ना, सच्चिदानन्द तथा राजेन्द्र को गिरफ्तार, किया गया था। इस मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौप दी गयी है।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी टाउन एरिया में हैण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था की मांग

*16--श्री विजय सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी टाउन एरिया में पेयजल के संकट को देखते हुए हैण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

पेयजल संकट को देखते हुए दुद्धी टाउन एरिया में 4 गहरे हैण्ड पम्प मई, 1985 में लगवा दिये गये हैं।

सचिवालय प्रशासन विभाग में दैनिक वेतन टंककों की नियुक्तियां तथा नियमितीकरण

*17--श्री राम सजीवन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन विभाग में तृतीय श्रेणी दैनिक वेतन पर कार्यरत वर्ष 1979 से 1984 तक के कर्मचारियों को नियमित करते समय 1983-84 से रखे गये तृतीय श्रेणी दैनिक वेतन पर कर्मचारियों से जूनियर कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका विधिक औचित्य क्या है ? इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरायन दत्त--

कुछ दैनिक वेतन टंककों की नियुक्तियां वर्ष 1983 तथा वर्ष 1984 में की गयी थीं इनकी नियुक्तियां विधिवत प्रतियोगितात्मक

परीक्षा आयोजित करके की गयी थी, अत: उन्हें 1-9-84 से नियमित कर दिया गया है बिना किसी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के दैनिक वेतन पर पूर्व में रखे गये चार कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह बिन्दु विचाराधीन रहा कि उन टंककों को नियमित किया जाय या निकाल दिया जाय। इन टंककों को नियमित किये जाने का निर्णय हो जाने के बाद नियमितीकरण की तिथि, अर्थात 9-10-84, से उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान की गयी है पहले नियमित किये गये कर्मचारी पहले नियमित रूपसे नियुक्त किये गये है और बाद में नियमित किये गये कर्मचारी बाद में नियमित रूप से नियुक्त किये गये हैं। फलत: वर्ष 1979 से 1984 तक के कथित चार कर्मचारियों को नियमित करते समय उनकी ज्येष्ठता 1983-84 में रखे गये कर्मचारियों के नीचे निर्धारित हुई है। इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। अत: किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

8वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनकर आये सदस्यों को पेंशन एवं रोडवेज पास आदि की सुविधा

*18--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8वीं उत्तर द्रदेश विधान सभा वर्ष 1980 के लिए प्रथम बार कितने सदस्य चुनकर आयें? सरकार उन्हें पेंशन एवं रोडवेज पास आदि की सुविधा जो मा0 भू0 पू0विधायकों को मिलती है उस नियम के तहत देने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उस सम्बन्ध में कोई अतिशीघ्र आदेश जारी करने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार 8 वीं उत्तर प्रदेश विधान सभा वर्ष 1980 के लिये प्रथम बार 160 सदस्य चुनकर आये।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

यह विचाराधीन है।

श्री शुक्रउल्ला ग्राम फरियां, जनपद आजमगढ़ के मकान में कायम की गयी पुलिस चौकी

*19--श्री मोहम्मद मसूद खां--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में श्री शुक्रउल्ला ग्राम फरिया जनपद आजमगढ़ के मकान स्थित फरिया चौराहा पर पुलिस ने जबरदस्ती कब्जा करके पुलिस चौकी कायम कर ली है और इस सम्बन्ध में उसको खाली कराने का प्रार्थना पत्र भी दिया जा चुका है ? यदि हां,तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं। श्री सुक्रउल्ला के मकान में उनकी सहमति से पुलिस चौकी कायम की गई है। अब उन्होंने चौकी को हटाये जाने का अनुरोध किया है। बरसात का समय तथा चौकी हेतु अन्य भवन उपलब्ध न होने के कारण उसे अभी नहीं हटाया जा सका है। श्री सुक्रउल्ला को स्थित स्पष्ट कर दी गई है और वे दिनांक 31-10-85 तक उक्त चौकी को उसी स्थान पर रखने हेतु सहमत हो गये हैं चौकी हेतु अन्य भवन की खोज की जा रही है।

लाल मस्जिद, आगरा के तेल मिल मालिक श्री प्रकाश चन्द्र बंसल व उनके परिवार की निर्मम हत्या

*20--श्री सत्य प्रकाश विकल--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगें कि 13 सितम्बर, 1983 को लाल मस्जिद आगरा के तेल मिले मालिक प्रकाश चन्द्र बंसत उनकी पत्नी व उनके चार बच्चों की निर्मम हत्या के सभी अपराधी पकड़े गये ? यदि नहीं तो क्यों और इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के संबंध में थाना हरी पर्वत आगरा पर पंजीकृत अभियोग संख्या 540/83, धारा 302 भा0 द0 वि0 की विवेचना से मामला लूट का पाये जाने पर इस अभियोग को धारा 396 भा0 द0वि0 में परिवर्तित किया गया। विवेचना से 7 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें

4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया 2फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0सं0 की कार्यवाई की गई किन्तु इसके बावजूद भी व न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा शेष एक अभियुक्त का पता अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। फरिता रशुदा अभियुक्तों तथा 2 मफरूर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 14-12-83 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है और शेष एक अभियुक्त जिसका पता ज्ञात नहीं हो सका है, के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

अतारांकित प्रश्न

निर्बल वर्ग हेतु बालू अड्डे में विकसित भू-खंडों का आवंटन, राजनैतिक दलों द्वारा इस संबंध में की गयी शिकायतें

1--श्री सुन्दर लाल तथा श्री त्रिलोक चन्द्र--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के अन्दर 20 सूत्रीय कार्य क्रम योजना के अन्तर्गत निर्बल वर्ग आय वालों के लिये बालू अड्डा (प्रयाग नारायण रोड) में बालू अड्डा विकास योजना के नाम से चलायी गई थी ? यदि हां, तो उसका आवंटन किस आधार पर और किन नियमों के अन्तर्गत किया गया ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। बालू अड्डे में विकसित भूखंडों का आवंटन बालू अड्डा के ऐसे निवसियों को किया गया है जिनका नाम निर्वाचन नामावली में अंकित था, या दूसरी योजनाओं के विस्थापित व्यक्ति थे जिन्होंने इस हेतु अपना पंजीकरण कराया था।

2--श्री सुन्दरलाल तथा श्री त्रिलोक चन्द्र--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि वहां के निवासियों तथा प्रमुख राजनैतिक दलों ने उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को लिख कर दिया था कि उक्त योजना में ऐसे लोगों को प्लाट आवंटित किया गया है जो निर्बल वर्ग आय सीमा के अन्तर्गत नहीं आते है और जिनका लखनऊ शहर में पक्के मकान है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त --

राजनैतिक दलों द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी गई है। उसकी जांच सहायक नगर अधिकारी को दी गई है जो अभी पूरी नहीं हो पायी है। जांचोपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी।

चार व्यक्तियों के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है। उनको अनुबन्ध एवं कब्जा की कार्यवाही रोक दी गई है।

उत्तर प्रदेश जल निगम के यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) के प्रशासनिक नियन्त्रण में रखे जाने संबंधी आदेश

3--श्री रणजीत सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन सी मुख्य-मुख्य प्रशासनिक बाधायें है, जिनकी वजह से उ0प्र0 जल निगम के यांत्रिक संवर्ग के अभियंताओं को मुख्य अभियंता (यांत्रिक) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखना सम्भव नहीं हो पा रहा है और कब तक उक्त के संबंध में आदेश परित कर दिये जायेंगे यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

उत्तर प्रदेश जल निगम की विभिन्न योजनाओं के विद्युत / यांत्रिक तथा सिविल कार्यों का समन्वय करने, अच्छी प्रगति एवं उचित गुणता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरे उत्तर प्रदेश को 5 परिक्षेत्रों में बांटा गया है, जो एक एक मुख्य अभियन्ता स्तर II के अधीन है : उत्तर प्रदेश जल निगम के अन्तर्गत विद्युत यांत्रिक सम्वर्ग में केवल एक मुख्य अभियन्ता स्तर-II का पद स्वीकृत है, जो जल संस्थानों एवं स्थानीय निकायो के जलकलों के वार्षिक निरीक्षण तथा उन्हें मार्गदर्शन के उद्देश्य से सृजित किया गया है। उपरोक्तानुसार संरचना के कारण विद्युत / यांत्रिक सम्वर्ग के सभी अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

के प्रशासनिक नियंत्रण में रखना सम्भव नहीं है। जिन परियोजनाओं में विद्युत यांत्रिक प्रकृति के कार्यों का बाहुल्य है, उन पर तैनात शाखाओं तथा मण्डलों को मुख्य अभियन्ता स्तर II (यांत्रिक) के सीधे नियंत्रण में रखा गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम के विभिन्न कार्य कलापों की प्रकृति को देखते हुये उक्त व्यवस्था में कोई परिवर्तन जनहित में नहीं है और किसी अन्य आदेश को कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं अन्य पदों पर नियुक्त सिविल एवं विद्युत / यांत्रिक संवर्ग के अभियंता

4—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम मुख्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं अन्य जगहों पर अलग अलग किस-किस संवर्ग के (सिविल व यांत्रिक) अभियन्ता किन-किन तादादों में नियुक्त किये गये हैं? क्या उनकी नियुक्तियों का अनुपात शासन द्वारा निर्धारित 1:4 (20प्रतिशत) के समतुल्य हैं ? यदि नहीं, तो क्यों उसको उस अनुपात के समतुल्य बनाने के लिए क्या आदेश दिये जा रहे हैं ?

श्री नारायन दत्त—

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं अन्य पदों पर तैनात सिविल एव विद्युत / यांत्रिक सम्वर्ग के अभियंताओं की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है :-

प्रशासनिक नियंत्रण हेतु—

	वि0 या0	सिविल	योग
मुख्य अभियन्ता स्तर–I ..	2		2
मुख्य अभियन्ता स्तर–II ..	1		1
अधीक्षण अभियन्ता ..	3		3
अधिशासी अभियन्ता ..	3		3
सहायक अभियन्ता			
अन्य जगहें—			
मुख्य अभियन्ता स्तर–I ..			
मुख्य अभियन्ता स्तर II	1	2	3
अधीक्षण अभियन्ता	..	10	10
अधिशासी अभियन्ता	3	21	24
सहायक अभियन्ता	1	25	26

राज बिहारी सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग (अब जल निगम) में विद्युत/यांत्रिक सम्वर्ग के अभियन्ताओं का 20 प्रतिशत का अनुपात केवल निर्माण कार्यों के लिये ही रखे जाने की संस्तुति की गई थी। उपरोक्त अनुपात उक्त समिति की संस्तुति के लगभग समान है।

उत्तर प्रदेश जल निगम के अन्तर्गत क्षेत्रीय मुख्य अभिन्ताओं व उनके ऊपर के पदों की संख्या तथा डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगे

5—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं व उनके ऊपर के अन्य अभियंताओं की कुल तादाद अलग अलग क्या है व उसमें से कितने अभियंता यांत्रिक संवर्ग के हैं व सिविल अभियन्ताओं की तुलना में उनके अनुपात के कम होने के मुख्य मुख्य कारण क्या है व उन जगहों पर यांत्रिक अभियन्ताओं की भी नियुक्तियां करने के लिये कौन से उपाय किये जा रहे हैं। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

उत्तर प्रदेश जल निगम के अन्तर्गत क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं व उनके ऊपर के पदों की संख्या निम्नानुसार है :—

मुख्य अभियन्ता स्तर-I	2
मुख्य अभियन्ता स्तर-II	8
मुख्य कार्मिक अधिकारी	1

उपरोक्त में से विद्युत/यांत्रिक सम्वर्ग का केवल एक पद है जो मुख्य अभियन्ता स्तर-II का है। चूंकि मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों का दायित्व निर्माण कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य कलापों में उचित समन्वय का है, अतः इस सम्वर्ग में राज बिहारी सिंह समिति द्वारा

संस्तुत प्रतिशत लागू नहीं होता । उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्त्रण (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 के प्राविधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति हेतु सिविल तथा यांत्रिक दोनों सम्वर्ग के स्थाई अधीक्षण अभियन्ताओं में से चयन किया जाता है । अत: इन पदों पर विशेष तौर पर यांत्रिक अभियन्ताओं की नियुक्तियां करने के लिये किसी अन्य उपाय को किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

6--श्री रणजीत--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 जल निगम के डिप्लोमा इंजीनियर्स अपनी किन प्रमुख मांगों को लेकर 23-4-85 से हड़ताल पर थे व उनकी मांगों को मान लेने पर शासन के समक्ष मुख्य मुख्य बाधायें क्या हैं ?

श्री नारायन दत्त---

उत्तर प्रदेश जल निगम के डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन ने जिन मांगों को लेकर दिनांक 23 अप्रैल, 1985 से हड़ताल प्रारम्भ की थी, उनमें प्रमुख मांग अवर अभियन्ताओं को 14 वर्ष की सेवाकाल पर सहायक अभियन्ता का वेतनमान दिये जाने की थी । इसके सम्बन्ध में संगठन के प्रतिनिधियों से दिनांक 30 अप्रैल 1985 को बात की गई जिससे ऐसा आभास हुआ कि संगठन 14 वर्षों के बजाय 15 वर्षों की सेवा पर सहायक अभियन्ता का वेतनमान दिये जाने पर भी हड़ताल वापस ले सकता है । इस संशोधित मांग पर विचार करने का आश्वासन दिये जाने पर संगठन द्वारा उसी दिन हड़ताल वापस ले ली गई और शासनादेश दिनांक 23 जुलाई 1985 के द्वारा 15 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर 900-1770 का वेतनमान दिये जाने की स्वीकृत प्रदान कर दी गई ।

उ0प्र0 जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्प तथा व्यय की गयी धनराशि

7--श्री रणजीत --

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 जल निगम द्वारा वर्ष 1983, 1984 व 1985 में अलग-अलग प्रत्येक वर्ष में कितने कितने हैण्ड पम्प लगाये गये और हर वर्ष में उनको लगाने में कितनी कितनी धनरशि व्यय की गयी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना व्यय किये जाने की संभावना है ?

श्री नारायन दत्त--

उ0प्र0 जल निगम द्वारा वर्ष 1982-83 में 8743, वर्ष 1983-84 में 18912 तथा वर्ष 1984-85 में 9181 हैण्ड पम्पस् लगाए गए । पाइप लाइन तथा हैण्ड पम्प लगाने के लिए धनराशि का आवंटन किया जाता है तथा हैण्ड पम्प लगाने पर व्यय की जाने वाली धनराशि की बुकिंग कार्यक्रम के अनुसार की जाती है । अलग अलग मदों पर सूचना नहीं रखी जाती है । अत: हैण्ड पम्प निर्माण में व्यय की सूचना अभी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है । इसके एकत्र करने में समय लगेगा । वर्तमान वर्ष का आवंटन भारत सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुआ । अत: वर्तमान वर्ष के विषय में सूचना दिया जाना संभव नहीं है ।

प्रदेश में नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने हेतु उपलब्ध की गयी धनराशि

8--श्री रणजीत--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन किन नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए शासन द्वारा कुल कितनी धनराशि कब और किस मुहकमें को उपलब्ध करायी गयी है या जाने वाली है और उस धन के भविष्य में उक्त कार्य में ही खर्च करने हेतु कौन से उपाय किये जायेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

प्रदेश में भिन्न-भिन्न नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिये शासन द्वारा पर्यावरण निदेशालय के माध्यम से निम्नलिखित धनराशि उपलब्ध कराई गयी:-

1--बृन्दावन एवं मथुरा में यमुना नदी के जल को प्रदूषण से बचाने के लिये योजना के विरचन हेतु 2.50 लाख की धनराशि प्रदान की गयी जिसके अनुसार जल निगम द्वारा मथुरा नगर एवं बृन्दावन नगर में जल

प्रदूषण को रोकने के लिये क्रमश: रु 025.26 लाख एवं रु 049.23 लाख की योजना तैयार की गयी। इस धनराशि को रु 0 60,000/ वर्ष 1982–83 में एवं 1.90 लाख रु 0 वर्ष 1984–85 में जल निगम को अवमुक्त किया गया। इस प्रकार इस धन का पूर्ण उपयोग हो चुका है।

2––मथुरा एवं वृन्दावन में यमुना नदी के जल प्रदूषण को रोकने के लिये योजना के कार्यान्वयन हेतु 5.0 लाख की धनराशि 1984–85 में अवमुक्त की गयी।

3––गोमती नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिये दो नालों की दिशा परिवर्तन हेतु रु 07.0 लाख नगर महापालिका, लखनऊ को अवमुक्त किया गया, जिस में रु 0 5.0 लाख वर्ष 1983–84 एवं रु 0 2.0 लाख वित्तीय वर्ष 1984–85 में दिया गया।

4––वाराणसी में गंगा प्रदूषण निवारण योजना के कार्यों के पुनरोद्धार के निमित्त नगर विकास विभाग के माध्यम से उ0प्र0 जल निगम को 96.00 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

विद्युत एवं यांत्रिक तथा सिविल अभियन्ताओं के कार्यों की सीमा निर्धारण हेतु गठित समिति तथा विभिन्न ग्रामीण एवं अन्य जल प्रदाय योजनाओं के रख-रखाव हेतु कार्यों का आवंटन

9––श्री रणजीत ––

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 72–73 में पूर्व स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 (वर्तमान में उ0प्र0 जल निगम) के विद्युत एवं यांत्रिक तथा सिविल अभियंताओं के कार्यों के सीमा निर्धारण हेतु जो उच्चाधिकारी प्राप्त समिति, शासन द्वारा गठित की गयी थी उसने उपरोक्त विभाग के विभिन्न जल कल संस्थानों एवं जल प्रदाय योजनाओं के रखरखाव के संदर्भ में शासन को क्या संस्तुति दी थी ?

श्री नारायन दत्त––

राज बिहारी सिंह समिति विभिन्न जलकल संस्थाओं एवं जन प्रदाय योजनाओं के रख रखाव के सन्दर्भ में अपनी रिपोर्ट में कोई संस्तुति नहीं की थी।

10––श्री रणजीत––

क्या यह भी सही है कि समिति की संस्तुतियों के विपरीत उपरोक्त विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण एवं अन्य जल प्रदाय योजनाओं के रख-रखाव का सम्पूर्ण कार्य विद्युत एवं यांत्रिक अभियंताओं को नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो समिति की संस्तुतियों को मद्देनजर रखते हुए उपर्युक्त के सन्दर्भ में क्या आदेश संबंधित विभाग को दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त––

यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश जल निगम में विभिन्न ग्रामीण एवं अन्य जलप्रदाय योजनाओं के रखरखाव का कार्य विद्युत एवं यांत्रिक अभियंताओं को नहीं दिया जा रहा है। सभी योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत यांत्रिक प्रकृति के कार्यों का रखरखाव विद्युत यांत्रिक अभियंताओं द्वारा ही किया जाता है तथा सिविल अभियंता केवल सिविल प्रकृति के कार्यों का रख रखाव कराते है। राज बिहारी सिंह समिति ने ग्रामीण एवं अन्य जलप्रदाय योजनाओं के रख-रखाव का सम्पूर्ण कार्य विद्युत यांत्रिक अभियंताओं को ही दिये जाने के प्रश्न पर कोई संस्तुति नहीं दी है। अत: इस सम्बन्ध में अन्य कोई आदेश दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

11––श्री रामलाल––

(7 वे गुरूवार में अता0 प्र0 संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

मलिन बस्ती, क्षेत्र फजलगंज, कानपुर के अधिग्रहण की कार्यवाही

12––श्री कमलेश पाठक––

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलिन बस्ती संख्या 12/230 फजलगंज, कानपुर के पुन: अधिग्रहण के आदेश संख्या 4839-2-37-2-28 वि0 ब0 दिनांक 7–11–83 पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ? कृपया यह भी

बतायेंगे कि दिनांक 3-9-82 के प्रथम अधिग्रहण कार्यवाही में विधिक प्रक्रिया में त्रुटि व लापरवाही के जिम्मेदार सहायक विधिकारी/ सक्षम प्राधिकारी पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायनदत्त---

गृह संख्या 12/230 के बजाय 122/230 फजलगंज, कानपुर प्रेम नारायण शुक्ला के अहाते के नाम से जाना जाता है, जिसे उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार एवं निपातन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 के अधीन 24-4-82 की मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित किया गया था तथा अधिसूचना दिनांक 7-7-1982 द्वारा धारा 17 (1) के अधीन उसके अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण उपरान्त शासन द्वारा अधिनियम की धारा 17 (4) के अधीन 3-9-1982 को अधिग्रहण किया गया था और अहाते का कब्जा सक्षम प्राधिकारी, कानपुर को हस्तान्तरित कर दिया गया था ।

उक्त अहाते के अधिग्रहण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर हुई थी जिसके प्रतिवाद के समय औपचारिकताओं की वैधानिकतता संदिग्ध होने के कारण उक्त अधिसूचनायें निरस्त कर दिये जाने के परामर्श पर संदर्भित अधिसूचनायें, रिट याचिका निष्प्रभावी किये जाने के उद्देश्य से 7-11-1983 को निरस्त कर दी गयी थी । यह भी निदेश दिये गये थे कि दुबारा अधिग्रहण की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा विधिक औपचारिकतायें भी पूर्ण कर ली जाय ।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका को निष्प्रभावी करने के संबंध में अब तक कोई आदेश पारित नहीं किये गये हैं । जिसके कारण न्यायालय का स्थगन आदेश अभी तक प्रभावी है और स्थगन आदेश निरस्त हो जाने के उपरान्त ही पुनः अधिग्रहण की कार्यवाही आरम्भ की जा सकेगी । विधिक प्रक्रिया में त्रुटि परिस्थितिजन्य होने के कारण संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

पुलिस उपाधीक्षक श्री रवी शंकर त्रिपाठी के विरुद्ध शिकायती पत्रों की जांच

13--श्री अकबर हुसैन बाबर---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीशंकर त्रिपाठी, डी बाई एस० पी० जो वर्तमान में कानपुर 'सहकारिता सेल" में नियुक्त हैं जब आगरा में नियुक्त थे उस काल में उनके विरुद्धवूथ कैप्चर कराने और गुन्डों को संरक्षण देने का आरोप लगा था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या यह भी सही है कि श्री त्रिपाठी के विरुद्ध देवरिया जनपद में भी उनकी नियुक्ति के समय में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धी शिकायत हुई थी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ?

श्री नारायनदत्त---

पुलिस उपाधीक्षक श्री रवी शंकर त्रिपाठी के जनपद आगरा में नियुक्ति की अवधि में बथ कैपचर कराने या गुण्डों को संरक्षण देने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। वर्ष 1980 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें विधान सभा चुनाव 1980में लोकदल समर्थकों द्वारा फतेहपुर सीकरी विधान सभा चुनाव क्षेत्र में हिन्सा और बूथों पर कब्जा करके हरिजनों और कांग्रेस (आई) समर्थकों को मतदान में भाग न लेने देने और फर्जी वोट डाले जाने संबंधी आरोपों का विवरण था । इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई । जांच के फलस्वरूप श्री रवी शंकर त्रिपाठी को उनकी अनुत्तरदायित्व पूर्ण भूमिका के लिए दण्डित किये जाने की कारवाई की जा रही है ।

श्री त्रिपाठी के देवरिया जनपद में उनकी नियुक्ति काल से संबंधित कतिपय शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर जांच प्रचलित है ।

सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन राहत की सुविधा दिये जाने संबंधी शासनादेश

14--श्री प्रदीप माथुर---

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राजकीय

कर्मचारियों की भांति तथा अन्य संस्थाओं के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को लेकर विश्व विद्यालय तक के कर्मचारियों की भांति पेंशन के साथ साथ पेंशन राहत सुविधा प्रदान नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह सुविधा शीघ्र प्रदान करने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त---

सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन राहत की सुविधा शासनादेश संख्या 511/18-ध-387 (एम) इडी/78 दिनांक 13-2-80 में संदर्भित पेंशन राहत से सम्बन्धित शासनादेशों के अनुसार राजकीय कर्मचारियों की भांति अनुमन्य है । सन्दर्भित शासनादेश के बाद हुई राहत में बढ़ोत्तरी स्वीकृत करने का विषय विचाराधीन है ।

पी0 एम0 वी0 पालीटेकनिक, मथुरा के सेवा निवृत्त कर्मशाला प्रशिक्षक श्री राम जी लाल शर्मा की ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि का भुगतान

15---श्री प्रदीप माथुर---

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 एम0 वी0 पालीटेकनिक मथुरा के सेवा निवृत्त कर्मशाला प्रशिक्षक श्री रामजी लाल शर्मा, जो संस्था से 30 जून, 1980 को सेवा निवृत्त हुए थे उन्हें अभी तक ग्रेच्युटी एवं उनके भविष्य निधि के निजी अंशदान का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको शीघ्र भुगतान कराने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री नारायन दत्त---

जी हां ।

श्री रामजी लाल शर्मा को वर्तमान सामान्य नियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं है श्री शर्मा के सामान्य भविष्य निधि के खाते में जमा निजी अंशदान की धनराशि के भुगतान हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

"दैनिक जागरण" झांसी के अखबार के प्रतिनिधि श्री अमितेन्द्र नाथ अमित द्वारा जानमाल की सुरक्षा की मांग किये जाने संबंधी शिकायती पत्र

16---श्री राम सजीवन---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में दैनिक जागरण झांसी के अखबार में प्रतिनिधि (प्रेस रिपोर्टर) श्री अमितेन्द्र नाथ अमित ने 28-5-85 को उन्हें तथा अनेक अधिकारियों को एक शिकायती पत्र भेजकर अपनी जानमाल की सुरक्षा की मांग की है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र में पलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या शिकायतें की गई हैं और तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त---

जी हां ।

उपर्युक्त शिकायती पत्र में जो शिकायतें की गई हैं वे निम्न प्रकार है:---

जन साधारण की परेशानियों एवं निरीह जनता पर होने वाली पुलिस बर्बरता अत्याचार से संबंधित समाचार छापने पर स्थानीय पुलिस शिकायतकर्त्ता के खिलाफ हो गयी है तथा एक सुनियोजित षडयंत्र रचकर उन्हें 13 मई, 1985 को गिरफ्तार किया गया तथा प्रार्थी का चालान किया गया । कोतवाली पुलिस बांदा ने शिकायत कर्त्ता को उक्त तिथि को गिरफ्तार कर अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया, अपमानित किया तथा रात्रि में हवालात से निकालकर निर्मम पिटाई की शिकायतकर्त्ता को दिनांक 16 मई, 1985 को जिला चिकित्सालय, बांदा के इमरजेन्सी वार्ड में भर्ती होना पड़ा ।

शिकायतकर्त्ता को पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा जिला चिकित्सालय, बांदा के डाक्टरों एवं चिकित्सा अधीक्षक डा0 के0 डी0 मिश्रा पर दबाव डाल कर दिनांक 22 मई, 1985 को अस्पताल से यह कहकर निकाला गया कि एस0 पी0 एवं शहर कोतवाल बांदा उनसे सख्त नाराज हैं ।

दिनांक 13 मई, 1985 को शिकायतकर्त्ता को हवालात में ठूंसने के बाद इलाज

होने से रोक दिया तथा डा0 के0 डी0 मिश्रा की साजिश से अपना ही बेड हैड टिकट एवं दवा के पर्चे चुराने के आरोप में गुमनाम रिपोर्ट अपराध संख्या 660 सन् 1985 धारा 380 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दिनांक 23 मई, 1985 को कर दिया। शहर कोतवाल श्री शिव नन्दन सिंह ने स्वयं प्रार्थी के खिलाफ बांदा जजी में दिनांक 24मई, 1985 को एक मुकदमा दायर किया है। पुलिसकर्मी, शहर कोतवाल तथा एस0 एस0 पी0 निकट भविष्य में सुनियोजित ढंग से प्रार्थी को संगीन अपराध में फंसा देना देना चाहते हैं, या फिर षडयंत्र कर इन्काउण्टर कर देना चाहते हैं।

दिनांक 23 मई, 1985 को प्रार्थी को बांदा के शहर कोतवाल श्री शिवनन्दन सिंह ने बुलाकर अपमानित किया, बुरी-बुरी गालियां दी तथा सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराकर यह कहा कि कप्तान साहब का कहना है कि तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वाकर तमाम फर्जी मामलों में जेल में ठूंस दिया जायेगा जिससे पत्रकारिता जड़ से खत्म कर दी जायेगी।

शिकायतकर्त्ता की रिपोर्ट भी पुलिस दर्ज नहीं कर रही है।

प्रार्थी ने कहा है कि बांदा पुलिस प्रशासन की गतिविधियों एवं कृत्यों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को पत्रकार सुरेश चन्द्र गुप्ता, बबेरु, बांदा से सबक लेना चाहिये। अतः औरों का भी यही हश्र होगा।

शिकायतकर्त्ता ने सुरक्षा की मांग की है तथा अत्याचारी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करनेकी मांग कीहै।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक झांसी द्वारा जांच कराई गई। जांच में उपर्युक्त आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। तथापि शिकायतकर्त्ता की जानमाल की सुरक्षा करने के आदेश दे दिये गये हैं।

तहसील सहसवान में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित किये जाने की मांग

17--श्री मैनेजर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहसवान जनपद बदायूं, बार एशोसियेशन के सेक्रेटरी का दिनांक 13-5-85 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मुन्सिफ न्यायालय सहसवान में खोलने की कार्यवाही हो रही है ?

श्री नरायन दत्त--

सेक्रेटरी बार एसोशियेसन सहसवान जनपद बदायूं का 13 मई, 1985 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ लेकिन 13 जून, 1985 का पत्र प्राप्त हुआ है।

तहसील सहसवान में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय शीघ्र स्थापित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वहां पर न्यायालय कक्ष एवं आवासिक भवनों का निर्माण हो चुका है और माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर स्टाफ तथा कार्यालय व्यय हेतु वित्तीय सहमति प्राप्त करके वहां पर न्यायालय की स्थापना कर दी जायेगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में विद्युत/यांत्रिक संवर्ग में प्रोन्नति हेतु चयन, पात्रता सूची तथा सहायक अभियन्ता पद की रिक्ति की पूर्ति हेतु तदर्थ प्रोन्नति

18--श्री गौरी शंकर भैया--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1982 में लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु नियमित चयन हेतु बनायी गई पात्रता सूची सार्व0 नि0 विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विरुद्ध बनाये जाने के कारण सन् 1978 से 1981 के बीच 54 सहायक अभियन्ता जो अवर अभियन्ता से तदर्थ प्रोन्नति प्राप्त किये थे, को पात्रता सूची से वंचित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या दिनांक 3-8-84 को सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा बनायी गयी सूची को निरस्त करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था और 54 अवर अभियन्ता से तदर्थ पदोन्नति प्राप्त सहायक अभियन्ताओं को यथा स्थिति बहाल करने का अदेश दिया था ? यदि हां, तो (इलाहाबाद) लोक सेवा आयोग

से अनुमोदित सूची के आधार पर पदोन्नति प्राप्त सहायक अभियन्ताओं को प्रत्यावर्तित करके 54 सहायक अभियन्ताओं को कार्यभार कब तक ग्रहण कराया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त--

सार्वजनिक निर्माण विभाग में विद्युत/यांत्रिक संवर्ग में वर्ष 1982 में प्रोन्नति हेतु चयन आयोजित किया गया था, उसमें निम्नलिखित अर्हता पूरी करने वालों को ज्येष्ठता-क्रम में पात्रता में रखा गया था:--

(क) 10 वर्ष की सेवा हो,

(ख) अवर अभियन्ता के पद पर दिनांक 30-6-1979 को स्थायी हो।

मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3-8-1984 को उक्त चयन निरस्त कर दिया गया तथा पुनः नियमित तथा तदर्थ चयन कराने के निर्देश दिये गये, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

19--श्री गौरी शंकर भइया--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978 से 1981 तक सहायक अभियन्ता पद की रिक्तियों को भरने हेतु इसी अवधि में 54 अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता वि0/या0 के पद पर तदर्थ प्रोन्नति प्रदान की गयी थी, जिन्हें दिसम्बर, 83 तथा जून, 84 में प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) कर दिया गया था, परन्तु उन 54 अवर अभियन्ताओं को सितम्बर, 84 से पुनः सहायक अभियन्ता का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और उनके प्रत्यावर्तित किये जाने का कारण क्या था ? क्या वे सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता का कार्य कर रहे है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर क्या कार्य कर रहे हैं ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां, इन अभियन्ताओं की तदर्थ प्रोन्नतियां इस शर्त के साथ की गयी थीं कि लोक सेवा आयोग से अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर इन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

उन सभी 54 अवर अभियंताओं को सहायक अभियन्ता का वेतनमान नहीं दिया जा रहा है।

लोक सेवा आयोग से अनुमोदित अभ्यर्थियों को नियुक्ति या दिये जाने हेतु तथा प्रोन्नति कोटे से अधिक संख्या में तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक अभियन्ताओं के होने के कारण प्रत्यावर्तित करने की आवश्यकता पड़ी।

यह विवरण व सूचना प्रमुख अभियन्ता द्वारा संबंधित खंडों से एकत्रित की जा रही है।

गन्ना एवं चीनी आयुक्त मुख्यालय पर राजपत्रित अधिकारियों को अटैच करके वेटिंग पर रखा जाना

20--श्री मालिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वर्ष 84-85 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में कितने राजपत्रित अधिकारियों को उपयुक्त स्थान रिक्त रहते हुए भी एक माह से अधिक दिनों तक मुख्यालय पर अटैच करके वेटिंग में रखा गया था ? क्या उनके वेटिंग काल का आदेश शासन स्तर से हो गया है ? यदि नहीं, तो किसके स्तर पर विलम्ब हुआ है ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1984-85 में गन्ना एवं चीनी आयुक्त मुख्यालय पर 6 राजपत्रित अधिकारियों को कार्य के हित में विभिन्न अवधि के लिये आबद्ध रखा गया। इस समय दो अधिकारी आबद्ध है। किसी भी अधिकारी को वेटिंग में नहीं रखा गया। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, फर्रुखाबाद के जनरेटर खरीदने की व्यवस्था की मांग

21--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, फर्रुखाबाद के पास स्वयं के कितने विद्युत जनरेटर्स हैं तथा कितनी-कितनी अश्व शक्ति के हैं ? क्या सरकार पानी की आपूर्ति में घोर कठिनाई को देखते हुए अतिरिक्त जनरेटर्स खरीदने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

नगरपालिका फर्रुखाबाद के पास स्वयं का कोई भी जेनरेटर नहीं है ।

जी नहीं, फर्रुखाबाद में बिजली की आपूर्ति प्रतिदिन लगभग 22 घन्टे हो रही है अतः जेनरेटर की आवश्यकता नहीं है ।

प्राविधिक शिक्षा विभाग में सेवा नियमावली बनाने की कार्यवाही

22--श्री योगेन्द्र कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में सेवा नियम अब तक नहीं बन सके हैं ? क्या यह सही है कि इसका विभाग की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और शिक्षा का स्तर गिरा है ? यदि हां, तो शासन द्वारा सेवा नियम बनवाने हेतु क्या प्रयास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां । विभाग की कार्यकुशलता के हित में विभाग के सभी वर्गों की सेवा नियमावलियां बनाने की कार्यवाही की जा रही है ।

केवल सेवा नियमावलियां न बनने के कारण शिक्षा के स्तर गिरने की धारणा सही नहीं है ।

विभाग में बनायी जाने वाली सात सेवा नियमावलियों में से तीन अंतिम चरण पर है, जिन्हें यथासमय प्रख्यापित किया जायेगा । शेष को भी अन्तिम रूप देने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

राजकीय पालीटेक्निकों में साज-सज्जा, उपकरण एवं मशीनों का क्रय, रिक्त शैक्षिक पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही

23--श्री योगेन्द्र कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 81-82 में खोले गये राजकीय पालीटेक्निकों में कितने रुपये की साज-सज्जा, उपकरण एवं मशीनें खरीदी गयीं एवं उनके भंडार की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त सामानों की विशेषज्ञों द्वारा सत्यापन एवं जांच करा ली गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो कब तक सत्यापन कराया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1981-82 में खोले गये राजकीय पालीटेकनिक, गाजियाबाद, राजकीय पालीटेकनिक, शाहजहांपुर तथा संजय गांधी पालीटेकनिक, जगदीशपुर (सुल्तानपुर) में वर्ष 1984-85 के अन्त तक क्रमशः रु0 7,37,752.94 रु0 5,29,575.73 तथा रु0 16,00,843.37 की साज-सज्जा उपकरण एवं मशीनों का क्रय किया गया और उन्हें संबंधित संस्थाओं के भवनों/कर्मशालाओं/प्रयोगशालाओं में रखवा दिया गया है तथा उनकी सुरक्षा के लिये चौकीदारों की व्यवस्था की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा सत्यापन के विषय में दी गयी रिपोर्ट के सुसंगत उद्धरण संलग्न हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 143 पर)

24--श्री योगेन्द्र कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेकनिकों में बहुत से शैक्षिक पद रिक्त है, उनके भरने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां, सभी शैक्षिक पद लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं। लोक सेवा आयोग से इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु चयनोपरान्त उपयुक्त अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है।

इस मध्य रिक्त पदों को तदर्थ रूप से भरने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

उप निरीक्षक, थाना अरवल, जिला हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

25--श्री हरिशंकर तिवारी 'बिल्ग्रामी'---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्रश्नकर्त्ता के पत्र सहित मनोज कुमार आदि का शिकायती प्रार्थना-पत्र उप निदेशक, थाना अरवल, जिला हरदोई के विरुद्ध दिनांक 18-6-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थना-पत्रों पर करायी गयी जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

गोरखपुर परिक्षत्र में इन्सपेक्टरों की नियुक्ति

26--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पुलिस परिक्षेत्र, गोरखपुर में कितने थाने इन्सपेक्टर स्तर के हैं, जिनमें इन्सपेक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई? अभी तक इन्सपेक्टरों के नियुक्त न किये जाने के क्या कारण है? एवं ये नियुक्तियां कब तक कर दी जायेगी?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर परिक्षेत्र में इन्सपेक्टर स्तर के केवल दो थानों में इन्सपेक्टर नियुक्त नहीं है जिसका कारण उस परिक्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये इन्सपेक्टरों द्वारा आगमन न कराना है। उनके उपलब्ध होते ही थानों पर नियुक्ति कर दी जायेगी।

27--श्री कृष्ण कुमार--

[9वें मंगलवार में अ0 ता0 प्र0 सं0 139 के अन्तर्गत स्थानातरित]

सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यरत सम्प्रेषकों/लेखाकारों, की सूची

28--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के वित्त विभाग द्वारा 5 वर्ष से अधिक 570-1100 के वेतनमान में कार्यरत ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों/लेखाकारों की सूची निदेशक, कोषागार को पदोन्नति हेतु भेजने हेतु लिखा गया था? यदि हां, तो क्या मुख्य लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग ने ऐसे ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों की सूची भेज दी है। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त--

शासन के वित्त विभाग द्वारा सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष से अधिक 570-1100 के वेतनमानमें कार्यरत सम्प्रेक्षणों/लेखाकारों की सूची भेजने हेतु निदेशक, कोषागार एवं लेखा को नहीं लिखा गया था। अतः मुख्य लेखाधिकारी खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा ऐसे कर्मचारियों की सूची भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, सड़कों के जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि

29--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सा0 नि0मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्व0नि0विभाग द्वारा सड़कों के जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु क्रमशः प्रति किलोमीटर कितना-कितना धन स्वीकृत किया जाता है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 80 से मार्च 85 तक बस्ती जनपद के अस्थायी निर्माण खंड प्रथम को उपरोक्त कार्यों हेतु कितना-कितना धन किन-किन वर्षों म स्वीकृत किया गया है? क्या मंत्री जी वर्षवार स्वीकृत कार्यों की तथा उनके हेतु आवंटित धन की सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है।

30--श्री भगवती सिंह विशारद--

[दिनांक 23-7-85 को अता० प्र० सं० 136 द्वारा उत्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद के विभिन्न न्यायालयों में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तुत अपराधिक प्रकरण

31--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विभिन्न न्यायालयों में 1 जनवरी, 1981 से 31 मई, 1984 तक कितन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण (परिवाद) प्रस्तुत किये गये और उनमें कितने पुलिस कर्मी न्यायालयों में परीक्षण हेतु उपस्थित हुए ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने पुलिस कर्मी न्यायालयों द्वारा अजमानतीय वारंट जारी करने एवं धारा 82-83 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कायवाही का आदेश देने पर भी न्यायालयों में उपस्थित नहीं हुए ? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद फर्रुखाबाद के विभिन्न न्यायालयों में दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 31 मई, 1984 तक कुल 69 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण (परिवाद) प्रस्तुत किये गये और उनमें से कुल 19 पुलिस कर्मचारी परीक्षण हेतु न्यायालयों में उपस्थित हुये। शेष 50 पुलिस कर्मचारी, जो परीक्षण हेतु न्यायालयों में उपस्थित नहीं हुये, उनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा अजमानतीय वारंट जारी करने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थाई खण्ड बांदा द्वारा बांदा स्टेडियम का चार्ज तथा निर्माण हेतु दिया गया इस्टीमेट

32--श्री राम सजीवन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता सार्व० नि० विभाग, स्थाई खंड बांदा ने बांदा स्टेडियम का चार्ज किस तिथि में लिया ? क्या यह सही है कि शासनादेश के अनुसार दिनांक 14 अगस्त, 84 को चार्ज ले लेना चाहिये था, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया ? यदि हां, तो सरकार ने आदशों की अवहेलना करने वाले अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त--

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, सा०नि० विभाग, बांदा को अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा से बांदा स्टेडियम के मानचित्र 13 दिसम्बर, 1984 तथा 7 जनवरी, 1985 को तथा धनराशि रु० 56,114.38 पसे दिनांक 12 नवम्बर 1984 व रु० 195,000 दिनांक 4 अप्रल 1985 को प्राप्त हुई।

प्रमुख अभियन्ता, सा० नि विभाग उ० प्र० के उक्त निर्माण कार्य के 14 अगस्त 1984 तक ले लिये जाने के आदेशों का पत्र अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, सा० नि० विभाग, बांदा को 16 अगस्त, 1984 को प्राप्त हुआ। अतः दिनांक 14 अगस्त, 1984 को चार्ज ले लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस प्रकार सरकार के आदेशों की कोई अवहेलना नहीं की गयी न उनके विरुद्ध कोई कार्यवाई करने का प्रश्न उठा।

33--श्री राम सजीवन--

क्या सार्व० नि० मंत्री कृपया वतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता सार्व० नि० अस्थाई खंड बांदा द्वारा वर्ष 84-85 में बांदा स्टेडियम का समय पर इस्टीमेट न बनाने के कारण गत वित्तीय वर्ष में कोई भी अनुदान स्वीकृत नहीं हो सका ? यदि हां, तो सरकार ने अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त--

जिस वर्किंग प्लान के अनुरूप स्टेडियम का वास्तव में निर्माण किया जाना था उसे उप क्रीड़ा अधिकारी, बांदा ने अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, सा० नि० विभाग बांदा को 18 मार्च, 1985 को उपलब्ध

कराया और अधिशासी अभियन्ता ने तत्काल एवं समय से ही 23 मार्च 1985 को वांछित प्रारम्भिक आगणन उपक्रीड़ा अधिकारी बांदा को उपलब्ध करा दिया। अतः अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध किसी कारवाई का प्रश्न नहीं उठता।

ल अनऊ में जिला क्रीड़ा अधिकारियों के पद हेतु साक्षात्कार तथा क्रय की गई खेल-कूद सामग्री

34--श्री राम सजीवन--

क्या खेल कूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 व 14 मई 85 को लखनऊ में हुए साक्षात्कार हेतु जिला क्रीड़ा अधिकारियों के पद हेतु किन-किन विभागीय, उप क्रीड़ा अधिकारियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुतकिये तथा उनमें से कौन-कौन व्यक्ति साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित हुए ? क्या यह सही है कि किसी ऐसे उप क्रीड़ा अधिकारी की पदोन्नति कर दी गई जिसके बांदा के कार्यकाल में उन्हें भर्त्सनात्मक प्रविष्ट दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 144 पर)

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उप क्रीड़ा अधिकारी को गठित चयन समिति ने विभागीय कोटे के विरुद्ध क्रीड़ा अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने का निर्णय लिया। श्री सिंह को बांदा कार्यालय में दी गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को उनके प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त शासन द्वारा विलुप्त करने का निर्णय लिया गया।

35--श्री राम सजीवन--

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 79-80, 80-81 व 81--82 में उप क्रीड़ा अधिकारी, बांदा ने शासन द्वारा पंजी कृत दूकानों/फर्मों से खेलकूद का सामान नहीं खरीदा है तथा हाकी के जो पोल्स खरीदे थे वह टूट गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1979-80, 80-81व1981-82 में क्रय किये गये खेलकूद सामग्री उप क्रीड़ा अधिकारी बांदा के माध्यम से नियमानुसार कोटेशन के आधार पर स्थानीय बाजार से क्रय की गई। क्योंकि उक्त अवधि में बांदा जनपद में खेलकूद उपकरणों की कोई अनुमोदित फर्म नहीं थी। निरन्तर प्रयोग के कारण हाकी गोल पोस्ट निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने योग्य हो गयें हैं। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

उप क्रीड़ा अधिकारी, वालीबाल, फैजाबाद/प्रतापगढ़ द्वारा वालीबाल का प्रशिक्षण, व्यय की गई धनराशि तथा शिविरों का निरीक्षण

36--श्री राम सजीवन--

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप क्रीड़ा अधिकारी, वालीबाल फैजाबाद/प्रतापगढ़ ने वर्ष 83-84 व 84-85 में किन-किन स्थानों में वालीबाल का प्रशिक्षण दिया और किन-किन मदों में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या उक्त शिविरों का किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया है। यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा किन-किन तिथियों में ?

श्री नारायन दत्त--

सूची संलग्न है। शिविरों का नियमित निरीक्षण क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा स्वयं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 145 पर)

जनपद बांदा की अतर्रा नगरपालिका में अनियमित निर्माण कार्यों के संबंध में शिकायती पत्र

37--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा की अतर्रा नगरपालिका में कराए गए अनियमित निर्माण कार्यों के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1985 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

जिला मजिस्ट्रेट बांदा से जांच करायी गई।

श्री घनश्याम निवासी ग्राम कनसा पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ की हत्या तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी

38--श्री मित्रसेन यादव--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि घनश्याम पुत्र रामखेलावन निवासी ग्राम कनसापट्टी, थाना कोतवाल पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ की हत्या दिनांक 26-12-84 कोपड़ोसी गांव के नामजद अभियुक्तों ने कर दी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पुलिस मामले की उपेक्षा कर रही है जिससे अभियुक्तगण मृतक श्री घनश्याम के पिता श्री राम खेलावन की भी हत्या कर देने पर उतारू है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार मृतक के पिता की सुरक्षा तथा मृतक के अभियुक्तों के खिलाफ़ क्या कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

जी नहीं।

अभियुक्त बिन्देश्वरी सिंह को गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य हाजिर अदालत होकर अपनी अपनी जमानतें करा चुके हैं। मुकदमा विवेचनाधीन है। मृतक घनश्याम शुक्ला के पिता राम खेलावन को अभियुक्तों से कोई खतरा नहीं है, इसलिये कोई निरोधात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री छविलाल, निवासी रौतावां द्वारा थाना खंडासा, फैजाबाद में अंकित कराया गया मुकदमा

39--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 29/85 अन्तर्गत धारा 323/147/171 थाना खंडासा, फैजाबाद दिनांक 5-3-85 को श्री छविलाल निवासी रौतावां ने कोई मुकदमा अंकित कराया है? यदि हां, तो शान्ति पूर्ण मतदान में मतदान केन्द्र पर इस प्रकार के घटना के अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने का कारण क्या है?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। श्री छविलाल, थाना खंडासा के लिखित सूचना के आधार पर मुकदमा संख्या 29/85 धारा 147/323 भा0 दं0 वि0 का अभियोग 6 अभियुक्तगणों के विरुद्ध दर्ज कराया गया। 6 नामजद अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।

थाना बीकापुर, फैजाबाद में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

40--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 301 धारा 147/148/304, व 308, 504, 506 आदि दिनांक 28-9-84 के अन्तर्गत थाना बीकापुर, फैजाबाद में 22 राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध झूठी एवं मनगढ़न्त रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिसके आधार पर श्री काशिम अली पुत्र श्री मुरादअली, ग्राम मलेथू बुजुर्ग धारा इनायतनगर, फ़ैजाबाद को दिनांक 9-10-84 को 3 बजे हरिगटनगंज बाजार में गिरफ्तार कर एस0 ओ0 बघेल तथा अन्य पुलिस कर्मियों ने बुरी तरह मारकर दर्जनों चोटें पहुंचाई है और जेल भेज दिया जिसकी शिकायत प्रश्नकर्त्ता ने स्वयं डाक्टरी मुआयना के साथ 9/10 अक्टूबर, 84 को एस0 एस0 पी0 फैजाबाद, डी0 आई0 जी0 व कमिश्नर फैजाबाद से की है? यदि हां, तो इस गंभीर शिकायत की जांच किससे कराई गई तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायन दत्त--

दिनांक 27-9-84 को थाना बीकापुर में वादी श्री रामसुन्दर द्वारा मु0 अ 0 सं0 30/84 धारा 147/148/149/447/

379/504/506 भा0 दं0 वि0 तथा 4/10 वृ0 सं0 अधि0 21 नामजद तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। श्री कासिम अली इस अभियोग में नामजद अभियुक्त था। अत: दिनांक 8-10-1984 को गिरफ्तार किया. श्री मित्रसेन यादव का दिनांक 8-10-84 का पत्र प्राप्त हुआ। जांचोपरान्त पाया गया कि दौराने गिरफ्तारी मुल्जिम के कुछ चोटें आई।

आगरा जनपद के थाना एतमादपुर में श्रीमती पूरन देवी को गायब कर देने के संबंध में दर्ज रिपोर्ट

41--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के थाना एतमादपुर में नगला महादेव से पूरनदेवी जो उस गांवकी पत्नी थी को गायब कर देने के संबंध में एक रपट पूरन देवी के पिता द्वारा मार्च, 1985 में लिखाई गई थी ? यदि हां, तो पूरन देवी को बरामदगी के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? इस मामले में लापरवाही करने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ़ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती पूरनदेवी के पिता श्री सुखराम द्वारा दिनांक 29-3-85 को थाना एत्मादपुर पर दी गई प्रथम सूचना के आधार पर एक अभियोग अपराध संख्या 83/85, धारा 364 भा0 दं0वि0 महिला के पति नेत्रपाल व उसके परिवार जनों के विरुद्ध पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी। अब तक की विवेचना से महिला की बरामदगी नहीं हो सकी है। उसकी तलाश व बरामदगी के लिये प्रयास जारी है।

इस अभियोग की विवेचना पूर्ण हो जाने के उपरान्त यदि कोई पुलिस कर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बस्ती जिले में डी0 सी0 यू0, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के अन्तर्गत निर्माणाधीन स्कूल

42--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में डी0 सी0 यू0, सा0 नि0 वि0, बस्ती द्वारा कितने स्कूल निर्माणाधीन है उनको बनाकर कब तक तैयार होने का लक्ष्य था तथा दिनांक 31 मार्च, 85 तक कितने विद्यालयों के भवन का निर्माण हो चुका है तथा कितना शेष है ? क्या यह सही है कि कुछ विद्यालय भवन समय से निर्मित न होने से उनकी लागतबढ़ गई है? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

बस्ती जिले में डी0 सी0 यू0, सा0 नि0 वि0 बस्ती के अन्तर्गत 40 स्कूल निर्माणाधीन हैं।

उक्त स्कूलों को 31 मार्च, 1985 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

दिनांक 31 मार्च, 1985 तक 40 विद्यालयों के भवनों का निर्माण हो चुका है तथा 66 स्कूल भवनों का निर्माण शेष है।

जी नहीं।

शिक्षा विभाग उक्त स्कूलों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1981-82 में कोई भूमि उपलब्ध नहीं कर सका। वर्ष 1982-83 में केवल 7 प्राइमरी व 3 जू0 हा0 स्कूलों के निर्माण हेतु ही भूमि उपलब्ध करायी गयी। वर्ष 1983-84 में 19 प्राइमरी व 10 जू0 हा0 स्कूलों तथा वर्ष 1984-85 में 47 प्राइमरी व 9 जू0 हा0 स्कूलों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा सकी। अत: 31 मार्च, 1985 तक कुल स्वीकृत 116 प्राइमरी व 30 जू0हा0स्कूलों में से केवल 73 प्राइमरी 22 जू0 हा0 स्कूलों भवनों के लिये ही भूमि उपलब्ध हो सकी। जिन 95 स्कूलों के लिये भूमि प्राप्त हो सकी है उनके विपरीत 40 स्कूल भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है और 40 स्कूल भवन निर्माणाधीन है।

जनपद गोरखपुर में इन्टर व बी0ए0 पास पुलिस जवान

43--श्रीमती शारदा देवी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में इण्टर व बी0 ए0 पास कितने पुलिस जवान सशस्त्र पुलिस में है ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद गोरखपुर में वर्तमान समय में इन्टर पास 39 तथा बी0ए0पास 12 पुलिस जवान सशस्त्र पुलिस में हैं ।

बस्ती बाई पास पर व्यय

44--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती वाई पास पर सन् 84-85, 85-86 में अब तक कितना धन व्यय किया गया और किस किस किलोमीटर में कौन कौन सा काम किया गया है। क्या यह सही है कि काम न करा कर पैच रिपेयर दिखाकर धन का दुरुपयोग किया गया है और वाई पास से यातायात भी बन्द है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत अवधि से अब तक (जुलाई 1985 तक) 5.60 लाख रु0 व्यय किया गया । संलग्न सूची के अनुसार कार्य कराया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 146 पर)

जनपद सीतापुर में पुलिस रेगुलेशन के मानक

45--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस रेगुलेशन के मानक के अनुसार कितनी जनसंख्या पर शहर में तथा कितनी जनसंख्या पर गांव में एक पुलिस थाना होना चाहिए और इस हिसाब से जनपद सीतापुर में अभी कितने और थाने खुलना आवश्यक है ? यह कब तक खुल जायेंगे ।

श्री नारायन दत्त--

पुलिस रेगुलेशन के मानक के अनुसार शहरी क्षेत्र में 50 हजार की जन संख्या पर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 70 से 90 हजार तक जनसंख्या पर एक थाना होना चाहिए । इस हिसाब से जनपद सीतापुर में एक थाना और खुलना चाहिए । इसका प्रस्ताव अभी शासन को पुलिस महानिदेशक से प्राप्त होना है ।

46--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

47-48--श्री कृष्ण कुमार--

[8 वें सोमवार में अता0प्र0सं0 140-141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

49--श्री बदन सिंह--

[दि0 20-8-85 को अता0 प्र0सं0 42 द्वारा उत्तरित]

थाना महराजगंज, गोरखपुर के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

50--श्री विजय सिंह राणा--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि माह सितम्बर, 1984 से 8 जून, 1985 तक थाना महाराजगंज गोरखपुर के किन-किन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जनता व जन प्रतिनिधियों ने स्थानीय अधिकारियों व शासन को शिकायतें भेजी है? ऐसी शिकायतकर्त्ताओं के नाम व पते क्या हैं तथा मौके की जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा इस जांच के अवसर पर शिकायतकर्त्ताओं को न बुलाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत अवधि में कुल 8 शिकायती पत्र प्राप्त हुए ।

जांच क्षेत्राधिकारी, महराजगंज द्वारा करायी गयी । जांच के दौरान शिकायत कर्त्ताओं से

भी पूछताछ की गयी थी। जांच से शिकायती पत्रों में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। शिकायती पत्र देने वालों के नाम व पते संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृ0 147 पर)

जनपद आगरा के कतिपय गांवों को थाना सिकन्दरा में सम्मिलित किये जाने का कथित प्रस्ताव

51--श्री विजय सिंह राणा---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में ग्राम अंगूठी चौहटना सदरवम, मघटई व विचपुरी विद्यापीठ परिसर के हरी पर्वत थाने में सम्मिलित कर रखा है? यदि हां, तो क्यों? क्या इन गावों को थाना सिकन्दरा में सम्मिलित किये जाने का कोई सुझाव जिला स्तर से वर्ष 84-85 में प्राप्त हुआ और शासन स्तर पर यह मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त--

जनपद आगरा के ग्राम अंगूठी चौहटना, सदरवन, मगटई व विचपुरी विद्यापीठ का कुल भाग हरी पर्वत में नहीं है बल्कि ग्राम अंगूठी, सदरवन मगटई तथा विचपुरी विद्यापीठ का आधा भाग थाना हरी पर्वत तथा ग्राम चौहटना व विचपुरी विद्यापीठ का आधा भाग थाना मलपुरा में पड़ता है। वर्ष 1982 में 6 नवीन थानों के पुर्नगठन करते समय प्रश्नगत उक्त ग्रामों को थाना हरी पर्वत से सम्बद्ध किया गया था।

इन गांवों को थाना सिकन्दरा में सम्मिलित किये जाने हेतु वर्ष 1984-85 में कोई प्रस्ताव जिला स्तर से शासन में नहीं प्राप्त हुआ है। शेष का प्रश्न नही नही उठता।

विधान सभा एवं दारुलशफा में लगे हुये कूलर

52--श्री सिकन्दर अली खां नवाब---

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि विधान भवन एवं दारुलशफ़ा में कितने कूलर लगे हुए हैं? उनमें से कितने सही ढंग से काम कर रहे हैं और कितने बन्द पड़े हैं? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिससे लोगों को ठंडा पानी मिल सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त---

विधान सभा एवं दारुलशफा में कुल 31 कूलर लगे हुये हैं।

समस्त कूलर सही ढंग से काम कर रहे हैं। ठंडा पानी मिलने की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद शहर में हुये दंगे से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता

53--श्री फजलुल बारी---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त, 1980 में मुरादाबाद शहर में हुए दंगे में मारे गये लोगों एवं दंगे से प्रभावित परिवारों की सरकार द्वारा क्या सहायता दी गयी? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री नारायण दत्त---

अगस्त, 1980 में मुरादाबाद शहर में भड़के दंगे में मारे गये लोगों एवं दंगे से प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा रु0 42,82,881.88 की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

दिनांक 13-8-1980 को मुरादाबाद नगर में ईदुल-फितर के अवसर पर ईदगाह में नमाज प्रातः लगभग 9.15 बजे समाप्त हुई और नमाज के बाद जब शहर इमाम ने खुतबा देना प्रारम्भ किया तो उस क्षेत्र में सुअर घुस आने का शोरगुल हुआ और दंगा भड़क उठा। ईदगाह के उत्तर की तरफ पुलिस चौकी गलशहीद में आग लगा दी गयी। इसके बाद शहर के अन्य क्षेत्रों में हिंसात्मक घटनायें शुरू हो गयीं। परिणाम स्वरूप भारी संख्या में अधिकारीगण, सुरक्षा कर्मचारी तथा अन्य लोग हताहत हुए और मारे भी गये। चूंकि यह मामला बड़े ही लोक महत्व का था

अतएव इस दंगे के कारणों की न्यायिक जांच कराने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एम. पी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया था। जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जो शासन के परीक्षणाधीन है।

भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिये सरकार द्वारा जिला प्रशासन को समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं और उन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाता है।

पुलिस महा निदेशक (उ० प्र०) तथा पुलिस मैनुअल में थानाध्यक्ष के लिये निर्धारित अनुभव की अवधि

54–श्री अकबर हुसैन बावर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डाइरेक्टर जनरल पुलिस (उ० प्र०) द्वारा थाना इंचार्ज के लिये निर्धारित अनुभव की अवधि और पुलिस मैनुवल में निर्धारित की गयी अनुभव की अवधि में कोई विरोधाभास है? यदि हां, तो दोनों में कौन सा मान्य होगा?

श्री नारायन दत्त–

पुलिस महा निदेशक (उ० प्र०) द्वारा थानाध्यक्ष के लिये अनुभव की अवधि निर्धारित की गई है परन्तु पुलिस मैनुवल में किसी अवधि के निर्धारण का उल्लेख नहीं है अतः दोनों में विरोधाभास होने अथवा कौन सा मान्य होगा, इसका प्रश्न नहीं उठता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लखनऊ नगर और लखनऊ जनपद (ग्रामीण क्षेत्रों) में सड़कों पर व्यय की गई धनराशि

55–श्री भगवती सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 और वर्ष 1984-85 में कितना धन लखनऊ नगर और लखनऊ जनपद (ग्रामीण क्षेत्र) की सड़कों के लिए खर्च किया गया?

श्री नारायन दत्त–

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1983-84 में लखनऊ नगर तथा लखनऊ जनपद (ग्रामीण क्षेत्र) की सड़कों पर क्रमशः 220.44 लाख रु० तथा 193.10 लाख रु० व्यय किया गया। वर्ष 1984-85 में लखनऊ नगर तथा लखनऊ जनपद (ग्रामीण क्षेत्र) की सड़कों पर क्रमशः 869.42 लाख रु० तथा 319.72 लाख रु० व्यय किया गया।

56–श्री राज किशोर सिंह–

(8 वें बुधवार में अता० प्र० सं० 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उत्तर प्रदेश जल निगम के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य विद्युत परिषद के समान वेतन दिये जाने का विचार तथा देय अनुग्रह धनराशि?

57–श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल निगम के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के समान वेतन दिये जाने का आश्वासन मुख्य मंत्री उ० प्र० एवं जल निगम प्रशासन द्वारा फरवरी, 85 में दिया गया था जिसके अनुसार मार्च, 85 में वर्तमान सरकार के गठन पर समुचित आदेश पारित किये जाने थे? यदि हां, तो इस संबंध में समुचित आदेश जल निगम को सरकार द्वारा भेजे जा चुके है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

जी नहीं। उत्तर प्रदेश जल निगम के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के समान वेतन दिये जाने के लिये मुख्य मंत्री एवं जल निगम प्रशासन द्वारा फरवरी, 1985 में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। जल निगम से इस विषय में एक प्रस्ताव अवश्य प्राप्त हुआ था, जिसका शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहे है।

58–श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल निगम के अधिकारियों/कर्म

चारियों को वर्ष 1984-85 हेतु देय अनुग्रह धनर शि (एक्स ग्रेसिया) संबंधी प्रस्ताव जल निगम प्रशासन से शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त दे य धनराशि के भुगतान हेतु समुचित शासनादेश जारी होकर निगम प्रशासन को प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा कब तक भेज दिया जायगा ?

श्री नारायन दत्त---

उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1984-85 हेतु देय अनुग्रह धनराशि (एक्स ग्रेसिया) संबंधी प्रस्ताव जल निगम के पत्र दिनांक 5 जून, 1985 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ था। इस धनराशि के भुगतान की स्वीकृति शासनादेश संख्या 3599/9-3-85-82-सी/85 दिनांक 1 जुलाई, 1985 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश जल निगम में क रत कर्मचारियों की सेवा विनियमावली का परीक्षण तथा श्री एस0 के0 वारिस, अधिशासी अभियंता द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध दिय. गया प्रत्यावेदन

59--श्री रामचन्द्र बख्श सिह---

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली का प्रारूप जल निगम मुख्यालय के अधिष्ठान अनुभाग--3 के पत्रांक 179 दिनांक 13 मार्च, 84 द्वारा बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त नियमावली का अनुमोदन जल निगम प्रशासन द्वारा करके उसे लागू किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों ? उसे कब तक लागू किया जायगा ?

श्री नारायन दत्त---

प्रश्नगत सेवा नियमावली के प्रारूप पर पत्रांक 179 दिनांक 13 मार्च, 1984 द्वारा उस पर सुझाव मांगे गये थे। उसे अभी लागू नहीं किया गया है क्योंकि सेवा विनियमावली का परीक्षण किया जा रहा है। सम्यक परीक्षणोपरांत शासन के अनुमोदन से उसे लागू किया जायेगा।

60-श्री रामचन्द्र बख्श सिह---

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के एक अल्प संख्यक वर्ग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा जल निगम के तृतीय मण्डल लखनऊ के वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता के भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित पूर्ण विवरण उसके पत्र दिनांक 27-5-85 द्वारा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, राज्य मंत्री नगर विकास को प्रेषित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र का विवरण क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

श्री एस0के0 वारिस, अधिशासी अभियंता ने वर्ष 1983-84 में दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध अपने पत्र दिनांक 27 मई, 1985 द्वारा प्रत्यावेदन दिया है जो अध्यक्ष, जल निगम को सम्बोधित तथा राज्य मंत्री, नगर विकास को पृष्ठांकित है। इसमें उन्होंने अपने सेवाकाल के प्रारंभ से अब तक के कई उच्चाधिकारियों पर आक्षेप किया है, जिसमें वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, लखनऊ भी शामिल हैं। उक्त प्रत्यावेदन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही ह।

बांगरमऊ लखनऊ मार्ग में टाउन एरिया कुरसठ नंगा खेड़ा संपर्क मार्ग के निर्माण पर व्यय

61--श्री राम आसरे वर्मा---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंग कि बांगरमऊ लखनऊ मार्ग में टाउन एरिया कुरसठ नंगा खेड़ा सम्पर्क मार्ग को कब विभाग में लिया गया तथा कब-कब कितनी धनराशि इसमें खर्च की गई ? क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग को पक्का करने हेतु धनराशि स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग अभी तक पक्का न बनाये जाने के क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1981--82 में।

इस मार्ग पर निम्नांकित धनराशि व्यय की गई:--

वर्ष	व्यय (लाख रु0)
1982-83 ..	.. 0.36
1983-84 ..	.. 3.36
1984-85 ..	.. 2.63
1985-86 ..	.. 0.52
(7/85तक) ..	

केवल खड़ंजा स्तर तक ही स्वीकृत है। अत: लेपन स्तर तक पक्का करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम चौकीदारों का वेतन बढ़ाये जाने पर विचार

62--श्री राम आसरे वर्मा तथा

श्री राजेन्द्र गुप्त---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गांवों में नियुक्त चौकीदार का वेतन इस समय कितना है ? क्या इनका वेतन बढ़ाये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त ---

ग्राम चौकीदारों को वर्तमान समय में 15 रुपये वेतन तथा 7 रुपया प्रतिमाह साइकिल भत्ता दिया जा रहा है। इनका वेतन बढ़ाये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

बलिया जनपद के अन्तर्गत पुलिस थाना फेफना का पंचायत भवन पर कब्जा

63--श्री मैनेजर सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जनपद के अन्तर्गत पुलिस थाना फेफना पंचायत भवन पर नाजायज कब्जा किये हुए है और पंचायत भवन के प्रांगण में प्रांगण की खाली भूमि बलात निर्माण करवा रही है और उसके किनारे श्री राम नगीना चौधरी की पूर्व स्थित निजी भूमि भी बलात निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायत भवन तथा श्री राम नगीना चौधरी की भूमि को पुलिस के नाजायज कब्जे से मुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना फेफना वर्ष 1975 से रु0 100 (रुपया सौ) प्रतिमाह किराये पर पंचायत भवन में कार्यरत है। इसका किराया स्थानीय पंचायत के प्रधान को दिया जा रहा है। वर्तमान समय में थाना फेफना द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। अत: पंचायत भवन पर पुलिस द्वारा नाजायज कब्जा किये जाने तथा उसे मुक्त कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। जहां तक श्री राम नगीना चौधरी की तथाकथित भूमि का प्रश्न है, दीवानी न्यायालय में इससे संबंधित एक वाद विचाराधीन है। अत: इसके विषय में कुछ कहना उपयुक्त न होगा।

थाना फेफना, जनपद बलिया के लिए अधिग्रहीत भूमि तथा निर्माण

64--श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस थाना फेफना, जनपद बलिया के लिये 2 एकड़ भूमि 3 वर्ष से जिलाधिकारी द्वारा आवंटित है ? यदि हां, तो उक्त भूमि में थाना भवन न बनाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

यह सत्य है कि थाना फेफना के लिए दो एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है। इस थाने के नये भवन का निर्माण सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में शामिल है। सीमित प्लान परिव्यय के कारण प्रश्नगत थाना भवन का निर्माण छठीं योजना में नहीं कराया जा सका।

जनपद बलिया के ग्राम सिरिया में पशु मेले से बैलों की चोरी का पंजीकृत अभियोग

65--श्री मैनेजर सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष केवरा पशु मेला, जनपद बलिया से चोरी गये 2 बैल सुखपुरा, थाना बलिया में बरामद होकर बांसडीह, थाना बलिया भेजे गये ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उन बैलों को बांसडीह थाना के नायब दरोगा

श्री राम हर्ष तिवारी ने अपने घर भेज दिया है ? यदि हां, तो सरकार जांच कराकर इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त---

प्राप्त सूचनानुसार इस वर्ष केबरा में नहीं बल्कि केबरा के निकट ग्राम सिरिया में पशु मेला लगा था। जिसमें एक बैल की चोरी हुई थी। इस संबंध में थाना बांसडीह पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 379 भा0 दं0वि0 पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना उप-निरीक्षक, श्री शिवहर्ष तिवारी द्वारा की गई। चोरी गये बैल को बांसडीह पुलिस द्वारा ग्राम भोजपुर, थाना सुखपुरा में अभियुक्त दर्शन यादव, पुत्र शिवदत्त यादव, सा0 त्रिकालपुर, थाना गड़वार बलिया के कब्जे से बरामद करके उसके मालिक को सुपुर्द कर दिया गया। उप निरीक्षक, श्री राम हर्ष तिवारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जनपद गोण्डा के थाना उमरी बेगमगंज में पंजीकृत अपराध के संबंध में कृत कार्यवाही

66---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा के थाना उमरी बेगमगंज में पंजीकृत अपराध संख्या 61/84 के अन्तर्गत धारा 279/304-ए/161 भा0 द0 वि0 तथा धारा 5 (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में विवेचना का कार्य किस स्तर पर है और अभी तक उक्त मुकदमें के अपराधियों का चालान करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और विवेचना में अनावश्यक विलम्ब के दोषी अधिकारियों को दंडित करने तथा विवेचना का कार्य शीघ्र पूरा कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायन दत्त--

मुकदमा अपराध विवेचनाधीन है। अपराधियों का चालान अपर्याप्त साक्ष्य के कारण नहीं किया जा सका है। विवेचना अधिकारी के स्थानांतरण तथा मुकदमें के कुछ गवाहान के भी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण विवेचना लम्बित है। विवेचना शीघ्र पूरा करने का प्रयास जारी है।

उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं को समयमान वेतनमान लागू करने हेतु शासनादेश

67---श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं जिनके सेवाकाल लगातार क्रमशः 10 वर्ष एवं 16 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, को अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के वेतनक्रम लागू करने हेतु शासन द्वारा पूर्व में आदेश जल निगम को भेजे जा चुके हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त शासनादेश जल निगम को कब भेजा गया था और क्या उसका क्रियान्वयन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

उ0 प्र0 जल निगम में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं, जिनके सेवाकाल लगातार क्रमशः 10 वर्ष व 16 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, को समयमान वेतनमान लागू करने हेतु शासनादेश संख्या--7353/9--3-116-सी--1984, दिनांक 22 अप्रल, 1985 द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। वाद में शासनादेश संख्या--2246/9-3-85-116-सी--84, दिनांक 23-7-85 द्वारा अवर अभियन्ताओं को 16 वर्षों के बजाय 15 वर्षों के संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् 16 वें वर्ष में 900-1770 रु0 का वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उक्त समयमान वेतनमान जल निगम द्वारा प्रभावी कर दिये गये हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित समिति की संस्तुतियां

68---श्री राजेन्द्र गुप्त---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुनाव आयोग नई, दिल्ली द्वारा वर्ष 1982 में कोई एसा सुझाव राज्य सरकार को मिला

है कि तहसील स्तर पर निर्वाचन आयोग को सहयोग देने के लिये कुछ कर्मचारी स्थायी रूप से रखे ? यदि हां, तो प्राप्त सुझाव क्या है तथा इसके कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

न्याय राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित एक समिति की संस्तुतियां निर्वाचन आयोग ने कार्यान्वयन हेतु राज्यों को भेजी थीं। संबंधित संस्तुति के अनुसार समिति ने पाया कि तहसीलदार ही निर्वाचक नामावलियों, मतपेटिकाओं और निर्वाचन सामग्री का स्टाक रखता है और उसे अनुरक्षित करता है अत: इस कार्य हेतु तहसील स्तर पर कुछ पूर्णकालिक स्टाफ दिया जाना चाहिए। किन्तु इस प्रदेश में अभी स्थिति इससे भिन्न है। यहां उपरोक्त समस्त कार्य जिला स्तर पर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया जाता है और यह काम नियमित स्टाफ के काम का ही एक भाग है। फिर भी तहसील स्तर पर यह कार्य अधिक सुविधाजनक समझ कर इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस प्रदेश में भी यह काम धीरे-धीरे सुविधानुसार तहसील स्तर को स्थानान्तरित किया जाय। इस संबंध में तहसील कार्यालयों में आवश्यक स्थान की उपलब्धता फर्नीचर और रैकों की व्यवस्था आदि के संबंध में छान-बीन की जा रही है और स्थिति ज्ञात होने पर अग्रिम कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

कान्सटेबिल स्व0 हबीबुल्ला के वारिस को पेंशन का भुगतान न किये जाने का कारण

69––श्री सत्यपाल सिंह यादव––

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मरहूम रिटायर्ड कान्सटेबिल (श्री हबीबुल्ला पुत्र श्री फतेह मोहम्मद) निवासी ग्राम सुनारिया, थाना पसगवां जिला खीरी लखीमपुर सन् 1956 में अपनी सेवाओं से शाहजहांपुर से रिटायर हुए थे जिनकी मृत्यु दिनांक 17–6–79 को हुई थी, की पेन्शन जो सन् 1974 से 1979 तक की बकाया है,का भुगतान (नूरुल हसन) उनके वारिस को अब तक न किये जाने का कारण क्या है तथा सरकार श्री नूरुल हसन को कब तक अपने मरहूमपिता की पेन्शन दिला देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त––

स्व0 कान्सटेबिल हबीबुल्ला जो जनपद शाहजहांपुर से 1956 में सेवा निवृत्त हुए थे तथा जिनकी मृत्यु दिनांक 17.6.79 को हुई थी, की सन् 1974 से 1979 तक की बकाया पेंशन के भुगतान का प्रस्ताव उनके वारिस श्री नूरुल हसन के पक्ष में करने हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या चार/ख–1124–76, दिनांक 7.1.82 द्वारा महालेखाकार को भेजा जा चुका है। अब तक भुगतान आदेश जारी न किये जाने के कारणों की जानकारी हेतु शासन द्वारा महालेखाकार को लिखा गया है।

जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के गन्दे नाले की सफाई

70––श्री रघुबर दयाल वर्मा––

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजा बाद के एक मात्र मुख्य गन्दे नाले की सफाई 15 जून 1985 से पूर्व न करने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त––

आगरा जनपद के नगर फिरोजाबाद के मुख्य गन्दे नाले की सफाई हेतु तैयार किये गये आगणन से अधिक धनराशि की निविदायें प्राप्त होने के कारण नालों की सफाई का कार्य 25 जून, 1985 से नाला तथा सीवर गैंग एवं दैनिक वेतन पर रखे गये कर्मचारियों द्वारा कराया गया।

ग्राम व थाना रौनाही, जिला फैजाबाद में तीन व्यक्तियों की हत्या की नामजद रिपोर्ट

71––श्री मित्रसेन––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 16 जून, 1985 को ग्राम व थाना रौनाही,जिला फैजाबाद में तीन व्यक्तियों को दिन दहाड़े कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी है जिनके विरुद्ध नामजद रिपोर्ट अंकित करायी गयी हैं और

क्या यह सही है कि इन्हीं अपराधी तत्वों ने इस घटना के पूर्व माह मार्च एवं अप्रैल, 85 में मारपीट, दुकान की लूटपाट, कार, ट्रैक्टर जलाने की आतंकपूर्ण घटनायें की हैं जिसके विरुद्ध संबंधित थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ह ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और तीन व्यक्तियों के पूर्व नियोजित सामूहिक नर संहार का कारण क्या है ? अभियुक्तों का पूर्व आपराधिक चरित्र क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम इटगांव, थाना इनायत नगर, फैजाबाद में घटित घटना की जांच

72--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम इटगांव, थाना इनायत नगर, फैजाबाद में घटित घटना दिनांक 5-3-85 अपराध संख्या 92/85 का अभियोग पत्र न्यायालय में कब प्रस्तुत किया गया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय, फैजाबाद में प्राप्त होने की तारीख क्या ह ? इतनी अल्पावधि में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने का कारण क्या था ?

श्री नारायन दत्त--

अपराध संख्या 92/85 का अभियोग पत्र न्यायालय में दिनांक 22-3-85 को प्रेषित किया गया । आरोप पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नहीं प्रेषित किया जाता है ।

महत्वपूर्ण होने के कारण अभियोग पत्र शीघ्र न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

अधीक्षण अभियन्ता 40वां वृत्त, फैजाबाद द्वारा पत्थर की गिट्टी का क्रय तथा भुगतान

73--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधीक्षण अभियन्ता 40 वां वृत्त, फैजाबाद 12 दिसम्बर, 1985 तक कितने रुपये के पत्थर की गिट्टी किस-किस जिले में कितने रुपये की मंगाई गई ? दिनांक 1 जनवरी, 1985 से 1 अप्रल, 1985 तक किस रेट से ट्रक की ढुलाई का कुल कितना रुपया भुगतान किया गया ? दोनों आदेशों के ढुलाई में कितना रुपये का अंतर है ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

40 वां वृत्त फैजाबाद के अन्तर्गत प्रश्नगत अवधि में जनपद गोण्डा में 236.11 लाख रुपये तथा जनपद बहराइच में 9.98 लाख रुपये की पत्थर की गिट्टी मंगाई गई ।

दिनांक 1 जनवरी, 1985 से 1 अप्रैल, 1985 तक ट्रक से पत्थर की गिट्टी की ढुलाई का अलग से कोई अनुबन्ध/कार्यादेश नहीं बना जिसके अन्तर्गत अलग से ढुलाई की गई हो तथा केवल गिट्टी की ही ढुलाई का कोई पृथक भुगतान नहीं किया गया ।

चूंकि गिट्टी की ढुलाई के कोई पृथक अनुबंध/कार्यादेश नहीं बनाये गये । अतः मंगाई गई गिट्टी के दोनों अवधि में केवल ढुलाई की राशियों का अंतर निकाल सकना संभव नहीं है । अतएव विवरण सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय प्रशासन विभाग में टंककों, अवर वर्ग सहायकों एवं प्रवर वर्ग सहायकों के सेवा नियमावली बनाने, अर्हकारी परीक्षा कराने के सम्बन्ध में दिया गया आश्वासन

74--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय प्रशासन विभाग ने अपने पत्रांक 6160/20-ई-5-385/82, दिनांक 5 जुलाई, 1982 एवं पत्रांक 22/20-ई-385/82, दिनांक 3 नवंबर, 1982 द्वारा उ0 प्र0 सचिवालय टंकक एवं अवर वर्ग सहायक संघ की टंककों, अवर वर्ग सहायकों एवं प्रवर वर्ग सहायकों के सेवा नियमावली बनाने, अर्हकारी परीक्षा कराने व विभागीय कोटा देने का लिखित आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या आश्वासन पूरा हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत पत्रों में अध्यक्ष, टंकक एवं अवर वर्ग सहायक संघ को सूचित किया गया था कि:--

1--लोक सेवा आयोग ने अर्हकारी परीक्षा के आयोजन के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है तथा उनके परामर्श से इस दिशा में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

2--विभागीय कोटे के बारे में लोक सेवा आयोग से पत्राचार चल रहा है।

3--सेवा नियमावली के आलेख्य को अन्तिम रूप देने का प्रयास चल रहा है।

इन मामलों में वर्तमान स्थिति यह है कि:-

1--अर्हकारी परीक्षा के आयोजन हेतु लोक सेवा आयोग को लिखा गया है कि वे उसके लिये तिथि निर्धारण पर विचार कर, शासन को अवगत करा दें।

2--विभागीय कोटे के विरुद्ध चयन का मामला लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है।

3--सेवा नियमावली का आलेख्य लोक सेवा आयोग को सहमति के लिए भेज दिया गया था।कुछ दिन पूर्व आयोग ने समीक्षायें भेजी हैं।

द्वितीय वेतन आयोग द्वारा राज्य संग्रहालय, लखनऊ के रसायन सहायक तथा राजकीय संग्रहालय, मथुरा के रसायन-विद क निर्धारित पुनरीक्षित वेतनमान

75--कुंवर मानवेन्द्र सिह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त सचिव को संबोधित विभागीय पत्र संख्या 2060(1)स0 का0नि0-(32)/81, दिनांक2-9-1982के क्रम में राजकीय संग्रहालय, मथुरा के रसायन विद का गया वेतनमान रु0 575-860 वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है जब कि रसायन सहायक राज्य संग्रहालय, लखनऊ का वेतनमान रु0 570-1100 किया गया है ? यदि हां, तो एक ही प्रकार के कार्य एवं उत्तरदायित्व वाले दोनों पदों के वेतनमानों में विषमता क्यों है ? क्या सरकार राजकीय संग्रहालय, मथुरा के रसायन विद का नया वेतनमान रु0 570-1100 का करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

यह सही है कि द्वितीय वेतन आयोग ने राज्य संग्रहालय, लखनऊ के रसायन सहायक तथा राजकीय संग्रहालय, मथुरा के रसायनविद के पुनरीक्षित वेतनमान क्रमश: रु0570-1100 तथा 515-860 निर्धारित किये। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि प्रथम वेतन आयोग ने भी दोनों पदों पर समान वेतन स्वीकृत नहीं किये थे। रसायनविद, मथुरा को रु0 300-550 तथा रसायन सहायक, लखनऊ को रु0 350-700के वेतनक्रम स्वीकृत किये गये थे। दोनों पदों की भर्ती और समान अर्हताओं को देखते हुए शासन द्वारा उपर्युक्त दोनों पदों पर समान वेतनमान रु0 515-860 स्वीकृत करने पर विचार किया जा रहा है। अत: राजकीय संग्रहालय, मथुरा के रसायनविद के पद पर रु0 570-1100 का वेतनमान स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता।

76--कुंवर मानवेन्द्र सिह--

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

77--श्री कुशलपाल सिह--

[7 वें सोमवार में अता0 प्र0सं0 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में जल निगम द्वारा बनाई गयी पेयजल योजनायें

78--श्री सुरेन्द्र सिह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में विगत तीन वर्षों में जल निगम द्वारा कितनी पेयजल योजना बनाई गई है तथा कितनी जल संस्थान को हस्तांतरित की गई है ? क्या हस्तांतरित योजनाओं की संख्या दोनों विभागों में समान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विगत तीन वर्षों में जल निगम द्वारा कुल 239 पेयजल योज-

नायें बनाई गई। इनमें से कुल 165 योजनायें गढ़वाल जल संस्थान को हस्तांतरित की गई।

जी हां। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद में आग्नेयास्त्रों का लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र, निलम्बन तथा निरस्त किये जाने की कार्यवाही

79--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में 1 जनवरी, 1983 से 15 जून, 1985 तक आग्नेयास्त्रों का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? कितनों को लाइसेंस स्वीकृत किये गये तथा कितने प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुए हैं तथा कितने प्रार्थना-पत्रों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचनानुसार जनपद फर्रुखाबाद में प्रश्नगत अवधि में आग्नेयास्त्र के लाइसेंस के कुल 1519 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 581 प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए व 636 प्रार्थनापत्र अस्वीकृत किये गये तथा शेष 302 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

80--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि में जनपद फर्रुखाबाद में कुल कितने लाइसेंस निरस्त व निलम्बित किये गये और कितनों के विरुद्ध निलंबन कार्यवाही विचाराधीन है ? ऐसे कितने मामले हैं जिनमें बिना नोटिस के लाइसेंस निलम्बित किया गया और कितने मामलों में निलम्बन हो जाने पर लाइसेंसी शस्त्र जमा करा लिये गये, कितनों के जमा नहीं हुए ?

श्री नारायन दत्त--

उपर्युक्त अवधि में जनपद फर्रुखाबाद में कुल 461 लाइसेंस निलम्बित किये गये और लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इनमें से 122 लाइसेंस निरस्त किये गये व 89 लाइसेंस बहाल किये गये तथा 250 लाइसेंसों पर अन्तिम निर्णय लिया जाना शेष है। उपर्युक्त में से 409 मामले ऐसे हैं जिनमें शांति-व्यवस्था बनाये रखने एवं शस्त्र का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से जनहित में बिना पूर्व नोटिस के लाइसेंस निलम्बित किये गये। उक्त 461 निलम्बन के मामलों में से 442 मामलों में निलम्बन के पश्चात् लाइसेंसियों के शस्त्र जमा करा लिये गये तथा 19 मामलों में शस्त्र जमा नहीं हुए हैं।

81--श्री शेर बहादुर सिंह--

(दिनांक 23-7-85 के तारा0 प्र0 सं0 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में मृतकों के असलहे जमा कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

82--श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में कितने ऐसे लाइसेंन्सी हैं जिनके मरने के बाद उनके असलहें आज तक जमा हैं तथा उनके वारिसों द्वारा प्रार्थना-पत्र देने के बाबजूद भी लाइसेंस आज तक नहीं दिये गये हैं? यदि हां तो क्यों?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद फ़ैजाबाद की तहसील अकबरपुर के 46 मृतक शस्त्र लाइसेंसियों के शस्त्र जमा हैं। छानबीन से उक्त मृतक लाइसेंसियों में से 16 लाइसेंसियों के उत्तराधिकारियों के आयुध अनुज्ञापन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जाना पाया गया जिन पर आयुध अधिनियम एवं नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही प्रचलित है।

लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई पर मिल के कर्मचारियों का बकाया वेतन

83--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई पर मिल के कर्मचारियों का कितना वेतन बकाया है? क्या सरकार इन छोटे कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

लक्ष्मी शुगर मिल हरदोई, जिसे शासन द्वारा अधिग्रहीत कर के दिनांक 28-10-84से उ0प्र0 राज्य चीनी निगम में निहित कर दिया गया है, के ऊपर अधिग्रहण के पूर्व का मिल के कर्मचारियों के वेतन का बकाया रु0 21.07 लाख है। इसके भुगतान के संबंध में उ0प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। अधिग्रहण के बाद की अवधि के वेतन का बकाया केवल 75 हजार रुपये ही है, जिसका भुगतान यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।

जनपद मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज तहसील में कनहर नदी तथा करमनासा नदी में पकरहट के पास पुल निर्माण की मांग

84-श्री कल्लू राम रत्नाकर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज तहसील में राबर्टसगंज-खलियारी मार्ग पर करमनासा नदी में पकरहट के पास पुल निर्माण का कार्य होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां !

धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

85--श्री कल्लू राम रत्नाकर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज तहसील में कोटा कौन मार्ग पर कनहर नदी में पुल निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। स्वीकृत नहीं है।

श्री अमर नाथ त्रिपाठी, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायतें

86--श्री कल्लू राम रत्नाकर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजपत्रित अधिकारी एक साथ दो पत्नियां नहीं रख सकते हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री अमरनाथ त्रिपाठी ए0डी0एम0 राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर ने दो पत्नियां एक साथ रखी है ? क्या इस संबंध में अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

कोई भी राजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार एक साथ दो पत्नियां नहीं रख सकता है। श्री अमर नाथ त्रिपाठी, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के विरुद्ध दो पत्नियां रखने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई थीं जिसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा करायी जा रही है।

87-श्री कल्लू राम रत्नाकर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ए0डी0एम0 राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर को दो आवासीय भवन क्यों आवंटित किये गये हैं ? क्या उनसे एक आवासीय भवन खाली कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त--

श्री अमर नाथ त्रिपाठी, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर को जनपद में केवल एक ही आवासीय भवन का आवंटन किया गया था।

दिवाकर सिंह एवं अन्य प्रार्थीगण, ग्राम पिपरा प्रथम, थाना खेसरहा, जनपद बस्ती द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

88--श्री अफसर यू0 अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 25-6-85 को दिवाकर सिंह पुत्र अनुरुद्ध सिंह एवं अन्य प्रार्थीगण ग्राम पिपरा प्रथम, थाना खेसरहा, जनपद बस्ती के तरफ

से प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ मुख्य मंत्री तथा गृह सचिव को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। प्रार्थना-पत्र में अंकित शिकायतों की जांच करायीं गयी। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

घाघरा नदी पर तुर्तीपार -भागलपुर के पास पक्का पुल बनाने का कथित प्रस्ताव

89---श्री शारदानन्द अंचल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा नदी पर तुर्तीपार भागलपुर के पास पीपे के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त---

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज के श्रमिकों के बकाये वेतन का भुगतान

90---श्री शारदानन्द अंचल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रत्ना शुगर मिल शाहगंज के श्रमिक कितने दिनों से अपने वेतन के बकाये के भुगतान के लिए भूख हड़ताल तथा आन्दोलन कर रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भी इस मिल पर बकाया है ?

श्री नारायन दत्त---

रत्ना शुगर मिल शाहगंज के श्रमिक दिनांक 10.6.85 से अपने बकाया वेतन के भुगतान के लिये क्रमिक अनशन कर रहे हैं।

उक्त मिल पर किसानों का दिनांक 31.7.85 की स्थिति के अनुसार कुल 23.47 लाख रु0 गन्ना मूल्य का भी बकाया है।

नगरपालिका सण्डीला, जनपद हरदोई के कस्बे की मुख्य सड़क के निर्माण हेतु दिया गया अनुदान

91---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका सण्डीला, जनपद हरदोई को वित्तीय वर्ष 1984-85 में 4.25 लाख रुपये कस्बे की मुख्य सड़क के निर्माण के लिए दिए गए थे ? क्या यह भी सत्य है कि इस सड़क का निर्माण कार्य एस्टीमेट के मुताबिक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो इस घटिया निर्माण कार्य के लिये उत्तरदायी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायन दत्त---

नगरपालिका सण्डीला को वित्तीय वर्ष 1984-85 में रु0 2.50 लाख का साधारण सड़क अनुदान, रु0 1.25 लाख का विशेष सड़क अनुदान तथा रु0 70 हजार का अनुदान बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकार किया गया था, जिसमें अन्य कार्यों के अतिरिक्त मुख्य मार्ग कीं मरम्मत का कार्य भी सम्मिलित है।

मुख्य सड़क का निर्माण कार्य एस्टीमेट के अनुसार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के सण्डीला कस्बे की मुख्य सड़क ठीक करने हेतु आवंटित धनराशि

92---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सभा के चुनाव के समय जब जनपद हरदोई के सण्डीला कस्बे में प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का कार्यक्रम लगा था उस समय सण्डीला कस्बे की मुख्य सड़क ठीक करने के लिए 25 हजार रुपए का एक चेक दिया गया था ? क्या प्रधान मंत्री का कार्यक्रम रद्द हो जाने के बावजूद भी उस धनराशि का चेक अधिशासी अधिकारी ने कैश करा लिया था ? यदि हां, तो उस धनराशि का क्या हुआ ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां।

धनराशि का उपयोग सोडियम लाइट लगवाने तथा सड़क की मरम्मत में किया गया जिसमें जांच करने पर कतिपय अनियमिततायें प्रथम दृष्टया प्रकाश में आयी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

जनपद लखनऊ में ग्राम रायपुर में लोनी नाला के पुल का निर्माण

93--श्री यदुनाथ सिह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज में ग्राम रायपुर में लोनी नाला के पुल का निर्माणकार्य शासन से स्वीकृत हो गया है? यदि हां, तो इस पुल के निर्माण में क्या विलम्ब है तथा इस पुल के निर्माण के लिए कितनी धनराशि वर्ष 1983-1984 व 84-85 में शासन से स्वीकृत हुई?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में गोसाइगंज ब्लाक के गोसाइगंज से कतिपय ग्रामों को मिलाने वाली लिक मार्ग को कथित स्वीकृति

94--श्री यदुनाथ सिह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में गोसाई गंज ब्लाक के गोसाईगंज से ग्राम दहरामऊ,रायपुर, सदरापुर,सरईगुन्दौली,केवली से नगराम तक मिलाने वाली लिक मार्ग को स्वीकृत प्रदान कर दी गई है? क्या वर्ष 83-84 व 84-85 में इस मार्ग पर निर्माण कार्य हुआ है? यदि हां, तो कितना कार्य शेष है तथा अवशेष कार्य को पूरा न होने का क्या कारण है तथा इसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा।

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय निर्माण इकाई, इटावा के कार्य अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत की जांच

95--श्री यदुनाथ सिह--

क्या सा0नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में विभागीय निर्माण इकाई इटावा के कार्य अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत सतर्कता निदेशक क पत्रांक सं0अ0 अनु-3-च-174/81-अभि-167/81, दिनांक 12-6-81 द्वारा प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सतर्कतता विभाग एवं मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सत्य है कि ऐसे उक्त अधिकारी को कार्यकारी खण्डों में तैनात करके पुनः लाखों रुपये के गोल-माल करने के लिए पोस्ट किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त--

श्री हरीश कान्त गर्ग, कार्य अधीक्षक तथा अन्य विभागीय निर्माण इकाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इटावा के विरुद्ध संकलित अभिसूचना सतर्कता निदेशक के अ0शा0प0सं0 अ0अनु-3-च-174/81-अभि-167/81 दिनांक 12-6-81 द्वारा प्राप्त हुई थी जिसकी जांच सतर्कता विभाग की संस्तुति के अनुसार प्रमुख अभियन्ता द्वारा कराई गई थी। श्री हरीश कांत गर्ग, अधिशासी अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता द्वारा दोषी नहीं पाया गया है। मामला शासन के विचाराधीन है। श्री गर्ग को अस्थाई खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानपुर स्थानान्तरित किया गया है जहां उन्होंने दिनांक 19.8.85 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

25वां सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता,लखनऊ द्वारा स्टील के मांगे गये कथित टेण्डर

96--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 25 वां सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता,लखनऊ द्वारा स्टील का टेण्डर जून, 1980 में मांगा गया था? यदि हां, तो किस किस का टेण्डर किस रेट से आया? क्या यह सही है कि लखनऊ के लिए स्टील का टेण्डर गाजियाबाद व दिल्ली फर्म का स्वीकार किया

गया है ? यदि हां, तो खुलाई का अन्तर लखनऊ तथा गाजियाबाद के टेण्डर में कितने रुपये का पड़ेगा ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मोहल्ला कुर्मी टोला, मकबूलगंज, लखनऊ के निवासियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में दिया गया शिकायती-पत्र की जांच

97-श्री सत्यपाल सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोहल्ला कुर्मी टोला, मकबूलगंज, लखनऊ के निवासियों ने दिनांक 22-6-82 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को श्री लोकनाथ सिंह 86/93 कुर्मी टोला, मकबूलगंज, लखनऊ के द्वारा सरकारी आम रास्ते के खड़ंजा को खोदकर अवैध कब्जा करने के संबंध में कोई शिकायती पत्र दिया था तथा इस पर थाना कैसरबाग की पुलिस ने जांच पड़ताल व कर धारा 133 सी0 आर0 पी0 सी0 में सिटी मजिस्ट्रेट, लखनऊ को कोई रिपोर्ट भेजी थी? यदि हां, तो सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

नगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 14-12-82 को श्री लोक नाथ सिंह को आदेश दिया गया था कि वह 10 जनवरी, 1983 तक संदर्भित न्यूसेंस हटा लें एवं 10-1-83 को उपस्थित होवें और सन्दर्शित करें कि इस आदेश को प्रवृत्त क्यों न किया जाय। तदोपरांत नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियोग की सुनवायी के उपरांत दिनांक 12-8-85 को यह आदेश किये गये कि प्रश्नगत प्रकरण में नजूल की भूमि है जिसका संबंध नगर महापालिका से है। अतः इस प्रकरण में नगर महापालिका की ओर से कार्यवाही की जानी चाहिए। दिनांक 14-12-82 को पारित आदेश को वापस लिया गया।

98-श्री सत्यपाल सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मकान नं0 86/93 कुर्मी टोला मकबूलगंज लखनऊ के समक्ष पड़ी नजूल भूमि पर श्री लोक नाथ सिंह द्वारा किये अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में शासन ने दिनांक 22-10-84 को कोई निर्णय दिया था तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध याचिका संख्या 5514/84 उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में दायर हुई थी और वह 21-11-84 को खारिज कर दी गई ? यदि हां, तो अवैध निर्माण हटाने के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

प्रश्नगत अवैध निर्माण को हटाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही आरम्भ की गई थी परन्तु श्री देवी दयाल चौधरी ने उक्त भवन के स्वामित्व के मामले में मुंसिफ साउथ के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जो उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही जायेगी।

हमीरपुर जनपद के चरखारी नगर में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने का कथित प्रस्ताव

99-श्री राम सजीवन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जनपद के चरखारी नगर में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या सन् 1980 में तत्कालीन श्रम मन्त्री जी ने उक्त कालेज खोलने की नगर की आम सभा में घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त कालेज कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं। सन् 1980 में तत्कालीन श्रममंत्री जी द्वारा उक्त कालेज खोले जाने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गयी थी अथवा न ही शासन की जानकारी में रही है। शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में हत्या और राहजनी की घटनाएं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी

100-श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगेकि माह मई, जून 85 में गोरखपुर महानगर में हत्या और राहजनी की कितनी घटनाएं हुई हैं ? क्या श्री ओमी चौधरी पुत्र श्री ओम प्रकाश चौधरी के हत्यारों का पुलिस ने पता लगाया ह ? यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त---

कुल--151

जी हां, अभियुक्त श्री अक्षय कुमार पांडे गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त श्री दलीप कुमार गुप्ता ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। अभियुक्त श्री ओम प्रकाश यादव की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। मामला अभी विवेचनाधीन है।

फर्रुखाबाद/फतेहगढ़ नगरों में पेयजल आपूर्ति सुधारने हेतु कृत कार्यवाही

.01-श्री नरेन्द्र सिंह यादव---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरुखाबाद/फतेहगढ़ नगरों में पेय जल आपूर्ति बहुत ही दयनीय है जबकि जल निगम द्वारा नगर में एक नई टंकी का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो नगर में पेयजल आपूर्ति सुधारने हेतु क्या कायवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त---

फर्रुखाबाद/फतेहगढ़ नगरों की दो पुनर्गठित पेयजल योजनाएं विरचित की गई हैं जिसके अन्तर्गत चार नलकूप 3000 कि0 ली0 क्षमता के दो जलाशय एवं लगभग 80 कि0 मी0 पाइप लाइन चालू की जा चुकी है जिसस नगर की पेयजल व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है।

गन्ना विकास सहकारी समिति बढ़नी, जनपद बस्ती के सम्बन्ध में जिला गन्ना अधिकारी बस्ती का कथित पत्र

102-श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास सहकारी समिति बढ़नी जनपद बस्ती के संबंध में जिला गन्ना अधिकारी बस्ती ने कई पत्र शासन को लिखे है कि इस समिति की हालत ठीक नहीं है और इस पर लगभग 7-8 लाख रुपये बाकी है और इसे लिक्यूडेट करके दूसरी समिति का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाय ? क्या यह सही है कि गन्ना आयुक्त ने भी जिला गन्ना अधिकारी की राय से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजा है ? यदि हां, तो इस समिति को नयी समिति का गठन करने में क्या आपत्ति है ?

श्री नारायन दत्त---

जी नहीं। शासन को इस आशय का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भरतकुण्ड, फैजाबाद में सुन्दरीकरण सड़क निर्माण के सम्बन्ध में जांच

103--श्री कृष्ण कुमार---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भरत कुण्ड फैजाबाद में सुन्दरीकरण सड़क निर्माण में कम माल की आपूर्ति तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई विभागीय जांच चल रही ह ? उक्त निर्माण को जल्दी से पूर्ण कराये जाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

प्रश्नगत सड़क में ऊपरी सतह की कुटाई का कार्य लगभग पूर्ण है तथा लेपन का कार्य वर्षा के उपरांत यथाशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

जनपद मुरादाबाद के थाना नौगावां सादात में हत्याओं के पंजीकृत मुकदमें

104-श्री हाजी मोहम्मद हयात--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद थाना नौगावां सादात में हत्याओं के कितने मुकदमें 1-1-83 से 10--6--85 तक दर्ज हुए ?

उनमें कितने मुकदमों पर चार्जशीट लगी और कितने मुकदमों पर पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ? यदि फाइनल रिपोर्ट लगाई गई तो उसके कारण क्या थे ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में हत्याओं के कुल 20 मुकदमे पंजीकृत हुए। 15 मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 5 मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त 5 मुकदमों में 2 मुकदमें आत्महत्या के पाये जाने से एवं 3 मुकदमों में हत्यारों का पता न लग सकने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

105--श्री देवेन्द्र पाण्डेय, कुंवर बहादुर मिश्र--

[नियम 28(7) के अन्तर्गत होने के कारण निरस्त]।

होमगार्ड संगठन के डिप्टी कमान्डेन्ट जनरल के पद पर अधिकारी का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

106--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या गृहमंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में होमगार्ड संगठन के डिप्टी कमान्डेन्ट जनरल के पद पर जो अधिकारी आजकल कार्यरत हैं यह इस पद पर कितने वर्षों से हैं ? तथा संगठन में कितने वर्षों से हैं ? क्या यह सही है कि डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल के पद पर कार्य करते इनका स्थानान्तरण 3 बार हुआ परन्तु पुनः रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्न के दिनांक को श्री आर0 पी0 दूबे, आई0 पी0 एस0 होमगार्ड्स में डिप्टी कमाण्डेंट जनरल के पद पर लगभग गत 6 वर्षों से तैनात थे। अब उनको स्थानान्तरण कर दिया गया है और नये पद पर उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इनका दो बार स्थानान्तरण किया गया था परन्तु जनहित में निरस्त किया गया था।

वन विभाग को आवंटित धनराशि तथा व्यय

107--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में वन विभाग को एन0 आर0 पी0 का वित्तीय वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86 में कितना धन आवंटित किया गया और कितना धन किन-किन कार्यों पर खर्चा किया गया ?

श्री नारायन दत्त--

बस्ती जिले में एन0 आर0 ई0पी0 योजना में वर्ष 1983-84, 84-85 व 85-86 में वन विभाग को आवंटित धनराशि तथा व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	आवंटित धन0	विभिन्न व्यय की गई	कार्यों पर धनराशि
	लाख रु0		रु0
83-84	20.90	वृक्षारोपण (78.4 हे0)	3,65,0 0
		अग्रिम मिट्टी कार्य (171.80 हे0)	2;62,000
		पौधशाला	14,16,915
			20,43,915
		वृक्षारोपण व नर्सरी हेतु उपकरण व साज सज्जा	45,000
			20,88,915
84-85	25.08 लाख	वृक्षारोपण) (171.80 हे0)	4,20,000
		अग्रिम मिट्टी कार्य	5,80,000
		(405 हेक्टर) वर्ष 83-84 के वृक्षारोपण का रख-रखाव व बीटिंग अप	1,00,000
		पम्पिंग सेट + उपकरण क्रय पौधशाला पर व्यय	50,000
			13,21,462
			24,71,462
85-86	35.00 लाख	(जून 85 के अन्त तक व्यय) पौधशाला	1,32,480

108—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[9 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

बिक्री-कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 19 वें सूत्र की स्पष्ट अवहेलना के बारे में पत्र

109—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1551 दिनांक 22-8-84 बिक्रीकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 19 वें सूत्र की स्पष्ट अवहेलना के बारे में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं की गयी, तो कब की जावेगी?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बिक्री कर विभाग में अधिकारियों को निलम्बित करने के सम्बन्ध में पत्र

110—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को बिक्रीकर विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित करने के लिए प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1208 दिनांक 22-6-84 उन्हें मिला ह? यदि हां, तो पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कायवाही चल रही है।

इलाहाबाद में श्री कन्हैया लाल सिश्र के मकान को खरीदने हेतु अग्रिम राशि देने के सम्बन्ध में कार्यवाही

111—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद में कन्हैया लाल मिश्र के मकान को खरीदने के लिये अग्रिम राशि दो लाख देने के सम्बन्ध में उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1455, दिनांक 26-9-84 मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

पत्र में इंगित मामले पर आवश्यक जांच कराई जा रही है।

श्री जी0 पी0 अग्रवाल, सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्री कर, सीतापुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

112—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 312 दि0 1-10-83 श्री जी0 पी0 अग्रवाल, सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्रीकर, सीतापुर के बारे में मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायन दत्त—

जी हां। प्रश्न में वर्णित पत्र की प्रतिलिपि माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 6-8-85 के साथ प्राप्त हुई है। पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर आवश्यक जांच करायी जा रही है।

श्री विनय कुमार श्रीवास्तव उप संचालक चकबन्दी, इलाहाबाद अर्जित संपत्ति की जांच

113—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, उप संचालक चकबन्दी, इलाहाबाद के द्वारा व्यापक पैमाने पर सम्पत्ति बना ली है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री विनय कुमार श्रीवास्तव द्वारा अर्जित सम्पत्ति की गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, भूतपूर्व उप संचालक चकबन्दी, इलाहाबाद द्वारा कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई है। श्री श्रीवास्तव ने भी सूचित किया है कि उन्होंने पैतृक सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं की है। प्रश्न नहीं उठता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादराबाद, जनपद सहारनपुर में वरिष्ठ लिपिक श्री उदय प्रताप सिंह की लाइसेन्स शुदा रिवाल्वर को वापस न किये जाने की शिकायत

114--श्री मैनेजर सिंह तथा श्री शारदानन्द अंचल--

क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि शासन में जून, 85 से अब तक सरकार के पास कोई ऐसा शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र बहादराबाद, जनपद सहारनपुर में वरिष्ठ लिपिक श्री उदय प्रताप सिंह की लाइसेंस शुदा रिवाल्वर संख्या 'एस0' लाइसेंस संख्या जी-एस-1740/सहारनपुर/80 जो परगना अधिकारी, रुड़की के आदेशानुसार दिनांक 5-3-83 को नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया था तथा रिजर्व इंसपेक्टर सहारनपुर को वर्ष 1983 में जमा हुआ था बहुत लिखा पढ़ी के बाद भी उपरोक्त रिवाल्वर आज दिनांक 10-7-85 तक प्रार्थी को वापस नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्न में वर्णित शिकायती पत्र दिनांक 8-5-85 को प्राप्त हुआ था।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत रिवाल्वर पर रिवाल्वर बनाने वाली कम्पनी का नाम व संख्या आदि अंकित न होने के कारण उसके अधिकृत रूप से निर्माण के बारे में संदेह है। इसके अधिकृत रूप से निर्माण की यथार्थता की जांच पूरी न होने के कारण रिवाल्वर अभी तक वापस नहीं की जा सकी।

115--श्री काशी सिंह ऐरी--

[7वें सोमवार में अतां0 प्र0 सं0 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अंग रक्षक अभिसूचना विभाग (सचिवालय कैडर) लखनऊ में पदोन्नतियां तथा आरक्षण कोटा

116--श्री सुन्दर लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अंगरक्षक अभिसूचना विभाग (सचिवालय कैडर) लखनऊ में सन् 1970 से अब तक कितनी पदोन्नतियां की गयी हैं और उनमें कितने सवर्णों, हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को प्रोन्नति दी गयी है ? क्या यह सही है कि हरिजनो की उनके कोटे क अनुसार प्रोन्नति नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्न में उल्लिखित आशय का कोई स्वतन्त्र संवर्ग नहीं है।

मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं अन्य विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षार्थ राज्य के पुलिस बल में से उपयुक्त कर्मियों को अंगरक्षक की डियुटी हतु चयन एवं उनको प्रशिक्षित किया जाता है। अंगरक्षकों के पदानुसार स्थायी/अस्थायी स्वीकृत नियम के अन्तर्गत वर्ष 1960 से 1984 तक विभिन्न पदों पर 58 प्रोन्नतियां दी गई जिनमें 50 सवर्ण तथा 8 पिछड़ी जाति एवं अन्य जाति के हैं। अंगरक्षकों के विभिन्न पदों पर प्रोन्नतियां चयन समिति की संस्तुति के अनुसार दी जाती है तथा इन प्रोन्नतियों में जातिगत कोटा का ध्यान नहीं रखा जाता है बल्कि केवल उपयुक्तता का ही मापदंड रखा जाता है अतः हरिजनों को उनके कोटे के अनुसार प्रोन्नति देने का प्रश्न नहीं उठता और न ही इसके लिये कोई दोषी है। प्रशिक्षित अंगरक्षक भी अपने मूल संवर्गों के सदस्य बने रहते हैं तथा मूल संवर्गों में दी जाने वाली प्रोन्नतियों में आरक्षण के नियम यथावत लागू हैं।

कृषकों की भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही तथा मुआवजे की निर्धारित दर

117--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है ? यदि हां, तो किस भाव से तथा अब तक कितनो को मुआवजा दिया जा चुका है ? जिन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनको अथवा उनके आश्रितों को ब्रिज कारपोरेशन में नौकरी का अवसर दिया जायगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हाँ ।

मुआवजा अभी नहीं दिया गया है। भूमि अध्याप्ति अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही अभी हो रही है और यथा समय मुआवजे की दर निर्धारित की जायेगी ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि जिनकी भूमि ली जा रही है उनको नियमानुसार मुआवजा दिया जायगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में विभिन्न मदों में आवंटित / व्यपगत धनराशियों का विवरण

118--श्री कल्यान सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंग कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी और वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्यपगत की गयी और व्यपगत होने के कारण क्या है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1984-85 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में विभिन्न मदों में आवंटित धनराशि तथा व्यपगत धनराशि का ब्यौरा संलग्न है ।

धनराशियों के व्यपगत होने के मुख्य कारण भूमि उपलब्ध न होना, मांग के अनुसार व्यय न हो सकना, अनुपूरक अनुदान देर से प्राप्त होना, आगणन पुनक्षित न हो पाना, पांच मंत्रियों के आवास स्वीकृत न होना, अनुदान विलम्ब से प्राप्त होना, कार्य पूर्ण होने आदि हैं ।

व्यपगत के औचित्य संतोषजनक होने के कारण शासन स्तर पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

(देखिये नत्थी-'च' आगे पृष्ठ 148 पर)

डी0 सी0 यू0 पी0 डब्लू0 डी0, बस्ती को बेसिक शिक्षा परिषद, बस्ती द्वारा प्रा0 पाठशाला और जू0 हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु दी गयी धनराशि

119--श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ तथा श्री सुखपाल पांडेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0सी0यू0पी0डब्लू0डी0, बस्ती को बेसिक शिक्षा परिषद, बस्ती द्वारा वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक कितना धन प्रा0 पाठशाला और जू0 हा0 स्कूल के भवन निर्माण के लिये किन-किन विद्यालयों के लिये धन दिये गये और मार्च, 85 तक कितने भवन प्रा0 पा0 और जू0 हाई स्कूल के बनकर तयार हुए ? क्या यह सत्य है कि डी0 सी0 यू0, बस्ती ने 116 प्रा0 स्कूल के निर्माण की जगह पर केवल 20 प्रा0 स्कूल और 29 जू0 हाई स्कूल की जगह पर केवल 7 स्कूलों का निर्माण किया है और अब लागत खर्च बढ़ जाने की वजह से यह विभाग बनाने को तैयार नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

डी0 सी0 यू0 पी0 डब्लू0 डी0, बस्ती को वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक प्रा0 पाठशाला और जू0 हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु बेसिक शिक्षा परिषद, बस्ती से रु0 1,04,27,034 की धनराशि प्राप्त हुयी । जिन विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु धन प्राप्त हुआ उनकी वर्षवार सूची परिशिष्ट रूप में संलग्न है ।

मार्च 1985 तक 29 प्राइमरी पाठशाला और 11 जू0 हाई स्घूल भवन बनकर तैयार हुये ।

शिक्षा विभाग उक्त स्कूलों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1981-82 में कोई भूमि उपलब्ध नहीं कर सका वर्ष 1982-83 में केवल 7 प्राइमरी व 3 जू0 हा0 स्कूल के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी । वर्ष 1983-84 में 19 प्राइमरी

10 जू0 हा0 स्कूलों तथा वर्ष 1984-85 में 47 प्रायमरी व 9 जू0 हा0 स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा सकी। अत: 31 मार्च, 1985 तक कुल स्वीकृत 116 प्रायमरी व 30 जू0 हाई स्कूलों में से 73 प्रायमरी व 22 जू0 हा0 स्कूलों के लिये ही भूमि प्राप्त हो सकी। जिन 95 स्कूलों के लिये भूमि प्राप्त हो सकी है उनके विपरीत 40 स्कूल भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है और 40 स्कूल भवन निर्माणाधीन हैं।

यह सत्य नहीं है।

निर्माण लागत बढ़ जाने के बावजूद जितने विद्यालय के लिये पुनरीक्षित लागत के अनुरूप धन उपलब्ध है तथा भूमि भी है उतने स्कूल भवनों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग पूरा कर रहा है। अत: किसी प्रकार की जिम्मेदारी निर्धारित करने अथवा किसी के विरुद्ध कार्यवाई किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

†छापी नहीं गयी।

प्रदेश में भवनों की आवश्यकता तथा आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित भवन

120---श्रीमती शशी शर्मा---

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 1984-85 में कितने भवनों की आवश्यकता थी और कितने मकान उ0प्र0 आवास विकास परिषद् तथा विभिन्न प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए और अभी तक कितने की आवश्यकता है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवासों की ऐसी कोई योजना है? यदि हां, तो वह कब तक लागू हो जायगी?

श्री नारायन दत्त---

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में वर्ष 1984-85 में 2,24,250 भवनों की आवश्यकता थी जिनमें से उत्तर प्रदेश आवास विकास द्वारा 10,368 तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा 24,911 भवन बनाये गये। इस प्रकार कुल बनाये गये भवनों की संख्या 35,279 है तथा अभी लगभग 1,88,971 भवनों की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की व्यवस्था हेतु उ0प्र0 ग्रामीण आवास विकास परिषद् का गठन वर्ष 1983 में किया गया है। योजना के शीघ्र कार्यान्वित किये जाने हेतु परिषद् की विनियमों (रेगुलेशन) को अंतिम रुप दिया जा रहा है।

कानपुर, थाना सीसामऊ द्वारा पकड़े गये ट्रक की नीलामी

121--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर थाना सीसामऊ द्वारा पकड़े गए ट्रक सं0 यू0 पी0 आई0 9737/4031 उसके मालिक श्री राम दुलारे कनौजिया पुत्र श्री मन्नी लाल, निवासी, मल्लावां, जिला हरदोई को दिये जाने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा 12-1-1984 को आदेश पारित किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति एस0 एच0 ओ0 सीसामऊ जिला कानपुर को आदेश के क्रियान्वयन हेतु भेजी गयी? यदि हां, तो ट्रक या नीलामी से प्राप्त धन-राशि उसके मालिक को अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं और उक्त आदेश का क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायगा?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। प्रश्नगत ट्रक की नीलामी से प्राप्त रु0 27,000 की धनराशि वर्ष 1981 में स्टेट बैंक में जमा कराने के उप-रान्त सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी ट्रक के मालिक श्री राम दुलारे कन्नौजिया को थाना सीसामऊ द्वारा करा दी गयी थी तथा उक्त धनराशि निकालने के संबंध में उन्हें सूचित कर दिया गया था।

प्राप्त सूचनानुसार कन्नौजिया ने कोषा-गार से उक्त धनराशि का रिफंड वाउचर पास शुदा दिनांक 12-7-85 को प्राप्त कर लिया है।

प्रदेश में आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अफसरों के निजी मकान तथा सर-कारी आवासों में रहने का किराया

122---कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने वर्तमान आई0ए0एस0 और पी0

सी0 एस0 अफसरों ने अपने निजी मकान लखनऊ में बनवायें हैं, कितने अपने मकान में रहते हैं कितने सरकारी आवासों में कितने अफसरों के ऊपर सरकारी देय किराया के रूप में बाकी है ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के आधार पर 40 आई0 ए0एस0 तथा 19 पी0सी0एस0 अधिकारियो ने लखनऊ में अपने निजी मकान बनाये हैं। उनमें से लखनऊ में कार्यरत 7 आई0 ए0 एस0 तथा 6 पी0 सी0 एस0 अधिकारी अपने मकान में रहते हैं। शेष 46 सरकारी आवासों में रहते हैं। इन 46 अधिकारियों में से उपलब्ध सूचना के आधार पर लखनऊ में सरकारी आवासों में रहने वाले 23 आई0 ए0 एस0 तथा पी0सी0एस0 अधिकारियों के ऊपर सरकारी किराया देय है।

केन्द्र में विदेशी जासूस का भण्डाफोड़ होने के परिप्रेक्ष्य में छानबीन

123--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र में विदेशी जासूस का भंडाफोड़ होने के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उच्च अधिकारियों के सिलसिले में छानबीन संबंधी कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत परिप्रेक्ष्य से संबंधित राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों की ऐसी कोई गतिविधि दृष्टिगोचर न होने के कारण किसी छानबीन की आवश्यकता नहीं समझी गई।

ताल्लुकेदार बाबू अब्दुल्लाह खां के गृह स्थान को उनके स्मृति में सुरक्षित करने पर विचार

124--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या सामान्य प्रशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर परगना जगदीशपुर तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के ताल्लुकेदार बाबू अब्दुल्लाह खां नें सन् 1857 में बेगम हजरत महल, राजा वेणी माधव सिंह तथा जगदीशपुर के बाबू महमूद हुसैन खां के साथ स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था ? यदि हां, तो बाबू अब्दुल्लाह खां के गृह स्थान को उनके स्मृति में सुरक्षित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त--

स्थानीय जांच से एवं उपलब्ध अभिलेखों को देखने से इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि बाबू अब्दुल्लाह खां ने सन् 1857 की लड़ाई में भाग लिया था। श्री गुरु प्रसाद सिंह भूतपूर्व विधायक एवं अध्यक्ष स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी समिति द्वारा लिखित "जनपद सुल्तानपुर के स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास" नामक पुस्तिका में भी उनका कोई जिक्र नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

ताल्लुकेदार बाबू मुहम्मद हसन खां के निवास स्थान को उनकी स्मृति में सुरक्षित न किये जाने का कारण

125--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर के ताल्लुकेदार बाबू मुहम्मद हसन खां ने सन् 1857 की जंगे आजादी में बेगम हजरत महल, राजा वेणी माधव सिंह के साथ भाग लिया था और कम्पनी सरकार ने उनका ताल्लुका एवं संपत्ति जब्त कर लिया ? यदि हां, तो उनके निवास स्थान को आज तक उनकी स्मृति में सुरक्षित न किये जाने का क्या कारण है तथा उनके उत्तराधिकारियों को उनकी जब्त शुदा भूमि वापस करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

स्थानीय जांच एवं श्री गुरु प्रसाद सिंह भूतपूर्व विधायक एवं अध्यक्ष स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी समिति द्वारा लिखित "जनपद सुल्तानपुर के स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास" नाम पुस्तिका के अवलोकन से यह विदित होता है कि ग्राम-जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर के बाबू मोहम्मद हसन खां एक

छोटे ताल्लुकेदार थे और उन्होंने राणा बेनी माधव सिंह के साथ 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था और इनकी संपत्त जब्त की गयी थी ।

वर्तमान में इनके गांव में अब इनका कोई नामोनिशान नहीं है । केवल इनके निवास स्थान की भूमि पर इनके खानदान के श्री गरीब खां, श्री नसीम खां तथा श्री अब्दुल मुईद खां अलग-अलग भवन बनवाकर रह रहे हैं । भूमि वापस करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अब बन्दोबस्त अव्वल, दोयम और सोयम हो चुके हैं और उनके निवास स्थान पर उन्हीं के खानदान के लोग अलग-अलग मकान बनवाकर रह रहे हैं ।

जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली के गांव की जनता को कुटीर उद्योग द्वारा पूर्ण रोजगार दिलाने के प्रश्न पर विचार

126--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली के किस-किस तहसील के कौन-कौन से गांव की जनता पूर्ण या अपूर्ण रूप से जाड़ों में अपने मूल आवास छोड़कर ग्रीष्म स्थलों में चले जाते हैं ? सरकार ने इन परिवारों के स्थायी आवास व परम्परागत कुटीर उद्योग द्वारा पूर्ण रोजगार दिलाते हुए इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त--

जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली को जिन-जिन तहसीलों एवं गांवों की जनता पूर्ण या अपूर्ण रूप से जाड़ों में अपने मूल आवास छोड़कर ग्रीष्म स्थलों में चली जाती है उनकी सूची संलग्न है ।

ये परिवार परम्परागत रूप से जलवायु एवं व्यवसायिक दृष्टि से ग्रीष्म स्थलों में जाते हैं । इनमें से अधिकांश के स्थायी मकान दोनों स्थलों पर है । जहां तक शासन द्वारा इनको परम्परागत कुटीर उद्योग द्वारा पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रश्न है इन जनपदों में उद्योग विभाग की निम्न योजनायें जनसाधारण को लाभान्वित कराये जाने के लिये चलायी गयी है :

1--रिंगाल उपयोगी केन्द्र; ।

2--लकड़ी की कलात्मक वस्तुयें बनाने के प्रशिक्षण एवं उत्पादन के

3--पापड़ी काष्ठ कला केन्द्रों की स्थापना ।

4--अनुसूचित जाति जन-जाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगीकरण की योजना ।

5--उद्यमियों के माध्यम से कालीन प्रशिक्षण केन्द्र ।

6--हरिजन एवं कमजोर वर्ग की विशेष औद्योगिक सहकारी समितियों को अंशपूंजी ऋण ।

7--स्टोन कार्विग केन्द्र ।

8--मास्टर क्राफ्टसमैन के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र ।

9--लकड़ी की कलात्मक वस्तुयें बनाने की योजना ।

10--कृषि उपकरण एवं लौह उद्योग ।

11--चर्म शोधन एवं जूता निर्माण केन्द्र शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 149 पर)

प्रदेश के मुख्य मंत्री के बदले जाने तथा कृषि मंत्री चौधरी नरेन्द्र सिंह की विदेश यात्रा रद्द किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(समय 12 बज कर 20 मिनट)

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री आज यहां पर सदन में उपस्थित नहीं है । कल यहां पर माननीय राम सरन जी ने एक प्रश्न उठाया था कि मुख्य मंत्री जी यहां से जा रहे हैं और नरेन्द्र सिंह जी को विदेश की यात्रा से वापस बुला लिया गया है । आज नरेन्द्र सिंह सदन में आ गये हैं । वे इस सदन के चलते विदेश के दौरे पर गये थे । वे बतायें कि किन परिस्थितियों में उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वापस बुलाया गया है ? उनकी विदेश की यात्रा क्यों काटी गई ? क्या उनको डांटा फटकारा गया, तब वापस आये हैं या कोई और कारण थे ? वे सदन में आये हैं । स्पष्ट कर दें । कल यहां पर यह चर्चा थी कि उनको यहां पर मुख्य मंत्री बनाया जा रहा है । मुख्य मंत्री जी भी मौजूद नहीं हैं । उनका विदेशी दौरा क्यों काटा गया । तरह-तरह की पूरे प्रदेश में बातचीत चल रही है कि एक कैबीनेट स्तर के मंत्री विदेश के दौरे पर गये थे, बीच में ही उनका दौरा क्यों काट दिया गया? यह अफवाह फैलाई गई कि वे मुख्य मंत्री हो रहे हैं । हम चाहते हैं कि इसकी सफाई हो जाय कि उनका विदेशी दौरा क्यों काटा गया ? सदन चल रहा है । आप से इजाजत लेकर गये या नहीं ? मैं समझता हूं कि एक कैबीनेट स्तर के मंत्री का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता कि जब वे केन्द्र सरकार की इजाजत लेकर विदेश गये थे तो उनके दौरे में कटौती कर दी जाय । मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है आपसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई जो कि इस सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है । मान्यवर, और भी कई भ्रान्तियां हैं वह मैं नहीं कहना चाहता । यह सारे प्रदेश के हक में होगा कि वे इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे दें कि आखिर उन्होंने अपने दौरे में कटौती क्यों की उनको डांटा गया, फटकारा गया, क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, आप सफाई चाहते हैं और उसके साथ-साथ सबकी सफाई करना चाहते हैं । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । ....(व्यवधान)

श्री राम सरन--

हाथ जोड़कर कहता हूं हमारी प्रार्थना सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न हो तो कहें ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, कल यह बात मैंने उठाई थी और पूरे प्रदेश में आज यह भ्रम फैला हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने कल जो बात कही, वह तो उन्होंने कहना ही था । और वह क्या कहते ? क्या वह कहते कि मैं छोड़ रहा हूं । ऐसा वे नहीं कह सकते । नरेन्द्र सिंह जी, विदेश से वापस आये हैं । सदन में मौजूद हैं । 12 करोड़ जनता का सवाल है । ये बतायें कि किन कारणों से वे वापस आये हैं । मुख्य मंत्री बनने आये हैं या कोई और कारण है ? नहीं तो भ्रम रहेगा ।

श्री अध्यक्ष--

क्षमा कीजिए, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(चौधरी नरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर मेजें थपथपाई गईं ।)

श्री राम आसरे दम--

मान्यवर, क्या आपने माननीय कृषि मंत्री जी को निर्दिष्ट किया है कि वे इन बातों का जवाब दें ?

श्री अध्यक्ष--

वह स्पष्टीकरण देना चाहते हैं ।

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने अभी एक प्रश्न किया जिसके बारे में मा० मुख्य मंत्री जी ने कल विस्तार से स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने सारी स्थिति को बहुत साफ कर दिया है । समाचार पत्रों में यह समाचार कहां से आया मैं नहीं जानता (व्यवधान) हो सकता है आपको कोई जानकारी हो । कल जब मैं स्वदेश लौटा दिल्ली आने पर मुझे बताया गया । मैं नहीं कह सकता कि यह समाचार कहां से और किस तरीके से आया ? हमारे सदन में नेता मुख्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी हैं, हमारे प्रदेश में कोई अस्थिरता नहीं है सरकार पूरी तरह से स्थिर है। हमारे देश के नेता, हम सब के नेता राजीव गांधी जी हैं हमारी सरकार में किसी प्रकार की कोई बात जो समाचार पत्रों में आ रही हैं बिलकुल बेबुनियाद है, निराधार है ।

श्री विजय सिंह राणा--

8 तारीख को आना था तो बीच में ही क्यों बुला लिया गया (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने तो आपको बुलाया नहीं ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री बदन सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय बदन सिंह जी, आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री बदन सिंह--

जी हां, मेरा सवालों के सम्बन्ध में है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष --

एक व्यवस्था का प्रश्न हो जाय तब आपको अवसर दूंगा ।

*श्री बदन सिंह---

मान्यवर, मई 85 को मैंने 14 सवाल दिये थे उनमें से 11 सवाल स्वीकृत हुए । उन 11 सवालों में से 9 सवाल तारांकित स्वीकार हुए इसका मतलब यह हुआ कि वे महत्वपूर्ण सवाल हैं । इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो 5-5 हत्याओं से सम्बन्धित हैं, कुछ खारे पानी के सम्बन्ध में हैं, कुछ पेयजल के सम्बन्ध में हैं । लेकिन यह जो सवाल लगाये गये हैं उनमें से कोई 14 वें मंगलवार, कोई 17 वें मंगलवार और कोई 20वें मंगलवार के लिए लगाये गये हैं तो वह 17वें और 20वें मंगलवार आ नहीं सकेंगे । सामान्य रूप से जो सवालों की प्रक्रिया है वह हमारे घर में जवाब पहुंच जायेंगे और जिन पर हमें अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं रह जायेगा । मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं और यह व्यवस्था चाहता हूं कि हमारे साथ ज्यादती क्यों की गयी है ? बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिनके द्वारा बड़े-बड़े राज खुलने को थे उनको समय से नहीं लिया गया । चार महीने पहले सवाल दिये थे । मंत्रिमण्डल की निष्क्रियता के कारण मंत्री सवाल नहीं लगाने देते हैं जिनका वे उत्तर नहीं देना चाहते हैं । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त ---

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री विजय सिंह राणा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्नों के सम्बन्ध में है ?

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आज की कार्य सूची नत्थी 'ग' में तीसरा प्रश्न जिन मा0 सदस्यों ने 25 जुलाई, 1985 को दिया था वह है किन्तु यही प्रश्न लगभग मैंने 25 मई, 85 को दिया था जो पन्द्रहवें मंगलवार के लिये स्वीकार हुआ है । इसी प्रकार से 14 प्रश्न मैंने मई में दिये थे जो 15 से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

23 मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को लगे हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न विभाग, सचिवालय, में क्या व्यवस्था है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं देखता लूंगा।

प्रदेश के मुख्य मंत्री के बदले जाने तथा कृषि मंत्री चौधरी नरेन्द्र सिंह को विदेश यात्रा रद्द किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले श्री शतरुद्र प्रकाश ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उस पर कृषि मंत्री ने खड़े होकर अपनी सफाई पेश की कि नेता परिवर्तन की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन जो दूसरा आरोप लगाया गया था कि विदेश यात्रा बीच में रद्द करके उनको वापस बुला लिया गया, मेरी जानकारी है कि इनके साथ कोई अवांछनीय व्यक्ति गया था, इसलिये केन्द्र सरकार और प्रधान मंत्री को आपत्ति हुई जिससे इनको वापस बुला लिया गया। इसके अलावा अन्य शंकायें भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में कृषि मंत्री को सफाई देनी चाहिए, वरना जो भ्रम पैदा हो गया है इसका आसानी से निवारण नहीं होगा, कि क्या परिस्थितियां थीं कि बीच में यात्रा रद्द करके प्रदेश में वापस बुला लिया गया, पहले तो जानना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता थी वहां जाने की चूंकि बजट सत्र चल रहा है, यह कृषि मंत्री हैं, और विदेश यात्रा पर चले गये और वापस बीच में ही आ गये, इस पर आप व्यवस्था दें?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं तो स्पष्टीकरण चाहता हूं। कृषि मंत्री बोले थे और उसमें यदि कोई बिन्दु छूट जाता है तो हमारा अधिकार है कि हम उनसे पूंछे, कृषि मंत्री ने बयान दिया है, उसमें मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

मान्यवर, मुझे बहुत दुःख है, हमारे राजेंद्र गुप्त जी बड़े सम्मानित और बड़े सीनियर मेम्बर इस हाउस के हैं, उन्होंने कहा कि इनके साथ कोई अवांछनीय व्यक्ति गया था। मैं समझता हूं कि उन्हें यह बात जानकारी करने के बाद किसी आधार पर कहनी चाहिए थी, यह बिल्कुल गलत है कि मेरे साथ कोई अवांछनीय व्यक्ति गया था, उत्तर प्रदेश से, मैं तो अकेला गया था।

श्री किरन पाल सिंह--

दिल्ली से वह गया होगा।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

दिल्ली से वह गया होता तो श्री किरनपाल सिंह की जानकारी में होगा, मेरी जानकारी में वह नहीं गया है, उनकी जानकारी में गया होगा। यदि वह जाते तो उनको अवांछनीय व्यक्ति मैं नहीं मानता।

मान्यवर, आप जानते हैं कि वह इस तरह से कोई नहीं जाता बल्कि मुख्य मंत्री जी की तरफ से प्रस्ताव जाता है, केन्द्र से प्रधान मंत्री की स्वीकृति होती है। इसलिये किसी वांछनीय या अवांछनीय व्यक्ति जो नियम हैं उसका अनुसार बाहर जाते हैं।

मान्यवर, उसमें जो लोग भी गये, नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल में, उसने उसको लारेजनेंट किया था...

श्री मित्र सेन--

किस लिए आप लौट आए, यह बात आप साफ बता दीजिए।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

और मैं निवेदन करूंगा राजेन्द्र गुप्त जी और अन्य सदस्यों से कि उनको किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिये, हमारे

---

*वक्ता ने भीषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ कोई आंछनीय व्यक्ति नहीं गया था। सभी लोग सम्मानित व्यक्ति थे..

श्री मित्र सेन--

लेकिन आप लौट क्यों आए बीच में ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

क्योंकि मैं आप लोगों से जल्दी मिलना चाहता था। 24 तारीख तक आपकी असेम्बली थी। मैं 24 तारीख की सुबह गया लखनऊ से और 24 की रात को दिल्ली से रवाना हुआ। उसमें इस तरीके की कोई बात नहीं है। जो लोग भी गये थे, वह सभी जिम्मेदार लोग थे। पूरे देश भर के उसमें प्रतिनिधि थे....

श्री राजेन्द्र गुप्त--

वापस क्यों आ गये ?

श्री किरन पाल सिंह--

क्या आपके साथ गये सारे लोग वापस आ गये हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है..

श्री अध्यक्ष --

व्यवस्था पर कोई व्यवस्था नहीं। अभी कोई व्यवस्था नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा--

आपकी बात खत्म हो गई है, आप एक ही बात को बार-बार दोहरा रहे हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मुझे स्पष्टीकरण देने में कोई गुरेज नहीं है। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है, तो यह स्पष्ट है अपने आप में .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें, जिरह कर रहे हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मनीला में सेमिनार थी, उसमें मैं हिस्सा लेने गया था। 31 तारीख तक सेमिनार थी, 31 तारीख को वहां से चलकर हांगकांग आया और वहां से चलकर दिल्ली आया... (व्यवधान) ... यदि आप सारे मामले को उठाकर देखें, उसका पता किया जाए तो मैं फिर कहूंगा कि सदन में अगर कोई बात रखी जाए तो वह पूरी जिम्मेदारी के साथ रखी जानी चाहिये। सिर्फ समाचार-पत्रों या ऐसे ही किसी अन्य सुने सुनाए आधार पर नहीं रखी जानी चाहिये। कोई काल्पनिक बात सदन में नहीं आनी चाहिये, क्योंकि सदन जिम्मेदार लोगों का है और हमारे सभी सदस्य सम्मानित सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 की 41 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं.....

श्री राम आसरे वर्मा--

आप तो आगे बढ़ गये और मेरा व्यवस्था का प्रश्न रह गया.....

श्री अध्यक्ष--

आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो उठाएं, लेकिन आप तो बैठ गये थे।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री नरेन्द्र सिंह को मुख्य मंत्री बनाने के लिये उनके कुछ साथियों द्वारा प्रस्तावना तैयार की जा रही है और इसमें उनके पुराने मित्रों-लोकदल के साथियों में पुराना मोह जाग गया है, इसलिये इस मामले को हवा दी जा रही है। बीच में दूसरे लोग आ गये। अब आप इसमें और समय न बर्बाद कीजिए।

श्री अध्यक्ष--

वह लोग इस बात के प्रयास में हैं कि आपको मुख्य मंत्री बना दिया जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसमें भी क्या हर्ज की बात है वह भी हम लोगों के बीच के आदमी हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से जिला परिषद द्वारा साइकिल लाइसेन्स शुल्क लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 41 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इसमें से मैंने 10 स्वीकार की हैं। अब जैसे जैसे सत्र का आखिरी, दिन आएगा, सूचनाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। माननीय शारदा प्रताप, श्री रामवदन एडवोकेट, श्री फसीउर्रहमान, माननीय हरिश्चन्द्र हरिश जी, श्री सुरेश चन्द्र, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री किशन लाल दिलेर, श्री रामसरन तथा श्री सरदार सिंह जी की सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है।

आपकी आज्ञा हो तो इन सबको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।)

श्री शारदा प्रताप--

[महोदय, मैं माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान जिला परिषदों द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में साइकिलों के लाइसेस शुल्क की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गांवों में अधिकांश जनता साइकिलों द्वारा आती-जाती है उनके हर काम में साइकिल का प्रयोग होता है। साइकिल शुल्क के अभाव में साइकिलें जिला परिषदों द्वारा जमा कर ली जाती हैं, जुर्माना देने के बाद साइकिल छोड़ी जाती है जिससे एक ओर जनता के कार्य का नुकसान होता है दूसरी ओर उनके ऊपर एक आर्थिक बोझ भी पड़ता है जो देहातों की गरीब जनता के लिये बहुत कष्टदायी है।

सरकार ने शहरी क्षेत्रों के साइकिल शुल्क को माफ कर दिया है परन्तु ग्रामीण अंचलों में जिला परिषदों द्वारा यह टैक्स वसूली अभी भी जारी है। जिससे सरकारी नीति की अवहेलना हो रही है। अतः मैं इस दोहरी नीति के विरुद्ध सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह मांग करता हूं कि देहात की गरीब जनता को साइकिल लाइसेंस शुल्क से मुक्त किया जाये, भले ही शासन को अपनी ओर से जिला परिषदों को कुछ आर्थिक सहायता देनी पड़े।]

मुहम्मदाबाद-गोहना, आजमगढ़ से लखनऊ तक सीधी बस सेवा आरम्भ करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवदन एडवोकेट--

[महोदय, 219 विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद-गोहना से लखनऊ के लिये कोई भी सीधी बस सेवा नहीं है। मुहम्मदाबाद-गोहना तहसील मुख्यालय है। तहसील मुख्यालय के अन्तर्गत बलीदपुर, धैराबाद 30 हजार आबादी वाले बड़े कस्बे हैं तथा सभी कस्बों में हस्तकरघा, पावरलूम के कपड़े बनते हैं। यहां के छोटे-बड़े व्यवसायियों का सीधा सम्बन्ध लखनऊ, कानपुर औद्योगिक नगरों से है। देहाती जनता किसी तरह अपने सामानों को बैलगाड़ी, इक्का, रिक्शा तथा सिर पर लादकर मुहम्मदाबाद-गोहना पहुंचाती है। लेकिन मुहम्मदाबाद से कोई भी सीधी बस सेवा सुलभ न होने के कारण आजमगढ़ पहुंचने में आशातीत समय, श्रम, धन खर्च होता है। तहसील के उत्तरी भाग में 25 हजार जनसंख्या वाली जनता को आवागमन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। धोरहरा, मोढ़ तथा बलीदपुर बाजार से आजमगढ़ के लिये सीधी बस सेवा अति आवश्यक है। क्षेत्रीय जनता आवागमन की सुविधा सुलभ न होने से शासन के प्रति उदासीन है। क्षेत्रीय जनता की मांग को शासन स्तर से पूरा कराना अपना नैतिक दायित्व समझता हूं।

मैं आपसे मांग करता हूं कि बलीदपुर, आजमगढ़, धोरहरा-आजमगढ़-मुहम्मदाबाद, गोहना-लखनऊ सीधी बस सेवा सुलभ कराने की कृपा करें।]

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ-गोण्डा मार्ग पर सरयू नदी के किनारे जर्जर पुल के टूट जाने के खतरे की सूचना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत

* श्री कपीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)---

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद गोण्डा में लखनऊ-गोण्डा मार्ग पर सरयू नदी पर बने पुल के अगल-बगल से कई वर्ष से लगातार राजनैतिक लोगों के दबाव से सरकार तथा असरदार लोगों द्वारा लाखों ट्रक बालू निकाला जा रहा है जिससे पुल के गिरने की भारी आशंका है। जिला प्रशासन उक्त कार्य को रोकवाने में बिल्कुल अक्षम और मौन है। इस पुल से निकलने वाले वाहन जब पुल को पार करते हैं तो यह पुल बहुत ही हिलता-डुलता है जिसके कारण इस क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रियों तथा वाहन मालिकों में भारी रोष एवं भय व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि अविलम्ब बालू निकासी को रोका जाय तथा पुल के आस-पास के गड्ढों में मिट्टी डलवाई जाय।]

सधन हथकरघा विकास निगम (गोरखपुर व बस्ती) लि0 के बस्ती जिले के बेलोहा केन्द्र से संबद्ध बुनकरों को कपड़े के मूल्य का भुगतान न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी---

[मान्यवर, सधन हथकरघा विकास निगम (गोरपुर एवं बस्ती) लिमिटेड के बस्ती जिले के बेलोहा केन्द्र से सम्बद्ध ग्रामों भिटिया ढढोरा, घुसहा, बनुहिया, लहरा, बसडीला, पंचमोहनी, सुपौला आदि के बुनकर जनता धोती बनाकर निगम के बेलोहा केन्द्र पर बेंचते हैं। परन्तु पिछले दो महीने से केन्द्र ने खरीद बन्द कर दिया है और उसके पूर्व के दो महीने का बकाया धन जो कि लगभग डेढ़ लाख है, का भुगतान भी नहीं कर रहा है जिसके कारण बुनकरों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इन बुनकरों के पास इस व्यवस्था के अलावा दूसरा कोई धन्धा नहीं है।

ज्ञात हुआ है कि बेलोहा, राजेडीहा, साधा, लोहरसन, कमरजोत आदि केन्द्रों के निगम के कर्मचारियों ने सीधे बाजार से कम दाम पर घटिया किस्म की धोतियां खरीद कर निगम के कानपुर केन्द्र को भेजी थीं। परन्तु केन्द्र ने उस माल को लेने से इन्कार कर दिया है। बेलोहा केन्द्र पर भी ऐसी 900 जोड़ा धोतियां आयी हैं। निगम के कर्मचारी इन धोतियों को बेलोहा केन्द्र से सम्पद्ध बुनकरों के गले मढ़ना चाहते हैं, जबकि वह धोतियां पावर लूम पर बनी हैं और उन पर सम्बद्ध बुनकरों की कोई मोहर भी नहीं लगी है।

ऐसी स्थिति में आदरणीय सदन के संज्ञान में इस लोकमहत्व के विषय को लाकर मैं शासन से मांग करता हूं कि वह तत्काल बेलोहा केन्द्र से सम्बद्ध बुनकरों के बकाये धन का भुगतान कराके तथा बेलोहा केन्द्र से निगम के कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह खरीद चालू कर दे तथा विवादास्पद 900 जोड़ा जनता धोतियों की जिलाधिकारी बस्ती द्वारा जांच करायें।]

देवीधुरा, पिथौरागढ़ के निकट हुई दुर्घटना में पीड़ितों को राहत न दिये जाने तथा घटना की जांच किये जाने व वहां पर एक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र---

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान पिथौरागढ़ जनपद के देवीधुरा के निकट

नोट:---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3 कि0 मी0 की दूरी पर 30--8--85 को हुई एक ट्रक दुर्घटना की ओर खींच रहा हूं, जिसमें 80 से 100 तक यात्री यात्रा कर रहे थे और 20--25 यात्री बुरी तरह घायल हो गये। चार यात्रियों की मृत्यु हुई है, घायलों को जनपद नैनीताल और पिथौरागढ़ के विभिन्न चिकित्सालयों में उपचार के लिये भेजा गया है। इस दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु घटना स्थल पर और दो यात्रियों की मृत्यु उस समय हुई, जब उन्हें प्रारम्भिक चिकित्सा दी जा रही थी। इस दुर्घटना में एक कलाकार श्री गिरीश चन्द्र भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं इस हृदय विदारक दुर्घटना की ओर सदन का ध्यान खीचते हुए मांग करता हूं कि इस सम्पूर्ण कांड की जांच की जाय। देवीधुरा जैसे ऐतिहासिक मेलों में यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय और वहां पर एक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाय ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो। सभी दुर्घटना ग्रस्त लोगों के उपचार की व्यवस्था की जाय और सभी प्रभावित परिवारों को तुरन्त मुआवजा दिया जाय।]

इलाहाबाद, जल संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

[महोदय, इलाहाबाद जल संस्थान के बुरी तरह अकमण्य तथा प्रभावित हो जाने से पेयजल आपूर्ति से बाधित एवं विषाक्त है। फाफामऊ, में हदोहरी, म्योहाल के नलकूप महीनों से खराब है जिससे इन क्षेत्रों की 50,000 जनता पेयजलाभाव से बुरी तरह त्रसित है। गोविंदपुर कालोनी, अल्लापुर, राजरूपपुर के लगभग 10 हजार उपभोक्ताओं द्वारा पानी मीटर हेतु 5-6 वर्ष पूर्व पैसा जमा करने के बावजूद अभी तक उनके यहां मीटर नहीं लगाये गये। भ्रष्ट तरीके से नल काटने और भारी दण्ड लगा कर धन दोहन किया जा रहा है। पहले क्लोरीन तथा ब्लीचिंग रहित पेय जल आपूर्ति की जा रही थी। किन्तु अप्रैल में ध्यानाकर्षण तथा विरोध के बाद क्लोरीन की मात्रा जानबूझ कर 7 प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी है। विभिन्न शोधों से ज्ञात है कि 5 प्रतिशत से अधिक क्लोरीन की मात्रा जल को विषाक्त बना देती है) और 5 प्रतिशत से ज्यादा होने पर तो कैंसर होने की पूर्ण संभावना हो जाती है। जांच के बाद प्राप्त उपर्युक्त तथ्यों से जनता जहां आतंकित है वहीं मीटर का पैसा जमा होने के बावजूद मीटर न लगाने, नल काटने और बेकसूर लोगों को दंडित करने से जनता आक्रोषित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करके तत्काल आवश्यक कार्यवाही तथा दोषियों को दंडित करने की मांग करते हैं।]

आजमगढ़ में सीवर लाइन की खराबी से जल भराव एवं गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव---

[महोदय, शहर आजमगढ़ में लगभग 10 या 12 साल पहले अनेक सड़कों को तोड़ कर सीवर पाइप लाइन बिछाये गये थे ताकि शहर की तमाम गन्दगी आदि इसी से निकल जाय, योजना में जहां यह पानी जा कर गिरता है इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी जिसकी वजह से भारी मात्रा में धन व्यय करने के बाद भी अब तक इस्तेमाल के काबिल नहीं हो सका और शहर के पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। जगह-जगह गंदा पानी इकट्ठा रहता है जिसकी वजह से मच्छर आदि पैदा हो कर लोगों के सेहत पर खराब असर डालते हैं। 20 अगस्त से 24 अगस्त सन् 85 के दरम्यान भारी वर्षा होने की वजह से पूरे शहर का सामान्य जनजीवन पूरी तरह से तहस-नहस हो गया और अब तक गंदा व बाढ़ का पानी आदि पूरी तौर से निकाला नहीं जा सका है। गन्दगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, भारी वर्षा के कारण लोगों के मकान गिर गये हैं और काफी नुकसान हुआ है। राहत का कार्य

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार संतोषजनक ढंग से नहीं कर रही है जिसकी वजह से लोगों में काफी रोष व परेशानी है। अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान दिलाते हुए मांग करता हूं कि आजमगढ़ में सीवर पाइप लाइन की व्यवस्था अविलम्ब की जाये और शहर के गंदे पानी की निकास की व्यवस्था की जाये। शहर के अंदर बाहरजिले में भारी वर्षा व बाढ़ की वजह से जो क्षति (हानि) हुई है उस संबंध में अनुदान दिया जाये, दवा का छिड़काव टीका सफाई व उपाचार की पूरी व्यवस्था करायी जाये।]

अलीगढ़ में सीवर लाइन के अभाव में गन्दगी एवं भयंकर बीमारियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किशन लाल दिलेर ---

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

अलीगढ़ नगर में गंदगी का घोर साम्राज्य है। मकानों से मैला उठा-उठा कर आये दिन सड़कों पर डाला जाता है। इससे नागरिकों को घोर कष्ट है तथा बीमारी और महामारी फैलने की आशंका है।

इसका मुख्य कारण सीवर लाइन का चालू न होना है। लाखों रुपया खर्च करके शासन ने सीवर लाइन डाली है। परन्तु वह चालू नहीं की जा रही है जिससे यह समस्या गंभीर होती जा रही है।

अतएव लोक महत्व के इस विषय पर मा0 नगर विकास मंत्री से मांग करता हूं कि वे अलीगढ़ में सीवर लाइन को अविलम्ब चालू किये जाने का आदेश देने की कृपा करें।]

नगरपालिका गंगोह, सहारनपुर में पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने तथा गन्दगी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सरन---

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। पिछले दो महीने से जनपद सहारनपुर के नगर पालिका गंगोह के प्रभारी अधिकारी गायब हैं। नगर पालिका की तमाम टंकी टूटी-फूटी खड़ी है। जनता पेय जल के संकट से गुजर रही है। नगर-पालिका की आबादी में इस समय गंदगी मची हुयी है। गंदगी के ढेरों का सड़कों पर जमाव हो गया है। सड़कों की हालत दयनीय है। सभी सड़कें खस्ता हालत में हैं। सड़कों की पुलिया भी टूट गयी हैं। टूटी पुलियों के कारण अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी है। नगरपालिका के ई0 ओ0 अवैधानिक कब्जों में लिप्त हैं। कोई सुनने वाला नहीं है।

अतः मैं सम्मानित सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए और नगर-पालिका में रहने वाले नागरिकों के लिये पानी की व्यवस्था तथा गंदगी की सफाई व सड़कों व पुलियों की मरम्मत कराई जाए।]

मथुरा के गोकुल महावन में रसखान एवं इनके भाई बहन की प्राचीन समाधि की सुरक्षा एवं जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह---

[मान्यवर, जनपद मथुरा में गोकुल महावन स्थित रसखान एवं उसके भाई बहन की प्राचीन समाधि है। जो पुरातत्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही इसका महत्व हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये भी है।

---

* नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आज इन समाधियों का बुरा हाल है। बहूमूल्य पत्थरों को लोग चुरा चुराकर ले जा रहे हैं। समाधियों के आस पास की जमीन पर लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। शासन ने बार-बार इन समाधियों के जीर्णोद्धार की बात स्वीकार की है लेकिन दुख ह कि आज तक इस दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं हुयी है और अब तो इसकी चर्चा प्राय: समाप्त कर दी है। महाकवि-रसखान हिन्दू एवं मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय हैं।

आपके माध्यम से मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब उक्त समाधियों का जीर्णोद्धार किया जाए तथा रसखान की समाधि को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कराया जावे।]

नियम 301 की सभी सूचनाओं को स्वीकार कर लिये जाने की मांग

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, आपने 10 सूचनाएं स्वीकार की हैं। आप इनको पढ़वाते तो हैं नहीं, इसलिये कि समय बचे। टेक्निकल ग्राउंड पर आप ऐसा करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जितनी सूचनाएं हैं उनको स्वीकार करके पढ़ा हुआ मान लें। हमारे जनहित के जो बहुत से विषय हैं उन पर कार्यवाही हो जायेगी। मान्यवर, मैं पिछले 10 दिनों से बराबर सूचना दे रहा हूं मुझे उम्मीद थी आज आप मेरी सूचना को स्वीकार करेंगे लेकिन आपने स्वीकृत नहीं किया। तो अगर आप सबको स्वीकृत मान लें तो कोई हर्ज नहीं है। 2 दिन बाकी रह गये हैं। 40 में से आपने 10 सूचनायें स्वीकार की हैं, सब सूचनायें आप स्वीकार कर लें तो कोई हर्ज नहीं होगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, इस सदन की परम्परा रही है कि आखिर 2-3 दिनों में जो सूचनाएं आती हैं वह सब स्वीकार कर ली जाती हैं। आपसे आग्रह है कि यह पढ़ी तो जायेगी नहीं इसलिये जो सूचनायें प्राप्त हो रही हैं मेरा आग्रह है कि वह सब स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

आपके आग्रह के पहले मेरा विचार था कि जो 2 दिन रह जायेंगे उसमें यह ढील दी जायेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, आज की जितनी सूचनाएं हैं उनको भी आप स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल अब तो मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, ऐसा है कि जितनी सूचनाएं नियम 301 के अन्तर्गत दी जाती हैं उनका जवाब एक हफ़्ते के अन्दर आना चाहिये। लेकिन किसी का जवाब एक हफ़्ते के अन्दर नहीं आता है। मान्यवर, सदन उठने वाला है। 90 दिन तक सदन को चलायेंगे नहीं तो मेरी प्रार्थना है कि इन 3 दिनों की जितनी सूचनायें हों उनको आप स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, आपकी भावनाओं का आदर करते हुये, केवल दो दिन बाकी रह गये हैं, जो भी हो सकेगा वह किया जायेगा।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, करण संख्या 219 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने लिखकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया है। अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात कहूं।

श्री अध्यक्ष--

जो सूचना आपने दी है वह हम संबंधित मंत्री को भेजते हैं। जब उनका जवाब आता है तब उसको लेते हैं।

नियम 300 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय राजकिशोर सिंह की है। दूसरी सूचना माननीय बेनी प्रसाद वर्मा और उनके साथ श्री राम सरन और श्री त्रिलोक चन्द्र जी की है। तीसरी सूचना माननीय राजेन्द्र गुप्त जी की है। चौथी सूचना माननीय सुर्य प्रताप शाही जी की है। पांचवीं सूचना माननीय काशी सिंह ऐरी की है और छठी सूचना माननीय राम आसरे वर्मा जीकी है। सातवीं सूचना माननीय सत्यपाल सिंह जी की है। आठवीं सूचना माननीय सूर्य प्रताप शाही जी की है और नवीं सूचना माननीय अशोक बाजपेयी की है।

बेसिक शिक्षक संघ द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये आश्वासन का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष --

माननीय राजकिशोर सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, मैंने 12-8-85 को नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी थी कि बेसिक शिक्षक संघ के लोग 12 जुलाई से विधान सभा के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं और उसमें से 5 लोगों को पुलिस उठा ले गयी। छठें बैठे हुए हैं पन्ना लाल। मान्यवर, ज्योंति शर्मा, गोमती प्रसाद शर्मा, उमा शंकर सिंह, हरी प्रसाद चौरसिया, अरुण कुमार तिवारी को पुलिस उठा ले गयी। छठें पन्नालाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। 12 जुलाई से इनका आमरण अनशन शुरू हुआ है। यह 54वां दिन उन के आमरण अनशन का चल रहा है। जब मैंने इसको उठाया था, तो मान्यवर, आपने निर्देश दिया था और संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर समुचित कार्यवाही करने का आश्वसन दिया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। वे लोग मुख्य मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, किन्तु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। कल भी मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिये उनके आवास पर इन लोगों ने प्रयास किया था, किन्तु उन्होंने मिलने का अवसर नहीं दिया आज भी उनका आमरण अनशन चल रहा है और स्थिति गम्भीर और विस्फोटक होती जा रही है। हो सकता है कि वह आत्मदाह करने का निर्णय ले लें। इसलिये मैं चाहता हूं कि शासन इस पर सदन के चलते हुए ही इस पर कार्यवाही करे और उनकी मांग पूरी करने के लिये सदन में घोषणा करें, क्यों कि इनका अमरण अनशन लम्बे अर्से तक चलेगा उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से अन्य सरकारी प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों व कर्मचारियों को वेतन वितरण अधिनियम के तहत तमाम सुविधायें प्राप्त है, उसी तरह से इन्टर कालेज से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को समस्त सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये। जो उन पाठशालाओं में बच्चे पढ़ते हैं, जिनसे 15 रु0 फीस ली जाती है, वह भी बन्द कर दी जाय और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय। मान्यवर, इनकी मांगें न्याय-पूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि इसी सत्र में सदन के अन्दर सरकार बयान दे।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस सिलसिले में शासन को निर्देश देता हूं कि शीघ्र ही इस पर शासन कार्यवाही करे।

शिक्षा विभाग में उप शिक्षा निदेशक के रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रोन्नति न दिये जाने के कारण सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना है बेनी प्रसाद वर्मा जी की, राम सरन जी की और त्रिलोक चन्द्र जी की। इनमें से कोई एक माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, प्रदेश में उप शिक्षा निदेशक के 32 पद हैं। नियमानुसार 6 पद हरिजन जाति के लोगों को मिलना चाहिये। नियमानुसार 60 प्रतिशत कमीशन से और 40 प्रतिशत विभागीय प्रोन्नतियों मे भरा जाना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 10 जगहों का 19 फ़रवरी को सेलेक्शन किया गया और 20-22 जून के दर्मियान विशेष वाहक भेज कर चयनित लोगों को ज्वाइन करवा दिया गया और 22 जून को सूची प्रकाशित कर दी गयी, जिससे कि कोई आदमी न्यायलय में न जा सके। उनमें एक भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति नहीं है। 7 पदों का चयन अब फ़िर कर लिया गया है। इसमें भी एक भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप, प्रदेश सरकार की तमाम राजाज्ञाएं हैं,जिनको बताने में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, राजाज्ञा के अनुसार 18 परसेंट अनुसूचित जाति के लोगों को और 2 परसेंट जनजाति के लोगों को प्रोन्नति में स्थान मिलना चाहिये। परन्तु इस राजाज्ञा के विपरीत शिक्षा विभाग में एक भी हरिजन वर्ग के लोगों को नहीं लिया गया है। यह संविधान का उल्लंघन है। मान्यवर, यह हरिजनों की कीर्तन करने वाली सरकार के लिये इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात हो नही सकती। श्रीमन्, मैं आपसे स्पष्ट निर्देश चाहूंगा कि आप शिक्षा मंत्री को निर्देश दें कि इन नियुक्तियों को रद्द करें और ऐसा नहीं है कि हरिजन उप शिक्षा निदेशक के पद के लायक नहीं हैं, क्लास (1) के 11 अधिकारी शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं,उनको प्रोन्नति दी जा सकती है, परन्तु उनकी उपेक्षा की जा रही है। यह हरिजनों की कीर्तन करने वाली सरकार के लिये इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात हो नहीं सकती है। यह हरिजन का कीर्तन करने वाली सरकार के लिये शर्म की बात है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप स्पष्ट निर्देश सरकार को दें, कि जो राजाज्ञायें संविधान के विपरीत दी गई हैं उनको निरस्त करें।

औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

मैं इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। इस मामले को वह तुरन्त देखें। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने चाहा है कि 5 सितम्बर को बाढ़ के सम्बन्ध में जो वक्तव्य लगा है, उसमें पूरे प्रदेश को जोड़ दिया है। 5-9-85 को कुमायूं में बाढ़ और वर्षा के सम्बन्ध में वक्तव्य लगा हुआ है। इसके अलावा 5-9-85 को ही घाघरा, सरयू,गोमती नदी की बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा भी लगी हुई है। वक्तव्य की परिधि को बढ़ाना मुनासिब न होगा,लेकिन माननीय सदस्य बाढ़ पर लगी चर्चा में अपनी बात कह सकते हैं। श्री सूर्य प्रताप शाही के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि यह मामला विधान सभा सचिवालय के बारे में है। जहां तक सूचना नम्बर 5, 6, 7, 8 का सवाल है, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री सत्यपाल सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही, इनकी सूचनाएं नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। इसलिये मैं इन सभी को अस्वीकार करता हूं। नवीं सूचना अशोक बाजपेयी ने दी है। यह उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान अधिनियम, 1975 को लागू करने के बारे में है। यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती। फिर भी क्योंकि यह अहम मामला है, इसलिये मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, आठवीं सूचना विधान सभा की कैफ्टेरिया के बारे में है।

श्री अध्यक्ष--

विधान सभा के सम्बन्ध में कोई भी सूचना दी है, तो वह स्वीकार नहीं की जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, कैफ्टेरिया साढ़े चार बजे बन्द कर देते हैं। विधान सभा साढ़े नौ बजे तक दस बजे तक चलती है। अगर वहां चाय काफी के लिये जाते हैं, तो वह उपलब्ध नहीं होती है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप व्यवस्था उठा चुके हैं, और मैं जबाब भी दे चुका हूं।

(मद संख्या 3 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरा मद-3 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं पहले से खड़ा हुआ हूं। मेरी व्यवस्था सुन लें।, मुझे आपके निर्माण के विषय में कोई व्यवस्था नहीं चाहिये लेकिन व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी सूचना के बारे में व्यवस्था की आड़ में बोलना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जाएं।

श्री अशोक बाजपेयी--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

जो आप बोल रहे हैं यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री अशोक बाजपेयी--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जायेगा। मेरे निर्णय पर आप जिरह कर रहे हैं।

श्री अशोक बाजपेयी--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

मैं निर्णय दे चुका हूं।

सदन में समय से शासन की रिपोर्टों को प्रस्तुत न किये जाने पर आपत्ति

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं आपका ध्यान मद संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 12 तथा 14 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन मदों में जो रिपोर्ट यहां रखने वाले हैं, उनके माध्यम से किस तरह से विधान मण्डल के अधिकारों का हनन किया गया है। मद संख्या 3, 4, 5 कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के तहत रखी जा रही है। मैं कम्पनीज ऐक्ट 619-ए की धारा 3 को पढ़ रहा हूं :--

वेयर दी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इज नाट ए मेम्बर आफ ए गवर्नमेंन्ट कम्पनी, एवरी स्टेट गवर्नमेन्ट ह्वीच इज ए मेम्बर आफ दैट कम्पनी, आर ह्वेयर ओनली वन स्टेट गवर्नमेण्ट इज मेम्बर आफ दी कम्पनी, दैट स्टेट गवर्नमेन्ट सैल काज ऐन एनुअल रिपोर्ट आनदी वर्किंग एण्ड एफेयर्स आफ दी कम्पनी टू बी--"

लेखा जोखा तैयार करने के लिये समय भी इसमें निर्धारित है।

प्रिपेयर्ड विदिन श्री मन्थस् आफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंगस्।'

मैं इसकी हिन्दी कर दे रहा हूं। इसमें कहा गया है कि जहां "केन्द्रीय सरकार उसका सदस्य नहीं है केवल राज्य सरकार सदस्य है, वार्षिक लेखा-जोखा प्रति वर्ष तैयार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:--[* * *]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करेंगे और कहते हैं कि जो लेखा जोखा तैयार किया गया, जो वार्षिक बैठक होगी उसके 3 महीने में पेश किया जायेगा। आप देखें मद संख्या 3, 4, 5 में वाराणसी मण्डल विकास निगम का 82–83, का मुरादाबाद मंडल विकास निगम का 80–81, की रिपोर्ट आ रही है, इलाहाबाद मंडल विकास निगम का 78–79 और 79–80 की रिपोर्ट आ रही है। मान्यवर, आप देखें 5–5 साल के बाद रिपोर्टस आ रही हैं। हम रोजमर्रा की चीजों पर सदन में बहस नहीं कर सकते हैं लेकिन लेखा जोखा की रिपोर्ट सदन में आनी चाहिये। मान्यवर, उर्जा के बारे में आप देखें। मैं इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 की धारा 61 को पढ़ना चाहता हूं :—

"(1) इन फरवरी आफ इच ईयर दि बोर्ड शैल सबमिट टू दि स्टेट गवर्नमेंट ए स्टेटमेंट इन दि प्रेस्काइब्ड फार्म आफ दि इस्टीमेटेड केपीटल एन्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एन्ड एक्सपेंडीचर फार दि एन्स्यूइंग ईयर।"

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष के फरवरी महीने में वार्षिक लेखा जोखा तैयार करके बोर्ड राज्य सरकार को पेश करेगा और राज्य सरकार विधान मण्टल में लायेगी। मान्यवर, आप इसमें देखें 79–80 की रिपोर्ट आज आ रही है। 84–85 की नहीं आ सकी। इसी तरह से मद संख्या 12 में आप देखें। कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् की 80–81 की रिपोर्ट रखी जा रही है। मान्यवर, विधान मण्डल का यह अधिकार है कि वार्षिक लेखा जोखा प्रति वर्ष प्राप्त होना चाहिये, 4–4, 5–5 साल के बाद रिपोर्ट आ रही हैं। विधान मण्डल के अधिकारों की कटौती की जा रही है। इसके पहले भी इस तरह के प्रश्न उठ चुके हैं और नारायणदत्त तिवारी जी ने खेद प्रकाश किया था और इस बात का आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस तरह की चूक नहीं होगी। अब फिर वही गलती की जा रही है। इसलिये मैं इस बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करके व्यवस्था चाहूंगा। हमारे नियमों की जो आत्मा है, जो व्यवस्था है, जो वास्तविक भावना है, हमारे अधिकार अक्षुण रहें, इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो तर्क गुप्त जी ने पेश किया जहां तक नियमों का प्रश्न है मैं सहमत हूं। प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट आ जानी चाहिये। आप देखेंगे मद संख्या 7 और 8 जिसमें राज्य विद्युत परिषद् का 84–85 और 85–86 का वित्तीय विवरण दिया गया है। हमने प्रयास इस दिशा में किया है कि इन तमाम चीजों को अपटूडेट ला सकें। मैं यह अपेक्षा करता था मैंने पहले भी गत वर्षों में स्वयं इन सब, बातों को उठाया था कि वे 4–6 साल बाद नहीं आनी चाहिये। लेकिन, अब उसमें बहुत प्रगति हुई है और उसको देखते हुये मैं अपेक्षा करता था कि गुप्त जी बधाई देंगे। हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में इसमें और प्रगति होगी और सुधार होगा और भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आएगी।

श्री अध्यक्ष—माननीय गुप्त जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, पटल पर रखना अनवार्य है आपका मूल प्रश्न यह था कि यह बहुत देर में आया है। यह गलत बात है और मैं चाहूंगा कि रिपोर्ट जल्द से जल्द आया करें तो मुनासिब होगा।

वाराणसी मण्डल विकास निगम लि0, वाराणसी की सप्तम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1982–83†

(समय 1 बजे)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वाराणसी मण्डल विकास निगम लि0, वाराणसी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया। *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
†छापा नहीं गया।

सप्तम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1982-83 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री शतरूद्ध प्रकाश--

मान्यवर, नियमों में प्राविधान है कि प्रतिवेदन रखे जाने बाद ही बोला जा सकता है । मेरा निवेदन है कि इस पर बहस कर ली जाय । मैं इस संबंध में लिख कर दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप लिख कर दे दीजिये ।

मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लि0, मुरादाबाद की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1980-81 तथा पंचम वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1981-82 एवं षष्टम वार्षिक प्रतिवेदन एवं आर्थिक चिट्ठा 1982-83†

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लि0, मुरादाबाद की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1980-81 तथा पंचम वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1981-82 अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन एवं आर्थिक चिट्ठा 1982-83 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटड, की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1978-79 एवं चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1979-80‡

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैंआपकी आज्ञा से इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1978-79 एवं चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1979-80 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1979-80 एवं 1980-81†

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञासे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1984-85 (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग)†

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1984-85 परिषद् (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग) को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र, वर्ष 1985-86 (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग)†

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1985-86 (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग) को इलेक्ट्रिसिटी

---

†छापा नहीं गया ।
‡छापी नहीं गयी ।

(सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

बरेली नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983†

नगरविकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या 5185-बी/11-9--83-267-82, दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 के साथ प्रकाशित बरेली नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

मेरठ नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983†

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या 5186-बी/11-9--83-267-82, दिनांक 19 दिसम्बर 1983 के साथ प्रकाशित मेरठनगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तरप्रदेश नगर महापालिका अधिनिरम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

गोरखपुर नगर महापालिका चूंगी सीमा नियमावली, 1983†

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पदमा सेठ)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या 5187-बी/11-9-83-267-82, दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 के साथ प्रकाशित गोरखपुर नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 तथा वित्तीय वर्ष 1980-81 के लेखे†

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश की वार्षिक रिपोर्टवर्ष 1981-82, 1982-83 व एवं 1983-84 तथा वित्तीय वर्ष 1980-81 के लेखे को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 26-द की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखत हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1984†

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज अनुभाग- की अधिसूचनासंख्या 4475-बी0/33-2-71-77यू0 पी0 ए0-33 नियम-70 संशोधन (11)-1984 दिनांक 28 जुलाई, 1984 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिलापरिषद् सेवा (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली 1984 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम) 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।
††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पंचम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1976-77, 1 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 1977 तक†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)- मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पंचम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 (1 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 1977) तक को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश (सहकारी समिति केन्द्रीयित सेवाओं के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) – मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सहकारिता अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 3125/12-सी-2-151 (5) 83, दिनांक 30 जुलाई, 1985 के द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश (सहकारी समिति केन्द्रीयित सेवाओं के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश साधारणखण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23 क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1983-84 वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार†

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नयंत्रक महालेखा परीक्षक का 1983-84 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार, को संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985

सचिव विधान सभा – मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 24 अगस्त, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफ़ारिश के दिनांक 29 अगस्त, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था। राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अगस्त, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

जनपद बदायूं में तहसील दातागंज में ग्राम बेलाडाडी में रामगंगा पर पुल बनवाने, विकास क्षेत्र समरदे के ग्राम झकुसा में राजकीय हायरसेकेन्ड्री स्कूल तथा कस्बा दातागंज में राजकीय माध्यमिक विद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में याचिकायें†

श्री अवनीश कुमार सिंह – मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बदायूं में तहसील दातागंज के ग्राम बेलाडाडी में रामागंगा पर पुल बनवाने विषयक श्री नन्दराम आदि, निवासीगण, जनपद बदायूं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बदायूं में तहसील दातागंज के विकास क्षेत्र समरढ़े के ग्राम झकुसा में राजकीय हायर सेकेड्री स्कूल खुलवाने विषयक श्री बोध राज वर्मा तथा अन्य निवासीगण, दातागंज, बदायूं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

††छापी नहीं गयी।
†छापा नहीं गया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बदायूं के कस्बा दातागंज में राजकीय माध्यमिक विद्यालय खुलवाने विषयक श्री राहत सईद खां, ग्राम प्रधान तथा अन्य निवासीगण, दातगंज, बदायूं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर में तहसील तिलहर तथा कस्बा कटरा स्थित कन्या विद्यालयों को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में याचिका।

श्री सत्यपाल सिंह---

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर में तहसील तिलहर तथा कस्बा कटरा स्थित कन्या विद्यालयों को उच्चीकृत करने विषयक श्री कौशल किशोर यादव तथा अन्य, निवासीगण, जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

आगरा नगर में पेयजल संकट को हल करने के लिये इंडिया मार्क-2 के 900 हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में याचिका।

श्री सत्य प्रकाश विकल---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आगरा नगर में पेयजल संकट को हल करने के लिये इंडिया मार्क-2 के 900 हैण्ड पम्प लगाने विषयक श्री अमरनाथ मोदी तथा अन्य, निवासीगण, आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उन्नाव के मौरावां में चुंगी समाप्त किये जाने के संबंध में याचिका।

श्री हृदय नारायण दीक्षित---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद उन्नाव मौरावां में चुंगी समाप्त किये जाने विषयक श्री गंगा प्रसाद उप प्रमुख, क्षेत्र समिति ब्लाक हिलोली तथा श्री शिव सागर तिवारी प्रधान सगौली, निवासीगण उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उन्नाव के कस्बा मौरांवा में बस स्टेशन से मो0 काजीगढ़ तक जाने वाली सड़क में कराने के संबंधमें याचिका।

श्री हृदय नारायण दीक्षित---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद उन्नाव में कस्बा मौरावां के सब स्टेशन से मो0 काजीगढ़ तक जाने वाली सड़क को पक्का कराने विषयक श्री अख्तिखार हुसैन तथा श्री शिव कुमार गुप्त निवासीगण, मौरावां उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली में मेडिकल कालेज की स्थापना करने के संबंध में याचिका।

डा0 दिनेश जौहरी---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बरेली में मेडिकल कालेज की स्थापना करने विषयक डा0 सत्य पाल यादव तथा अन्य, निवासीगण बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली में नकटिया नदी के चन्दपुर घाटपर पुल बनाने के संबंध में याचिका।

डा0 दिनेश जौहरी---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बरेली में नकटिया नदी के चंदपुर घाट पर पुल बनाने विषय श्री जे0 पी0 राठौर तथा श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बलिया के विकास खंड सोहांव में गंगा नदी पर कार्यरत लिफ्ट सिंचाई नहर सोहांव एवं लिफ्ट सिंचाई नहर पलिया खास को मिलाकर ग्राम सभा भरौली के पास इसका हेड बनाने के संबंध में याचिका।

श्री गौरी शंकर भैया---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बलिया में विकास खण्ड सोहांव में गंगा नदी पर कार्यरत लिफ्ट सिंचाई नहर सोहांव

।छापी नहीं गयी।

एवं लिफ्ट सिंचाई नहर पलिया खास को मिलाकर ग्राम सभा भरौली के पास इसका हेड बनाने विषयक श्री मंगला सिंह, ग्राम आदर्श नगर, पोस्ट सागर पाली, जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

बलिया जनपद में तहसील बलिया की ग्राम सभा थम्हनपुरा व ग्रामसभा गंगहरा के मध्य टोंस नदी पर पैन्टून ब्रिज बनाने क संबंध में याचिका †

श्री गौरी शंकर भैया--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बलिया जनपद में तहसील बलिया की ग्राम सभा थम्हनपुर व ग्राम सभा गंगहरा के मध्य टोंस नदी पर पेन्टून ब्रिज बनाने विषयक श्री उदय नारायण सिंह निवासी, ग्राम व पोस्ट नसीरपुर जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बस्ती में डुमरियागंज तहसील के मौलाना आजाद इण्टर कालेज, कादिराबाद में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में विज्ञान के विषय खोलने के संबंध में याचिका †

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बस्ती में डुमरियागंज तहसील के मौलाना आजाद इण्टर कालेज कादिराबाद में इण्टरमीडियेट कक्षाओं में विज्ञान के विषय खोलने विषयक श्री विश्व विजय भारती प्रमुख विकास क्षेत्र रामनगर, तहसील डमरिया गंज, तथा श्री मलिकराशिद हुसैन सदस्य जिला परिषद् निवासीगण--जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बस्ती में डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत राप्ती नदी के उत्तरी किनारे के 200 गांवों को मिट्टी से पाटकर ऊंचा करने एवं लिंक रोड के माध्यम से पक्की सड़क से जोड़ने के संबंध में याचिका †

श्री मालिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बस्ती में डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत राप्ती नदी के उत्तरी किनारे के 200 गांवों को मिट्टी से पाटकर ऊंचा करने एवं लिंक रोड के मध्यम से पक्की सड़क से जोड़ने विषयक श्री ताकीब रिजवी तथा अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बलिया में बलिया बैरिया संसार टोला बांध से आस-पास के गांवों की सुरक्षा हेतु गांवों का उच्चीकरण, रिंग बांध आदि के निर्माण के संबंध में याचिका †

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बलिया में बलिया बैरियासंसार टोला बांध से आस-पास के गांवों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्य, गां ों का उच्चीकरण रिंग बांध आदि के निर्माण विषयक श्री रमाकान्त ठाकुर भूतपूर्व विधायक तथा श्री चन्द्रमणि ठाकुर, निवासीगण नौरंग, जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अलीगढ़ के चन्दनिया क्षेत्र में विद्युत शव दाहगृह का निर्माण कराने के संबंध में याचिका †

श्री किशन लाल दिलेर--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अलीगढ़ के चन्दनिया क्षेत्र में विद्युत शव-दाह-गृह का निर्माण कराने विषयक श्री विजेन्द्र कुमार सक्सेना आदि निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बस्ती में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में लगायी जाने वाली चीनी मिलों में से एक, बस्ती के उत्तरांचल में बांसी निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने के संबंध में याचिका †

श्री हरीश चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मैं आज्ञा से जनपद बस्ती में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत

---

† छापी नहीं की गयी।

प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में लगायी जाने वाली चीनी मिलों में से एक बस्ती जिले के उत्तरांचल में बांसी निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने विषयक श्री कि वाबुल्लाह तथा अन्य निवासी गणा जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

जो कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की है, वह आपकी आज्ञा हो तो पढ़ कर सुना दी जाय या पढ़ी हुई समझी जाय ?

एक सदस्य--

पढ़ी हुई समझी जाय।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ी हुई समझी गयी।

(सदन की सहमति से प्रस्ताव पढ़ा हुआ माना गया)

["उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 2 सितम्बर, 1985 की बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 3 सितम्बर से 5 सितम्बर, 1985 तक के विधान सभा के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में रखा जाय:--

3 सितम्बर, 1985 मंगलवार अपराह्न 3 बजे तक,

1--असरकारी विधेयक अपरान्ह 3 बजे के उपरान्त,

2--निम्नलिखित विधेयकों पर बिचार एवं उनका पारण:--

(क) उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) (संशोधन) विधेयक, 1985--एक घण्टा।

(ख) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन), विधेयक, 1985--आधा घण्टा,

3--श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी की नियम 52 की सूचना पर प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में तेजी से हो रही वृद्धि के संबंध में चर्चा--एक घण्टा,

4--श्री माता प्रसाद पाण्डेय की नियम 52 की सूचना पर प्रदेश में सूखे से उत्पन्न समस्या के संबंध में चर्चा--एक घण्टा,

5--श्री राजेन्द्र गुप्त के निम्नलिखित प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा--पौन घण्टा:--

"यह सदन प्रदेश में बिजली आपूर्ति में भीषण अव्यवस्था तथा घोषित एवं अघोषित कटौती के कारण उद्योग व्यापार तथा कृषि सभी के प्रभावित होने, जल संकट पैदा होने एवं भीषण गर्मी में विद्युत उपभोक्ताओं में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न परिस्थिति पर चिन्ता प्रकट करता है।"

4 सितम्बर, अपराह्न 3 बजे तक,

बुधवार 1--असरकारी संकल्प, अपरान्ह 3 बजे के उपरान्त,

2--निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण--

(क) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985--आधा घंटा,

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985--एक घंटा।

3--नेता विरोधी दल एवं अन्य सदस्यगण की सूचना पर काशी विद्यापीठ के अध्यापकों पर हमले के संबंध में चर्चा--एक घण्टा,

4--श्री राम सजीवन सिंह की सूचना पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियंताओं के 309 पदों के संबंध में धांधली के विषय पर चर्चा--एक घण्टा,

5--श्री राजेन्द्र गुप्त की सूचना पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अपूर्ण परीक्षाफल घोषित किये जाने के संबंध में चर्चा--एक घण्टा,

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा--पौन घण्टा,

"इस सदन का निश्चित मत है कि चीनी उद्योग के संबंध में एक रूप नीति अपनाने तथा गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अविलम्ब आवश्यक कानून बना कर चीनी मिलों के राष्ट्रीय-करने की सिफारिश की जाय।"

5 सितम्बर 1985 गुरुवार

अपराह्न 3 बजे तक

1--असरकारी विधेयक (जो 3-9-1985 को अनिस्तीर्ण रह)

(अपराह्न 3 बजे के उपरान्त)

2--श्री कल्याण सिंह एवं अन्य सदस्यगण की सूचना पर शासन द्वारा गेहूं का प्रति क्विन्टल घोषित मूल्य किसानों को न मिलने के संबंध में चर्चा--(आधा घण्टा)

3--श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा अन्य सदस्यगण की सूचना पर किंग जार्ज मेडिकल कालेज की एक छात्रा द्वारा आत्म हत्या किये जाने के संबंध में चर्चा--(आधा घण्टा),

4--श्री अशोक बाजपेयी, मा0 श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा अन्य सदस्यगण की सूचना पर हरदोई तथा बाराबंकी में गन्ना मिलों पर किसानों के बकाया के संबंध में चर्चा--एक घण्टा,

5--श्री बदनसिंह की नियम 52 की सूचना पर उत्तर प्रदेश में खारे पानी के क्षेत्रों में निरन्तर वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्या के संबंध में चर्चा (एक घंटा)

6--श्री लाल प्रताप सिंह के निम्नलिखित प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा--पौन घण्टा,

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि साम्प्रदायिक संगठनों एवं दलों को, जिनसे सामाजिक सद्भावना तथा राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हुआ है, प्रतिबधित किया जाय,"

7--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा--पौन घण्टा,

"प्रदेश में घाघरा, सरयू, गोमती तथा उनकी सहायक नदियों एवं उनमें मिलने वाली नालों से हर वर्ष उत्पन्न होने वाली बाढ़ की विषम स्थिति का स्थायी हल निकालने के लिये सरकार एक आयोग का गठन करे जो गठित होने के 6 माह के अन्दर अपनी संस्तुतियों का प्रतिवेदन सरकार को दे दे, ताकि उसकी सिफारिशों को लागू करके प्रतिवर्ष होने वाली धन व जन की हानि को रोका जाय"]

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---

मैं मान्यवर, प्रस्ताव करता हूं कि यह, सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985†

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1885 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1984†

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985†

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्र श शिक्षा अधिकरण विधेयक 1985††

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिकरण विधेयक, 1985 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा को मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिकरण विधेयक, 1985 को पुर: स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिकरण विधेयक, 1985 को पुर: स्थापित करता हूं।

---

†दिनांक 9 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट म छपा है।

†दिनांक 16 सितम्बर 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

††दिनांक 19 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी----

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री फजलुल बारी---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री फजलुल बारी---

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

मैंने दण्ड प्रक्रिया संहिता में जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह कोई नया नहीं है और इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें पक्ष और विपक्ष में कोई मत वैषम्य भी नहीं होना चाहिये । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इस विधेयक पर जिस समय उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में विचार हो रहा था तो मुझे सूचना मिली है कि मन्त्रीगण भी इस विचार के थे कि उत्तर प्रदेश में एण्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान लागू किया जाय । आज की परिस्थिति को देखते हुए पक्ष और विपक्ष के सभी लोग, अगर वह लोग अपने मन से समाज को न्याय देने की बात सोचते होंगे तो एक मत होंगे कि एण्टीसिपेटरी बेल को पुन: प्रारम्भ किया जाय । मैं उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके तहत 1973 में दण्ड प्रक्रिया संहिता में धारा 438 एक नई धारा जोड़ कर अग्रिम बेल का प्राविधान किया गया था । 1898 की दण्ड प्रक्रिया संहिता, जो भारत भर में में लागू थी, उसमें एण्टीसिपेटरी बेल (इस समय 1 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र गुप्त पीठासीन हुए ।) का कोई प्राविधान नहीं था, लेकिन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों द्वारा ऐसा अभिमत व्यक्त किया था कि यह न्यायोचित नहीं है कि एक व्यक्ति को यह जानते हुए भी कि वह व्यक्ति निर्दोष है, इस बात के लिये बाध्य किया जाय कि वह न्यायालय के सामने उपस्थित हो, उसको अभिरक्षा में लिया जाय और डिटेन होने के बाद वह वापस जमानत पर आये । इसलिये 1955 में सेन्ट्रल ला कमीशन बनाया गया था, केन्द्रीय विधि आयोग, जिसका मुख्य उद्देश्य केन्द्र सरकार को विधिक मामलों में राय

†दिनांक 16-9-85 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

देना था। उसने 1969 में सितम्बर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस पर जब विचार किया गया तो हमारी केन्द्र सरकार ने और भारत सरकार की संसद ने यह पाया कि सेन्ट्रल ला कमीशन ने जो संस्तुतियां की थीं, जनहित में उनको मान्य करना आवश्यक है।

मैं ला कमीशन की रिपोर्ट मूल रूप से सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। केन्द्रीय विधि आयोग ने मुख्यत: तीन संस्तुतियां दी थीं और इन तीन आधारों के तहत ये कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके न्यायालय के समक्ष एक व्यक्ति को उपस्थित होकर अभिरक्षा में जाकर, प्रतीक्षा करके, पुन: वापस आने की बाध्यता से मुक्ति दिलायी जाय। मैं मूल रूप से विधि आयोग ने जो राय व्यक्त की थी, उसको पढ़ देता हूं--

"जुडीशियल न्यू लाज देट अनलेस ए पर्सन वाज अंडर रिस्ट्रेंट, आई० ई० इन लीगल कस्टडी, नो बेल कुड वी ग्रान्टेड बिकाज आफ़ दिस कमीशन आब्जर्ब्ड दैट प्राविजन वी मेड फ़ार एन्टीसिपेटरी बेल... पहले यह था कि जब तक एक व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में न पहुंच जाय तब तक 'बेल' का प्रश्न नहीं उठता, इसलिये ला कमीशन ने रिकमण्डेशन की।

"समटाइम्स इन्फ्लूएंशल परसन्स ट्राई टू इमप्लीकेट देकर रिवेल्स इन फाल्स केसेज फार डिसग्रेसिंग देम आर फार अदर परपज आफ गेटिंग देम डिटेन इन जेल फार सम डेज"

मान्यवर, ला कमीशन ने कहा था कि कभी-कभी ऐसा होता है और प्राय: ही ऐसा होता है कि प्रभावशाली व्यक्ति अपने विरोधियों को, जिनसे वह नाराज हो जाय, उनको ज़लील करने के लिये झूठे मुकदमों में अपने प्रभाव के बल पर फंसा देता है जिससे उनको बाध्य हो कर जेल में रहना पड़े।

दूसरी संस्तुति ला कमीशन ने यह कीथी: इन रिसेन्ट टाइम्स, दिस टेंडेंसी इज शोइंग साइन आफ़ स्टडी इंक्रीज बीकाज आफ़ दि एशेनसूएशन आफ़ पोलिटिकल राइवरी, अर्थात आजकल राजनैतिक परिवेश में जो राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता बढ़ रही है झूठे मुकदमों में बेगुनाहों को फ़ंसाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। हर स्तर पर राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता बढ़ती जा रही है और प्रतिशोध लेने के कारण झूठा फंसाने की आदत भी बढ़ती जा रही है।

तीसरी बात ला कमीशन ने कही थी कि "देअर सीम्स नो जस्टीफ़िकेशन्स टू रिक्वायर ऐन एक्यूज्ड परसन फ़र्स्ट टू सम्मीट टू कस्टडी रिमेन इन प्रीजन फ़ार सम डेज ऐंड देन अप्लाई फ़ार बल, ह्वेयर ही इज नाट लाइकली टू एब्सकान्ड आर अदरवाइज मिसयूज़ हिज लिबर्टी ह्वाइल आन बेल"

आयोग ने कहा था कि यह जस्टीफाई नहीं मालुम पड़ता कि किसी व्यक्ति को बाध्य किया जाय कि वह न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हो और कुछ दिनों तक जेल में रहे, उसके बाद जमानत पर आ जाय जबकि सम्भावना यह है कि वह जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं करेगा। वह फ़रार हो जायेगा या पलायन कर जायेगा ऐसी सम्भावना भी नहीं है तो यह न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है कि उसे जेल जाने को बाध्य किया जाये।

इन संस्तुतियों को आधार मान कर केन्द्रीय सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया था और इतना सुन्दर कानून बनाया था धारा 438 जिससे लोगों को जेल जाने से मुक्ति मिली थी। आजादी के बाद संविधान की संरचना हुई है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे उन्होंने उद्घोषणा की थी कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आर्टिकल 21 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसका हनन अनावश्यक रूप से नहीं होना चाहिये

1898 से जो दण्ड प्रक्रिया संहिता चली आ रही थी यह उस समय की प्रक्रिया थी जब हम गुलाम थे और गुलामी की ज़ंजीरों

से ज़कड़े हुये थे लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा कि हेट द सिन नाट सिनर यानी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं । यहां आंख के बदले आंख और दांतके बदले दांत वाली बदले की विधि को विद्वानों ने नकारा। सुधारवादी और न्यायवादी प्रक्रिया में किसी को सुधरने का अवसर दिया जाता है, उसे मजबूर करके जेल जाने के लिये उत्प्रेरित नहीं किया जाता। मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर कुछ ऐसे निर्णय दिये गये है, जिनका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अभी कहा है, यह न्यायिक प्रक्रिया का सिद्धान्त है कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ़ दोष सिद्ध न हो जाये,वह निर्दोष है और किसी निर्दोष व्यक्ति को ज़ेल में रखना उसकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। मान्यवर, जब हमने संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, कि एन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान किया जाये, तो सत्ता पक्ष के माननीय मदस्य बरार साहेब ने भी इसी तरह का संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। मान्यवर, मैंने बताया कि मंत्रि मंडल में भी इस तरह के विचार के लोग है। मैं दावा करता हुं कि बहुमत में सदस्य है कि एन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान किया जाये, फ़िर से उसको प्रारम्भ किया जाये। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी जगह पर अग्रिम जमानत का प्राविधान है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थी कि 1976 में इस प्राविधान को समाप्त कर दिया गया। मान्यवर, 1976 की परिस्थितियां अब इस समय लागू नहीं है और इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि एन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान पुन: किया जाये ।

मैं समझता हूं कि जहां तक किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का सवाल है, जमानत का प्राविधान इसीलिये रखा गया है, कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है, तो उसको ज़ेल न जाना पड़े। सम्बन्धित मामलों के पठन पाठन के बाद न्यायिक दन्डाधिकारी यह समझ लेता है कि निर्दोष व्यक्ति को झूठा तो नहीं फ़ंसाया जा रहा है, तो वह उसको जमानत पर छोड़ देता है और 438 के अनुसार उसके मिसयूज़ की संभावना नहीं है। एन्टीसिपेटरी बेल मन्जूर करने का अधिकार सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही होगा, जो अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर और अपनी लम्बी न्यायिक प्रक्रिया में होने के कारण यह समझ जाते है कि किसी व्यक्ति को झूठा फ़ंसाये जाने की संभावना कितनी है। इसलिये यह अधिकार सत्र न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया गया था, इसमें दुरुपयोग होने की संभावना नहीं थी और मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि जमानत स्वीकार करना एक नियम है, और जमानत अस्वीकार करना एक अपवाद है। बेल इज रूल रिजगशन एन एक्जम्पशन " नियम यह है कि जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध दोष सिद्ध न हो जाय उसे ज़ेल नहीं रखा जा सकता है। बिना न्यायिक प्रक्रिया के, उसकी जमानत अस्वीकार करना इसका मतलब यह है कि आप उसको सजा दे रहे है जो न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है ।

मैं कहना चाहता हूं कि 1973 में संसद में बैठे हुए लोगों ने उस विधि आयोग की रिपोर्ट पर जिसमें न्यायिक अनुभव वाले व्यक्ति थे उन्होंने उस पर देश की परिस्थिति को देखते हुए विचार किया, और कहा कि दन्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके एन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान किया जाये, उनके अनुभव और ज्ञान का प्रयोग हमें प्रदेश के हित के लिये करना चाहिये और इसी लिये जो भूल 1976 में हो गयी हम चाहते है कि अगर भूल हो गयी, कोई ऐसा कानून बन गया, कोई ऐसी परिस्थितियां रही होगी जो परिस्थितियां अब नहीं है, तो बदली हुई परिस्थितियों में पूरे देश में जो विधान है वही हमारे प्रदेश में भी प्रभावी किया जाय। पूरे देश के लिये एक प्रकार की अपनी दंड संहिता है। हम चाहते हैं कि पूरे देश के लिये एक विधान हो।

हम यह नहीं मान सकते है कि सारे देश में शांति है और उत्तर प्रदेश में ही अशांति है और न यह मान सकते है कि उत्तर प्रदेश में ही ला एण्ड आर्डर की सबसे ज्यादा खराबी आयी है। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार शांति और व्यवस्था की अग्रिम जमानत को कानून को अन्य प्रदेशों की भांति रहते हुए स्थापित करने में अपने को असमर्थ पाती है, जो कानून सारे देश में लागू है उस सार्वभौम कानून के रहते हुए यदि उत्तर प्रदेश का शासन यह समझता है कि शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं हो पायेगी तो यह उसके निकम्मेपन, उसकी अक्षमता, उसकी अर्कमण्यता का द्योतक है। इस लिये मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार का कानून लागू किया जाय जैसा कि पूरे देश में है और इसलिये पूरे देश की भांति उ0 प्र0 में भी एन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान किया जाय। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने 2 निर्णय दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय बाबू सिंह के प्रति राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ए0 आई0 आर0 1978 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 527 इसमें उल्लेख किया गया है, बेल आर जेल की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि दंड प्रक्रिया का सामान्य सिद्धान्त है बेल न कि जेल। आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है --

"एट दि प्रि ट्रायल आर पोस्ट कंवीक्शन स्टेज, डिटेनिंग ए पर्सन इन जेल विलोंग टू दि ब्लूबर्ड एरिया आफ दि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एन्ड लार्जली हिगस आन दि बेंच आफ दि बेंच अदरवाईज काल्ड जूडीशियल डिस्क्रीशन"

मान्यवर, मैं इसका हिन्दी रूपान्तर करता हूं किसी भी नागरिक को उसके अपराध की सुनवाई के पूर्व और निर्णय के पूर्व बेल के स्थान पर जेल में रखना एक असभ्य समाज की न्यायिक प्रक्रिया का द्योतक है और न्यायिक अधिकारी के विवेक के बहाने जिसको जुडीशियल डिसक्रीशन कहते हैं, न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि---

"पर्सनल लिबर्टी इज डिप्राइव्ड वेन बेल इज रिफ्यूज्ड। और भी इंडिविजुअल लिबर्टी इज टू प्रिमियम ए बेल्य आफ अवर कांस्टीट्यूशनल सिस्टम रिकोग्नाइज्ड अण्डर आर्टिकिल 21"

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है यदि जमानत से इन्कार किया जाता है। मान्यवर, मैं हिन्दी रूपान्तर कर रहा हूं हमारी स्वतंत्रता हमारी व्यक्तिगत स्वाधीनता, भारत के संविधान ने अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है उसके अन्तर्गत हमारा एक बहुत ही मूल्यवान और बेशकीमती अधिकार है। मान्यवर, एक और निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। राजस्थान सरकार बर्सेस बालचन्द, ए0 आई0 आर0 1977 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या 2447 में वहां के सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर साहब है उन्होंने भी इस निर्णय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि जमानत केवल उन्हीं परिस्थितियों में रिफ्यूज की जानी चाहिये जब यह सम्भावना हो कि जमानत पर छूटने के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित करेगा और न्यायपालिका के सम्मुख परीक्षण के लिये उपस्थित नहीं होगा अथवा रिकार्ड और गवाहों को टैंपरिंग करके उनका दुरुपयोग करके उनको तोड़ने की कोशिश करेगा अन्यथा जमानत व्यक्ति का अधिकार है।

इस प्रकार मान्यवर, हमारे यहां सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अब तक विधिक परम्परा रही है उसके अनुसार बार-बार यह अभिमत व्यक्त किया गया कि

स्वतंत्रता हमारा मूल्यवान अधिकार है। 1976 में हमने इस धारा 438 के प्राविधान को समाप्त कर दिया जिससे हमारे इस मूल्यवान अधिकार का हनन हो गया। मान्यवर, आज परिस्थितियां क्या है। मैं वकालत करता हूं। मुझे अनुभव है कि जब से इस धारा 438 को समाप्त किया गया, तब से न्यायालयों में भ्रष्टाचार बढ़ा ह। आज न्यायाधीश न्याय देते हैं उसके बारे में कहना चाहूंगा जैसा कि यह कहा जाता है, सारे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाये, लेकिन बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाये" मैं सम्मानित सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस धारा 438 को समाप्त करके न्यायालयों में किस प्रकार से आज भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं वकालत करता हूं और उसी के आधार पर कहना चाहता हूं कि आज यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब जमानत के लिये न्यायालय में जाता है तो न्यायाधीश कहते हैं कि नान-बेलेबुल आफेंस है, कल सुनवाई होगी आज आपको जेल जाना पड़ेगा। एक दिन जेल जाने से बचने के लिये वह प्रतिष्ठित व्यक्ति नोट निकालता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिश्वत दे देता है तो कल की नोटिस आज मिल जाती है। इसके अलावा जो (ए0 पी0 ओ0) आख्या देता है उसे भी रिश्वत देने के लिये उस प्रतिष्ठित जन को बाध्य हो जाना पड़ता है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में जुड़े हुये व्यक्ति भी नान-बेलेबुल आफेंस में इस तरह से जेब खाली कराते हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो व्यक्ति सक्षम होता है, रुपया दे सकता है उसकी दिन के दिन जमानत हो जाती है और जो गरीब आदमी है जिसके पास पैसा देने के लिये नहीं उसको एक दिन जेल में जाना ही पड़ता है जेल में न जाने के लिये जो शुल्क पड़ता है वह उसे नहीं दे सकता है, इसलिये उसे जेल जाना पड़ता है। इस धारा 438 को समाप्त करके, हमारी न्याय प्रक्रिया में भी विषमता आती है। धनिक लोग जेल नहीं जा सकते हैं और निर्धन लोगों को जेल जाना पड़ता है। इसी प्राविधान के लिये वह बेल बनी हुई है। मेरा कहना है कि उसे आप उत्तर प्रदेश में लागू करें।

मैंने जो संशोधन विधेयक रखा है उसके सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, सोचें। सन् 1973 में केन्द्र में इस प्राविधान को जोड़ा गया और यह कहा गया कि पूरे भारत वर्ष में ऐन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान होना चाहियेमैं माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा और वे भी मेरी राय के होंगे कि सन् 1973 में जो परिस्थितियां थीं, इमरजेन्सी नहीं थी, स्वतंत्र भारत में कानून की प्रक्रिया चल रही थी उस समय हमारे न्यायवेत्ताओं ने सोचा था कि हमारे स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिये इसलिये ऐन्टीसीपेटरी बेल का प्राविधान किया जाय। उस समय हमारे विधिवेताओं ने तर्क दिया था। मैं उसके अतिरिक्त भी कहना चाहता हूं। एक वकील होने के नाते मैंकह रहा हूंकि इसका दुरुपयोग और कई तरह से भी होता है। इसका प्राविधान न होने पर और क्या होता है। आज कल जितनी शिक्षा बढ़ती जाती है, पढ़े लिखे लोग होते जा रहेहैं, कानून जानने वाले ज्यादा हो गये हैं। एक छोटी सी बात है कि यदि किसी ने किसी पर एक थप्पड़ मार दिया वह झूठ ही बढ़ा कर लिख देते हैं कि मारपीट कर पैसा छीन लिया या घड़ी छीन ली या पेन छीन लिया, या कुछ रुपये छीन लिये तो इसमें जो 323 का मुकदमा बनता है उसको 392 में बना दिया जो अजमानती अपराध है, जो संगेय अपराध है तो इसमें लोगों को बाध्य होना पड़ता है कि या तो वह पैसा खर्च करे या फिर जेल जाय। इसी प्रकार दो आदमियों में झगड़ा हुआ जिसमें तीन चार आदमियों को और सम्मिलित करके, 6, 7 आदमी कर दिये झगड़ा 147, 148 में हुआ उसको बदल कर 452 कर दिया। घर के बाहर झगड़ा हुआ उसे घर के अन्दर दिखा दिया। तो फिर वही प्रक्रिया प्रारम्भ होती है कि जेल जाना पड़ेगा और अगर जेल नहीं जाना चाहते है तो पैसा खर्च करो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के

सामने गिड़गिड़ाये या फिर थाने के चक्कर लगाओ और जो विवेचना करने वाला अधिकारी है उसको संतुष्ट करो। उन धाराओं को बदलवाये और फिर वहीं पर पैसा देने की बात आती है। तो निर्दोश लोगों को झूठे आरोपों में फंसा होने पर बाध्य होना पड़ता है कि वे दंडाधिकारी या पुलिस वालों के आगे गिड़गिड़ाये। मैं समझता हूं कि हमारे सत्ता पक्ष के लोग भी इससे सहमत होंगे।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं लोग कहेंगे कि 1976 में यह कानून बनाया गया था और धारा 438 को समाप्त किया गया था। तो जरा उन परिस्थितियों को देखिये वह परिस्थितियां आज से भिन्न थी पूरे देश में लोगों के मौलिक अधिकार निलम्बित थे, हमारे फंडामेंटल राइटस सस्पेंडेड थे। 25 जून, 1975 को आपात स्थिति थोपी गयी थी। उसमें हमारे संवैधानिक अधिकारों का गला घोटा गया था, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता को खत्म करने का षडयंत्र रचा गया था जो स्वतंत्र भारत का इतिहास में काला दिवस था। उसकी आप पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। उस समय केवल मौलिक अधिकार निलंबित नहीं थे बल्कि सेंसरशिप भी लागू थी, एक घुटन की जिन्दगी हम बिता रहे थे। राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिये निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा था जिस में हमारे सत्ता पक्ष के लोग भी आज वहां बैठे हैं शामिल थे माननीय खानगुफरान जाहिदी साहब हमारे साथ इधर थे उनसे हम बात किया करते थे, उन्होंने अपने अखबार के माध्यम से उन घटनाओं का उल्लेख किया था। उस समय की मेरे ऊपर घटी घटना को बताना चाहता हूं। मुझे भी झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया था। हमारे जनपद में राजेपुर ब्लाक है मेरे ऊपर चार्ज था कि ब्रह्मदत्तद्विवेदी, राजेपुर ब्लाक में रेल की लाइन उखाड़ रहे थे। तथ्य यह है कि राजेपुर ब्लाक में रेल लाइन ही नहीं है? इसका दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को दबाने में किया जायेगा राजनीतिक विरोधियों को जलील करने के लिये बदला लेने के लिये झूठे आरोपों में फंसाने के लिये किया जा सकता है जैसा कि हमारा पिछला अनुभव रहा है.....

श्री अधिष्ठाता--

अभी आप कितना समय और लेंगे?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

5 मिनट और लूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी को जलील करने के लिये, किसी को परेशान करने के लिये, किसी को जेल भेजने के लिये झूठे आरोप लगाये जाते हैं तो कभी-कभी ऐसी-ऐसी परिस्थिति हो जाती है है कि अगर इज्जतदार आदमी को जेल भेज दिया जाय तो उसके मन में प्रतिशोध की भावना भड़कती है वह कहता है कि अच्छा तुमने हमारे पिता या बेटे को जेल भेजने के लिये झूठा मुकदमा दायर किया था, अब हम सच्चा अपराध करेंगे और जेल जायेंगे। इसलिये प्रतिशोध की भावना से वह दूसरे अपराध करते हैं। इसलिये धारा 438 को पुनः लागू करेंगे तो इस प्रकार की जो प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर नये अपराध करते हैं उस पर हम रोक लगा सकेंगे।

मान्यवर, 1976 की परिस्थितियों पर आ जायं। जब श्री प्रभु नारायण सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके धारा 438 को समाप्त कर दिया था। मैंने कार्यवाही को पढ़ा है, उसमें श्री प्रभुनारायण सिंह ने कोई तर्क नहीं दिया, केवल एक वाक्य कहा "कि जमानत पर छूट जाने के बाद लोग पुलिस द्वारा जांच नहीं होने देते है।" मैं समझता हूं कि यह आशंका निर्मूल है। इसलिये कि धारा 438 किसी व्यक्ति को बाध्य करती है कि न्याय प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में जो प्राविधान है कि इन्वेस्टीगेशन के उद्देश्य के लिये, विवेचना के लिये जो जुडीशियल कस्टडी में कोई अभियुक्त है तो पुलिस उसको रिमांड पर ले सकती है, जब

उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि यदि वह व्यक्ति हां कहता है तो लिया जा सकता है पुलिस अभिरक्षा में और यदि वह कहता है कि हमें कोई जानकारी नहीं है तो उसे पुलिस अभिरक्षा में नहीं लिया जा सकता है। इसका अर्थ है कि कोई भी पुलिस अधिकारी उससे छान-बीन पूरी नहीं कर सकता है।

मान्यवर, धारा 438 में लिखा है कि सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शर्त लागू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि विवेचना अधिकारी विवेचना के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने के संबंध में आपको जब बुलायेंगे तो अभियुक्त को जाना पड़ेगा और यदि नहीं जाता है तो उसकी जमानत समाप्त हो जायेगी। इसलिये 438 लागू होगी तो विवेचना अधिकारी के सामने अभी जो प्रश्न चिन्ह लगा है कि बड़े से बड़ा अपराधी सरेन्डर कर जाता है तो उसे पुनः पुलिस अभिरक्षा में नहीं ले सकते हैं, किन्तु इस संशोधन विधेयक से साक्ष्य की आगे कड़ियों को वह जोड़ सकते हैं। इसलिये 1976 की बात जो करते हैं वह देखें कि उस समय हमारे अधिकार निलम्बित थे तो उसको समाप्त किया था। तो मैं समझता हूं कि उस समय ऐसा वातावरण था, सहमा वातावरण था, हवा रुकी थी और हमनेजेल से कुछ पंक्तियां लिखी थीं जिनको सुनाना चाहता हूं--

डब डबाई आंख लखकर लेखनी की,
गीत दिल दर्द खुद जगने लगा था,
इस तरह पहरा लगा था हर अधर पर
मौन भी संवाद सा लगने लगा था।

तो उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि हम कुछ कह नहीं सकते थे, उन परिस्थितियों में एक धारा 438 के मूल प्राविधानों को समाप्त किया गया था। आज स्थिति बदल गई है, न केवल मेरे बल्कि सभी सदस्यों और उत्तर प्रदेश की जनता के अधर खुले हुये है और वह अपने दिल की बात कह सकते हैं। जिस समय हमारे अधर बन्द थे, मूक अधरों से कानून पास किया गया, उसको बदल कर आप इस संशोधन को स्वीकार करें, 438 के प्राविधानों को पुनः स्वीकार करें और पक्ष-विपक्ष के भेद को छोड़कर आप एक मत से हमारे इस संशोधन को पारित करने की कृपा करें। हमारे सभी माननीय सदस्य जो इस पक्ष में बैठे हैं और जो विपक्ष में बैठे है, वह इस भावना से सोचे कि किसी बेगुनाह, किसी मजबूर, किसी निर्धन, किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपराधी नहीं है झूठा केस बनाकर पार्टी बन्दी के कारण, घृणा-द्वेष के कारण, किसी को जलील करने की भावना के कारण 1 दिन, 2 दिन अथवा 10 दिन जेल में रखने की घृणित साजिश को पैदा करने के लिये 438 की धारा को समाप्त करके संशोधन किया गया था। मैं समझता हूं कि एन्टीसिपेटरी बेल के प्राविधानों को पुनः लागू किया जाये और जो मैंने संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसको आप अपना सहयोग देकर, उसको तहेदिल से पास करने का कष्ट करें।

श्री जयदीप सिंह बरार---

श्रीमन्, दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985, जो हमारे माननीय साथी द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है, उन्होंने इस विधेयक की आवश्यकता और इसके पहले किस प्रकार से दण्ड प्रक्रिया संहिता में एन्टीसिपेटरी बेल थी, सेक्शन 438 कैसे उसमें रखा गया आदि पर बड़े विस्तार से अपने विचार रखे हैं और उन्होंने उसमें भिन्न-भिन्न जगहों से कोट भी किया है। मैं उनकी विचार धारा से सहमत हूं, यह एक प्रगतिशील विधेयक है और एक कमी जो हमारे प्रदेश में दण्ड प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में सन् 1976 से पैदा हो गई है, उसको दूर करने का एक प्रयास है। मैं इस पर बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, क्योंकि माननीय द्विवेदी जी इस पर काफी विस्तार से प्रकाश डाल चुके हैं और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। इसलिये मान्यवर, मैं केवल दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 जो विधि आयोग की सिफारिश से बना है। तो उन पर विचार करने के

बाद कि कहां-कहां जरूरत है क्रिमिनल ला में परिवर्तन करने की, जिससे सही मायनों में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि संविधान में मूल अधिकार और अन्य अधिकारों के होते हुए भी, उनको सही न्याय मिलने और सुविधायें मिलने के रास्ते में कुछ कानूनी अड़चनें आड़े आ रही थीं. इसलिये दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने---हमारी संसद ने एक कानून बनाया, जो बाद में सारे प्रदेशों में लागू हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसे लागू किया, लेकिन खेद की बात यह है कि बाद में एक समय पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि शायद 438 को हटाने के लिये संशोधन करना आवश्यक हो गया। लेकिन उस समय इसका संशोधन करने से क्या लाभ शासन को हुआ, शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में उससे कहां तक कितनी सहायता मिली, या जिनकी सरकार थी उनको लाभ हुआ या नहीं, अथवा मुख्य मंत्री को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये लाभ हुआ या नहीं--इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है।

इस संशोधन को करने के पश्चात शासन ने पुलिस प्रशासन को एक अधिकार दे दिया और उन्होंने ज्यादतियां की। जो सम्मानित लोग है, विधायकगण है, सामाजिक कार्यकर्त्ता, राजनैतिक कार्यकर्त्ता होते है, जिनकी जबाने खुली हुई है, जो शासन तक अपनी बातें पहुंचाते है, वे लोग भी गिरफ्तारी के भय से भयभीत हो गये। मीसा और डी0 आई0आर0 के अलावा मैं एक सामान्य भय की बात पर कर रहा हूं। सारे लोग और विधायक लोग भी भयभीत थे, जहां तक कि सत्ता पक्ष के लोग भी भयभीत थे। परन्तु जिन सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी बात बताई शासन को वह जनादेश के बल पर अगले चुनाव में 1977 में लौट कर आये और उसके बाद जब यह धारा समाप्त हो चुकी थी उसका प्रभाव यह देखा गया आप देखें कि किन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनको जमानत नहीं मिली। हमारे मुख्य मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को गिरफ्तार किया गया था, हरियाणा के तत्कालीन मुख्य मंत्री को गिरफ्तार कर, हथकड़ी पहना कर भिवानी में घुमाया गया था और संजय गांधी को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह से तमाम राजनैतिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ़ कोई भी अभियोग अदालत में सिद्ध नहीं हो सका, लेकिन केवल आतंकित करने के लिये यह किया गया था, ऐसा कार्य किया गया था।

मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिये हम पुलिस के अधिकारियों को ऐसे अधिकार दे करके, जिनके भय और आतंक से कानून और व्यवस्था बनाकर रखी जाय, तो सही नहीं है। कानून और व्यवस्था को विधि विवेचना तथा समय पर सही कार्यवाही करके कायम रखना ज्यादा आवश्यक है। यह जो ऐंटिसिपैटरी बेल के संबंध में धारा 438 है, क्या इसको समाप्त करके हम कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर रख पाये हैं? क्योंकि धारा 438 को समाप्त करने का लाभ जगह-जगह पर माफ़िया गैंग भी उठा रहे हैं, क्योंकि वह पुलिस के कलूजन अर्थात उनसे मिल कर सम्भ्रान्त व्यक्तियों, राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को भी उनके खिलाफ़ अजमानतीय अपराधों की रिपोर्ट लिखा कर उन्हें आतंकित करती है। ऐसी सूचनायें शासन के पास भी आती रहती हैं। जब कोई व्यक्ति इनके खिलाफ़ आवाज उठाता है, तो वह गैंग किसी बदमाश, हिस्ट्रीशीटर से अथवा ऐसे लोगों की गवाही से, ऐसे लोगों के खिलाफ़ पुलिस को मिला कर रिपोर्ट लिखा देते हैं, जिससे उनको गिरफ्तार करके बेइज्जत तथा भयभीय किया जाता है। तो ऐसे भले आदमियों की गिरफ्तारी हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो यह विसंगति है। इसलिये उस स्तर के पुलिस अधिकारियों को आतंक बनाये रखने में सुविधा है, काननून-व्यवस्था के लिये आवश्यक नहीं है।

पहली बात यह कि जब पूरे भारतवर्ष में यह प्राविधान मौजूद है, अगर वहां

पर कानून-व्यवस्था अच्छी रखी जा सकती है, कुछ प्रदेशों में इससे खराब भी है और कुछ प्रदेशों में इससे अच्छी भी है। तो हम इस आड़ में, इस धारा को दण्ड की प्रक्रिया संहिता को क्यों हटायें। जो अधिकार सारे भारत वर्ष के नागरिकों को मिला हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को क्यों वंचित रखा जाय? यह उचित नहीं मालूम पड़ता है। धारा 438 जो है, उसको अगर आप देखें, एक बात जो द्विवेदी जी ने कहा कि जूडिशियल कस्टडी में जाने के बाद यदि कोई भी व्यक्ति, जिस पर आरोप लगाया गया है, अगर वह व्यक्ति विवेचना में सहायता नहीं करता, तो पुलिस विवेचना में आगे नहीं बढ़ सकती। मान्यवर, 438 (2) देखें, इसमें लिखा है—जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है, तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है——

(1) यह शर्त कि वह पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा,

(2) यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मामले के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा,

(3) यह शर्त कि यह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

(4) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती है मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गयी हो।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, अगर जज चाहे तो और भी शर्तें लगा सकता है, जिससे वह व्यक्ति ऐसे बधनों में बंध जाता है कि वह स्वयं ही प्रयास करता है कि विवेचना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाय। तो धारा 438 कानून और व्यवस्था के आड़े नहीं आती बल्कि कानून और व्यवस्था को बल देने के लिये है। इसमें बजाय सख्ती के बजाय डंडे के, बजाय ताकत का इस्तेमाल करने के इसका प्रयास किया जायगा कि जो भी घटना हुयी है, जो आरोपित है उस संबंध में छानबीन के लिये और अधिक उत्प्रेरित यह धारा करती है। यह कानून व्यवस्था को कमजोर नहीं करती है। मान्यवर, इसी धारा 438 के अन्त में देखें तो उसमें है कि "यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मैजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिये" तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वारंट जारी करके तो मैजिस्ट्रेट को सैटिस्फाइड करना होगा कि अजमानतीय अपराध किया है। अब कहीं पर यह तर्क आता है कि बड़े असरदार लोग यह कर लेंगे, वह कर लेंगे तो प्रश्न असर का नहीं है, प्रश्न घटनाक्रम का है। अगर पुलिस अधिकारी मैजिस्ट्रेट को सैटिस्फाइड कर देगा तो ठीक है। बड़े लोग, आज भूतपूर्व मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री और अन्य बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जहां पर एंटीसिपेटरी बेल का प्राविजन था। अब बेल की जो कंडीशन है उसमें कहा गया है कि "धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती है मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गयी हो। "तो 437 की जो शर्तें है वह इम्पोज़ की जायंगी। यह सबशक्तियों न्यायालय को इसलिये दी गयी है कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के लोगों को देख कर, निर्णय लिया जा सके। तो मैं यह समझता हूं कि 438 अगर दंड प्रक्रिया संहिता में पुन: आ जाय तो कानून व्यवस्था को बल मिलेगा और जो संविधान में अधिकार दिया गया है और जिससे उत्तर प्रदेश की जनता वंचित है, और वह शेष भारत में है, उससे वह वंचित नहीं होगी।

*श्री सत्यपाल सिह--

मान्यवर, जो द्विवेदी जी संशोधन विधेयक लाये है एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में, अगर उसको गौर से देखा जाय तो यह कानून ब्रिटिश पीरियड के बने हुये है और बहुत से कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। यह जो एंटीसिपेटरी बेल का प्राविधान समाप्त किया गया और उसके पहले जब यह प्राविधान था तो अगर उस समय का आप इतिहास देखें तो कभी कोई नामी बदमाश, गुन्डे ने एंटीसिपेटरी बेल का लाभ नहीं उठाया। जैसे वरार साहब अभी कह रहे थे, समाज के वह प्रतिष्ठित लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनैतिक लोग जिनको राजनीतिक द्वेष भावना वश गलत तरीके से बंद करने और अपमानित करने का प्रयास किया जाता है उसको असफल करने के लिये इस एंटीसिपेटरी बेल का प्राविधान था। एंटीसिपेटरी बेल का प्राविधान केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं था बल्कि सारे हिन्दुस्तान में था। लेकिन आज यह प्राविधान उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमारे समाज का वह वर्ग जिसको पुलिस अथवा सत्ता में बैठे हुये लोग अपमानित करने के लिये, नीचा दिखाने के लिये, समाज में कलंकित करने से बचाने के लिये एंटीसिपेटरी बेल का प्राविधान था। वह बीमार लोग जिनको जेल में जाने से खतरा पैदा हो सकता उनके लिये एंटीसिपेटरी बेल का प्राविधान था, जिसके जरिये उनको राहत मिलती थी और उनके अधिकारों की रक्षा होती था।

आज दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आप देखे तो जितने कत्ल होते हैं, डकैती होती है किसी भी कत्ल के अन्दर कोई भी गवाह कभी कत्ल को होते नहीं देखता है क्योंकि कत्ल करने वाला एकांत में मौका देख कर कत्ल करता है लेकिन कत्ल होने के बाद ही नामजद रिपोर्ट फ़ौरन हो जाती है और उसके बाद 2-3 गवाहों की गवाही होती है और उनकी शहादत पर आदमी को मृत्यु दंड और उम्र कैद की सजा मिल जाती है। अथवा कोई विवेचना करके इस बात को जान लेता है कि फलां व्यक्ति बेगुनाह है और विवेचना अधिकारी उसको निर्दोष समझकर निकाल दिया तो उसको अदालत तलब कर लेती है। रिमाण्ड पर स्वीकार करने की प्रक्रिया है, लेकिन अदालत इसको स्वीकार नहीं करती है। रिमाण्ड पर देने के बाद उस मुल्जिम के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। मान्यवर, अगर कोई आदमी किसी को फंसाने का प्रयास करता है तो उसे बचाने के लिये एन्टीसिपेटरी बेल का कानून सही कानून है। इस कानून को खत्म करके जनता के जो मूल अधिकार हैं, उन अधिकारों का बहुत बड़ा हनन हुआ है इसलिये यह जो संशोधन विधेयक है उसे आप विचार करें कि इस विधेयक को स्वीकार होना चाहिये।

*श्री लाल प्रताप सिह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय द्विवेदी जी मौजूद नहीं है मैं उन्हें बहुत गौर से सुन रहा था। जो विधेयक पेश किया है, उनके जो तर्क थे उनको मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा महसूस करते है कि सारी दुनिया फरिश्ता है। अगर दुनिया फरिश्ता होती तो न पुलिस की जरूरत होती न फौज की जरूरत होती। यह तो इन्सानी रिकदार के रिफलेक्शन हैं। हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं सकते हैं। जिसकी कल्पना महापुरुषों ने की है। जो बेल एज ए रूल है वह सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इन्नोसेंट है, दस व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति इन्नोसेंट है, और उसकी बजह से कोई बात पैदा होती है तो जो अनभिज्ञ नहीं है उनको भी छोड़ दिया जायगा। मानवीय दृष्टि से कानून आपका क्या है। इसमें एक चीज आप और देखेंगे। सत्यपाल जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। ला वास्तव में आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। वैक्यूम से नहीं। ला का प्रोसीजर अलग है। वह दोनों एक दूसरे से वास्ता है। ला समय की जरूरत है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया। *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ला तब्दीली करता है, परिवर्तन करता है। अगर मुल्जिम ने एक मर्डर किया और अगर किसी रिश्तेदार का मर्डर हो जाये, तो हमारा दिल कहता है कि ब्लड का बदला ब्लड, खून का बदला खून। टूथ फार टूथ यही तो कहते है। मेरे किसी रिश्तेदार को गोली मारी जाती है तो मेरी तबियत यही कहती है कि जिसने मेरे रिश्तेदार को गोली मारी है उसको मेरे सामने खड़ा करके गोली मारी जाय, तो हमारी आत्मा शान्त होगी। अभी चीफ जस्टिस की मीटिंग हुई उसमें लोक अदालत और मोबाइल कोर्ट की बात कही गई। इवीडेन्स ऐक्ट और सी0 आर0 पी0सी0 पर फिर से गौर करने की बात होनी चाहिये। इसमें परिवर्तन होना चाहिये। कान्टीनेन्टल ला में यही व्यवस्था है कि एक्यूज्ड को यह साबित करना पड़ता है कि वह दोषी नहीं है। एन्टी करप्शन में भी यही व्यवस्था है कि एक्यूज्ड अपने को निर्दोष साबित करे। जब समाज जरूरत महसूस करता है कि ऐसा करना जरूरी है तो किया जाता है।

लिबर्टी का मतलब लाइसेन्स नहीं है। आपकी लिबर्टी दूसरे की लिबर्टी के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिये संविधान में जो 42वां संशोधन किया गया उसमें हमारी ड्यूटी की ओर ध्यान दिलाया गया है। जो माननीय सदस्य ने दुरुपयोग होने की सम्भावना कही और यह आपकी तरफ से कहा गया कि राजनीतिक कार्यकर्त्ता और वर्कर की बात यह दुर्भाग्य पूर्ण है। लेकिन आप देखे राजनीति में आकर गैरमुनासिब लोग संरक्षण प्राप्त कर रहे है। संरक्षण प्राप्त करने के लिये राजनीति में आ रहे है आप पूरा माहौल देखे। राजनीति का मुखौटा लगाकर लोग राजनीति में आये और वास्तव में वह कुछ और हों, और कहें कि राजनीतिक कार्यकर्त्ता है इसलिये एन्टीसिपेटरी बेल हो जानी चाहिये, विशेषाधिकार होना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हुं कि सारी एशिया में कुछ देशों को छोड़ कर ऐसी हालत हो गई है जिसमें कानून में कुछ सख्ती होने की आवश्यकता है। नहीं तो शान्ति व्यवस्था बिगड़ जायेगी। क्योंकि हमारी पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। मै आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां ऐसी पार्टी हैं जो कि तोड़-फोड़ में विश्वास रखती है।

इन विघटनकारी शक्तियों को हम आप सब जानते हैं। आप ऐसे कानून बनाकर लाईसेन्स को प्रोत्साहन देंगे, लिबर्टी को सुरक्षित नहीं करेंगे। आपने कहा भारत के और हिस्सों में है। ऐसा नहीं है। एक परिस्थिति ऐसी आयी कि बनाया गया, जैसा कि चीफ जस्टिस की मीटिंग में कहा गया कि उन सब चीजों पर पुनर्विचार होगा। इस परिपेक्ष्य में मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमारे जो नये चीफ जस्टिस पी0 एन0 भगवती जी आये हैं, यह बहुत ही गतिशील व्यक्ति है। अतः इस पर पूरे परिपेक्ष्य में विचार करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं मालूम है लेकिन मैं अनुमान कर रहा हूं कि द्विवेदी जो क्रिमिनल का प्रैक्टिस करते हैं।

तो आपने वकालत की है, तथ्य नहीं रखे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय द्विवेदी जी ने कहा कि कोर्ट में किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता है, क्या प्रक्रिया है। मैं फिर भी कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि जमानतें लिबरली दी जाती है और ऐसा वातावरण हो रहा है कि यह जो जमानतें दी जा रही है, इस पर रेस्टिक्शन, प्रतिबन्ध लगाया जाय। यह बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि सारी लीगल प्रक्रिया पर दोबारा विचार हो रहा है। इसलिये एन्टीसिपेट्री बेल जरूरी नहीं है। इसे होना चाहिये। इसका दुरुपयोग होगा और लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। इसलिये मैं माननीय द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय द्विवेदी जी ने जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है उसका मैं कुछ समर्थन और कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, यह इसमें जो संशोधन रखा गया है, उसका जो उद्देश्य है मान्यवर, वह बहुत ऊंचा है । इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कही गयी है, मान्यवर, मुझे आश्चर्य है, माननीय लाल प्रताप सिंह जी काफी वरिष्ठ हैं और विधि विज्ञ हैं, लेकिन मान्यवर, यह पहले ही आतंक से आतंकित हो जाते हैं कि यदि यह काम कर लिया जायगा तो इसमें अपराधियों को छूट मिल जायगी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग पैसे और दबाव से इसका लाभ उठा लेंगे और अपराधों में वृद्धि होगी । कुछ मामलों में यह सम्भव हो सकता है कि उसका लाभ अपराधी प्रवृत्ति के लोग उठा लें, लेकिन मान्यवर, क्या यदि किसी एक बात से एक-दो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के लाभ की संभावना हो, तो उससे सैकड़ों, हजारों अच्छे, गरीब लोगों को लाभ मिल रहा हो, तो क्या उनको उससे वंचित करना उचित है ? मान्यवर, आपने देखा होगा कि कितनेही ऐसे लोग हैं, जिनके साथ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि शासन स्तर पर राजनीतिक द्वेषवश उनकी प्रताड़ना होती है । तो उन लोगों को सेशन न्यायालय में अन्तर्गत छूट मिल जायगी ।

आप जानते हैं कि हमारा समाज, हम चाहे जितने न्याय के रास्ते पर चलें, लेकिन एक रात भी जेल में रहे तो उसके प्रति लोगों की उंगली उठ जाती है कि वह पुलिस की हवालात में बन्द रहा और उसे लोग आशंका की दृष्टि से देखते हैं । यह सही है कि इसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके । सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में केवल पैसे वाला जा सकता है, गरीब नहीं । इसलिये जो यह एन्टीसिपेट्री बेल की व्यवस्था की गयी है, हम लोगों ने कई जिलों में देखा है कि सेशन न्यायालय में बहुत कम लोगों को एन्टीसिपेट्री बेल स्वीकार होती है । अधिकांश को हाईकोर्ट में जाना पड़ता है । वहां पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है । इससे आशंका होती है कि गरीब को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है । धन और पैसा नहीं होगा तो वह वकील नहीं रख सकता और दौड़कर जमानत नहीं करवा सकता। इसलिये यह संशोधन होना चाहिये और ऐसा होना चाहिये कि इसका सरलीकरण कर दिया जाय । और चाहे सी0जे0 एम0 हो या चाहे मुंसिफ़ मैजिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत वह थाना आता हो और जो आपराधिक परिव्यू में हो, उस व्यक्ति को एन्टीसिपेट्री बेल का अधिकार दिया जाना चाहिये । नहीं तो कहीं भी सीधे-साधे लोगों को लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा । अन्यथा कुछ लोगों को छोड़कर, प्रतिष्ठित लोगों को छोड़कर, सबसे ज्यादा आर्थिक अपराधी हैं, इसका सबसे ज्यादा लाभ उठा ले जायेंगे । अगर ईमानदारी से सही ढंग से सामाजिक प्रतिष्ठा दिलानी है, प्रतिष्ठा तो अमीर गरीब की बराबर हुआ करती है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस की भोगवादी संस्कृति ने सम्पत्ति के आधार पर प्रतिष्ठा का बटवारा कर दिया है जिसके पास धन है सम्पत्ति है उसे सामाजिक प्रतिष्ठा स्वयं ही मिल जाती है, । लेकिन, अगर कोई गरीब है, ईमानदार है, न्यायप्रिय है, उसके पास धन नहीं है सम्पत्ति नहीं है तो उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती । इसलिए जो मूल उद्देश्य इसमें निहित है, उसमें फ़र्क हो जायेगा । एंटीसिपेट्री बेल का जो प्राविजन किया है, होना चाहिये ताकि आर्थिक अपराधियों को किसी तरह से लाभ न मिल सके । इसके लिये भी इसमें कुछ खण्ड बढ़ाने चाहिये और इसमें मुंसिफ़, मजिस्ट्रेट, सी0 जे0 एम0, सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट सबका प्राविजन होना चाहिये, जिससे साधारण आदमी भी इसका लाभ ले सके ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जो संशोधन बिल रखा है, उस पर मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही नाजुक बिल रखा है । यह ऐसा है जैसे उस्तरे की धार होती है । किसी आदमी का इन्टीग्रेशन किया जाये और किसी आदमी को सजा दी जाय--इन दोनों बातों में फ़र्क

है। इस संशोधन के माध्यम से किसी अपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को हम इन्ट्रोगेट करने से, जो हमारे प्रशासन के अधिकार हैं, उनको वंचित करने जा रहे हैं। आज भी ऐसी प्रथा है कि अपराधी डायरेक्ट सरेंडर हो सकता है कोर्ट के अन्दर वहां मौका मिलता है प्रशासन को और उस आदमी को कि अपने-अपने पक्ष माननीय न्यायाधीश के सामने रखे। न्यायाधीश समझते हैं कि जमानत होना उचित है, तो जमानत कर देते हैं। लेकिन इस संशोधन के बाद, जिस नीयत से यह संशोधन निरस्त किया गया था, 438 को काफी विचार-विमर्श के बाद, न्याय विभाग से परामर्श के बाद, भारत सरकार की सहमति के बाद निरस्त किया गया था, अगर इसे दोबारा रखने वाली बात होगी तो उसका लाभ अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मिलेगा। उसके बाद क्या आप समझते हैं कि अपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति थाने में खुद पेश हो जाये और कहे कि मैंने यह अपराध कर दिया है? मान्यवर, कोई न कोई अधिकार प्रशासन और पुलिस के पास होना चाहिये ताकि सही अपराध की छानबीन की जा सके। मान्यवर, देखने में यह आया कि इससे पहले जब यह धारा 438 संहिता में थी, 1973 से लेकर आज तक बहुत परिवर्तन हो गया है समाज के अन्दर, आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी, वित्तीय अपराधी बहुत ज्यादा सबल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में इसे निरस्त करने के बाद फिर इसका प्राविधान कर दिया तो यह दुर्भाग्य होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो कुछ छाप बनी है, इसकी वजह से एंटी-मिप्रेट्री बेल की वजह से अपराधी प्रवृत्ति के लोग लाभ उठायेंगे। देखने में यह आया था जब यह धारा थी 1973 में, अपराधिक प्रवृत्ति के लोग बहुत फायदा उठाते हैं। उस पर विचार विमर्श हुआ, शासन ने पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी एक स्थिति रखी कि किसी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, उस पर तमाम लोगों से राय ली गयी, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी से राय ली और यह उचित समझा कि इसको निरस्त किया जाय आई0पी0सी0 में। सन् 1976 में दंड प्रक्रिया संहिता में, भारत सरकार की सहमति से, न्याय विभाग के परामर्श से और विद्वान लोगों की सहमति से इस संशोधन को किया गया और इसके परिणाम भी अच्छे हुए हैं।

अगर हम कोई ऐसा संशोधन करें, जिससे प्रशासन में समस्या खड़ी हो जाय और या फिर कोई राजनैतिक लाभ उठाने के लिये कोई ऐसा संशोधन करें, जिससे प्रशासन के सामने में समस्या खड़ी हो जाय तो समाज के साथ यह एक बड़ा उपहास होगा। हम यहां बैठ कर जनहित के निर्णय लेते हैं। यदि हम कोई ऐसा संशोधन करें, जिससे अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लाभ मिले और जो न्याय प्रिय, शांत प्रिय लोग हैं, उनको परेशानी हो, बिलकुल असंगत होगा। माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कहा कि इसे आप एक बार लागू करके तो देख लें। मैं कहना चाहता हूं कि दूध का जला छांछ को फूंक-फूंक कर पीता है। एक बार निरस्त करके हम इसके प्रभाव को देख चुके हैं। हो सकता है कि आज भी ऐसे ही लोगों की तरफ से ये सिफारिशें आ रही हैं। इन्ट्रोगेट करना कोई अपराध नहीं है। हमारा प्रशासन कोई ज्योतिषी तो है नहीं कि वह यों ही पता लगा ले कि मुलिजम ये हैं। जिस पर उसे शंका होगी, उसको वह इन्ट्रोगेट करेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि श्री द्विवेदी जी अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, श्री द्विवेदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव यहां पर रखा है। हमारे यहां दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र में न्याय की व्यवस्था का संचालन तथा अपराधों का निस्तारण लोकतांत्रिक तरीके से ही होना चाहिये। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की राय यह है कि धारा 38 को पुनः लागू नहीं किया जाना चाहिये। मान्यवर, यह उस प्रवृत्ति का द्योतक है जिससे हमारे संविधान के द्वारा सुरक्षित मौलिक अधिकारों और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन्दगी के अधिकारों को एक चुनौती दी जा सकती है। मान्यवर, वकालत का पेशा होने के नाते, अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि न्याय प्रक्रिया और कानून-व्यवस्था में बहुत गहराई से छान-बीन करने की आवश्यकता है। हमारे यहां कानून में कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं है कि इस बात की छान-बीन की जा सके कि जिस व्यक्ति को अपराधी बना दिया गया है किसी अपराध में पुलिस के जरिये या किसी दुश्मनी में फंसा दिया गया है, वह व्यक्ति अपराधी है कि नहीं, उसके बीच में कोई खोज-बीन नहीं होती है और उसे अदालत के अन्तिम निर्णय तक जाना पड़ता है। कानून और न्याय की यह मान्यता है कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक वह व्यक्ति निर्दोष है लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को जमानत न मिले तो वह जेल के अन्दर वर्षों तक यातनायें सहता रहता है। यह देश का दुर्भाग्य रहा है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में देख लिया जाय, यहां की जेलों में तमाम लोग जो गरीब हैं, जिनका कोई पुरसाहाल नहीं है, जेलों में बन्द पड़े हैं, मामूली अपराध में भी और उनका निस्तारण नहीं होता है।

संविधान के अन्दर धारा 21 इस बात की गारन्टी देता है कि किसी भी व्यक्ति की जिन्दगी बिना अदालती आदेश के नहीं ली जा सकती। लेकिन इस प्रदेश के अन्दर जिस तरह से फर्जी इनकाउण्टर के नाम पर लोगों का डिस्पोजल किया जा रहा है, वह जेल में रखने से कई गुना ज्यादा निन्दनीय है। इसलिये कचेहरियों के वातावरण में मूल रूप से परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी द्विवेदी जी ने भ्रष्टाचार की बात कही, हम शुतुरमुर्ग की पालिसी अपना लें कि अपनी आंखें बन्द कर लें कुछ देखना ही न चाहें, कोई भी व्यक्ति कचेहरी जाने वाला जानता है कि इन्साफ दूकान की तरह बिक रहा है। दुनिया के बहुत बडे जुरिस्पुडेन्स ने लिखा है कि अपराध एक यूजफूल इण्डस्ट्री है। लाभ-दायक उद्योग है और मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं कि अपराध एक लाभदायक इण्डस्ट्री बन गई है। यहां से लेकर कचेहरी तक अपराध के माध्यम से लोग धन कमा रहे हैं और अगर ऐसी परि-स्थिति में गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो हम कहां पहुंच जायेंगे इसको कोई नहीं जान सकता है।

लोकतांत्रिक देश में इस व्यवस्था को कायम रखने के लिये, सही इन्साफ पाने के लिये, ऐसा कानून बनाया जाय ताकि सभी को न्याय मिल सके। न्यायालयों के बारे में कहा गया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये वह हमारे गार्जियन हैं। लेकिन अगर न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले हाथ कागज के टुकडों में कांपने लगें तो यह देश कहां जायगा। इसलिये मैं खास तौर से सत्ता पक्ष के दोस्तों से कहना चाहता हूं, और इस बात की खुशी है कि राजीव गांधी जी का नाम सत्ता पक्ष के लोग रोज लेते हैं और रोज उनका जिन्दाबाद करते हैं, प्रधान मंत्री बनने के बाद सबसे पहले प्रसारण में यह कहा था कि गंगा के प्रदूषण को समाप्त करें, उसके लिये कार्यवाही भी कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि गंगा का प्रदूषण समाप्त हो, चाहे न हो, गंगा का प्रदूषण रहते हुए भी देश जिन्दा रह सकता है लेकिन अगर न्याय की गंगा प्रदूषण को नहीं रोका गया तो पूरी व्यवस्था मिट जायगी। यह प्रश्न पूरे प्रदेश का, जनता का, संविधान का है। इसलिये किसी को जेल में रखने के लिए, अभी द्विवेदी जी ने कहा कि जमानत, एक रूल है, केवल बहुत सख्त कानून बनाकर, लोगों को जेलों में रख कर अपराध नियंत्रण हो सकता है, इसकी कोई गारन्टी नहीं हो सकती। लोगों को गोली भी मारकर देख लिया गया लेकिन अपराध आज तक समाप्त नहीं हुए। अपराध की समाप्ति के विषय में अपनी मान्यतायें हैं कि जबतक समाज में बेरोजगारी, गरीबी, उत्पीड़न, शोषण रहेगा तब तक इन्सान अपराध करने के लिये मजबूर होगा। अपराध के लिये विशेष परि-स्थितियां हैं, समाज में एक आदमी भूखा है। बाजार में सडक पर एक भूखा आदमी भूख से तडप रहा है, लेकिन चन्द फिट ऊपर खाने के लिये अम्बार लगे हुए हैं, सड़क पर पड़े हुए

आदमी को रोटी की कोई गारन्टी नहीं है। जब उसका हाथ रोटी की तरफ बढ़ता है तो वह मुल्जिम हो जाता है। केवल जेल में रखने का प्राविधान बनाकर आप चाहते हैं अपराध को समाप्त कर दें, यह सम्भव नहीं है। इस विषमता को दूर करने की कोशिश करिये। अब समय आ गया है कि काम के अधिकार को जब तक मौलिक अधिकारों में नहीं जोड़ा जायगा तब तक अपराध बढ़ेंगे। इसलिये मांग करता हूं कि जो द्विवेदी जी ने संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, इसे सत्ता पक्ष के लोगों को भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिये और इस प्राविधान के माध्यम से हमारे देश के इन्सान और जनता के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिये।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र--

माननीय द्विवेदी जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं इन शब्दों के साथ कि उसमें गरीबी और अमीरी का सवाल नहीं है। यह तो अपराधी का सवाल है। यह 1898 में जो सी0आर0 पी0सी0 बनी थी उस समय भी यह व्यवस्था दी गयी जो 1973 तक आयी। एक गरीब अगर 302 का केस करता है, वह गरीब होगा तब भी कानून में उसके साथ कोई रियायत नहीं है, वह अपराधी है। एक अमीर आदमी अगर 323 का अपराध करता है तो उसकी जमानत हो जायगी, क्योंकि वह जमानती दफा है। कानून बनाने वाले लोगों ने इस पर विचार किया और इसको नापने का पैमाना अपराध को रखा। अपराधी के साथ नर्मी बरती जाय कोई सदस्य इसको नहीं स्वीकारेगा। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले साथियों से निवेदन है कि लोकतंत्र की रक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक कानून के अन्दर समाज निश्चित रूप से न रह सके। अपराधी कानून तोड़ता है। वर्ष 1898 में जब यह व्यवस्था बनी तो अपराध के लिये जैसा हमारे साथियों ने कहा छोटे-छोटे अपराधों के लिये इसीलिये दफा तब भी बनी थी और मौजूदा सी0आर0पी0सी0 में भी जमानती दफा है आपके घर पर आपकी जमानत हो जायगी, अदालत में जमानत हो जायगी। उस न्यायाधीश की जिम्मेदारी है कि वह कहेगा कि जमानत देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर वह 302 का बड़ा अपराधी है, 395 का है 397 का है, उस पर गम्भीर आरोप हैं तो उसके साथ चाहे धनी हो या गरीब हों, कोई रियायत नहीं होनी चाहिये। सम्भवतः आज के युग में जहां आतंकवाद इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, हम लोग बैठकर विचार करते कि लोकतंत्र खतरे में पड़ने जा रहा है, इस समय अपराधी के साथ किसी प्रकार की रियायत की चर्चा करना सामयिक नहीं होगा। जब नई सी0आर0पी0सी0 बनी, दो साल भी नहीं चल पायी। इसका नियम 438 है, छोटे अपराधी केलिये 438 की कोई जरूरत नहीं है। उसमें जो लोग फंसे हैं, उनको पूर्व जमानत के लिये, 438 में जो व्यवस्था है उसके अनुसार अदालत में जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहां नियम बनाने वालों ने नियम बनायें हैं। नियम 436 है जिसमें आप घर पर बैठे रहेंगे और सिपाही या दरोगा जाकर आपकी जमानत ले लेंगे। ऐसी जमानत के लिये भी व्यवस्था की गयी है जो कि न्यायालय ही ले सकता है। दफा 438 का प्रयोग बड़े-बड़े स्मगलर ही करते हैं और कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि सम्पन्न व्यक्ति ही नियम 438 का प्रयोग करता है।

होता यह है कि आमतौर पर गवाहन मिल नहीं रहे हैं, अपराधी नये-नये तरीकों से अपराध करता है, हथियार छिपा देता है। यदि एन्टीसिपेशन बिल को आप मंजूरी दे देंगे तो पुलिस को अधिकार मिलेगा कि जिसके तहत वह सामान की रिकवरी करता है हमारे पास दूसरे गवाहान भले ही न हों, न मिले, लेकिन उस रिकवरी के आधार पर उसको सजा हो जायगी निश्चित रूप से। लेकिन अगर उसको बेल मिल जाती है तो पुलिस उसको कैसे अपनी कस्टडी में ले लेगी?

मान्यवर, यह नियम सोच-समझकर ही बनाया गया था परन्तु लगता है अब इसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुरुपयोग होने जा रहा है। आजकल अपराधी अपराध करता है तो लोग यहां कहते हैं कि भूखा इन्सान अपराध करने के लिये मजबूर है। हम कहते हैं कि यदि इन्सान भूखा है तो वह मजदूरी करेगा, यदि इनकी बात सही होती तो फिर हाजी मस्तान को अपराध करने की क्या जरूरत थी ? गरीब को वह मौका नहीं है कि वह दफा 438 का प्रयोग करे। इसका प्रयोग तो केवल पूंजी पति ही करते हैं,गरीब को इसका लाभ कभी नहीं मिला है। इसी सदन ने पास किया था कि दफा 438 को रखना उचित नहीं है और उसको डिलीट कर दिया था।

1931 में इलाहाबाद की डिवीजनल बेंच ने रूलिंग दी थी और आज भी हम कहते है कि छोटे-छोटे अपराधों से जमानत देने का हमारा शाश्वत् अधिकार है, वह हमें आखिरी दम तक मिलेगा केन्द्रीय सरकार ने जो नियम बनाये हैं, आतंकवाद गिराने के लिये वहां जो नियम बनाये गये हैं या बनाये जा रहे हैं उस जमानत के मामले को और कठोर कर रहे हैं। मिलावट के मामले को कानून में और सख्त बनाया जा रहा है। अपराध में दण्ड देने की प्रक्रिया को कठोर किया जा रहा है और अधिकतम समय की व्यवस्था भी नियमों में है।

अपराधी अपने को गोल्ह आने निर्दोष मानकर बैठा रहता है सारे सबूत नष्ट कर देता है। यदि उसको आज आप जमानत में दे देते हैं तो पुलिस को उसके खिलाफ गवाह इकट्ठे करने में सहूलियत हो जायेगी। हम समझते हैं कि इस सदन का कोई भी सदस्य, कोई भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, आतंकवाद का विरोध करने वाला व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि किसी अपराधी को किसी प्रकार की छूट हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि द्विवेदी जी आप इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता तो तब होती, जब भारतीय दण्ड प्रक्रिया में संशोधन करने वाला यह विधेयक, सरकार द्वारा लाया जाता, मान्यवर, पक्ष विपक्ष के विधायकों ने इस विधेयक पर बल दिया है। मान्यवर, बरार जी वकील हैं, वे जानते हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का धारा 438 कितनी महत्वपूर्ण है और उसकी कितनी आवश्यकता है और इस बात को समझते हुए उच्चतम न्यायालय ने और हाई कोर्ट ने और बारबार बैठे विधि आयोग और उसकी विभिन्न समितियों ने इसकी आवश्यकता पर बल दिया था। पुरानी भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता है, जो 1898 की है। उस समय भारत में लोगों को मौलिक अधिकार नही प्राप्त थे, उनका कानून में समावेश नहीं था। उस समय लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, उस समय के कानून को परिवर्तित करके भारतीय संविधान में दिय गये अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिये उसमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता पर सभी विधि समितियों ने बल दिया और उसी के अनुसार आपकी सरकार द्वारा 1973 में संसद में संशोधन प्रस्तुत किया गया और उसमें धारा 438 का प्राविधान किया गया और संसद में सारे देश के लिये उसका प्राविधान किया गया और आज भी यह गौरव का विषय है परन्तु उत्तर प्रदेश को छोड़कर वह सारे हिन्दुस्तान में लागू है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह कानून गलत होता तो केन्द्रीय सरकार और भारत की संसद ने संशोधन कर इस नये प्राविधान को क्यों स्थान दिया होता ? क्यों नहीं बिहार, पंजाब और हरियाना ने संशोधन कर इस प्राविधान को अपने प्रदेश में समाप्त किया। आपके उत्तर प्रदेश में कानून का शासन नहीं है, पुलिस का शासन है। यह प्राविधान समाप्त कर दिया गया है, इसी कारण आज इन्काउन्टर की समस्या पैदा हो गयी है और कोई प्रतिष्ठित आदमी जी नहीं सकता है, जब चाहे तब उसको 399 और 402 में तलब कर लिया जाता है। किसी भी मुलजिम के द्वारा धारा 161 के गवाही में एक लाइन बढ़वा देते हैं कि फलां आदमी भी

था, तो उस आदमी को बुला लिया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि कानून में संशोधन किया जाय, अगर सरकार की ओर से यह संशोधन आता और मौलिक अधिकारों को जीवन्त बनाने का काम करते तो गौरव की बात होती, सारी आवश्यकताओं को देखते हुए, इसको उत्तर प्रदेश में लागू किया जाना चाहिये, जब कि पुलिस आपके कमान्ड से बाहर हो गयी है।

यह विधेयक उत्तर प्रदेश के लिये अपरिहार्य है इसलिये इसको यहां पर स्वीकृति प्रदान की जाये। मैं एक दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, कई लोगों ने कहा कि इससे अराजक तत्वों को संरक्षण मिलेगा, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जमानत देने का अधिकार सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया गया है, जमानत का अधिकार मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भी नहीं दिया गया है। इसलिये इसके दुरुपयोग की संभावना नहीं है।

मान्यवर, अब एन्टीसीपेटरी बेल का प्राविधान 1974 से 76 के बीच में उत्तर प्रदेश में लागू था। कोई एक भी उदाहरण बतायें कि इस कानून का उत्तर प्रदेश में इसका दुरुपयोग किया गया कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। इसलिये इसके दुरुपयोग की सम्भावना नहीं है। इसी मूल अधिनियम की धारा 438 में यह भी प्राविधान था कि पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने के लिये, प्रश्न का उत्तर देने के लिये जब वह अपेक्षित हो वह व्यक्ति उपलब्ध होगा जिसने एन्टीसिपेटरी बेल ली है। जब चाहे पुलिस उसको बुला सकती है और भी था कि बिना अदालत की स्वीकृत के वह बाहर नहीं जा सकता था। मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक अपराध के लिए बहुत से कानून आप बनाते हैं आपन कोफे पोसा बनाया, एन0 एस0 ए0 बनाया। कोफेपोसा के व्यक्ति को कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है उसमें गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति की कहीं सुनवाई नहीं होगी और न किसी अदालम में चैलेंज हो सकता है। यह तो सिर्फ आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत होने वाले अजमानतीय अपराधों के लिये यह प्राविधान था इसके लिये उसके दुरुपयोग की कोई सम्भावना नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मौलिक अधिकार हमारी स्वतंत्रता के है उसको संरक्षण देने के लिये उत्तर प्रदेश में भी ऐसे विधेयक की आवश्यकता है। सारे देश में यह लागू है केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा अभागा प्रान्त है वह अभागा इसलिये बन गया क्योंकि आप वहां बैठे हैं। आपको शौक है, मौलिक अधिकारों को हनन करने का, इमरजेंसी लागू कराने का, 25-25 हजार लोगों को फंसाने का, आज भी अपने प्रतिद्वन्दियों को हरवाने का, मरवाने का, पुलिस द्वारा बेइज्जती करवाने का, डकैती में फंसवाने का। आपको भय है कि अगर यह विधेयक लागू हो गया तो ये नाजायज कार्य बन्द हो जायेंगे इसलिये आप इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक आज की आवश्यकता के अनुरूप है। मैं इसका समर्थन करता हूं और इस विधेयक पर बल देता हूं जिससे निरपराध लोगों को फर्जी मुकदमें में फंसाये जाने के आशंका के पूर्व जमानत मिल सकें।

(व्यवधान)

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर क्षेत्र रेवन्यू पुलिस के अन्तर्गत आता है। पटवारी वहां का पुलिस पावर रखता है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में डकैतियां तो नहीं होती है और अपराध भी बहुत ही कम होते हैं। माननीय द्विवदी जी ने जो प्रस्ताव रखा है वैसे मैंउसकी कद्र करता हूं, अच्छा है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में यह कानून का किस तरह से दुरुपयोग होता है इसके सम्बन्ध में मैंआपको यह बताना चाहता हूं कि पिछली होलियों में एक जगह एक फोरेस्टर पर एक बच्चे ने रंग डाल दिया। वह इतना नाराज हुए कि वह बच्चे को मारने के लिए बन्दूक निकाल दी तो बहुत सारे गांव

के लोग थे उन्होंने उसको रोका, उसकी बन्दूक छीन ली । बाद में उसने माफी-पत्र लिखित दिया और राजीनामा हो गया उसकी बन्दूक लौटा दी गयी । फोरेस्टर ने एक रिपोर्ट डी0 एफ0 ओ0 को भेज दी । डी0 एफ0 ओ0 ने जिलाधिकारी को भेज दी, जिलाधिकारी ने रेवन्यू पुलिस को भेज दिया । रेवन्यू पुलिस के जो अधिकारी हैं सुपरवाइजर कानूनगो है वह गांव में गये ।

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता, डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए ।)

उसने रिपोर्ट में लिखा था कि हमारी सुरक्षा की जाय, सुरक्षा की व्यवस्था की जाय । उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और गांव में बैठ गये । यह कोशिश की गई कि किस तरह से इसमें राजीनामा हो सकता है । बड़ी-बड़ी मांगें हुई । आखिर में जब लोगों ने यह देखा कि जो नामित थे उन्होंने अदालत में सरेन्डर कर दिया तब जाकर 395 में एफ0 आई0आर0 दर्ज की जाती है । उसके बाद जो सिलसिला हुआ क्योंकि एफ0 आई0 आर0 में उनका नाम आ गया था, 3/4 गांवों के लोग जो थे उनको हर एक को यह भय था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा । 395 में बन्दूक छीनना चाहे वह बाद में वापस हो गई, उनक ऊपर बाद में जमानत भी हुई ।

तो जो कानून का प्रोसेस है, अधिकतर पटवारी लोग जो हैं जिनके पास पुलिस की पावर है उनके पास हथकड़ी के सिवाय और कुछ नहीं है । उनके पास न तो चौकी है क्योंकि व किराये के मकान में रहते हैं अगर कोई छोटा सा वाकया भी गांवों में हो जाता है तो कोर्ट में जाकर वकील से कमप्लेन्ट लिखाता है । थप्पड़ मार दिया तो रिपोर्ट 307 आई0 पी0 सी0 में हो जाती है । यह काम वकील करते हैं जो रिपोर्ट लिखता है । इस पर आर्डर हो जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करो । पटवारी तक जब यह बात पहुंचती है तो इसका घोर दुरुपयोग होता है । इसमें बहुत सारे तो निरीह व्यक्ति होते हैं कुछ की मात्र यह मंशा होती है कि उस आदमी को हड़कड़ी लग जाय और उसे अदालत में ले जाया जाय, चूंकि अपराध संगीन है इसलिये वह जेल चला जाय, यह उनकी मंशा होती है। तो इसमें यह बात देखने की है । पहाड़ के लोग एक किस्म से पिस रहे हैं । कानून की व्यवस्था के बारे में इसका दुरुपयोग तो होता है एन्टीसिपेटरी बेल का । भावना यह होनी चाहिये कि अपराध न हो । तो कम से कम पहाड़ों के लिये ऐसी व्यवस्था हो कि जो इस तरह से कानून का दुरुपयोग होता है वह न हो, इसका निराकरण होना चाहिये उसको रोका जाना चाहिये । धन्यवाद ।

(संसदीय कार्य मंत्री के पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---

मान्यवर, यह तो जारी रहेगा । कल तक चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है, यह जारी रहेगा । अब हम अगला आइटम लेते हैं ।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) (संशोधन) विधेयक 1985†

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) –

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ कर) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह छोटा सा संशोधन विधेयक है और यह इसलिये प्रस्तुत किया गया है कि मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि 1–5–79 को टोल टैक्स, ट्रांजिट फीस जो पहले उत्तर प्रदेश में लगती थी सीमा के अन्दर आने वाली मोटर गाड़ियों पर, वह समाप्त कर दी गई थी और उसके स्थान पर पथकर निर्धारित किया गया था । कानून के अनुसार 100

† दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुपया पथकर की सीमा तक आयद किया जा सकता था और जो गाड़ी उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर प्रवेश करती थी उस पर 40 रु0 किया गया था। दुर्भाग्य यह आया कि गाड़ी बिना पथकर दिये आगे चली जाती थी यद्यपि प्राविधान यह था कि जो गाड़ी इस तरह से पकड़ी जायगी उसके ऊपर 250 रुपये पिनाल्टी लगती थी। यह देखा गया कि वह कम थी। इस संशोधन को लाकर इस बात का प्राविधान किया गया है कि पिनाल्टी की धनराशि 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इस पर माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने संशोधन दिया है और उन्होंने कहा कि 500 के बजाय 5 हजार कर दिया जाये। तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि वह हमारी बात से सहमत हैं। शेष जो बातें खण्डों पर आयेंगी उस समय उनका उत्तर दे दूंगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस संशोधन से सहमत हैं और जिस विचार से यह रखा गया है उसे स्वीकार करेंगे।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत छोटा सा विधेयक है और कुछ शास्तियां यह बढ़ाना चाहते हैं जिसके लिये यह विधेयक लाया गया है। यह छोटा जरूर है इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता है। आज कल अपने प्रदेश में मोटर गाड़ियों का जितना दुरुपयोग हो रहा है, जितना नियमों का उल्लंघन हो रहा है उन संपूर्ण समस्याओं पर एक साथ विचार करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने केवल उन गाड़ियों को लेकर जो दूसरे प्रदेशों से हमारे यहां आती हैं उनके बारे में विधेयक रखा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे यहां मोटर गाड़ी पथकर कानून हैं उनमें इस प्रकार प्राविधान होना चाहिये कि जो रोज-रोज हमारे सामने यहां पर समस्यायें आती हैं वे समाप्त हों जो डग्गामार गाड़ियां चलती हैं उनकी समस्याओं को कैसे ठीक किया जाय इसको देखते हुए भी संशोधन लाने की आवश्यकता है। इन सब समस्याओं का एक साथ निराकरण हो जाय तो रोज-रोज एकएक संशोधन जो आते हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। बार-बार संशोधन लाने से या अध्यादेश जारी करने से सदन की मर्यादा घटती है और सरकार की साख गिरती है। तो जितनी गाड़ियां अवैधानिक रूप से बाहर से आती हैं या अपने ही यहां चल रही हैं उनमें या तो किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ होता है या फिर पुलिस के कर्मचारियों का हाथ होता है। तो इन सब का निराकरण करने के लिये एक साथ संशोधन होना चाहिये। बार-बार संशोधन रखने पर सरकार अपनी भावना निश्चित नहीं कर पाती है जिससे परिवहन निगम को लाखों करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है। यहां सदन में बार-बार बात आती है कि डग्गामार बसों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और कहा जाता है कि जो शिथिलता है उसको खत्म करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। इसी को देखते हुए इन सारी समस्याओं पर विचार करने के लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जहां पर इन सारी चीजों पर विचार हो कि इन समस्याओं पर कैसे कंट्रोल किया जाय, कैसे परिवहन निगम के घाटे को कम किया जाय तथा जो तमाम अनैतिक कार्य हो रहे हैं उन पर कैसे प्रतिबन्ध लगाया जाय, इन सब बिन्दुओं पर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उसके आधार पर माननीय मंत्री जी संशोधन यहां पर प्रस्तुत करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्य प्रकाश विकल---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ कर) (संशोधन) प्रस्तुत किया है और उस विधेयक को जो प्रवर समिति में भेजने का श्री दिवाकर विक्रम सिंह ने प्रस्ताव किया है और जो बातें कहीं हैं उनका समर्थन करते हुए मैं दो बातों पर जोर देना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है, यह ठीक है, छोटा सा है, छोटी बात है कि जो पथकर पर पैनाल्टी है 250 रुपये उसको अब बढ़ाकर 500 कर दिया जाय और श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी का कहना है कि पांच हजार रुपये कर दिया जाय और जो प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में जो बातें कही हैं उसको आगे बढ़ाता हुआ आपके माध्यम से, आदरणीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि परिवहन विभाग की बहस पर यह बताया गया था कि बहुत बड़ी चोरी और नुक्सान परिवहन विभाग को इसलिये हो रहा है कि अनाधिकृत गाड़ियों और बसें हमारे तमाम मार्गों पर चलती हैं जिससे परिवहन विभाग को घाटा होता है और कानून न होने से उनको रोकने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार अन्य वाहन भी अनधिकृत तौर पर चलते हैं। इसलिये प्रवर समिति को यह सारा विधेयक सौप दिया जाय जो सर्वांगीण विचार इस पर करें कि किस प्रकार से मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) विधेयक में क्या जोड़ा जाये जिससे जो घाटा हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है वह दूर हो सके, इसके लिये प्रवर समिति को भेजने की बात सोची है। इसलिये माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह ठीक है कि वह इस विधयक को प्रस्तुत करके 250 रुपये से पैनाल्टी बढ़ाकर 500 रुपये करना चाहते हैं लेकिन यह 500 रुपये से कहीं ज्यादा होनी चाहिये किन्तु अच्छा होता कि मंत्री जी प्रवर समिति को भेजने की बात को स्वीकार कर लें जिससे सारे मामले पर उसमें विचार करके कोई समग्र नीति तय करके तब सदन विचार करके इस विधेयक को पारित करता, तो अच्छा होता। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, मुझे खेद है कि अपनी अनभिज्ञता के कारण शायद मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट न कर सका। मान्यवर, जो वर्तमान संशोधन है वह मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर), 1979 उसका जो मूल अधिनियम था उसमें केवल पथकर की बात थी। दूसरी बात जो डग्गामार बसों की, बिना परमिट के बसों के चलने की और भ्रष्टाचार राज्य परिवहन निगम की बसों को चलाने में, उसका संबंध मूल विधेयक में उन बसों से नहीं था बल्कि दूसरा जो अधिनियम है मोटर विहिकिल ऐक्ट उसमें पथकर नहीं है और बिना लाइसेन्स के बसों को चलाने वालों को दंड देना यह गवर्न होता है। यह संशोधन पथकर की उस राशि में जो बसें बाहरी प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा में आयीं और 40 रुपये टैक्स था जो बढ़ाकर 60 रुपये है यह वह न दें तो पैनाल्टी 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया। श्री विकल जी ने कहा यह और अधिक होना चाहिये मैं इसलिये यह 500 रुपये किया है कि यह लिनिएन्ट विव रखा है, हल्का दंड रखा है। यह कामयाब नहीं होगा तो फिर आगे विचार कर लेंगे। लेकिन अभी 500 से अधिक करेंगे तो शायद अच्छा न हो। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो शंकायें व्यक्त किया है उनका निराकरण कर दिया है और अब कोई शंका नहीं रह जाती है।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—2

2—उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अधिनियम, 1979 की धारा 7 में, उपधारा (1) में, शब्द "दो सौ पचास" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1979 की धारा 7 का संशोधन

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने अपने पूर्व भाषण में कहा था। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 की दूसरी पंक्ति में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" रख दिये जायं। 1979 का जो मोटर गाड़ी (पथकर) अधिनियम है यदि उसके डिफनीशन क्लाज को देखा जाये तो उसमें मोटर गाड़ी परिवहन के डिफनीशन में दिया हुआ है—"बसें, ट्रक अथवा भारी वाहन" जो दूसरे प्रदेशों में चलती हैं और अपने यहां आ जाती है किन्तु यहां कोई पथ कर नहीं देती हैं। उन पर मंत्री जी ने पहले ढाई सौ रुपये और अब पांच सौ रुपये का दंड रख दिया है। आप देखे कि 79 में एक बस की क्या आमदनी हुआ करती थी जो अवैधानिक रूप से चल रही है या चली आती हैं और अब सन 85 में एक बस की क्या आमदनी हुआ करती है। उस समय से इस समय में आमदनी में बड़ा फर्क हो गया है। ऐसी परिस्थिति में पांच सौ रुपये का केवल जुर्माना रखने ऐसे से दोषी लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। पकड़े जाने पर वह ढाई सौ दे देते थे अब पांच सौ रुपया रख दिया है, इसे भी वह बहुत आसानी से दे दिया करेंगे। कभी-कभार यदि वह पकड़े गये तो वह पांच रुपया देकर छुट्टी पा जायेंगे। तो इसलिये यदि शासन वास्तव में अवैधानिक बसों का प्रदेश में आना बन्द करना है जो अवैधानिक रूप से आने की आदी हो गई है, तो उन पर जुर्माना रखा जाये वह इस तरह का और इतना अधिक होना चाहिये कि उन्हें ऐसा गलत कार्य करने के पहले एक बार सोचना पड़े कि ऐसा कार्य करने से हमें लाभ होगा या नुकसान होगा। यदि किसी को लाभ की अपेक्षा नुकसान की आशंका अधिक रहेगी तो वह अवैधानिक काम करने से बाज आयेगा। पांच सौ तो कुछ नहीं है, मैं तो इसके लिये यह कहने वाला था कि ऐसी बस या ट्रक को कांफिस्टीकैट कर लेना चाहिये एक तरफ को सरकार कहती है कि कठोर दण्ड आवश्यक है और दूसरी तरफ सचमुच ऐसा दण्ड आवश्यक है सरकार ढील बरत रही है। इसलिये मैंने अपना संशोधन रख है। यदि सचमुच मंत्री जी इस पर कन्ट्रोल रखना चाहते है, तो उसको रोकने के लिये 500 रुपये के बजाय 5,000 कर लें। मैं समझता हूं कि उन्होंने हमारे संशोधन का आदर किया है और वह इस संशोधन को मान जायेंगे।

श्री हुकुम सिंह—

उनकी भावना का मैं सदैव आदर करता हूं, लेकिन जहां तक संशोधन का प्रश्न है, यह व्यवहारिक नहीं है, इसलिये स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 की दूसरी पंक्ति में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ कर) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) अधिनियम, 1979 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985

*वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह जो विधेयक है, तो पूरा सदन इस बात से सहमत है कि प्रदेश में अपने संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है। श्रीमन् आपको याद होगा कि आज सुबह यह प्रश्न आया था कि प्रदेश के जो बड़े जिले है उनको दो हिस्सों में बांट दिया जाय। माननीय सदस्यों ने उस पर अपने विचार रखे थे और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि संसाधनों की कमी के कारण चाहते हुये भी वह यह नहीं कर पा रहे है। तो श्रीमन्, इस तरह के प्रकरण आते है और संसाधनों की कमी के कारण चाहते हुये भी वह कार्य नहीं कर पाते है। तो इन्हीं संसाधनों को बढ़ाने के लिये यह मामूली सा संशोधन किया है। स्टाम्प अधिनियम के आर्टिकिल--15 में बांड और 23 में हस्तान्तरण पत्रों की जो दरें थीं उनमें परिवर्तन किया गया है। बांड की दर 42.50 रुपये प्रति हजार थी और हस्तान्तरण पत्रों पर दर 85 रुपये प्रति हजार थी। इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। तो बांड के संबंध में दर 42.50 रुपये से बढ़ाकर 47.50 रुपये प्रति हजार कर दी गयी है और हस्तान्तरण पत्रों पर दर 85 रुपये प्रति हजार से बढ़ा कर 95 रुपये कर दी गयी है। तो एक जगह पर 5 रुपये और एक जगह पर 10 रुपये की वृद्धि की जा रही है। इससे 8 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपये तक के संसाधन एकत्रित हो सकेंगे। तो सम्पूर्ण सदन में मैं समझता हूं कि एक मत है कि संसाधन बढ़ाये जायं, आप एग्री हैं तो मैं समझता हूं कि इस पर शायद आप अपना संशोधन न रखेंगे।

*श्री तिलोक चन्द---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूंकि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत सफाई से बड़ी मासूमियत से 8 करोड़ रुपये का भार पब्लिक पर बढ़ा दिया और उसके बावजूद कह रहे हैं कि यह एक छोटी सी बात है। जहां तक आपने इस बात को कहा कि

दिनांक 3 दिसम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसाधनों का सवाल है तो इसको कोई मना नहीं करता कि संसाधन न जुटायें । कोई भी सरकार में बैठता है, संसाधन बढ़ाने की सबको जरूरत पड़ेगी, संसाधन बढ़ाने भी चाहिये,लेकिन संसाधन बढ़ाने का जो तरीका है, संसाधन वसूलने का जो तरीका है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिये । आपने संशोधन के जरिये स्टाम्प ड्यूटी 5 रुपये और 10 रुपये बढ़ा दी लेकिन आपने इसको जो पुरानी परिपाटी थी उसी आधार पर बढ़ा दिया । एक तरफ आप कहते है कि आप 21वीं सदी में ले जा रहे है और एक तरफ आपके करों का जो ढांचा है वह 18 वीं सदी का है । तो जो करों का ढांचा है उसको आप बदलें । 1969 में एक कमेटी बैठी थी जिसमें विचार हुआ था कि टैक्सेशन को कैसे बढ़ाया जाय और उसके रूप को कैसे परिवर्तित किया जाय । बहुत दिनों से जब वही चीज चलती है तो उनसे आदमी ऊब जाता है। आज जैसे जीवन की परिस्थितियां बदल रही हैं । उसी के हिसाब से आपको टैक्सेशन को बदलना चाहिये । इसीलिये प्रवर समिति की बात की गयी है । आप इस टैक्स के तरीके को बदलिये । जो आदमी प्रापरटी को ट्रांसफर करता है पहले वह 42 रु0 50 पैसे था, अब 43 रु0 50 पैसे आपने कर दिया । इसमें कोई ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं है, केवल एक रुपया की ही बढ़ोत्तरी आपने की है । आपने कार, ट्रक वगैरह पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगा रखा है। केवल 10 पैसे के टिकट पर कार या ट्रक ट्रांसफर हो जाती है । आप कार और ट्रक के ट्रांसफर पर स्टैम्प ड्यूटी लगाइये । आप ऐसा प्राविधान करें कि इसको ट्रांसफर करने पर इतनी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी । आप मान्यवर, देख रहे हैं कि इस समय जितनी कारें चल रही है, जितनी ट्रकें इस समय चल रही है, इतनी पहले नहीं थीं । इनके ट्रांसफर करने पर आप टैक्स लगाइये ।

जहां पर प्रगति दिखाई देती है, वहां पर कोई भी व्यक्ति टैक्स देने से कतराता नहीं है टैक्स लगने के बाद आदमी इनडायरेक्ट टैक्स देता है और उसके बाद आदमी देखता है कि विकास हुआ है और विकास हो रहा है और उसे यह महसूस भी होता है कि प्रगति हो रही है । लेकिन आदमी सोचता है कि टैक्स तो हम दे रहे हैं, परन्तु फजूल खर्ची पर ज्यादा व्यय हो रहा है । तो इस सिस्टम को बदलना होगा । टैक्स आप लगाइये, इसमें यह नियत नहीं होती है कि टैक्स क्यों लगा रहे हैं । इसमें यह होना चाहिये कि कौन सा टैक्स किस तरीके से लगना चाहिये, किसी का रूप बदलना है, किसी को कम-ज्यादा करना है, किस मद में करना है, तो इन सब बातों को सोचना होगा । जिस प्रकार से पब्लिक का मन बदलता है, उसी प्रकार से टैक्स का भी रूप बदलना चाहिये । मान्यवर, जिस समय बिक्री कर का बिल था, तो उस समय मैंने इसको कहा था । टैक्स बगैर लिये सरकार नहीं चलेगी और जो यह सदन चल रहा है, यह भी नहीं चलेगा । स्टैम्प ड्यूटी आप बढ़ा दीजिये, 4 रु0, 5 रु0 आप बढ़ा दीजिये, इससे कोई अन्तर भी टैक्स पेयर पर नहीं आयेगा और आपको 8 करोड़ के लगभग फायदा भी हो जायगा । लेकिन जो पुराना सिस्टम है, उसको आप बदलिये, जनता विश्वास करे या न करे, लेकिन पब्लिक यह महसूस करे कि जो टैक्स पब्लिक दे रही है, उसका सदुपयोग हो रहा है । आपके टैक्स लगाने का तरीका जो है, उससे फजूल खर्ची बहुत हो रही है और इसे पब्लिक महसूस भी कर रही है । हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिये कि अगर हम टैक्स लगायेंगे, तो दुनियां क्या कहेगी ? इसके बारे में दुनियां कुछ नहीं कहेगी, आप टैक्स लगाइये, लेकिन सोच समझ कर टैक्स लगाइये कि जो फजूल खर्ची दिखाई दे रही है, वह फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिये यदि आप फजूल खर्ची को खत्म करते हुए टैक्स लगाते हैं, तो आप टैक्स लगा सकते हैं इसलिये मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति को दे दें और प्रवर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समिति में इस पर विचार हो जाय। प्रवर समिति में विचार होने के बाद, तब आप टैक्स लगाइये। कोई जल्दी है नहीं। यह दो महीने के बाद से टैक्स लगे या दो महीने पहले से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको आप देख लें यह मेरा सुझाव है।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र---

मान्यवर, जो विधेयक पेश किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। यह विधेयक जो आया है, यह जब हमारे सामने जनरल बजट आया था उस समय यह निश्चित हो गया था कि स्टाम्प ड्यूटी बढ़नी है और उससे आठ करोड़ का लाभ होना है इस पर बिचार हो चुका है।

मान्यबर, जब इस सदन में विचार हो गया और विचार के बाद पेश किया है और इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिये माननीय मंत्री जी ने विधेयक पेश किया है। आपने कहा कि प्रवर समिति को भेज दीजिये। अभी छः सात महीने का बजट आया है। उसको प्रवर समिति में लटका दीजिये। यह किस पर टैक्सेशन का भार है यह खरीदने वाले पर है। बेचने वाले पर नहीं है, जो आर्थिक दृष्टि से अपने को मजबूत करता है वह जमीन खरीदता है, उसको टैक्स देना है। जो स्टैम्प की कास्ट है वह एक हजार पर पांच रुपया बढ़ाया गया है और दस रुपया बढ़ाया गया है। तो जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है वह खाने के बाद पहनने के बाद अपनी अचल सम्पत्ति को बढ़ा रहे है, तो ऐसे सम्पन्न परिवारों के ऊपर टैक्सेशन बढ़ता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मै धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

माननीय सदस्य की मूल भावना का आधार क्या है। संसाधन को बढ़ाने के लिये वह भी उत्सुक हैं और जानते है जो प्रदेश की स्थिति है। उनकी भी भावना है कि इसको पारित किया जाना चाहिये। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये है जो ट्रांसपोर्ट की ट्रक, बस और कार के ऊपर हैं। उन पर विचार किया जायेगा। आपने कहा एक दम से बढ़ाया गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं। अपने यहां जो दूसरे प्रदेश है पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तो वहां से काफी कम है। कर्नाटक में 100 रुपये पंजाब, हरियाणा में सवा सौ रुपये है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि माननीय सदस्य प्रवर समिति में भेजने के लिये कहें। चूंकि मूल भावना से आप सहमत है इसलिये इसको वापस ले लें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि स्टाम्प शुल्क के बारे में। रजिस्ट्रार आफिस में कोई आदमी जाता है तो रजिस्ट्रार फार्म की जो लिखा-पढ़ी होती है वह रजिस्ट्रार को देते हैं, तो दोनों बातों की छानबीन होती है। उसके बाद ए0 डी0 एम0 ई0 के यहां से नोटिस चली आती है। कि स्टाम्प शुल्क कम है। जैसे दो सौ रु0 है। 200 रुपये कम है तो 200 रुपये और लगकर आ जाता है, इस तरह 600 रुपये आ जाता है
जब आप स्टाम्प शुल्क बढ़ा रहे है तो यह भी व्यवस्था आप कर दें कि जब कोई क्रेता या विक्रेता सब-रजिस्ट्रार के सामने जाय और जमीन खरीदे या बेचे तो फाइनल प से उसी समय स्टाम्प पेपर ले लिया जाय। अगर बाद में कोई चीज आती है तो वह सब रजिस्ट्रार से ली जाय। गांव का आदमी इस चीज से परेशान है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

इसमें श्रीमन्, अगर सब रजिस्ट्रार का हाथ होता है तो उसको दण्डित करने के लिये दण्ड प्रक्रिया है। कभी-2 किसी पापर्टी की कम बैल्यूशन दिखाकर लोग सौदा कर लेते है और जब उसकी जानकारी होती है वह वसूल किया जाता है। इस सम्बन्ध में समय समय पर विचार होता रहता है। इस समय यही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुनासिब समझा गया कि जो प्रक्रिया चल रही है यह ठीक है।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

सरकार की हालत यह है कि जब आग लगती है तो कुआं खोदते है आग बुझाने के लिये हाउस उठने के बाद तो कोई व्यवस्था है नहीं कि आप बुलाकर सुझाव लें। यहीं जो कुछ कह सुन लें कह लें। हमारा इरादा तो सहयोग करने का था आप नहीं चाहते है तो मैं क्या करूं। मैने तो प्रवर समिति में भेजने के लिये इसलिये कहा था कि और संसाधन बढ़ा लें। हमारा इरादा यह नहीं था कि इसको न बढ़ाये। मेरा सुझाव आप मान लें लाभ होगा।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी इनके सुझाव मान रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम और विस्तार

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की अनुसूची-1-बी का संशोधन

2--भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-बी में,--

(क) अनुच्छेद 15 (बन्ध-पत्र) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, निम्न सारिणी के स्तम्भ-1 में दिये गये शब्दों के स्थान पर क्रमश:- उनके सामने

निम्न सारणी के स्तम्भ–2 में दिये गये शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

स्तम्भ–1 (वर्तमान शब्द)	स्तम्भ–2 (प्रतिस्थापित किये जाने वाले शब्द)
पचास पैसे	एक रुपया
दो रुपये	दो रुपये पचास पैसे
चार रुपये पच्चीस पैसे	चार रुपये पचहत्तर पैसे
आठ रुपये पचास पैसे	नौ रुपये पचास पैसे
बारह रुपये पचहत्तर पैसे	चौदह रुपये पच्चीस पैसे
सत्रह रुपये	उन्नीस रुपये
इक्कीस रुपये पच्चीस पैसे	तेइस रुपये पचहत्तर पैसे
पच्चीस रुपये पचास पैसे	अट्ठाइस रुपये पचास पैसे
उनतीस रुपये पचहत्तर पैसे	तैंतीस रुपये पच्चीस पैसे
चौतीस रुपये	अड़तीस रुपये
अड़तीस रुपये पच्चीस पैसे	बयालीस रुपये पचहत्तर पैसे
बयालिस रुपये पचास पैसे,	सैंतालिस रुपये पचास पैसे
इक्कीस रुपये पच्चीस पैसे	तेईस रुपये पचहत्तर पैसे

(ख) अनुच्छेद 23 (हस्तान्तरण-पत्र) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, निम्न सारणी के स्तम्भ–1 में दिये गये अंकों के स्थान पर, क्रमश: उनके सामने निम्न सारिणी के स्तम्भ–2 में दिये गये अंक रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

स्तम्भ–1 (वर्तमान अंक)	स्तम्भ–2 (प्रतिस्थापित किये जाने वाले अंक)
रु0पै0	रु0पै0
4.00	4.75
8.50	9.50
17.00	19.00
25.50	28.50
34.00	38.00
42.50	47.50
51.00	57.00
59.50	66.50
68.00	76.00
76.50	85.50
85.00	95.00
42.50	47.50

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 †

*ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह बहुत ही छोटा संशोधन विधेयक है । उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन संशोधन विधेयक 1985 का कार्यकाल 7 अगस्त को समाप्त हो रहा है । और इसमें मान्यवर, केवल यह कहा गया है कि एक वर्ष के लिये इसकी अवधि बढ़ा दिया जाय, क्योंकि मेडिकल बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया है और उसके स्थान पर नियंत्रक की नियुक्ति की गयी है, लेकिन जिन उद्देश्यों के लिये नियंत्रक की नियुक्ति की गयी, उनको पूरा नहीं किया जा सका, इसलिये और समय की आवश्यकता है । इसलिये एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने के लिये व्यवस्था की गयी है ।

*श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी इसको पेश कर रहे है और स्वास्थ्य मंत्री जी यहां हैं नहीं । यह तो नहीं बताए कि कि 1977 में जिस नियंत्रक की नियुक्ति की गयी थी और जिस उद्देश्य से की गयी थी, और बीच में उसका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था, 1984 में । तो मान्यवर, 1977 में नियुक्ति की, तो उसके बाद से अब तक ऐसा क्या कार्य बकाया रह गया कि फिर दो साल कार्यकाल बढ़ाना पड़ा और अब फिर एक साल बढ़ा रहे हें । ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया है और क्या काम हुआ है, कुछ पता नहीं लग रहा है । नियंत्रक को काम क्या करना है, काहे के लिये टाइम मांगा जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने क्यों समय मांगा, क्यों नियुक्ति की, कौन से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई । कोई चीज आती है तो स्पष्ट आनी चाहिये । किसी पदाधिकारी को नियंत्रक नियुक्त किया । यह पता नहीं लगा कि उसने कितना काम किया और कितना बाकी रहा । एक साल के लिये समय क्यों बढ़ा रहे हैं ? मैं तो समझता हूं कि किसी ऐसे आदमी को नियुक्त किया है, जिसको ये हटाना नहीं चाहते । उसको वेतन, भत्ता और गाड़ी मिली रहे, इसलिये उसे बनाये रखना चाहते हैं । अगर ऐसी बात है तो एक साल क्या एक साथ तीन-चार साल के लिये समय बढ़ा लीजिये ।

† दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं तो अगले साल फिर इसको लाना पड़ेगा। हमें आप समझा लेंगे, लेकिन आम जनता को महसूस होना चाहिये कि क्या काम हुआ, क्यों नियुक्ति हुई, और क्या काम बाकी है। पब्लिक का आदमी तो इसको फिजूलखर्ची ही समझेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसे एक प्रवर समिति को सिपुर्द कर दिया जाय, जो इस पर भी भली प्रकार विचार कर लें। इससे आप को ही फायदा होगा।

डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हर वर्ष टालो-टालो वाली बात कह कर यू टालते आ रहे हैं। इसकी कोई लिमिट होनी चाहिये। मंत्री जी कह दें कि इस बार नहीं टाला जायगा, चलिये हम पास कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कहेंगे। और फिर अगले वर्ष कहेंगे कि टालो और टालते टालते टल जायगा और जिस उद्देश्य से अध्यादेश लाया गया, जिस कारण से होम्यो-पैथिक बोर्ड गठित किया गया, होम्योपथी को बढ़ावा देने के लिये, वह पूरा नहीं होगा। मैं एलोपैथी हूं लेकिन होम्योपैथी की वकालत करते हुये आपसे कहता हूं कि इस कार्य को तत्काल पूरा करें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 1981 में सरकार ने गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेजों का अधि-ग्रहण किया था, सरकार ने उसके बाद जो बोर्ड काम करता था शिक्षा व्यवस्था को देखने का, उस काम को सौंप दिया गया। आगरा विश्वविद्यालय को। उसके बाद उस बोर्ड के पास कार्य रह गया डाक्टर्स और कम्पाउंडर्स के पंजीकरण करने का। इसलिये शासन ने 31-12-84 को एक समिति का गठन किया कि समिति यह विचार करे कि अब इस होम्योपैथिक बोर्ड की आवश्यकता रह गयी है या नहीं रह गयी और अगर रह गयी है तो इस बोर्ड को कौन कौन से अधिकार दिये जायं और उनसे किस किस कार्य को लिया जाय और शीघ्र से शीघ्र अपनी रिपोर्ट दे। समिति ने 23 जुलाई, 1985 को शासन को अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसका शासन स्तर पर परीक्षण हो रहा है। अभी 23 जुलाई को रिपोर्ट आयी है, मैं समझता हूं कि उस रिपोर्ट पर शासन स्तर पर शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा। लेकिन, चूंकि कार्यकाल 7 अगस्त को समाप्त हो रहा है, और अभी उस का परीक्षण रिपोर्ट करके उसमें निर्णय लेने में वक्त लगेगा, इसी उद्देश्य से केवल एक साल और बढ़ाने के लिये, इस विधेयक के जरिये से सदन से आग्रह किया गया है। कोई बहुत बड़ी जटिलता इस विधेयक में नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि सदन इसे सर्वसम्मति से पास कर दे और संशोधन जो इस पर माननीय त्रिलोक चन्द्र जी ने रखा है, वे कृपया इसको वापस ले लें।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, मंत्री जी ने थोड़ी सी जानकारी दी। शासन ने एक समिति गठन कर दी है, अच्छी बात है। लेकिन, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति की आवश्यकता पहले शासन को महसूस नहीं हुई थी। आप तो हर काम आखिरी वक्त पर ही करते हैं। 7 तारीख को सायंकाल समाप्त हो रहा था, इसलिए आप समय बढ़वाने के लिये इस विधेयक को ले आये। समिति का गठन पूर्व में भी हो सकता था। होम्योपैथी को बढ़ावा मिले, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इसे प्रवर समिति में भेज दें, वहां पूरी तरह से इस पर चर्चा हो जायेगा और आपकी समिति को भी सहायता मिलेगी। मैं आपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो दो माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वी-कृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम 1985 कहा जायगा ।

(2) यह 7 अगस्त, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1952 की धारा 53 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की धारा 53 में उपधारा (1) में शब्द, "सात वर्ष" के स्थान पर शब्द "आठ वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(मद संख्या 56 पुकारे जाने पर सूचना देने वाले सदस्य श्री हरिश चन्द्र हरीश जी अनुपस्थित थे) ।

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा तथा प्रदेश के बिजली आपूर्ति में भीषण अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव को अगले दिनों के लिये स्थगित किये जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या 57 माननीय अध्यक्ष ने सदस्य के अनुरोध पर इसे 5-9-85 के लिए तथा मद संख्या 58 को माननीय अध्यक्ष ने उर्जा राज्य मंत्री के अनुरोध पर दिनांक 4-9-85 के लिए स्थगित कर दिया है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई है, इसमें से कोई भी स्वीकार नहीं की गयी है । केवल पहली सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है ।

वक्तव्य की प्रतियां समय से न मिलने पर आपत्ति

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

(समय 3 बजकर 55 मिनट)

मान्यवर, वक्तव्य की प्रतियां नहीं बंटी हैं ।

डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । वक्तव्य की प्रतियां हमें यदि एक घण्टा पहले

नहीं मिलती है, तो इस वक्तव्य को सुनना ही बेकार है ।

(वक्तव्य की प्रतियां वितरित की गयीं ।)

प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हो रही वृद्धि के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा को बाद में लिये जाने का अनुरोध

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, हाऊस का ऐसा मत है कि मद संख्या 56 को बाद में ले लिया जाय ।

अधिष्ठाता--

जिस समय श्री हरिशचन्द्र जी का नाम पुकारा गया था तो उस समय वह यहां अनुपस्थित थे और न ही दूसरा कोई आदमी उनकी जगह पर खड़ा हुआ । जो आपने कहा है, इसे मैं बाद में देख लूंगा ।

बांदा जनपद की अर्धनिर्मित मसौनी पम्प कैनाल योजना से किसानों में आक्रोश के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सिचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)- उपरोक्त परियोजना अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 992/सिकामंवा एम 29/23-दिनांक 31-1-1978 द्वारा 29.44 लाख रुपये की डी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी । यह परियोजना बांदा जिले के नरैनी तहसील में स्थित है । बाघेन नदी के दायें तट पर पम्प हाउस बनाकर 3 पम्प 12.5 क्यूसेक्स जिसमें से एक स्टैंड वाई होगा, लगाने का प्रस्ताव है ।इस प्रकार कुल 25 क्यूसेक्स पानी 76 फिट उठाकर करीब 9.00 किलोमीटर लम्बी नहर द्वारा सिचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । इस परियोजना का कृषि योग्य क्षेत्रफल 950 हेक्टेयर है । जिसमें से खरीफ में 467 हेक्टेयर और रबी में 440 हेक्टेयर सिचाई करना प्रस्तावित है ।

इस परियोजना हेतु जिलाधिकारी बांदा से 29.44 लाख रुपया प्राप्त हुए थे जिसमें से 14.89 लाख रुपये खर्च किये जा चुके है, जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है-

क्रमांक	वर्ष	धन की प्राप्ति (लाख रु0 में)	व्यय (लाख रु0 में)
1	79-80	4.00	4.69
2	80-81	7.00	6.40
3	81-82	..	2.84
4	82-83	18.44 यह धन मार्च 83 में प्राप्त हुआ ।	
5	83-84	..	0.05
6	84-85	..	0.91
	कुल योग ..	29.44	14.89
	विभाग के पास बचत रुपया		0.35
	कुल योग ..		15.24

डी0 पी0 ए0 पी0 अभिकरण द्वारा वर्ष 1979-80 में 4.00 लाख रुपया वर्ष 1980-81 में 7.00 लाख रुपया दिया गया । इसके पश्चात् मार्च, 83 में 18.44 लाख रु0 दिया गया । वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में दिये गये पैसे का उपयोग समयानुसार कर लिया गया लेकिन उसके पश्चात् पैसा मिलने में देरी के कारण तमाम समस्यायें आ गई । फिर वर्षा ऋतु में कार्य नहीं हो पाया ।

वर्ष 1978 से 1983-84 के बीच पम्प, सीमेंन्ट, लोहा इत्यादि की कीमत बढ़ जाने से यह कार्य स्वीकृत धन (29.44 लाख रुपये) में पूर्ण करना सम्भव नहीं था । यह स्थिति तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड) की जानकारी में लाई गयी और उन्होंने यह आदेश दिये कि यह योजना डी 0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत बन रही है । अतः इस पर तब तक आगे कार्य न किया जाय जब तक डी0पी0ए0पी0 अभिकरण द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध

न करा दी जाय । इस पर बार बार डी0 पी0 ए0 पी0 की हर बैठक में जिला अधिकारी बांदा का ध्यान आकर्षित किया गया ।अधीक्षण अभियन्ता ने बाद में अपने पत्र सं0 4770/साकिमवां/दिनांक 5–6–84 द्वारा पूरी स्थिति से अवगत कराया । इस पर जिलाधिकारी ने अपने पत्रसं0 878/एस0टी0 दिनांक जुलाई, 1984 से कोई कार्य न कराने व शेष धन लौटाने के आदेश दिये । अत: कुल 14.20 लाख (4.54 लाख जुलाई, 84 में तथा 9.66 लाख अक्तूवर, 84 में) उन्हें लौटा दिया गया ।

परियोजना में अब तक 14.89 लाख रुपये के खर्च में करीब 8.00 लाख रु0का मिट्टी का कार्य, 2.25 लाख रु0 का 600 एम0 एम0 व्यास के एम0एस0 पाइप, 0.75 लाख रु0 की जीप, 1.07 लाख रुपया बिजली विभाग को दिया गया व 1.32 लाख रुपया में भवन निर्माण बी0 आर0 पी0 साइफ़न इत्यादि तथा करीब 1.50 लाख रुपया 11 प्रतिशत सेटेज चार्जेज के रूप में खर्च किये जा चुके हैं ।

परियोजना में अभी शेष मिट्टी का कार्य, पम्प व मोटर का क्रय करना, पम्प हाउस, डिलेवरी टैंक व अन्य पक्के कार्य कराना शेष है ।परियोजना को वर्ष 1984 में पुनरीक्षित किया गया था और इसकी पुनरीक्षित लागत 45.00 लाख रुपये थी ।

इस परियोजना में निम्नलिखित गांवों में उनके समक्ष दी गई भूमि विभाग को तहसीलदार/चकबन्दी अधिकारियों द्वारा बचत भूमि के द्वारा दी गई है । अत: इस भूमि का मुआवजा राजस्व अधिकारियों ने नहीं मांगा और न ही इस विभाग द्वारा दिया गया था ।

क्रमांक	ग्राम का नाम	भूमि की आवश्यकता (एकड़ में)	भूमि जो राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरित की गई (एकड़ में)
1	कटरा कालींजर	9.24	9.24
2	तलहट कालींजर	10.26	10.26
3	पहाड़ी माफ़ी	13.95	13.24
4	मसोनी भरतपुर	13.81	13.81
5	गिरधरपुर	6.99	6.99
6	लाद पहाड़ी	2.22	2.22
	कुल योग .	56.47	55.76

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा––

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, उन्होंने कहा है कि परियोजना को स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है । इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि यह परियोजना की जो कार्यवाही चल रही है, यह कब तक पूरी हो जायगी और यह परियोजना कब तक कांम करना शुरू कर देगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य––

मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि यह परियोजना डी0 पी0 ए0 पी0 की थी जो जिला सेक्टर में थी, वहां से तो कराया जाना सम्भव नहीं है इसको स्टेट सेक्टर में लाने का प्रयास कर रहे हैं । और इस पंचवर्षीय योजना में इसको दिखवायेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह––

मैं जानना चाहता हूं कि 79–80 में यह परियोजना स्वीकृत हुई, जैसे इन्होंने कहा कि 79–80 में प्रथम बार धन आवंटन हुआ है मैं जानना चाहता हूं कि यह परियोजना कितने वर्षों में पूरी होनी थी और न पूरी होने का तथा बार-बार विलम्ब होने का कारण क्या रहा है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें धनाभाव मुख्य कारण रहा था, जिससे पूर्ण होने में विलम्ब हुआ ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

यह योजना 'ड्राट प्रोन एरिया' के लिये है, मा0 मंत्री जी ने कहा कि धनाभाव के कारण इसमें विलम्ब हो रहा था, मैं जानना चाहता हूं कि धनाभाव का कारण क्या है कौन इसका जिम्मेदार है ? आपने लिखा है कि 82-83 में 18 लाख 44 हजार रु0 मार्च, 1983 में प्राप्त हुआ इस कारण एक भी पैसे का उपयोग नहीं हो पाया । मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? 82-83 का धन मार्च, 1983 में क्यों प्राप्त हुआ ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

शुरू में मैंने कहा कि इस पर धीमी गति से धन आवंटन हुआ । जब योजना का खर्चा बढ़ गया तो एक साथ जो पैसा दिया उसमें यह कार्य कराना सम्भव नहीं था । यह जिलाधिकारी और डी0 पी0 ए0 पी0 की कमेटी गठित होती है, वही पैसा देती है

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

बीच में जब इस योजना का कार्य बन्द हुआ तो क्या यह सही है कि इसके निर्माण के लिये जो नक्शा तैयार किया था, कुछ गलत हो गया था, इसलिये इसकी लागत ज्यादा आयी ? क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुए बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इसका नक्शा गलत हो गया था, जिससे लागत ज्यादा आयी ? यदि हां, तो नक्शा बनाने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य--

यदि माननीय सदस्य मुझे इस सम्बन्ध में लिखकर देंगे तो अवश्य उस अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराऊंगा ।

जनपद बहराइच में पत्रकार श्री राम शरण सैनी की थानाध्यक्ष, नानपारा द्वारा गिरफ्तारी तथा पिटाई के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य

(श्री हुकुम सिंह द्वारा-- वक्तव्य पढ़े जाने के लिये खड़े होने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

क्या वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[थाना नानपारा, जनपद बहराइच पर दिनांक 13-8-85 को श्री नौरंगी, पुत्र श्री मिश्री लाल, मुहल्ला नई बाजार, कस्बा व थाना नानपारा, जनपद बहराइच ने राम सरन सोनी, पुत्र राम लौटन सोनी, निवासी कस्बा व थाना नानपारा, बहराइच के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी,जिसके आधार पर भा0 द0 वि0 की धारा 279/337/338/427 के अधीन एक मु0अ0सं0 220/85 दर्ज किया गया । प्रथम सूचना के अनुसार वादी नौरंगी लाल, पुत्र मिश्री लाल इमामगंज रोड चौराहे के निकट दायीं तरफ़ अपने दरवाज़े पर लगभग 12 बजे चारपाई पर लेटा हुआ बीड़ी पी रहा था । वादी के दाहिनी तरफ़ उसका लड़का तख्त पर लेटा हुआ था। और वह भी बीड़ी पी रहा था । उसी समय राम सरन सोनी, पुत्र राम लौटन अपनी कार यू0 पी0 एफ़0 1570 से चौराहे से सिनेमा हाल इमामगंजरोड पर आया । प्रार्थी ने चिल्लाकर कार रोकने को कहा किन्तु श्री सोनी ने आवाज नहीं सुनी और उस पर तथा उसके लड़के पर अपनी कार चढ़ा दी जिससे दोनों को भयंकर चोटें आई इसके बाद राम सरन सोनी कार से निकल कर भाग गये ।

2--इस घटना से नौरंगी लाल एवं उसके पुत्र के सीने, पसलियों तथा सिर में गम्भीर

[[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया । *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चोटें आई,घायलों को स्थानीय सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस घटना की तफ़तीश का कार्य एक उपनिरीक्षक को सौंपा गया जिसने इस अभियोग के नामजद अभियुक्त श्री राम सरन सोनी को दिनांक 13-8-85 को प्रात: गिरफ्तार किया तथा न्यायालय के लिए रवाना किया। विवेचना के दौरान गवाहान व अन्य तथ्यों से इस बात की पुष्टि हुई कि श्री सोनी स्वयं ही कार चला रहे थे।

3--दिनांक 2 जुलाई, 1985 को भी श्री चोंगे, पुत्र झगड़ू हरिजन, निवासी लखइया कला,थाना नानपारा के प्रार्थना पत्र के आधार पर भा0दं0वि0 की धारा 406/420/342/384/323/504 के अन्तर्गत एक मु0 अ0 सं0 171/85 भी श्री सोनी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। यह अभियोग श्री सोनी तथा उनके नौकर मोले द्वारा वादी की चांदी हड़पने आदि के बारे में है। उपर्युक्त प्रथम सूचना की पुष्टि स्वयं श्री चोंगे तथा श्री अब्दुल कादिर, मुसम्मात असगरी तथा श्री सुन्दर कोरी, पुत्र छेदी राम द्वारा की गयी है। अभियुक्त श्री सोनी को इस मुकदमें के संबंध में भी न्यायालय में पेश किया गया था और दिनांक 20-8-85 को श्री सोनी की न्यायालय से जमानत हो चुकी है।

4 --जिला सूचना अधिकारी, बहराइच से प्राप्त सूचना के अनुसार भी सोनी मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है। वे पत्रकार संघ, नानपारा के सदस्य भी नहीं है। श्री रामसरन सोनी, पुत्र श्री राम लोटन, निवासी कस्बा व थाना नानपारा के रहने वाले हैं और अपने घर में सर्राफ़े का कारोबार करते हैं।

5--यह भी असत्य पाया गया कि थाना नानपारा के प्रभारी निरीक्षक तथा उप निरीक्षक ने श्री राम सरन सोनी से कभी भी उनकी कार मांगी अथवा उन्हें धमकी दी या मारा पीटा। यह भी सत्य नहीं है कि पुलिस ने श्री सोनी की पिटाई की और हथकड़ी पहनाकर नंगे पैर बाजार में घुमाया। इस घटना से प्रदेश अथवा जनपद के पत्रकारों में कोई असंतोष नहीं है और न ही पत्रकार अपने को असुरक्षित अनुभव कर रहें हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बयान में दिया गया है कि इस घटना से प्रदेश के अथवा जनपद के पत्रकारों में कोई असंतोष नहीं है और न ही पत्रकार अपने को असुरक्षित अनुभव कर रहे है। जब श्री राम सरन सोनी को जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, जिनको फ़र्ज़ी मुकदमों में फ़ंसा दिया गय और हथकड़ी लगाकर नंगे पैर शहर में घुमाया गया, पत्रकार मुख्य मंत्री जी से भी मिले,लखनऊ के भी पत्रकार मिले, डी0आई0 जी0 से मिले पत्रकार संघ के लोग, फ़िर यह किस आधार पर कहा गया है ?

श्री हुकुम सिंह--

आप कृपया सवाल को दोहरा दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

वक्तव्य में लिखा हुआ है कि इस दुर्घटना से पत्रकारों में असंतोष नहीं है। जबकि श्री राम सरन सोनी का गलत दफा में चालान किया गया और उसे नंगे पैर बाजार में घुमाया गया। इस संबंध में डी0 आई0 जी0 से पत्रकार मिले, मुख्य मंत्री से मिले तो कैसे आप कह रहे हैं कि पत्रकारों में कोई असंतोष नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह--

श्री सोनी मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर मैं यह बतला रहा हूं, यह जानकारी पत्रकारिता जगत से प्राप्त हुई है और यह भी पता लगा है कि इससे पत्रकारों में कोई असंतोष नहीं व्याप्त है।

श्री इन्द्र प्रताप सिंह--

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस पत्रकार को मान्यता कब मिली थी ?

श्री हुकुम सिंह--

श्री सोनी मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मोटर एक्सीडेन्ट के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया जबकि इनके साथ इनका ड्राइवर था और वही मोटर चला रहा था। ड्राइवर को छोड़ करके और फिर इनको पकड़ करके बन्द कर दिया गया इसका क्या कारण है ?

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री हुकुम सिंह---

मोटर गाड़ी ये खुद चला रहे थे, ड्राइवर गाड़ी में नहीं था जब यह एक्सीडेन्ट हुआ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

वहां थाने में ए0एस0 सिंह दरोगा थे और 9-8-85 को रीजनल आई0जी0 को लिख कर इस बारे में शिकायत दी गयी थी कि पुलिस की साजिश से उन्हें पीटा गया है। क्या संबंधित पत्रकार ने क्षेत्रीय आई0जी0 के यहां कोई आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो वह क्या था ?

श्री हुकुम सिंह---

जो शिकायत उन्होंने की है दरोगा के संबंध में उसकी जांच करायी जा रही है।

जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में पिटाई से श्री आबिद की हत्या की घटना के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता---

क्या इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

आज एक साथ यह दर्जन भर तो वक्तव्य मिले हैं कैसे एक साथ इसे पढ़ लेंगे ?

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है, मंत्री जी इसे आप पढ़ दें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री संतोष कुमार त्रिवेदी उप निरीक्षक, थाना कोतवाली लखीमपुर ने दिनांक 11-5-85 को 8.30 बजे रात्रि थाना कोतवाली पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि उस दिन जब वह दो कांस्टेबिलों के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं देखभाल हेतु हीरा लाल चौराहा पहुंचे तो यह सूचना मिली कि संकठा देवी मोहल्ले का आबिद नामक बदमाश स्टेशन गेट के पास नाजायज असलहे के साथ खड़ा है। इस पर वादी, उपरोक्त कर्मचारी एवं हीरा लाल चौराहे धर्मशाला पर तैनात दो कांस्टेबिलों के साथ रेलवे स्टेशन आया तो पितरिया मार्केट के सामने एक व्यक्ति साथ में झोला लिये दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह व्यक्ति संकठा देवी की तरफ भागा। पुलिस द्वारा पीछा किये जाने पर उसने झोले से देशी कट्टा निकाल कर पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया। उपरोक्त पुलिस कर्मी व जनता द्वारा करीब साढ़े सात बजे सायं सुदामा दूध भंडार के सामने उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछने पर उसने अपना नाम आबिद पुत्र सादिक मुहम्मद रिजवी, निवासी मोहल्ला संकठा देवी बतलाया। जामा तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी तमंचा जिसकी नाल में एक कारतूस मिस व झोले से दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए। उपरोक्त सूचना पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 186/85 धारा 307 भा0 दं0 वि0 व 25 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत हुआ एवं विवेचना प्रारम्भ की गई पुलिस के अभिलेखों के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त को साधारण चोटें आयी।

दिनांक 12-5-85 को प्रातः 7.05 बजे अभियुक्त द्वारा दर्द की शिकायत किये जाने पर उसे डाक्टरी परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय, खीरी लें जाया गया जहां पर प्रातः 7.45 बजे डाक्टरी परीक्षण से अभियुक्त के शरीर पर 10 साधारण चोटें पाई गईं। दिनांक 13-5-85 को जिला चिकित्सालय, खीरी से अभियुक्त को चिकित्सा हेतु मेडिकल कालेज लखनऊ ले जाया गया जहां पर दिनांक 14-5-85 को अपरान्ह 2.15 बजे अभियुक्त की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर एन्टीमार्टम इन्जरीज पायी गयीं एवं मृत्यु का कारण एन्टीमार्टम इन्जरीज के कारण शाक एवं हेमरज से होना अंकित किया गया है।

दिनांक 12-5-85 को आबिद के पिता श्री सादिक मोहम्मद ने पुलिस द्वारा आबिद को मारने-पीटने एवं मरणासन्न हालत में अस्पताल में भर्ती कराये जाने के संबंध में थाना कोतवाली पर लिखित सूचना दी जिसके आधार पर संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 323 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। आबिद की मृत्यु की सूचना मिलने पर उक्त अभियोग धारा 304 भा0दं0 वि0 में परिवर्तित करके पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नगत घटना की मैजिस्ट्रीयल जांच प्रचलित है । मामले की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई । जांच जारी है ।

मामले से संबंधित पुलिस कर्मियों का अन्य जनपदों में स्थानान्तरण किया जा चुका है । उपनिरीक्षक, संतोष कुमार त्रिवेदी को पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया था परन्तु बाद में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसे बहाल कर दिया गया है ।

यह कथन सही नहीं है कि इस घटना से पूरे जनपद की जनता में पुलिस के विरुद्ध भारी रोष, क्षोभ, आतंक तथा भय व्याप्त है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, यह स्पष्ट रूप से पुलिस द्वारा हत्या का मामला है, मान्यवर, जब उसको बन्द किया गया, तो उसके साधारण चोटें थीं। उसका पोस्ट मार्टम कराया गया है. तो माननीय मंत्री जी बता दें कि उसको कितनी चोटे आयीं हैं । मेरी जानकारी है कि उसकी पसलियां टूटी हुई थीं, पेट में लात मारी गयी और पेशाब की थैली फ़टी हुई है और ब्रेन हैमरेज से उसकी मौत हुई है । मान्यवर, थाने में उसको इतना मारा गया,पहले उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और फ़िर मेडिकल कालेज में ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गयी । बयान में आया है उसके साधारण चोटें थीं, इससे स्पष्ट है कि पुलिस की मार से वह मर गया । और एक दरोगा को केवल सस्पेंड किया गया, जब कि उसमें पूरा थाना शामिल है, तो उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ।

श्री हुकुम सिह--

मान्यवर, जहां तक चोटों का सवाल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके अनुसार 10 चोटे आयी है, कान्ट्यूजन,मल्टीपिल एब्रोडेड कन्ट्रजन इसी प्रकार की चोटे पायी गयी हैं और जहां तक वर्मा जी ने कहा कि यह हत्या का मामला है तो 304 में मुकदमा कायम किया गया है और विवेचना पर किसी को शंका न हो, इसलिये इसको पुलिस से न कराकर सी0आई0डी0 से जांच करायी जा रही है । पहले उसका स्थानान्तरण किया गया और फ़िर निलम्बन किया गया । यह संयोग की बात है कि वह दरोगा हाई कोर्ट में चला गया और स्टे आर्डर ले आया, इस कारण निलम्बन आदेश प्रभावी नहीं हो सका सी0आई0डी0 कार्यवाही पूरी हो जाये तो सभी तथ्य सामने आ जायंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, प्राइमा फ़ेसाई केस पुलिस पर बन रहा है । एक दरोगा को ही सस्पेंड किया गया है, जबकि पूरा थाना उसमें शामिल है, तो मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे पुलिस के लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ।

श्री हुकुम सिह--

मान्यवर, यह कार्यवाही तो नहीं कर सकेंगे लेकिन प्रशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत जो होना चाहिए,वह होगा आपके सामने उदाहरण है । एक आदमी को मैंने निलम्बित किया । निलम्बित करते ही उच्च न्यायालय में चला गया और स्टे आर्डर ले आया उसी आधार पर यदि दूसरे को निलम्बित करते हैं तो उसका भी इक्सटेंशन हो जायेगा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि उसका परीक्षण चल रहा है, जांच चल रही है । अगर वे दोषी होंगे तो उनको जेल भी भेजा जायेगा और कार्यवाही भी की जायेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

किसी की हत्या का अभियुक्त होता है तो उसको सस्पेन्ड किया जाना चाहिए । जो उनका बयान है उससे स्पष्ट है कि थाने की पुलिस ने हत्या की है और माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे है कि एक को स्टे मिल गया और दूसरे को भी मिल जायेगा । यह तो काल्पनिक तरीका है । आप अपने स्तर से कार्यवाही कीजिए । अगर इस तरह की हत्याओं में जो पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है तो जो पुलिस हत्या कर रही है उसको बढ़ावा मिलेगा । मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं पूरा थाना हत्या करनें में शामिल है, तो आपके अपने स्तर से कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, जो पुलिस रेगूलेशन है 496, उसमें मैंने देखा है कि इन पुलिस कर्मियों के बारे में जिनके खिलाफ़ चार्जशीट आ जायेगी न्यायिक जांच चल रही है, इस मुकदमे के आधार पर उन्हें सस्पेन्ड किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसको पूरा करेंगे चाहे प्रशासनिक कार्य हो चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो, दोनों साथ-साथ चलेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर सामाजिक व्यक्ति था और अपराधी था इसकी पूरी तरह से जांच करायेंगे अगर वास्तव में यह अपराधी था और पुलिस की गिरफ्तारी के दौरान उसके चोटें आयी तो पुलिस ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। आपने जो कार्यवाही की है उससे उनका मनोबल गिर रहा है, तो क्या इसको खत्म करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह---

प्रश्न न तो किसी अपराधी व्यक्ति को मारने का है और न किसी के मनोबल गिराने का है। अगर कोई अपराधी है और अपराध किया है तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए। किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के पूरे हुए दंड नहीं दिया जा सकता है। गिरफ्तारी के दौरान यदि चोटें आनी संभव थीं तो इसको न्यायालय देखता। अगर किसी भी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गयी तो यह देखा जाता है कि जांच की आवश्यकता है। उसी की आवश्यकता को देखते हुये मैंने मैजिस्ट्रेट की इनक्वायरी के आर्डर दिये और सी0 आई0डी0 को इनक्वायरी भी सौंप दी। अगर यह सिद्ध हो जाता है कि पुलिस ने हत्या नहीं की है तो उसके खिलाफ़ कुछ भी नहीं किया जायेगा।

जनपद जालौन में खाद्यान्न योजन के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(श्री प्रवीण कुमार शर्मा के खड़े होने पर)

एक सदस्य---

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

क्या इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

*सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा) ---

[माननीय विधायक द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सम्पन्न कराये जा रहे कार्य के अन्तर्गत कार्य करने वाले 150 श्रमिकों को वितरण के लिए निर्धारित गेहूं के सम्बन्ध में स्पेशल जज जालौन के आदेशों के बावजूद वितरण न किये जाने की सूचना दी गयी है

इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी, जालौन से प्राप्त आख्या के अनुसार निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये---

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत सिलऊवा लिंक रोड का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड द्वारा कराया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज श्री आर0 बी0 तिवारी, अवर अभियंता है। इस मार्ग पर कार्यरत मजदूरों को। कि0 ग्रा0 सामान्य एवं 1 कि0 ग्रा0 मुफ्त गेहूं देने का प्राविधान है। दिनांक 29-6-1985 को 77 कुन्तल गेहूं ट्रक संख्या 5117 यू0 टी0 डी0 में लाद कर साधन सहकारी समिति, रामपुरा से श्री ए0 के0 रुसिया, अवर अभियन्ता (एप्रेन्टिस) द्वारा ले जाया जा रहा था। इस ट्रक पर कोई मजदूर नहीं थे।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

ट्रक को श्री जगत नारायण शर्मा, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खंड, रामपुरा ने देखा और यह पाया कि गेहूं जिन मजदूरों में वितरण हेतु वांछित था, वे मजदूर मौके पर गेहूं लेने नहीं आये थे और न ट्रक पर मौजूद ही थे अपितु गेहूं अवर अभियंता द्वारा ले जाया जा रहा था। अतः श्री शर्मा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना रामपुरा में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई। फलस्वरूप यह गेहूं एन0आर0ई0पी0 के बोरों सहित थाना रामपुरा में अवरुद्ध कर लिया गया और मामला अपराध संख्या 169/85 अंकित कर लिया गया।

मजदूरों की तरफ से माननीय स्पेशल जज, ई0सी0ऐक्ट न्यायालय में मिस0 आवेदन पत्र संख्या 26/85 प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय स्पेशल जज द्वारा दिनांक 19-7-1985 को थाने में जब्तशुदा गेहूं खण्ड विकास अधिकारी, रामपुरा/सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, जालौन द्वारा सूचीबद्ध 150 मजदूरों को वितरित करने का आदेश दिया गया।

उक्त आदेश के सन्दर्भ में दिनांक 23-8-1985 को जिलाधिकारी, जालौन द्वारा गेहूं वितरित करने का आदेश खण्ड विकास अधिकारी, रामपुरा को दिये गए।

इसी आदेश के सन्दर्भ में थाना रामपुरा में जब्तशुदा 77 कुन्तल गेहूं की तौल कराकर सूचीबद्ध मजदूरों में वितरित करने हेतु जिलाधिकारी जालौन द्वारा पुनः दिनांक 31-8-1985 को आदेश थानाध्यक्ष, रामपुरा तथा खण्ड विकास अधिकारी रामपुरा को दिया गया है जो शीघ्र ही सूचीबद्ध 150 मजदूरों में वितरित करा रहे हैं।]

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि गेहूं जो पकड़ा गया था उसमें माननीय स्पेशल जज द्वारा दिनांक 19-7-85 को रिहा करने के लिये आदेश दिया गया था। उसके बाद दिनांक 23-8-85 को जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया कि गेहूं बांट दिया जाय और फिर दिनांक 31-8-85 को जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि गेहूं बांट दिया जाय। यह क्या कारण है कि 19-7-85 को माननीय स्पेशल जज के द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद इतना विलम्ब गेहूं बांटने में क्यों किया गया?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य जिन्होंने यह चिन्ताजनक प्रश्न उठाया है, उनको बताना चाहता हूं कि दिनांक 19-7-85 को जब मजदूरों ने जिला जज के यहां एक अर्जी दी तो उन्होंने आदेश दिया कि गेहूं रिलीज कर दिया जाय। उसके बाद बी0 डी0 ओ0 रामपुर को यह आदेश दिये गये कि गेहूं बंटवा दें। दिनांक 24-8-85 को जिलाधिकारी ने उक्त आदेश के तहत बी0 डी0 ओ0 रामपुरा को गेहूं बांटने के आदेश दिये। इस आदेश के सन्दर्भ में चूंकि यह जब्तशुदा गेहूं था, उसको रिलीज करने के लिये जिलाधिकारी ने एस0 ओ0 रामपुरा को आदेश दिये। तदुपरान्त जिलाधिकारी जालौन ने दिनांक 31-8-85 को एस0 ओ0 और बी0 डी0 ओ0 रामपुरा को इस गेहूं को बांटने के आदेश दिये। अब उसको वितरित किया जा रहा है। मान्यवर, इसमें देरी जरूर हुई है। इसमें हमको भी चिन्ता है। अब जिलाधिकारी ने आदेश दिये हैं कि गेहूं बांट दिया जाय।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

श्रीमन्, इस पूरे मामले में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। मजदूरों का गेहूं अवर अभियन्ता ब्लैक करने के लिये जा रहा था और उस स्थिति में ए0डी0ओ0 ने बतलाया कि उसका चालान हुआ। जिला जज ने मजदूरों में गेहूं

नोट—[ ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार पढ़ा हुआ माना गया।

बांटने के लिये 19-7-85 को आदेश दिया 23-8-85 को जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को और 31-8-85 को एस0ओ0 को आदेश दिया। क्या माननीय मंत्री जी पुनः इस मामले की जांच करायेंगे कि इसमें देरी क्यों हुई है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

एफ0 आई0 आर0 दर्ज है और जांच हो रही है।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

डिले क्यों हो रही है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

देरी नहीं हो रही है। आदेश दे दिये गये है कि गेहूं बांट दिया जाय।

गोरखपुर कैन्ट थाने की पुलिस तथा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दैनिक पत्र "आज" के प्रबन्धक के आवास से सामान लूटे जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

एक सदस्य--

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता:--

क्या पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार यह आरोप सत्य नहीं है कि पुलिस की साजिश से असामाजिक तत्वों द्वारा "दैनिक आज" के प्रबन्धक का सामान लूटा गया व उनको तथा उनके आदमियों को भवन, बंगला नं0-23, के उत्तरी भाग में जाने से रोका गया व उनके एक कर्मचारी को निर्दयतापूर्वक पीटा गया तथा घर से बाहर निकाला गया। यह मामला वास्तव में बंगला नं0-23 के उत्तरी भाग पर श्री गजेन्द्र प्रसाद पाण्डे प्रबन्धक "दैनिक आज" श्री नरेन्द्र मोहन गुप्ता "दैनिक जागरण" के मध्य कब्जे के प्रकरण से सम्बन्धित विवाद का है जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। अस्तु पुलिस किसी भी पक्ष की ओर से अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

2--जिलाधिकारी कार्यालय के लाइब्रेरियन ने श्री राम दरस त्रिपाठी "दैनिक जागरण" के आवेदन दिनांक 5-8-85 पर कार्यालय अधीक्षक से एक फर्जी आदेश पारित करवा लिया था। जिसको पारित करने के लिये कार्यालय अधीक्षक व लाइब्रेरियन अधिकृत नहीं थे। अस्तु यह आदेश वापस ले लिये गये। श्री सूर्य नारायण पाण्डे, लाइब्रेरियन, को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

3--दिनांक 13 अगस्त, 85 को श्री बालाजी प्रसाद दीक्षित "आज" ने एक तहरीरी सूचना थाना कैन्ट पर अंकित कराई जिसमें लिखा था कि श्री गजेन्द्र प्रसाद पाण्डे के भवन 23 सिविल लाइन के उत्तरी भाग में 13 अगस्त, 85 को ही लगभग दिन के 3 बजे श्री राम दरस त्रिपाठी आदि 25-30 व्यक्ति "दैनिक जागरण" के घुस आये और मारपीट करके सामान लूट रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। इस सूचना पर अपराध संख्या 414/85 धारा 395 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ। इस अभियोग की विवेचना एस0 आई0 एस0 द्वारा प्रचलित है।

4--दिनांक 13 अगस्त, 1985 को ही विवादित भवन के मौके पर शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस तैनात कर दी गयी। शहर व जिले में स्थिति सामान्य है। कोई आक्रोश अथवा रोष जनता में विद्यमान नहीं है।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

जैसा कि बयान से स्पष्ट है कि फर्जी आदेशों के तहत उनके मकान पर पुलिस द्वारा कब्जा करा लिया गया। 13 तारीख को गजेन्द्र पाण्डेय का कब्जा उस पर था। इस फर्जी आदेश को लेकर गजेन्द्र पाण्डेय के मकान के सारे सामान का उठा कर बाहर फेंक दिया और उस पर अवैध कब्जा करा लिया ···।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न कीजिये।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

14 तारीख को जब पाण्डेय लौट कर आये और उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि फर्जी आदेश जो दिये गये हैं उससे मकान में कब्जा कर लिया गया है। तो क्या सरकार पुनः उन्हें कब्जा दिलायेंगी और जो गलत कार्यवाही हो गयी है उसको वापस लिया जायेगा और जिसने फर्जी आदेश दिये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह--

जहां तक फर्जी कार्यवाही का संबंध है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि कब्जा दिया गया। तो माननीय सदस्य खुद ही बताते है कि उस आदेश को वापस ले लिया गया है। और जिस व्यक्ति के माध्यम से फर्जी आदेश कराये गये उसे निलम्बित कर दिया गया है। कब्जा दिलाने का जो प्रकरण ह उसमें मामला दिवानी न्यायालय में वाद दायर है, क्योंकि मामला न्यायालय में चला गया है कब्जा वहीं से तय होना है उसमें पुलिस या जिला प्रशासन हस्तक्षेप नहीं कर पायेगा।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

मान्यवर, यह मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट का फैसला गजेन्द्र पाण्डे के पक्ष में है और फैसले में उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती स्थिति कायम रखी जाय और जो फर्जी कब्जा कर लिया गया है वह समाप्त हो।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न पूछिये।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र --

अदालत ने आदेश दिया है कि 13 तारीख की स्थिति बरकरार की जाय तो क्या कब्जा पुनः उनको दिलाया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह--

सम्मानित न्यायालय के जो आदेश हैं उसको लागू करने के लिये वह सक्षम हैं अपना आदेश वह पालन करायेंगे अगर उसमें कोई प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता होगी वह आदेश देंगे तो उनका पालन करना प्रशासन का दायित्व है। अगर न्यायाधीश आदेश देंगे कि कब्जा दिलाया जाय तो पुलिस अवश्य उसका पालन करेगी।

श्री त्रियुगी नारायण--

आज भी पुलिस वहां पर अवैध कब्जे को रोके हुये है और वहां पर तैनात है क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, दुर्भाग्यवश इस मामले में इतनी कठिनाई आ गयी है क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये हैं और जो एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी है उसके आधार पर कार्यवाही चला दी गयी है। जहां तक पुलिस के वहां पर होने की बात है वह वहां पर कब्जा रोकने के लिये नहीं है, कोई और झगड़ा न हो जाय उसको देखने के लिये भी उसका दायित्व है, कब्जा रोकने में वह सहायता नहीं कर रही है।

(मद संख्या 65 पुकारे जाने पर)

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण मामला है अदालत ने फैसला दे दिया है कि 14 ता0 से पूर्व की स्थिति बरकरार रखी जाय तो उसके तहत क्या उन आदेशों का अनुपालन करायेंगे और दैनिक कार्यालय को कब्जा दिलायेंगे।

एक फर्जी आदेश के तहत कब्जा हो गया है इस तरह से तो कभी गोरखपुर नैपाल में भेज दिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, जो वस्तु स्थिति है उसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दिनांक 12-8-85 को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट गोरखपुर के न्यायालय से वाद संख्या 1508/85 में एक स्थगन आदेश जारी किया गया जिसमें अंकित किया गया कि दिनांक 14-8-85 तक जागरण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे में दखलन्दाजी करने के लिये मनाही की गयी। तो यह रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर ने दिया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जबकि अदालत का आदेश हो, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट हो तो जिला प्रशासन के लिये संभव होगा कि हम न्यायालय के आदेशों का पालन करें।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र---

मान्यवर, 14 तारीख को वह आदेश वापस ले लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठ जायं। आप इसमें मंत्री जी से बाद में मिल कर अपनी शंका का समाधान कर लें।

प्रदेश में जानवरों की तस्करी तथा प्रदेश से हजारों गायों का निर्यात किये जाने के संबंध में वक्तव्य

श्री राजेन्द्र गुप्त---

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि मद 65 के अन्तर्गत जो मंत्री जी वक्तव्य पढ़ने के लिये खड़ी हुई हैं, मैं विलम्ब से आया था, आपके कार्यालय में गया दो बंडल लेकर लेकिन उसमें मद 65 का बयान नहीं है, मेरे पास नहीं है, डा० दिनेश जौहरी के पास वह बयान नहीं है। इसमें व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय गुप्त जी, ऐसा है कि माननीय मंत्री जी ने मद संख्या 65-66 का एक ही वक्तव्य प्रस्तुत किया है इसलिये दोनों मदें इकट्ठे मैंने कहीं हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त---

ठीक है।

(श्रीमती बेनी बाई द्वारा खड़े होकर वक्तव्य पढ़ने पर)

एक सदस्य---

वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

*पशुधन मंत्री (श्रीमती बेनीबाई)---

[जिला मजिस्ट्रेट बरेली को दिनांक 10 अगस्त, 1985 को डा० कृष्ण औतार वार्ष्णेय, निवासी 579, रोहतीटोला, बरेली ने एक लिखित शिकायत पत्र दिया जिसमें श्री मुन्ना पुत्र नत्थू, निवासी झुटिया, थाना शाहजादनगर, जिला रामपुर द्वारा अवैध रूप से लगभग 120 गायों को कलकत्ता ले जाने की बात कहीं गयी एवं संदेह व्यक्त किया गया है कि उक्त गायें वध हेतु ले जायी जा रही हैं। जिला मजिस्ट्रेट बरेली ने जिला पशुधन अधिकारी बरेली को निर्देश दिये कि वे इसकी जांच करें और शिकायत सही होने पर थाने में प्रथम दृष्ट्या अपराध पंजीकृत करायें। जिला पशुधन अधिकारी ने जांच में पाया कि श्री मुन्ना नामक व्यक्ति ने अवैध परमिट पर क्लक्टरबकगंज रेलवे स्टेशन से अवैध परमिट के आधार पर 126 गाय व 13 बैल कलकत्ता के लिये बुक कराये हैं। अतः जिला पशुधन अधिकारी ने उसी दिन क्लक्टरबकगंज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई।

पुलिस स्टेशन क्लटर बकगंज की पुलिस ने मुन्ना नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर 126 गायों व 13 बैल को अपने कब्जे में लेकर अपनी देख-रेख में ट्रकों द्वारा बरेली गौशाला सोसाइटी, बरेली में रखवा दिया है एक गाय की मृत्यु 13-8-85 की रात्रि में रिब फ्रैक्चर के कारण से हो गई थी। जिला पशुधन अधिकारी बरेली की देखरेख में 14 अगस्त, 1985 को इस मृत गाय का पोस्ट-मार्टम करवा दिया गया है। जिलाधिकारी, बरेली द्वारा इस सूचना का प्रतिवाद किया गया है कि जनता ने इन पशुओं को घेर कर उतार लिया तथा वह अभी उन्हीं के कब्जे में हैं। इस सूचना का भी खण्डन किया गया है कि बरेली नगर में 50 गायें एक दूसरे स्थान पर जनता ने अपने कब्जे में ले रखी है।

मुन्ना नामक व्यक्ति के पास से डा0 एन0 डी0 शर्मा, पशुधन विकास अधिकारी द्वारा जारी किये गये परमिट दिनांक 5 जून, 1985 बरामद हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा डा0 शर्मा को गोवध निवारण आधनियम, 1955 के अन्तर्गत परमिट जारी करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। मुन्ना नामक व्यक्ति ने 3 जून, 1985 को एक विविध प्रार्थना-पत्र जिला मजिस्ट्रेट को अवश्य दिया था जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पशुधन अधिकारी, बरेली को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। डा0 एन0 डी0 शर्मा को 1000 गाय व बैलों का परमिट जारी करने हेतु गोवध निवारण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत न तो जिला मजिस्ट्रेट बरेली और न जिला पशुधन अधिकारी, बरेली ने ही प्राधिकृत किया था जिससे प्रतीत होता है कि डा0 शर्मा द्वारा परमिट जारी करने का कार्य अनियमित था। अतः डा0शर्मा के निलम्बन आदेश निर्गत कर दिये गये हैं तथा उनके विरुद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस द्वारा कब्जे में ली गयी 126 गायें तथा 13 बैलों की आयु जिला पशुधन अधिकारी बरेली द्वारा चार से नौ वर्ष के मध्य बतायी गयी है और पशुओं के कान गुदे हुये हैं।

जनपद रामपुर के जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद रामपुर में 18-9-84 के उपरान्त कोई भी परमिट पशुओं के निर्यात के सम्बन्ध में नहीं दिया गया। इसके पूर्व में जो भी परमिट पशु परिवहन हेतु दिये गये है उसकी स्वीकृति जिलाधिकारी रामपुर से प्राप्त की गयी है।

जहां तक जनपद मुरादाबाद में पशुओं के परिवहन का सम्बन्ध है वर्तमान में वर्ष 1985-86 में 30 जुलाई, 1985 तक 15 वर्ष से अधिक उम्र के कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त कुल 19,200 बैलों को परिवहन हेतु प्रमाण-पत्र दिये जाने की सूचना जिला पशुधन अधिकारी मुरादाबाद ने दी है।]

डा0 दिनेश जौहरी--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा-जैसा उन्होंने कहा है कि जिलाधीश ने इसमें परमीशन नहीं दी है, लेकिन मेरे पास फोटो स्टेट कापी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पशु-धन अधिकारी को कि नियमानुसार कार्य-वाही की जाये, नम्बर दो, पिछले वर्षों में जिला मुरादाबाद, रामपुर और बरेली से अवैध रूप से गायों का लदान हावड़ा के लिये किया गया है, जिसके फलस्वरूप करीब दो लाख रुपये का गोमांश खाड़ी के देशों को इन क्षेत्रों से भेजा गया है, बेचा गया है और इतना ही नहीं दूसरे भागों जैसे उरई आदि से भी बहुत सी गायें लदती रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गायें भेजी गई थीं और जिनको जिलाधीश ने अपने कब्जे में लिया, क्या उनके खाने-पीने के लिये उन्होंने कोई पैसा दिया था? क्योंकि वहां की जनता उनके खाने पीने के लिये एक-एक रुपये जमा कर रही है। तो यह गायें आगे से न जायें, इसके लिये क्या आप कोई कारगर कानून बनाने जा रहे हैं?

श्रीमती बेनीबाई---

यह ट्रस्ट की एक सोसाइटी है, जिसमें गोशाला खुली हुई हैं और उसमें सारी व्यवस्था जिलाधीश और सोसाइटी के लोगों की रहती है और इसके बावजूद जिलाधीश ने 20 हजार रुपये की शासन से मांग की है, जो शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र गुप्त---

गायों के खाने के लिये इंतजाम किया गया या नहीं, यह महत्व का नहीं है, वहां की जनता उनको खिलाने के लिए सक्षम है, लेकिन गम्भीर मामला यह है---जो वक्तव्य है उसमें सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि 4 से 8 वर्ष के बीच की दुधारू गायें, जबकि उत्तर प्रदेश का नियम है जिसके अनुसार 15 वर्ष से नीचे की गायों का निर्यात नहीं हो सकता है, भेजने के लिये परमिट दिया गया है लेकिन यह फर्जी है। जिला पशुधन अधिकारी को परमिट देने का अधिकार नहीं था लेकिन दे दिया है। इसमें यह भी लिखा है कि रामपुर से भी निर्यात हुआ है और उसमें भी जिलाधीश की पुष्टि नहीं हुई है। इसी प्रकार दलपतपुर में भी हुआ है, इस बारे में मेरे पास पुष्ट जानकारी है, उसमें कृषि योग्य बैल थे। जिनके बारे में पिछली बार मंत्री जी ने जवाब दिया था कि वह केवल बूढ़े बैल थे। मैं उसकी आपको कापी दे दूंगा जो खुद ले जाने वाले ने शपथ पूर्वक कहा है। वह अपने आवेदन पत्र में कहता है, जिसका नाम अमीर हुसैन उर्फ बाबू, पुत्र श्री मु0 हुसैन, मोहल्ला अहरिया, लालबाग, जिला मुरादाबाद है। वह अपने आवेदन पत्र में लिखता है.--"मैं आपके रेलवे स्टेशन भगवानपुर व दलपतपुर से रेलवे स्टेशन हावड़ा तथा वाली तक एक हजार कृषि योग्य बैलों का परिवहन करने के लिये अनुज्ञा-पत्र देने का अनुरोध करता हूं। इन पशुओं को कृषि प्रयोजन के लिये परिवहन किया जायगा।" इतना ही नहीं उस आवेदन-पत्र पर वहां के एक संसद सदस्य, जो यहां मंत्री भी रहे हैं, रेकमेण्ड किया है। उन्होंने लिखा है फारवर्डेड एण्ड स्ट्रांगली रेकमेण्डेड। उन संसद सदस्य का नाम श्री सिद्दीकी है। यहां से इतनी बड़ी तादाद में कृषि योग्य बैलों को निर्यात करने का परमिट जिलाधीश मुरादाबाद से दिया गया। तो इस प्रकार से इतना बड़ा बवेला प्रदेश में मचा हुआ है--दुधारू गायों और कृषि योग्य बैलों का धड़ल्ले से निर्यात हो रहा है। इतने बड़े निर्यात को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वह हमारे पशुही नहीं है, कृषि योग्य और दुधारू पशु ही नहीं हैं। हिन्दुस्तान के हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये श्रद्धा, अस्मिता और संस्कृति का प्रतीक भी गायें हैं। मुसलमान बादशाहों के शासन काल में भी गोवध पर प्रतिबन्ध रहा है। किन्तु आज सरकार की ढिलाई और उसकी साजिश से इनका बड़ी मात्रा में कत्ल किया जा रहा है, उसको रोकने के लिये वह क्या कर रही है? मान्यवर, 15 साल से कम उम्र की गायें और बैलों को, गायों को डेरी के लिये और बैलों को कृषि कार्य के लिये दूसरे प्रदेशों में ले जाने दिया जाता है। गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अन्तर्गत 5 रुपये फीस फार्म की होती है, उसको भरा जाता है और वह अपना हलफियाबयान देता है कि वह गायों को दूध के लिये और बैलों को कृषि कार्य के लिये ले जा रहे हैं। इसमें कहीं रुकावट नहीं है। 15 साल से ऊपर के बैल बाहर जाते है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 4 से 9 साल की उम्र को गायों को बाहर न जायं तो मैं कहना चाहता हूं कि हम भी तो पंजाब और हरियाणा से मंगाते है। लेकिन गोबध के लिये गाये नहीं जाती है और गायें-वृद्ध भी हो जायं तो भी नहीं जाती है। बैल 15 साल से ऊपर के तो ले जाये जाते हैं लेकिन उसमें उनको प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है जिलाधीश या उन के द्वारा अधिकृत व्यक्ति का। गायों के प्रति हम सब लोगों को हमदर्दी है। लेकिन डेरी के लिये गायें ले जायी जाती हैं। मान्यवर, गोवध निवारण अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत ले जाई जा सकती है। सम्मानित सदस्य ने कहा कि उनके कान पर कोई चिन्ह नहीं था तो नियमावली 16 में जो इस

प्रकार की व्यवस्था है उसके अनुसार सारी शर्तें पूरी है। लेकिन जो डी0 एन0 शर्मा ने परमिट जारी किया उनको यह अधिकार नहीं था। इसके लिये उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है और कोर्ट में केस है। जो कोर्ट निर्णय देगा वह करेंगे।

श्री सत्य प्रकाश विकल---

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि उनके उत्तर से ऐसा लगता है कि यह गायें 4 से 9 साल के बीच की थीं। माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह भ्रम पैदा हो रहा है कि यह गायें ठीक काम के लिये ले जायी जा रहीं थीं। उन्होंने उत्तर में स्वीकार किया है। कि एन0 डी0 शर्मा ने गलत तरीके परमिट दिया और मुन्ना को हिरासतमें लिया गया तो यह स्वीकार करने के बादभी यह कहना कि गाये जा सकती थीं, इससे भ्रम पैदा रहा है इसको स्पष्ट करने की कृपा करें कि गायों को लेजाकर अवैध काम किया जा रहा था या ठीक काम किया जा रहा था ?

श्रीमती बेनीबाई---

मान्यवर, उसने शपथ-पत्र दाखिल किया था और हलफिया बयान दिया था कि गायों को डेरी के लिये और बैलों कोकृषि के लिये ले जाया जा रहा है।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, वक्तव्य के अन्तिम पैरा में मुरादाबाद का जिक्र है। 6 महीने के भीतर वहां से 19200 बैल भेजे गये है। तो यह जाहिर करता है कि मुरादाबाद में वहां के संसद सदस्य और विधायकों की साजिश से बैल जा रहे है। क्या मंत्री जी इतनी बड़ी तादाद को देखते हुये एससमेंट करायेंगीकि मूरादाबाद में कितने बैल है। क्या आपने इसका एसेंसमेंट कराया है या नहीं। नहीं कराया है तो क्या इसको पुनः करायेंगी ? नहीं तो यह साबित होगा कि इसमें आप लोगों का हाथ है और कमीशन प्राप्त कर रहे हैं।

श्रीमती बेनीबाई--

मान्यवर, रामपुर से 18-3-84 के उपरान्त कोई परमिट नहीं ईशू हुआ है और यह 15 साल से अधिक उम्र के हैं। अगर इसमें कोई गलती हुयी है तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराकर सजा दी जायगी।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में बताया कि वह परमिट जो था, फर्जी तरीके से जारी हुआ था। यह जो गाय के लिये या बैल के लिये जो परमिट दिये जाते है, उसके संबंध में क्या उनको जानकारी है कि इतनी अधिक संख्या में एक व्यक्ति को परमिट दिये जाते है,जो कि तिजारत करता है। इन सब बातों को देखते हुए क्या माननीया मंत्रीजी नियमों में ऐसा कोई संशोधन करेंगी कि बाहर भेजी जाने वाली गायों या बैलों की संख्या सीमित कर दी जाय, जैसे एक व्यक्ति को 5 या 10 जानवरों का परमिट दिया जाय, जिससे जो गलत काम कानून की आड़ में होता है, वह न हो ?

श्रीमती बेनीबाई--

यह मान्यवर, सम्भव नहीं है। किसी को व्यापार करने से रोका नहीं जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम के लिये ले जायगा, तो पकड़ा जायगा और उससे सख्ती से निपटा जायगा।

डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, जैसा माननीया मंत्री जी ने कहा कि केवल कृषि और डेरी के लिये गायों और बैलों का निर्यात हो रहा है। मान्यवर, बरेली में जो जानवर पकड़े गये, उसमें 126 गायें और 13 बैल थे। ये सारे बैल 15 साल की उम्र के नीचे थे और गायें जो थीं, वह बरेली में एक किलो भी दूध नहीं देती थी, तो वह क्या हाबड़ा जाकर 10 किलो दूध देने लगेंगी ? (2) क्या डेरी और कृषि के लिये ही, जो गायें और बैल जा रहे है, उनका इस्तेमाल हो रहा हैं ? इस बात की जानकारी

जानवरों को भेजने के बाद माननीया मंत्रीजी कर लेती हैं ? (3) इन सब बातों को देखते हुए क्या माननीया मंत्री जी कोई ऐसा ऐक्ट बनावेंगी, जिससे प्रदेश से जानवरों का जाना सदा के लिये बन्द हो जाय ?

श्रीमती बेनीबाई--

मान्यवर, शपथ-पत्र उसने दाखिल किया और उसमें यह कहा कि गाय डेरी के लिये और बैल कृषि के लिये ले जायंगे । तो उस शपथ-पत्र के आधार पर परमिट जारी किया जाता है ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में दूध की कमी है और खेती के लिये बैल की भी कमी है । तो दुधारु गायों और कृषि कार्यों में आने वाले बैलों को बाहर भेजे जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती बेनीबाई--

मान्यवर, जब हम स्वयं बाहर से मंगाती हैं, तो प्रतिबन्ध इस पर नहीं लगा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, कोई परमिट लेगा, तो उसमें उसका परपज दिया जायगा । मान्यवर, पूरे वक्तव्य में यह नहीं दिया गया है कि तिजारत के लिये ले जायगा । जब यह शिकायत मिली माननीय मंत्री जी को कि गायों को डेरी और बैलों को कृषि के बजाय बध के लिये ले जा रहे है, हमारे गो-वंशका निर्यात गो-बध के लिये हो रहा है, जिस शपथ-पत्र के आधार पर आप परमिट दे रही है, उसी शपथ-पत्र की आड़ में वह बंगाल में भिन्न काम कर रहे है । दूसरी बात अधिनियम में यह है कि विशिष्ट कार्य के लिये एक एक जानवर का परमिट दिया जायगा । मान्यवर, एक हजार परमिट दिये गये । वर्तमान जो संदर्भित क्षेत्र हैं, उसमें एक हजार जानवरों का फ़र्ज़ी परमिट का मामला पकड़ा गया । सरकार ने उन परमिटों की जांच कराई या नहीं कराई यदि जांच नहीं कराई, तो क्या आगे जांच करायेगी या नहीं ?

श्रीमती बेनीबाई--

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी जब भी नालेज में ऐसी कोई बात लायेंगे, तो निश्चित ही जांच कराई जायगी और मान्यवर, जब शिकायत आई, तो जांच हुई और कार्यवाही की गयी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, हमने तीन सवाल किया और तीनों सवालों का जबाव साफ-साफ जानना चाहता हूं । मान्यवर, जब इनको जानकारी मिल गयी, चाहे हमारे प्रश्न के माध्यम से या समाचार-पत्र के माध्यम से कि यह जो बरेली में परमिट जारी हुये थे, वह फर्ज़ी परमिट थे । हजारों की संख्या में जानवर चले गये क्या माननीय मंत्री जी ने इस तरह की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि मुरादाबाद से जो बैल गये हैं उनका फर्जी परमिट था या असली परमिट था । जिस शपथ-पत्र पर जानवर लिये गये क्या उसका पालन किया गया या वध के लिये ले जाये गये ?

श्रीमती बेनीबाई--

मान्यवर, गुप्ता जी ने जो लिखकर दिया है उससे कहीं ज्यादा जानकारी कर ली गई है । यदि शिकायत अपनाई गई हैं तो तगड़ा एक्शन लिया गया है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर मुरादाबाद में कोई जांच की गई यह माननीय मंत्री जी ने कहा । जांच करा ली गई माननीय सदन को साफ-साफ गुमराह करने की चेष्टा की जा रही है । मुरादाबाद में जांच कर ली गई, तो फर्जी परमिट की जांच इन्होंने क्यों नहीं कराई । यह सदन को गुमराह कर रही है । या तो यह जांच रिपोर्ट दे दें ।

श्रीमती बेनीबाई--

मुरादाबाद की जांच हुई है। कोई परमिट ईश्यू नहीं हुआ है । 1983-84 के उपरान्त जो लिये गये हैं वह आथराइज लोग है ।

आगरा जिले के समोगर पर जमुना नदी में पैन्टून ब्रिज बनाये जाने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

(समय 4 बज कर 50 मिनट)

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा अतारांकित प्रश्न था "क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में समोगर पर जमुना नदी पर पैन्टून ब्रिज बनाये जाने के संदर्भ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विशेष सचिव श्री आई0 पी0 गुप्ता के पत्र सं0-170 एल0 सी0 आई0/23-सार्वजनिक निर्माण अनुभाग 11-10 (3) ई/83, दिनांक 15 सितम्बर, 1984 के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस पुल का निर्माण कब तक पूरा हो सकेगा, इसका उत्तर आया है इस पुल के विषय में अभी कोई प्रस्ताव जिला समिति से प्राप्त नहीं हुआ है।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि पिछले वर्ष विधान सभा के सत्र में नियम--52 में इसी संबंध में चर्चा कराई गई थी। तब श्री अम्मार रिजवी द्वारा 1984 का बजट पेश किया गया था उस समय चर्चा में भाग लिया, जो चर्चा हुई थी यह 3 अप्रैल, 1984 को विधान सभा की कार्यवाही पृष्ठ--113 पर की गई थी। मैंने उस समय ये कहा था कि आगरा में जमुना नदी में जवाहर लाल पुल है उसका 1972 में उद्घाटन हुआ है वह 1984-85 में टूटने जा रहा है। उसकी यह स्थिति है। पांच-छः साल मुश्किल से और चल पाएगा चर्चा में भाग लेते हुए तेज़ बहादुर गंगवार जी ने कहा था "मान्यवर, इस पुल के लिये इंजीनियर्स की राय है कि यह पुल पूरी तरह सुरक्षित है और वहां के यातायात को बर्दाश्त करने के लिये पूरा है। अतः मेरा विचार नहीं है कि वहां दूसरा पुल बनाया जाये। राज्य मंत्री जी के यह बयान देने के बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रारूप आया है उसमें इस पुल के बगल में दूसरा पुल बनाया जा रहा है और इसलिये बनाया जा रहा है कि वह पुल टूटेगा और टूटने के बाद शहरों के लिये यातायात की समस्या हो जाएगी इसलिये दूसरा पुल बना रहे हैं तो इस सदन में बार-बार झूठा बयान देते हैं। यह आपके मंत्री जी का बयान है कि इंजीनियर्स की राय है कि पुल नहीं टूट रहा है। मैंने मांग की थी कि पुल टूट रहा है अब मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आगरा का अध्ययन कराकर देख लें आपके पास सर्वे डिवीजन से रिपोर्ट आई है इसमें पैसे की मांग की है। अस्थायी खण्ड 2 के सुरेश चन्द्र गुप्ता इक्ज़ीक्यूटिव इंज़ीनियर है, मण्डल के चीफ़ इंज़ीनियर के माध्यम से दूसरी रिपोर्ट आयी है उसमें आख्या दी गई और मानचित्र दिया गया है। सब में यह बात कही गई है कि आगरा में 3 नेशनलन हाई वे, एक स्टेट हाई वे और 6 सड़कें है जो आगरा को प्रदेश से ही नहीं वरन् दूसरे प्रदेश से जोड़ती हैं। इतने अधिक यातायात को एक पुल से गुजारना हितकर नहीं होगा आवश्यकता इस बात की है कि इसको दो दिशाओं में डाईवर्ट किया जाय। एक तो जो पुल बना है उसको काम में लाया जाय और दूसरा पुल समौगर के पास यमुना नदी पर बनाया जाय। वहां पर दो पुल मुगल काल के और ब्रिटिश काल के हैं और आपका सन् 72 का पुल टूट रहा है। बिना एक नया पुल बनाये आगरा की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैंने शुरुआत किया। मुझे पहला पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 1983 को जे0एस0 माथुर, विशेष सचिव का प्राप्त हुआ। उन्होंने लिखा था--"जनपद आगरा में ग्राम समोगर के पास यमुना नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक 24 फ़रवरी, 1983 जो माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को सम्बोधित है, की प्राप्ति स्वीकार करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरोक्त पत्र में उल्लिखित पुल के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या मांगी गई है। वांछित आख्या प्राप्त हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह 16 अप्रैल,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1983 का पत्र है ।दूसरा पत्र 21 फ़रवरी, 1984 को प्राप्त हुआ श्री जगदीश चन्द्र तायल विशेष सचिव का । उन्होंने लिखा--"जनपद आगरा में ग्राम समोगर के पास यमुना नदी पर पुल निर्माण के विषय पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को सम्बोधित आपके दिनांक रहित पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए मुझे आपको यह सचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त पल के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या मांगी गई है। वांछित आख्या प्राप्त हो जाने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

उसके बाद 83 और 84 का यहां बजट आया । फिर मैंने पत्र लिखा । अम्मार रिजवी साहब ने जबाव दिया । प्रिय भाई जनपद आगरा में ग्राम समौगर के पास यमुना नदी पर पुल निर्माण के विषय पर आपके पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 1983 व 18 जनवरी, 1984 प्राप्त हुए हैं ।

2--उपरोक्त पुल का सर्वेक्षण कराकर आख्या/संस्तुति शासन को भिजवाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है । तदनुसार, वांछित आख्या प्राप्त हो जाने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

उसके बाद 84 का बजट आया मैंने चर्चा में भाग लिया । कटौती का प्रस्ताव रखते हुये मैंने यह बात सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सामने रखी । जो बयान उन्होंने दिया वह इस प्रकार है--"माननीय रानासाहब मझ से आगरा में सर्किट हाउस में मिले थे, उन्होंने कुछ रचनात्मक सुझाव भी दिये थे । एक सुझाव उन्होंने आगरा में रिंग रोड के बारे में दिया था अच्छा सुझाव था उनका, क्योंकि वहां की आबादी भी भी ज्यादा है, फ़िर वहां टूरिस्ट बहुत आता है, सारे भारत का टूरिस्ट ताज आदि देखने को आता है, इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि वहां पर उस ट्रेफ़िक को, जो आगरा होकर आने जाने वाला हो, उसको अलग कर दिया जाय, शेष को अलग कर दिया जाय और उस दृष्टि से रिंग रोड का सुझाव अच्छा है और इस पर हम विचार कर रहे हैं ।

जिस पुल के बारे में माननीय राना जी ने कहा वह पुल कान्ट्रेक्टर द्वारा बना हुआ है उस पर काफ़ी दबाव है, यह बात सही है । इसके लिये हमने एक्जामिन करने के लिये एक कमेटी बनाई है जिसकी मीटिंग 21 और 22 मार्च, 1984 को हुई थी और इसके बाद मई 1984 में फ़िर उसकी बैठक होगी उसमें भारत सरकार के भी लोग है, सेतु निगम के भी अधिकारी है वे इस बात की देखेंगे कि किस तरह से पुल को उस वक्त के लिये रोका जा सकता है जबतक दसरा पुल निर्मित नहीं हो जाता है । वह यह भी देखेंगे कि उसमें कौन-कौन सी खराबियां आ गई है तथा उनको कैसे दूर किया जा सकता है । पैन्टून ब्रिज की जो बात कही है वह भी एक अच्छा सझाव है और उसको हम दिखवा रहे हैं कि जो पैन्टून हमारे पास है उनसे यदि काम चल जाता है तो पैन्टून ब्रिज भी बनवाने पर विचार कर लिया जायगा।" सार्वजनिक निर्माण मंत्री के इतना विधान सभा में कहने के बाद भी एक पत्र मुझे 15 सितम्बर 1984 का प्राप्त हुआ । जिसमें लिखा गया कि जनपद आगरा में ग्राम समौगर के पास यमुना नदी के ऊपर पैन्टून पुल के निर्माण के विषय पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को सम्बोधित आपके पत्र दिनांक 30 मई, 1984 की प्राप्ति स्वीकार करते हुये, मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त पैन्टून ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आता है , अत: उक्त प्रस्ताव जिला सेक्टर में विचार करने हेतु जिलाधि कारी, आगरा को भेज दिया गया । मान्यवर, इन्होंने कहा कि स्वीकार कर लिया कि पैन्टून ब्रिज बनाना चाहिये । फिर जबाव दिया कि जिला योजना से प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता है । मेरा कहना है कि इनके बजट की कापी आप देख लें कि आगरा में इन्होंने 1984-85 में 659 लाख रुपया जिला योजना के अन्तर्गत दिया है । जिसमें से एक सौ लाख रुपया पी0

डब्लू0 डी0 को दिया गया है जो कुल का 15 परसेंट था। उसके बाद 1985-86 में 845 लाख रुपया आगरा को दिया गया जिला योजना में, जिसमें से 136 लाख रुपया पी0डब्लू0 डी0 को दिया गया। इस प्रकार से 16 परसेंट उसे मिला है। मान्यवर, आप बता दें कि यह तो आपकी स्थिति है कि इसमें जिला सेक्टर योजना में इतना कम पैसा है कि पैन्टून ब्रिज बनाने की बात सोचना बेकार है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मद-56 के समय मैं बाहर चला गया था और समय पर नहीं आ सका। अतः मेरा अनुरोध है किइस पर पुनः विचार कर लें। चंकि खाद्य मंत्री जी चले जा रहे थे, इसलिये मैंने यह आपके संज्ञान में लाना चाहता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राणा जी की जो चर्चा चल रही है, उसके बाद आपका मद संख्या-56 ले लिया जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं इस बात पर आता हूं कि वहां पर जो यह कहा गया कि जिला योजना में यह आता है, तो मेरा कहना है कि जिला योजना में इतना पैसा नहीं दिया जा रहा है कि जिले की अन्य योजनाओं को चलाते हुए वहां पुल का निर्माण कराया जा सके। या तो जिला योजना में पैसा बढ़ा कर दीजिये। नहीं तो जिला योजना में आपने जो पैसा दिया है, इतने पैसे से पुल बनाकर अन्य योजनायें कैसे चलाई जा सकती है। आप कहते है कि यह जिला योजना में ही होता है। मैं कहता हूं कि यह राज्य योजना के अन्तर्गत होता है। उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि आप बजट को देख लें। इसमें लिखा है कि पृष्ठ 83 पर देख लें कि जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी पर दो पैन्टूनब्रिज बनाने के लिये राज्य सेक्टर से पैसा दिया गया है। आपने इसको राज्य सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकार किया है। दो पैन्टून ब्रिज एक ही नदी पर, एक ही जिले में बनाने के लिये पैसा दिया जा रहा है। एक ही जिला प्रतापगढ़ में जहां से बड़े बड़े मंत्री आते है। यही पुल अमेठी में बनाना होता तो पक्के पुल के लिये पैसा दे दिया गया होता। सुल्तानपुर के लिये पैसा दे दिया गया होता। लेकिन आगरा में बनाने के लिये नहीं दे रहे हैं।न आगरा से कोई मंत्री बना रहे है। उस ओर आपकी कोई भी कृपा दृष्टि नहीं है। तो यह जो दोहरी नीति है, इसी का परिणाम है कि एक तरफ़ तो सुल्तानपुर में एक ही नदी में दो पैन्टून ब्रिज के लिये पैसा दिया जा रहा है राज्य सेक्टर में और आगरा के लिये जबाव दे रहे है कि जिला योजना में प्राविधान किया गया है। तो इसलिये मेरा कहना है कि आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर शीघ्रातिशीघ्र दूसरा पुल बनाया जाय। आप आगरा के अखबार उठाकर देख लें वहां पर रोजाना दो तीन एक्सीडेंट होते हैं। वहां अंग्रेज़ों के जमाने की व्यवस्था आप देख लें, स्टेशन के सामने आज भी पर्याप्त जगह है कि उसके विस्तार में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके इंजीनियर्स का दिमाग फ़िर गया है। जब आगरा में तीन नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाइवे थे तो वहां पर दो पुल होने चाहिये थे। लेकिन इसको किसी ने नहीं कहा। यहां पर जब से यह बात कही गयी तो आगरा की जनता ने इसका स्वागत किया और रोजाना बयान आता है दो पुल होने चाहिये। उसकी रिपोर्ट आतीं है एक रिपोर्ट टैम्पोरेरी डिवीजन (फ़र्स्ट) से आपके यहां आयी है। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट आयी है सर्वे डिवीजन की बाई पास बनाकर के देने का, उन्हों ने भी एडमिट किया है कि यहां पर बनना चाहिये। मेरा कहना यह है किजब आप आवश्यकता को अनुभव करते है कि यहां पर आवश्यकता है। आपके इंजीनियर्स ने पहले उसको नहीं सोचा, अब सोच रहे है, लिख कर के भी भेज दिया है। अब आख्या मंगायी जाये या मानचित्र मंगाये या प्रारम्भिक आकंलन मंगाये, यह कब तक टालता रहेगा। मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी को जो पत्र भेजा था और उसके संदर्भ में जो माननीय

मंत्री जी का पत्र प्राप्त हुआ है, उसे मैं सदन के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूं--मान्यवर, माननीय प्रवीण कुमार शर्मा जी ने अपने पत्र दिनांक जून 10, 1985 द्वारा सूचित किया है--आगरा नगर के ऊपर से होकर बाई पास बनाये जाने के संदर्भ में अपने पत्र का कृपया संदर्भ लें। उक्त पत्र प्रबन्ध निदेशक सेतु निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। प्रबन्ध निदेशक सेतु निगम ने इस संबंध में सूचित किया है कि नये सेतु के निर्माण का प्रस्ताव,जिसमें सर्वेक्षण करने आगणन बनाने तथा शासन की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रमुख अभियन्ता सार्व0 नि0 वि0 द्वारा की जानी है। अतएव आपका उक्त पत्र प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 को शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

मान्यवर, मैंने इससे पूर्व के राज्य मंत्री रणजीत सिंह जूदेव जी को भी पत्र लिखा था, उसमें भी यही भाषा थी। यह बात 1983 से चल रही है, आखिर कब तक यह प्रकरण चलता रहेगा इसी तरह से ? या तो आप जिला योजना में अधिक धन का प्रोविजन करा दें जिससे इस पुल का उसमें प्राविधान हो सके या जिस तरह से सुल्तानपुर में बनवाये गये राज्य योजना से पैसा लेकर उसी तरह से पैन्टून ब्रिज को निर्माण करवा दें।

*सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

मान्यवर, माननीय राणा जी ने जो विषय चर्चा के लिये रखा है, इसमें नियम 49 के अन्तर्गत जो बात कही है, उसके मुख्य पहलू की तरफ़ ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय सदस्य जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस पत्र को देखने की कृपा करें। पहली बात आपने कही है कि जिला समिति से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, पुल बनजाने का प्रश्न नहीं उठता यह मंत्री जी का तथ्या-संगत है यानि तथ्य असंगत है। इस पर मुझे आपके माध्यम से परम आदरणीय राणा जी से यह कहना है कि हमारी उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव के पत्रांक संख्या 4250, अक्तूबर, 1984, जो कि गया है प्रमुख अभियंता के पास, उसमें प्रमुख अभियंता को उन्होंने यह बतलाया कि वर्ष 1985--86 के लिये सा0 नि0 वि0 की सड़कों, पुलों की योजनाओं को वर्गीकरण में रखे जाने वाले निर्णय लिये हैं उसमें मान्यवर राज्य सेक्टर और जिला सेक्टर दोनों के लिये वर्गीकरण कर दिया गया है। उसमें जिला सेक्टर में बड़ा स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। 30 मीटर तक लकड़ी के पुल का प्रयोग जल मार्ग में एवं अन्य मार्गों पर पीपे का पुल माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, शायद उनको इसका ज्ञान नहीं था। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो मार्ग निदेशिका निकाली है, उसमें भी इसी प्रकार वर्गीकरण किया गया है। दूसरी बात हमारे परम आदरणीय सदस्य श्री राणा जी ने कही है वह यह है कि पुल के निर्माण के संदर्भ में विगत विधान सभा के बजट सत्र में दिनांक 28 मार्च, 1984 को पेन्टून ब्रिज बनाने का आश्वासन श्री अम्मार रिजवी ने दिया था। कृपया देखें, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही,प्रथम सत्र 1984 खण्ड 366 अंक 5 दिनांक 28 मार्च।

मान्यवर, मैंने कार्यवाही मंगवाई आपकी अनुमति से और माननीय राणा जी की अनुमति से मैंने कार्यवाही को देखा। शुरु से जब मैंने इस कार्यवाही को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा यह शेरों और शायरियों का मामला है। इसमें ज्यादातर श्री राणा जी और हमारे रिजवी साहब की बातें हैं। फिर भी शीरी-फरहाद का जिक्र आया है इसमें लिखा है कि आगर में सर्किट हाउस में राणा जी मिले थे। उन्होंने यह भी कहा कि ताज देखने टूरिस्ट आते हैं, उन्होंने एक रिंग रोड का भी सुझाव दिया था। सुझाव अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि जहां भी बड़े शहर हैं, वहां रिंग रोड बननी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं अब उसका उद्धरण दे रहा हूं।इसमें कहा गया कि जिस पुल के बारेमें माननीय राणा जी ने कहा है, वह पुल कान्ट्रेक्टर द्वारा बनाया हुआ है। उसमें काफी दबाव है यह बात सही है कि इसके लिए हमने एक्जामिन करने के लिए एक कमेटी बैठाई है, जिसकी मीटिंग 21 व 22 मार्च को हुई थी और उसके बाद मई, 1984 में फिर उसकी बैठक होगी। भारत सरकार के लोग भी हैं और सेतु निगम के अधिकारी भी हैं। वह इस बात को देखेंगे कि किस तरह से उस पुल को उस वक्त तक के लिए रोका जा सकता है जब तक कि दूसरे पुल का निर्माण नहीं हो जाता है। वह यह भी देखेंगे कि पुल में क्या क्या खराबियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है पैन्टून ब्रिज की बात कही गई है, यह भी एक अच्छा सुझाव है। इसे भी हम दिखवा रहे हैं। जो हमारे पेन्टर हैं,अगर उनसे काम चल जाता है तो पेन्टून ब्रिज को भी बनाने पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदस्य के पीछे तो जी लगाते हैं लेकिन मान्यवर को मान्यवर जी नहीं कहते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, अब मैं मान्यवर को मान्यवर जी ही कहूंगा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)

उन्होंने (श्री शतरुद्र प्रकाश की ओर इशारा करते हुए) रास्ता दिखाया है।

श्री अधिष्ठाता--

इसीलिए रास्ता दिखा कर चले गये।

(हंसी)

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

जिस पुल का जिक्र किया है वह उस पुल का जिक्र है जो रानाजी ने कहा है, जो आगरा पर बना हुआ है, उसके पर राना जी ने शिकायत भी की कि कमजोर हो रहा है, असुरक्षित है, जांच करायी प्रमुख अभियंता की रिपोर्ट भी है. आपने भी कहा है कि यह पुल असुरक्षित है, जांच में पुल को असुरक्षित नहीं कहा जा सकता जो बात उन्होंने कही है वह रिप्लेसमेन्ट की नहीं कही है, एडीशनल की बात कही है। जो ट्रैफिक आगरे का है, मैं भी वहां का स्टूडेन्ट रहा हूं, दूसरा पुल वहां इसलिए आवश्यक हो गया है कि वहां पर जमुना पार छोटी बड़ी बहुत इण्डस्ट्रीज है, ट्रैफिक बहुत आता है अगर यह पुल थोड़ी देर के लिये भी रुक गया, तो उसके लिये इक्जामिन कमेटी बनायी है और वह इक्जामिन कर रही है, 20-21 मार्च, 1984 मे कर रही है और अंतिम बैठक संभवतः इसी माह के अन्त में है, इसलिए महसूस किया गया है, कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, दो लेन की जगह 4 लेन का पुल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर इसकी मरम्मत के लिये डैक खोलने पड़े और दो तीन महीने भी अगर मरम्मत में लगे, तो, वास्तव में दूसरे पुल की आवश्यकता है। इसी सन्दर्भ में भारत सरकार ने कहा है कि पुल की आवश्यकता हो गई है। यहां के पैन्टून ब्रिज की मरम्मत जब हो रही हो, तो होना चाहिए इलाहाबाद में भी मैंने यही सुझाव दिया था कि बगल मे एक पैन्टून ब्रिज दे दिया जाय ताकि मरम्मत हो जाय, इसलिए यहां और किसी पुल का जिक्र नहीं है। जो यह बात रखी गई है कि स्टेट सेक्टर अथवा राज्य सेक्टर अथवा जिला सेक्टर के अन्तर्गत है, अथवा यह बात कही गई कि जब गंगवार साहब मंत्री थे, कहा कि यहां पर पुल की आवश्यकता नहीं है, तो यह कहा गया था कि पुल असुरक्षित पाया गया इसलिए यह बात कही गयी थी। यह पुल चलने के योग्य है इसलिए आवश्यकता नहीं है, यह नहीं कहा कि आगे चल कर 4 लेन्स के ट्रैफिक के लिए जरुरत नहीं है।

जहां तक राना जी ने यह बात कही कि जिला समिति तय करेगी अनुदान शासन से स्वीकृत हो जायगा, यह प्रक्रिया है, जैसा उन्होंने बताया आगरे को 145 लाख रुपया दिया है पी0 डब्लू0 डी0 को, मैंने इसको चेक नहीं किया है मैं तो यह कहूंगा कि अपना वकील राणा जी को ही बनाऊंगा, वहां पर जाकर समिति में इस बात को कहें कि पी0 डब्लू0 डी0 को और पैसा दिया जाय जिससे कि सड़कें और पैन्टून और बन सकें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मा0 मंत्री जी ने जो अपना सारगर्भित भाषण दिया उस सम्बन्ध में दो तीन स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आपने इस पुल का सर्वेक्षण कराया कि कैसा है, चलने योग्य है या नहीं, आपके पास रिपोर्ट आ गयी 84 में, कि वर्तमान पुल चलने योग्य है, खराब नहीं है, यह रिपोर्ट आ गयी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 85 में पुल के खराब होने की बात तो है नहीं। यदि है, तो पहले इन्जीनियर ने जो रिपोर्ट दी थी कि पुल सही है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। वहां पर 6 नेशनल हाईवेज हैं। इस भारी ट्रैफिक को पुल बनाकर और पैन्टून ब्रिज बनाकर कैसे आगरा की तरक्की की जायगी ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

अभी जो माननीय सदस्य जी ने बात रखी बहुत ही वजनी बात कही है, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूं। एक बात तो उन्होंने उठायी रिपोर्ट वाली, तो कह दिया कि ठीक है। उनकी सेवा में यह जरूर समर्पित करना चाहूंगा कि उनके कहने का मतलब यह था कि राणा जी ने उस समय यह बात उठायी थी कि यह पुल असुरक्षित है, चलने के लिये उसका तात्पर्य यह था कि असुरक्षित है चलने के योग्य नहीं है लेकिन मरम्मत के योग्य है। दूसरी बात जो समोगर के बारे में उठायी है, इसमें पैण्टून पुल के बारे में दो नीतियां हैं, जिनके आधार पर परीक्षण किया जाता है। एक तो होता है सड़कों का वर्गीकरण और दूसरे ब्रिज की आवश्यकता है। जब सड़कों का वर्गीकरण करके देखते हैं तो हमारे प्रदेश में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह यह है कि नेशनल हाई-वे है, दूसरा स्टेट हाई-वे, यानी राष्ट्रीय मार्ग, राज मार्ग, तीसरा एन0 डी0 आर0, उसके बाद ओ0डी0आर0, उसके बाद विलेज रोड्स होती हैं।

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय शर्मा जी जो जवाब दे रहे हैं, यह अधिकारी इतना उच्छृंखल तत्व है, सवाल यह नहीं है कि पुल की आवश्यकता कहां है, कहां नहीं है, आवश्यकता इस बात की है जैसा मा0 अम्मार रिजवी ने स्वीकार लिया था, वह यह है कि आगरा समस्या यह है कि आपने कहा कि पुल बना देंगे। समस्या यह है कि इन्होंने जो बाईपास बनाया है, उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह गयी है। इसकी स्थिति यह हो गयी है कि शाम को साइकिल चलाना भी असंभव है, अगर दूसरा पुल बना देंगे तो फायदा क्या होगा, जब सड़क की क्षमता ही नहीं है। जब सड़क पर सवारी नहीं चल सकती तो पुल बनाकर क्या करेंगे ? इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आगरा की जो जनसंख्या है, वहां जो ट्रैफिक है, उसको दो जगहों में डाईवर्ट किया जाय। इसलिये दो पुलों की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं आया।)

प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हो रही वृद्धि के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

(समय 5 बजकर 25 मिनट)

श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश' जी--

मान्यवर, आज प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है इसलिये मैं इसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस संबंध में कुछ बातें मैं इस सदन के सामने

रखना चाहता हूं कि इस वर्ष दो बजट आये। एक बजट केन्द्रीय सरकार का मार्च में आया, है और दूसरा बजट उत्तर प्रदेश सरकार का पेश किया गया। केन्द्रीय सरकार का जब बजट आया था तो कहा गया था कि मूल्यों में वृद्धि नहीं होने दी जायेगी। लेकिन हुआ क्या ? सारी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो गयी है।

हमारे प्रदेश का बजट जिस समय आया उस समय भी इस तरह की बात कही गयी थी, लेकिन केन्द्र सरकार के बजट के द्वारा जो मूल्यों में वृद्धि हुई थी, उससे जो घाव लगे थे उस पर नमक ढलने का काम किया है। पांच महीने के अन्दर 25 परसेन्ट से लेकर 65 परसेन्ट तक मूल्यों में वृद्धि हुई है। मैंने विभिन्न परिवारों में जाकर उनके मासिक व्यय का अध्ययन किया है जिसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 100 रु0 से लेकर 250 रु0 का अतिरिक्त बोझ प्रत्येक परिवार पर पड़ गया है। मूल्यों की वृद्धि इस तेजी के साथ हो रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार जो यह उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इसको रोकें। केन्द्रीय खाद्य मंत्री जी ने कहा था कि चीनी के दामों में वृद्धि नहीं होगी, आयात की गयी चीनी को खुले बाजार में पाट दिया जायेगा उन्होंने कहा था कि जनसाधारण को चीनी 5 रु0 70 पैसे से लेकर 5 रु0 80 पैसे में मिलेगी। दाम नहीं बढ़ने दिये जायेंगे। अभी माता प्रसाद पांडेय जी कह रहे थे कि हमारे यहां इटवा में 9 रु0 किलो के हिसाब से चीनी बिक रही है। वाराणसी में 9 रु0 50 पैसे के हिसाब से मिल रही है, रेनकूट में 10 रु0 किलो में मिल रही है और इलाहाबाद में 8 रु0 50 पैसे किलो के हिसाब से बिक रही है। तो इस सरकार का 5 रु0 70 पैसे में चीनी बिकवाने वाला वायदा यही है कि आज खुले बाजार में 8 रु0 से लेकर 10 रु0 तक चीनी बिक रही है।

मिट्टी के तेल के बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं बांसी से चुनकर आया हूं। मेरे क्षेत्र में 3 रु0 से लेकर 5 रु0 लीटर तक मिट्टी का तेल मिल रहा है। बांसी में एक ही स्टाकिस्ट है। अकेले होने के कारण उसकी मनोपोली है, वह मनमानी लूट रहा है। खेसरहा ब्लाक से मिट्टी का तेल लेने के लिये 12 कि0 मी0 दूर बांसी आना चाहिये लेकिन वह 50 कि0 मी0 दूर बस्ती तक उसे लेने के लिये जाना पड़ता है। बस्ती और नौगढ़ में ही मिट्टी का तेल ब्लैक में बिक जाता है।

मैं मूल्यों के अध्ययन की दृष्टि से जगह-जगह घूमा हूं और आंकड़े इकट्ठे किये हैं। मैं गाजीपुर गया था मूल्य का अध्ययन करने के लिये 16 जगहों पर गया और बाजार का अध्ययन किया। गाजीपुर में मैंने एक दूकान पर बीड़ी मांगी तो पता चला 70 पैसे का एक बंडल है। मैंने दुकानदार से पूछा कि इसके यह दाम कब से हो गये हैं ? तो उसने बतलाया कि एक-दो महीने पहले तो यह 45 पैसे की मिलती थी परन्तु इधर 15 दिन पहले से इसके दाम 45 पैसे के बजाय 70 पैसे हो गये हैं। इस प्रकार 40 परसेंट की वृद्धि हो गयी। अगर यही वृद्धि गेहूं, चावल और दाल में हो गयी होती, तो गांव के किसान को लाभ मिल गया होता, तो सदन में सरकार को बधाई दी जाती। परन्तु यह वृद्धि उस समय है जब कि यह वस्तुयें बड़े-बड़े व्यापारियों के गोदामों में आ गये हैं। मान्यवर, गेहूं का मूल्य इलाहाबाद में 2.30 से 2.50 है, वाराणसी में 2.40 से 2.60 है, इस प्रकार से आप देखें कि 40–50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मान्यवर, दालें 5 से 7 रुपये में मिल जाती थीं, लेकिन अब यह 7 से 10 के बीच में चली गयी हैं। मान्यवर चाय की दुर्दशा है, 1978 में चाय 14 रु0 किलो मिल जाती थी, लेकिन आज चाय 40 रुपये में मिलती है। वाराणसी में चाय का दाम 35 से 50 रु0 के बीच में है। इलाहाबाद में 30–40 रु0 के बीच में और लखनऊ में 30–50 रुपये के बीच में है, इस प्रकार चाय के दाम में 60 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गयी।

मान्यवर, दूध की शिकायत की जाती है, कि 5 रुपये किलो गांव में बिक रहा है और 8 रुपये किलो शहर में बिक रहा है। मैं चोपन और रावर्टसगंज गया था वहां पर दूध 8 रुपये किलो मिल रह था, इतना मंहगा दूध क्यों नहीं मिलेगा। तिल्ली की खली 310 रु0 कुन्तल से 400 रु0 कुन्तल हो गई है। चूनी का दाम बढ़ गया है। चूनी और खली के दाम बढ़ गये हैं, तो दूध के दाम बढ़ना स्वाभाविक है। मान्यवर, कपड़ा धोने का साबुन का जहां तक प्रश्न है, उसमें 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मान्यवर, कोयला एक महीने पहले 95 रुपये कुन्तल मिलता था। अब यह 112.50 कुन्तल हो गया है। मसालों में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। वाराणसी में वस्तुओं के दाम सारे हिन्दुस्तान से ज्यादा हो गये हैं। मैंने यह देखना चाहा हिन्दुस्तान में किस नगर में सबसे अधिक मूल्य सूचकांक है, तो वह नगर उत्तर प्रदेश का निकला, वह बनारस निकला, मान्यवर राष्ट्रीय मूल्य सूचकांक 590 है परन्तु वाराणसी का 667 है। मान्यवर, हिन्दुस्तान का कोई नगर, कोई प्रदेश या कोई जगह ऐसी नहीं है जहां का मूल्य सूचकांक 600 से अधिक हो, लेकिन वाराणसी का उसको भी पार कर गया है और वाराणसी सर्वाधिक मूल्य वृद्धि का स्थान है।

मान्यवर बरसात का मौसम है। मैंने मौसम की बात की। जब मैं खाद्य मंत्री था तो पर्वतीय क्षेत्र का सर्वे कराया था और मार्च, अप्रैल के समाप्त होने तक वहां के गोदामों में 4 महीने का माल भरवा दिया था, जिससे कि बरसात के दिनों में चीजों के दाम न बढ़ने पावें। मान्यवर, जुलाई, 1984 में उत्तर प्रदेश मूल्य सूचकांक 340 था और जुलाई, 1985 में 385 हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से दाम बढ़ रहे हैं। इस कारण कर्मचारी और गरीब लोग बड़ी तबाही में हैं, मान्यवर, यह महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी जेंब नहीं बढ़ती है। अगर यह जेब में आने वाला पैसा भी बढ़ता जाता तो महंगाई सह ली जाती। लेकिन मैं चाहता हूं कि शासन विचार करेगा और मंहगाई पर नियंत्रण पाने का उपाय करेगा। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के तीन कारण हैं एक तो सरकार की गलत नीतियां, दूसरा उसका भ्रष्ट तरीका और तीसरा है सरकार का ढीला नियंत्रण। मैं इसे फिर दोहराऊंगा। गलत नीतियां, भ्रष्ट तरीका और सरकार का ढीला नियंत्रण। मान्यवर, घाटे का बजट कब तक चलाया जायेगा। घाटे का बजट आयेगा तो घाटा को टैक्सों से पूरा किया जायेगा। हमारे वित्त मंत्री जी केन्द्र के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बड़े अच्छे हैं। उन्होंने साफ स्वीकार किया है कि हमारी कोशिश के बावजूद भी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। परन्तु कारण जमाखोरी को बताया है। जमाखोर भी हुकूमत में रहते हैं उनकी गरदन पकड़ ली जाय, जेलों में भेज दिये जायं। सरकार को इससे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा।

दूसरा जो भ्रष्ट तरीका है चाय बागान वाले असमियां मुझ से कह रहे थे कि कांग्रेस आई ने 15 करोड़ लिया है और चाय के दाम बढ़ाने की छूट दी गयी है। वनस्पति वालों से लिया गया। दवा वालों से करोड़ों रुपया लिया गया और दवा के दाम बढ़ाने की छूट दे दी गई और दवाई के दाम उन्होंने बढ़ा दिये। इसी तरह से चीनी बनाने वालों से करोड़ों रुपया लिया गया और चीनी के दाम बढ़ाने की छूट दे दी गयी। चीनी मिल मालिकों से करोड़ों रुपया लिया गया तो उन्होंने कन्ट्रोल की चीनी का दाम एक रुपया बढ़ाने की छूट मांगी तो इस कांग्रेस सरकार ने चीनी का दाम बढ़ाने के लिए छूट उन्हे दे दी। अगर रुपया बटोरने के लि ऐसा किया जायेगा तो सरकार को मूल्य बढ़ाने की छूट देनी पड़ेगी। मान्यवर, यह भ्रष्ट तरीके हैं जिनके कारण दाम बढ़ रहे हैं। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं एक मूल्य वृद्धि की रिपोर्ट दे दूं। जमाखोरों और चोरबाजारियों ने बढ़ाए हैं विद्युत टेरिफ को किसने बढ़ाया। कोयले का दाम किसने बढ़ाया है तेल, रेलभाड़ा, पोस्ट कार्ड को

कौन देता है । पिछले 15 वर्षों में विद्युत के टेरिफ में 339 प्रतिशत की वृद्धि हुई है,लोहे के दाम में 419 प्रतिशत की वृद्धि हुई है कोयले के दाम में 15 वर्ष में 533 प्रतिशत की वृद्धि हुई और तेल में 16.12 प्रमेन्ट की वृद्धि हुई है । मान्यवर, जब कि अन्य उपभोक्ता वस्तुओं में मात्र 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सरकार जिन मूल्यों को नियंत्रित करती है उनमें 331 प्रतिशत से लेकर 16.12 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जो सरकार के नियंत्रण के बाहर है उसमें मात्र 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । रेल भाड़ा कितना बढ़ गया है । बस का किराया कितना बढ़ गया है । पोस्टकार्ड का दाम कितना बढ़ गया है । भ्रष्ट तरीके से अधिकारी पैसा लेंगे और दाम बढ़ाकर घाटा पूरा किया जायेगा । इस तरह से दाम बढ़ते जायेंगे क्योंकि आपकी नीति भ्रष्ट है प्रशासन भ्रष्ट है लिहाजा मूल्य वृद्धि रोक नहीं सकते । तीसरी बात सरकार का ढीला नियंत्रण है । मूल्य सूची क्यों नहीं टांगी जाती है ।मूल्य सूची टंगवाई जाय । जब मैं मंत्री था और मेरे पास खाद्य मंत्रालय था मैं हिम्मत नहीं कर रहा था मैं चिन्तित था कि क्या कहूंगा मंहगी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी ।

चौधरी साहब ने मुझे बुलाया, नाना जी देशमुख ने बुलाया और कहा कि खाद्य विभाग कोई व्यापारियों का विभाग नहीं है । उत्तर प्रदेश की आम जनता को सस्ता सामान सुलभ हो, उसके लिये यह विभाग बनाया गया है । मान्यवर,इससे हमारी हिम्मत बढ़ी और खाद्य मंत्रालय संभाल लिया । मैंने सामान सस्ता कराया मैंने यह भी सोचा कि लोग मुझे मंहगा मंत्री कहेंगे । लेकिन मान्यवर, आप रिकार्ड उठाकर देख सकते हैं 4 जुलाई 1977 को मैंने खाद्य मंत्री की शपथ ली थी । स्टाक लिमिट को डाउन करा दिया और स्टाक लिमिटको डाउन करके मैंने आदेश किया कि 15 दिन के अन्दर अतिरिक्त माल गोदामों से बाजार में निकाल दें अन्यथा उन्हें प्रोसीक्यूट कर दिया जायेगा । इसके विरोध में कुछ लोग कोर्ट में भी गये । लेकिन 29 जुलाई 1977 को माननीय न्यायालय ने फैसला मेरे पक्ष में किया । 15 अगस्त 1977 से चीजों के दाम डाउन हो गये । अगर आज बाज़ार में माल की कमी है। गोदामों से माल निकालकर बाजार में लाया जाय और आम जनता को सुलभ कराया जाय ।

तीसरी बात वितरण व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं । मैं अपने मौजूदा खाद्य मंत्री जी की बड़ी इज्जत करता हूं । लेकिन मैं मजबूर हूं । चीजों के दाम इतने बढ़ गये हैं कि कहना पड़ रहा है । अन्यथा जो अदम्य साहस और बड़प्पन उनमें है, एक भी शब्द ऐसा बोलने की इच्छा नहीं होती जो सीधे उनके ऊपर चोट करे लेकिन चूंकि यह मंत्रालय उनके पास है अतः उनसे कहना पड़ेगा । मुझे आशा है वे कि नियंत्रित करेंगे । मान्यवर,जनहित में दो-एक बात और कहूंगा । जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह उनके लिये नहीं कहा है लेकिन हमारी ऐसी आशा है कि उनके ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा यह विभाग चल रहा है, वे आम आदमी के लिये,जन कल्याण के लिये इस पर अपना कठोर नियंत्रण रखेंगे जैसा मैंने पहले कहा कि आज वितरण व्यवस्था ढीली हो गई है। मैंने बस्ती जिले के बारे में इन आवश्यक वस्तुओं को आम आदमियों तक पहुंचाने की शिकायतों के बारे में जानकारी मांगी थी । लेकिन मुझे खेद है, 301 में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया लेकिन उसमें बनी बनायी सूचना आ गई । उस पर मैं कुछ नहीं कह सकूंगा । उसके बारे में आज कहना चाहता हूं कि वहां पर गांवों में मिट्टी का तेल नहीं है, वहां पर चीनी नहीं पहुंच पा रही है, कोई सामान नहीं पहुंच रहा है । आज हो क्या रहा है कि व्यापारी लोग सामान ले लेते हैं, उसको ब्लेक करते हैं । उनको लाइसेन्स गलत मिला हुआ है । उनका सत्यापन नहीं होता है । इधर-उधर बेच लेते हैं । इस तरह से वितरण व्यवस्था ढीली हो गई है , पंगु हो गई है । यदि यह व्यवस्था ठीक हो जाय तो बाजार पर नियंत्रण हो जाता । जमाखोरों पर नियंत्रण किया जाय । मूल्य सूची टंगवाई जाय ।मूल्य वृद्धि रोकी जाय । मान्यवर, मूल्य वृद्धि बार्षिक

होती तो केवल बजट दोषी होता, छमाही होती तो कोई और दोषी होता लेकिन आज तो रोज ही मूल्य वृद्धि हो रही है । मान्यवर, मैं अपने यहां की भाषा "रोजही" का इस्तेमाल कर रहा हूं । आज यदि कोई दम्पत्ति कोई पति-पत्नी शाम को कल के मार्केट के लिये अपना बजट बनाते हैं तो इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि जो उन्होंने कल शाम को 1 हजार रुपये बजट बनाया है कल बाजार में यदि वे खरीद के लिये जाते हैं तो उन्हें एक हजार के साढ़े बारह सौ लगाने होंगे तब कहीं वे अपना सामान ला पायेंगे ।

गांवों के लोगों की आज क्या दशा है । वहां पर यदि उधारी देने वाला दुकानदार न हो, कर्ज देने वाले लोग न हों, तो वे अपना दैनिक जीवन नहीं चला सकते हैं । वे आज अपने जीवन की आवश्यकताओं में कटौती कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उधारी चला रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री इस स्थिति पर काबू पाने के लिये कदम उठायें यह बहुत ही अहम विषय है और माननीय सदस्य भी इस बहस में भाग लेंगे मैंने ज्यादा समय ले लिया, क्षमा चाहता हूं ।

श्री वासुदेव सिंह--

श्रीमन्, माननीय हरीश जी ने अपनी बात बड़े संयत ढंग से कही और उन्होंने मुझे बहुत सम्मान और आदर देते हुए कहा कि वे ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे मुझे आघात लगे या चोट पहुंचे । मैं उनके इस भाव के लिये उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । लेकिन मैं उनको स्मरण दिलाऊंगा । महंगाई बढ़ी है इसे मैं स्वीकार करता हू लेकिन कुछ चीजों के दाम घटे भी हैं, ज्यादा चीजों के दाम बढ़े हैं । जो आंकड़े दिये हैं हमारे पुराने खाद्य मंत्री जी रहे हैं वे सीमाओं को जानते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उनका अनुभव है, वितरण और वस्तुओं के दामों के नियंत्रण की विधि से भी वह अवगत हैं । मंहगाई एक ऐसा विषय है जो किसी एक शासन के कार्य से ही खतम नहीं हो सकता है क्योंकि यह आर्थिक नियम से भी जुड़ा हुआ है जैसे जीवन की और चीजे हैं कि मांग और पूर्ति के नियम उनके लिए लागू होते हैं । उसी तरह यहां भी लागू होता है । जो उन्होंने सुझाव दिये हैं उनसे मैं सहमत हूं चीजें और सस्ती होनी चाहिये ।

मैं भी कानपुर और दूसरी जगहों में गया हूं और दो तीन चार रोज से समाचार-पत्र खुले तौर से कह रहे हैं कि दाम अब झुकाव की तरफ़ हैं यह हरीश जी भी मानेंगे । लेकिन जब उन्होंने प्रश्न दिया था उस समय यहबात बहुत कुछ सही के नजदीक रही होगी लेकिन आज वह सच्चाई से सर्वथा भिन्न है । प्रश्न उन्होंने किया है और यह उस समय का है इसलिए कुछ अतिरंजित का सहारा लेकर भाषण में अपने संसदीय चातुर्य का परिचय दिया होगा लोहे की बात कही कि 418 गुना ज्यादा है उनकी बात सही है यह किताब में लिखा हुआ है लेकिन जो अन्य आवश्यक वस्तुयें हैं उनमें यह बात नहीं है । लोहे का हमारा चाहे कितना भी वैज्ञानिक परिवेश में विकास हो उसे खाने की तरह कभी पचाया नहीं जा सकता है उस श्रेणी में उसे नहीं ले सकते हैं । जब तक इंसान हैं तब तक हरी-भरी खेती का सहारा लेना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

हमारे पास हर जिले के आंकड़े हैं...

श्री राम सरन--

हम लोगों को दो -दो मिनट सुन लीजिये उसके बाद बता दें ।

श्री वासुदेव सिंह--

मैं एक आध जिले का नमूना के तौर पर बताना चाहता हूं क्योंकि मुझे जवाब देना है बनारस की हमारे पास 24-8-85 की रिपोर्ट है इसमें गेहूं का थोक भाव 170 रु0 मिला है और फुटकर 175 है ।

तो यह गेहूं की वाराणसी की सूचना है ।

मान्यवर, कानपुर में आयातित चीनी का भाव 5.70 रुपये प्रति किलो है। तीन प्रकार की चीनी है लेवी चीनी, दूसरी नान-लेवी चीनी, तीसरी आयातित चीनी और एक हाई

कोटी चीनी भी है। आप जानते हैं कि जैपुरिया जी ने हाई कोर्ट में रिट किया कि उनकी चीनी 50 रुपये ज्यादा पर बिकनी चाहिए और उनको स्थगन आदेश भी मिल गया।

मान्यवर, अब सुस्ती की बात कही गई, तो रोज-रोज़ आजादी की लहर गहरी हो रही है और उस आजादी की लहर को जो तोड़ने वाले हैं उनकी जड़ें भी मजबूत होती जाती हैं। जो कानून हमारे आपके लिये हैं कहीं दूसरे हाथों में जाकर, पुष्ट हाथों में जाकर, उसका प्रयोग सुखद, दुष्ट हाथों में जाकर अनहित में होता जा रहा है।

मान्यवर, गेहूं और मक्का के भावों में गिरावट आयी है जैसे गेहूं के भाव 160–170 रुपये, चावल बाममती 650–750, मैनपुरी चावल 310–315 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी के भाव में प्रति बोरा रुपये 10.15 पैसे की गिरावट आयी है। मान्यवर, मिट्टी के तेल वितरण में जैसा कि श्री किरन पाल सिंह के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि 3 पैसे का फ़ायदा हुआ। इस प्रकार चीनी और मिट्टी के तेल में गिरावट आयी है। ईंट का भाव ज्यादा है, लेकिन हम प्रयत्नशील हैं कि जिनके भाव ज्यादा हैं उनको आवश्यक वस्तु बनाकर उन पर नियंत्रण करें।

मान्यवर, शहरों में हालत है कि दुकानों में गेहूं और चावल पड़ा है कोई उठाने वाला नहीं है। श्री रामसरन के पश्चिमी क्षेत्रों में गेहूं कोई लेता नहीं है।

मान्यवर, मा0 सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का शासन पूंजीपतियों की पूंजीगत जो चीजें हैं उनको बांटने और बिकवाने की कोई एजेन्सी नहीं है। अर्थ शास्त्र का सिद्धांत है खरीदते-खरीदते आदमी गरीब हो जाता है और बेच-बेच कर आदमी अमीर हो जाता है। मान्यवर, गांवों में बैठे लोगों को जरूरी चीजें मिलनी चाहिये लेकिन उनको बिकवाने का सरकारीतंत्र हो जायेगा तो शासन फ़िर लूट का भागीदार होगा, यह उत्तर प्रदेश शासन नहीं चाहता है। हम नहीं चाहते हैं कि चीज़ों को ज़बरदस्ती बेचकर किसानों का शोषण करें और उनका पैसा गलत जगह पर जाये। जैसे शरीर है उसका धर्म है हर हिस्से को पुष्ट करना। इसलिये जैसे श्री हरिश्चन्द्र जी का पैर मजबूत हो और पेट बड़ा हो जाये तो यह स्वस्थ नहीं होगा।

तब यह ठीक नहीं है, संतुलित विकास होना चाहिए।

(व्यवधान)

शतरुद्र प्रकाश जी आदर्श हैं, उन्हीं की तरह होना चाहिए, जहां तक शरीर सौष्ठव का संबंध है.....

श्री अधिष्ठाता––

इनकी दाढ़ी तो अतिरिक्त में आयेगी।

श्री वासुदेव सिंह––

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपको अवसर देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बातें आपकी हर क्षेत्र की सुनूं और उससे कुछ नतीजा निकाल कर अपने विभाग के कार्य को और चुस्त बनाऊं। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता––

आप केवल सुझाव दे दें, श्री त्रिलोकचन्द जी।

*श्री त्रिलोक चन्द्र––

मान्यवर, यहां दो मंत्रियों की बात थी एक मौजूदा और एक भूतपूर्व मंत्री, मैं इनके विवाद में तो नहीं पड़ना चाहता हूं.....

श्री वासुदेव सिंह––

आप क्यों पड़ेंगे दाल भात में मूसर चन्द्र।

एक सदस्य––

मूसरचन्द नहीं त्रिलोक चन्द।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जहां तक मंहगाई का सवाल है, उन चीज़ों के दाम ज्यादा बढ़ रहे हैं जो फ़ैक्टरियों में पैदा होती है, किन्तु किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के दाम बहुत कम बढ़ते हैं और उधर इन किसानों की वस्तुओं के दाम एक/दो रुपया घटे हैं जैसा अभी प्रोफ़ेसर साहब ने कहा है। मैं एक ऐसा उदाहरण प्रोफ़ेसर साहब को देता हूं, जिनका उनके विभाग से संबंध है, जिसका पब्लिक या व्यापारी से संबंध नही है, न किसी अन्य भ्रष्टाचार से उसका संबंध है। बड़े गरीब लोगों के इस्तेमाल की यह चीज मिट्टी का तेल है। इस पर सरकार सब्सिडी भी देती है और गरीब तक पहुंचाने की कोशिश भी करती है, अब पहुंचेगा या नहीं यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इसके बारे में एक जानकारी देना चाहता हूं। मिट्टी का तेल, डीजल और पैट्रोल की रिफ़ाइनरी मथुरा में है और मथुरा से जो मिट्टी का तेल डीजल और पेट्रोल चलता है वह टैंकरों के द्वारा आता है। अब टैंकरों की हालत यह है कि मथुरा से जो एक टैंकर पेट्रोल या डीजल का चला जाता है, तो एक रुपया अड़सठ पैसा प्रति किलो-मीटर के हिसाब से उसका भाड़ा तय कर रखा है सरकार ने और इस प्रकार से 10 हजार किलोमीटर पर करीब 500 रुपया पड़ता है। एक टैंकर पर पेट्रोल और डीजल का 500 पड़ता है। उसी टैंकर पर जब मिट्टी का तेल वहां से चलता है तो उसका किराया उससे ज्यादा है, उसका किराया बुलन्दशहर का 6 रु0 प्रति किलोमीटर, गाजियाबाद का 6.50 और अलीगढ़ का 6 रु0 के हिसाब से पड़ता है, यानी उसी टैंकर पर टैंकर भर आने वाला तेल 1700 रुपये में आता है।

अब आप देखिए कि 5 सौ और 17 सौ में 12 सौ का अन्तर है जो डिजल, पैट्रोल और मिट्टी के तेल के बीच में है। इस प्रकार आप देखें एक लीटर पर 12 पैसे का फ़र्क पड़ता है यानी पेट्रोल और डिज़ल की अपेक्षा मिट्टी के तेल के एक लीटर में 12 पैसा ज्यादा पड़ता है और आप कहते हैं कि तीन पैसे हमने घटा दिया है। तो आखिर यह किराया क्यों 17 सौ रुपया हुआ? कारण यह है कि इस चीज को डी0 एस0 ओ0 साहब तय करते हैं। जो रसीद टैंकर वाला दे देगा, उसके हिसाब से मिट्टी के तेल का मूल्य तय करते हैं। जब डिजल और पेट्रोल के बारे में एक निश्चित नीति बना रखी है, तो इसमें भी वही बात क्यों नहीं है। मिट्टी के तेल पर जो 1700 रुपये हो जाते हैं, उससे उसकी मंहगाई बढ़ती है। यह केवल व्यापारी और डी0एस0ओ0 के बीच में संपर्क होने के कारण होता है जिसकी वजह से 12 पैसे प्रति लिटर मिट्टी का तेल मंहगा मिलता है। बड़े लोग तो मिट्टी के तेल का कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गरीब लोग ज्यादा करते हैं और उनको 12 पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। तो इसी तरह से प्रशासन की वजह से और अधिकारियों की वजह से लोगों को परेशानियां पैदा होती हैं।

मिट्टी के तेल की तरह कोयले के संबंध में स्थिति है। कोयला ट्रक से आता है और रेल से। ट्रक से जो कोयला आता है उसकी जो बिल्टी बनती है जो वाउचर बनता है वह ज्यादा बढ़ाकर बनता है और उसी आधार पर डी0 एस0 ओ0 कोयले के दाम तय करते हैं कि उसकी प्राइस क्या होगी। तो इसमें भी घपला डी0एस0ओ0 के दफ्तर में होता है और किराये के नाम पर चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। मान्यवर, यह मिट्टी के तेल और दूसरी बातें अखबारों में आ चुकी हैं लेकिन उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहां तक महंगाई की बात है जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा महंगाई कुछ चीजों में कम हुयी है इसमें दो राय नहीं है लेकिन जैसा मैंने कहा कि फ़ैक्टरी सें बना कोई सामान ऐसा नहीं है जिसका दाम बढ़ जानें के बाद घटा हो। चाय की प्याली को आप ले लीजिये जब शकर का दाम 2 रुपये था तो 25 पैसे की प्याली थी बाद में उसके दाम 50 पैसे हो गये। शकर चाहे जितनी मंदी हो जाय चाय की प्याली के दाम नहीं घटेंगे। तो यह ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरुरत है। शासन के ध्यान देने की बात है, प्रोफेंसर साहब जैसे जोग्य

आदमी ध्यान देंगे तो महंगाई पर कन्ट्रोल होगा । विकासशील देशों में महंगाई रहती है । हम अभी पूर्ण विकसित नहीं हुये हैं । जो विकसित देश हैं उनमें भी महंगाई है । शासन इस तरफ प्रयत्नशील है लेकिन शासन को और ध्यान देना होगा । यही निवेदन करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि इन बातों पर ध्यान दें ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्टाता जी, माननीय खाद्य मंत्री जी की बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था । मुझे उनकी नीयत पर शुबहा नहीं है । मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग चिंतित हैं उपभोक्ता / वस्तुओं के बढ़ते हुये दामों से, उपभोक्ता की परेशानियों से उससे कम चिंतित हमारे खाद्य मंत्री जी नहीं होंगे । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है । इनके अधिकारियों ने इनको सब्जबाग दिखाया है, वह उसी में उलझ गये हैं । मैं कहना चाहता हूं, और आपको निमंत्रण देता हूं कि आप एक दिन बलिया जिले में चलें । मैं आपको गांव के लोगों के बीच में ले चलूंगा आप उनसे जो गांव के गरीब और भोले भाले लोग हैं, उनसे आपकी बात करवाऊं । आप देखेंगे कि आज वहां उपभोक्ता वस्तुओं का नितांत अभाव है और वह बढ़े हुय दामें पर मिल रही हैं । मिट्टी के तेल को ही ले लीजिये, मैंने बलिया जिले में देखा और इसका अध्ययन भी किया । जितना तेल बलिया को उपलब्ध कराते हैं यदि उसका समुचित रुप से वितरण हो तो सारे लोगों को किरासिन तेल उपलब्ध हो सकता है । लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है । आपके अधिकारियों की साजिश से लाइसेंसी तेल को ब्लेक में काला बाजार में बेच रहे है । हमारे यहां जो खुदरा लाइसेंसी लोग तेल लेनेआते हैं तो उन लोगों से 10 रुपये लेते थे जो सप्लाई आफिस क्लर्क उपाध्याय हैं । 15 रुपये प्रति व्यति तेल लेने वालों से एक वहां निरीक्षक के0 के0 पांडे हैं, जो लाल मोटर साइकिल पर पिस्टल लगाकर चलते थे वह 15 रुपये लेते थे । आपके जो थोक लाइसेंसी जिले में हैं वह 5 रुपये लेते थे तो इस प्रकार से 30 रुपय प्रति लाइसेंसी को प्रति बार देना पड़ता था । और 5 बैरल देना दिखलाया जाता था, एक बैरल थोक लाइसेंसी काट लेता था, पांच पर दस्तखत कराता था और चार ही देता था । मैंने इस ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और जब अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने डिप्टी कलेक्टर को शिकायत किया ।

बलिया में एक ईमानदार आई0ए0एस0 डिप्टी कलेक्टर श्री दीपक आ गये थे । उस डिप्टी कलेक्टर नें दौरा किया और वह थोक लाइसेंसी पकड़ा गया और उसका चालान कर दिया गया 3/7 ई0सी0 ऐक्ट में । श्रीमान्, दो बोतल कि रोसिन तेल वाले जो जो पकड़े गये, उनकी जमानत बलिया से नहीं हुई, हाई कोर्ट से हुई । जो बड़े व्यापारी संगीन जुर्म में एस0डी0एम0 के द्वारा पकड़े गये, उसकी खड़ी जमानत बलिया में ही हो गयी और वह छूट गये । फिर उसके बाद जो थोक व्यापारी खुदरा लाइसेंसी से पांच रुपया नकद एवं एक बैरल तेल लेता था, वह बन्द हुआ । जिला पूर्ति कार्यालय का बाबू जो 10 रु0 लेता था, वह भी बन्द हुआ, किन्तु के0 के0 पाण्डेय, इन्सपैक्टर जो लाल मोटर साइकिल पर चलता था, रिवाल्वर लगा कर वह 15 रु0 लेना बन्द नहीं किया किन्तु उन्हीं लोगों से लेता था, जिसे उसको भय होता था कि मुझ तक शिकायत पहुंचेगी। अन्त में संयोग से उसका स्थानान्तरण शासन ने अन्य जिले में कर दिया । श्रीमन्, जो खुदरा लाइसेंसी हैं, वे भी दोषी हैं । तेल काला बाजार में बेंच देते हैं । जिला पूर्ति कार्यालय से उनकी बिक्री का कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं था और न आबादी वाला कार्ड ही निर्धारित था, जिन्हें वे तेल देते । मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी लाइसेंसी का क्षेत्र एवं कार्ड निर्धारित किया जाय । अब जाकर जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा उनका क्षत्र निर्धारित हो रहा है और उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि भविष्य

में प्रत्येक दूकानदार का क्षेत्र निर्धारित होगा ।

श्रीमन्, आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली असफल हो गयी है । आप मेरे क्षेत्र में सोसाइटियों के निकासी एवं वितरण का हिसाब 6 महीने का मंगा लें, तो स्पष्ट होगा कि 8 परसेंट, 11 परसेंट, 21 परसेंट और कहीं-कहीं पर 41 परसेंट ही सामान उठाया गया । इससे साफ जाहिर है कि आपकी वितरण प्रणाली बैठ गई है । हमारे यहां श्रम संविदा सोसायटी का गठन करके कुछ लोग नाजायाज उपभोक्ता सामग्री के वितरण में लग गये हैं । श्रम संविदा श्रमिकों के कल्याण के लिये कार्य कर सकती है । अपने सदस्य मजदूरों के लिये वितरण का कार्य भी कर सकती है, किन्तु उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नियमानुसार कदापि नहीं लगाया जा सकता । लेकिन हमारे बलिया जनपद में श्रम संविदा सहकारी समिति के नाम पर दर्जनों सस्ते गल्ले की दूकानें लेकर कुछ लोग सारा सामान काला बाजार में बेंच रहे हैं और उससे लाखों रुपया पैदा करके अधिकारियों और नेताओं को खुश करके अपना धंधा अभी भी चला रहे हैं ।

श्रीमन्, श्रम संविदा सहकारी समिति के विरुद्ध कई मामले पुलिस में चोरबाजारी के कायम हुए हैं । जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी निकासी रोक दिया था, किन्तु हाई कोर्ट में एक फर्जी मामला कायम करके उन लोगों ने स्टे प्राप्त कर लिया है और अभी भी आवश्यक वस्तुओं को ले कर काला बाजार में बेच रहे हैं । रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ने इस समिति को गल्ला न देने का आदेश जारी किया है, किन्तु उसे राजनैतिक दबाव में सहायक निबन्धक एवं जिला पूर्ति अधिकारी अमान्य कर रहे हैं । श्रीमन्, हाई कोर्ट में आपके एक स्टेंडिंग कौंसिल शनिचरा पाण्डेय हैं, जो दुर्भाग्य से बलिया की भूमि पर ही पैदा हैं । वे ही इसकी पैरवी करते हैं और वे श्रम संविदा वालों से मिले हुए हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि शासन तत्काल ध्यान दे और हाईकोर्ट में उचित पैरवी करके स्टे खारिज करायें ताकि बलिया में श्रम संविदा द्वारा किये जा रहे लूट और काला बाजार को तत्काल रोका जा सके । श्रीमन्, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कदम स्वागत योग्य था, किन्तु यह वितरण प्रणाली असफल हो रही है । जनता को लाभ नहीं मिल रहा है और आज विवश होकर जनता यह कह रही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अच्छी निजी दूकानदार की व्यवस्था ही ठीक थी । इसलिये आपसे कहना चाहता हूं कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आप ठीक व दुरुस्त करें, ताकि समुचित रूप से सबको सामान मिल सके ।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता --

आप सुझाव दीजिए ।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा) --

मान्यवर, मैं सुझाव ही दे रहा हूं । हालांकि सरकार महंगाई को रोकने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है । मंत्री जी ने काफी प्रयास किया है। लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा । पहला तो यह कि जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, कोटे के लिये परगनाधिकारी को अधिकार दिया है परमिट लाइसेंस देने का, तो उसके स्थान पर जिला-पूर्ति अधिकारी को यह कार्य सौंपा जाय और जिलाधिकारी, को निर्देश दें कि जो परगनाधिकारी का अधिकार दे रखे हैं वह वापस किया जाय और दूसरे और जिलें की फूड कमेटीज खाद्य समिति हैं, जिसमें सरकार के नामजद सदस्य हैं जन प्रतिनिधि होते हैं उनको सक्षम बनाया जाय । इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी व्यापारी काम करता है तो कुछ मुनाफे के लिये काम करता है जो कन्ट्रोल की चीजें हैं उसमें मुनाफे की दर अव्यवहारिक रखी गई है । एक व्यक्ति को न्यूनतम दैनिक मजदूरी 10 रु0 प्रति मजदूर को देना चाहते हैं या 12 रु0 प्रति मजदूर को देना चाहते हैं । इस तरह से अगर 300, 400 रु0 प्रतिमाह का मुनाफा भी डीलर

को नहीं देंगे तो ईमानदारी से बेचे जाने की अपेक्षा उससे नहीं की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं एक चीज आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस कारण भी महंगाई है कि कोयला रेल के द्वारा नहीं आ पा रहा है, तो जो उत्पादन कोयले से होता है उसका मूल्य बहुत बढ़ जाता है। ठेलों के द्वारा महंगे भाड़े पर कोयला लाया जाता है। माननीय मंत्री जी केन्द्र सरकार से निवेदन करें कि पंजाब, हरियाणा की तरह कोयले का पूरा कोटा अपने पूरे प्रदेश में रेल द्वारा आयात किया जाये। क्योंकि हमारे प्रदेश में कोयला का जितना कोटा है कि उसे रेल द्वारा उठाना चाहिये। फैक्ट्रीज को कोयले परमिट दिये जाते हैं वह ब्लैक में बेचते हैं। फैक्ट्री में स्टीम के उपयोग बाद बचे स्लैक कोयले को उक्ति निर्धारित कीमत पर बिकवाने की व्वयस्था की जाय। खासतौर से फिरोजाबाद चूड़ी कारखानों में।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप खत्म कर दीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं एसी स्थिति में हूं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी बैठे हैं प्रोफेसर जी बैठे हैं रघुवीर सिंह जी बैठे हैं, यह सब ऐसे लोग हैं कि हम और यह सब एक ही स्कूल से निकले हुए लोग हैं, इनके सामने मुंह भी कम ही खुलता है। हरीश जी ने महंगाई के संबंध में कहा है। चाहे जनता सरकार ने कुछ किया हो या न किया हो लकिन महंगाई पर रोक लगा दी थी। भाव एकदम रोक दिए थे। तेजी को ऊपर नहीं जाने दिया था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि जनता सरकार की है। जब यह लोग आये तो तीन-तीन रुपये किलो चीनी मिलती थी अब नौ रुपये किलो चीनी मिलती है। पहले मिट्टी का तेल एक लीटर 85 पैस में मिलता था। अब 4-5 रुपये लीटर हो गया है। लोहे के बारे में कहना चाहूंगा। लोहे से हमारा भी संबंध है लेकिन खरीदते नहीं क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। मान्यबर, अगर प्लास्टिक न होती तो देहात के आदमी जूता नहीं पहन सकते थे। वह नंगे पैर चलते। चमड़े का जूता देहात का आदमी खरीद नहीं सकता है। प्लास्टिक ने उसकी इज्जत बचा ली है। मान्यवर, अब मैं ईट पर जाना चाहता हूं। मेरे दो मित्र हैं एक शामली के हैं एक सहारनपुर के हैं। निर्भय पाल शर्मा और बाबू सिंह। मेरा घर रामपुर के पास पड़ता है। मैं वहां गया एक किसान चाय पी रहा था। जब वह चाय पीने के बाद चलने लगा तो दुकानदार ने कहा 8 आने पैसे दो। आपके राज्य में रेजगारी कहां मिलती है। यह सोचकर रेजगारी कहां मिलेगी और कहां से 8 आने दूंगा उसके एक ईंट बांध लिया भट्ठे से और कहा तिवारी जी ने ईट का सिक्का चलाया है इसकी कीमत 8 आने है ले लो। जनता पार्टी के शासन काल में 140 रुपये हजार ईट मिलती थी तिवारी जी के राज्य में 500 रुपये हजार मिलती है। इस हिसाब से एक ईट की कीमत 8 आने है। चमड़े का सिक्का सुना था इन्होंने ईट का चला दिया तिवारी जी तो डर कर चले गये। प्रोफसर साहब आपकी ईमानदारी पर हमें कोई सुबहा नहीं है औरों को होगी मैं नहीं जानता। आप कुछ कठोर रहें, तेज तो आप थे ही तेजी कन्ट्रोल करने में दिखाये, इनको जरा कसिये। जिनके पास परमिट है गांव की जनता को कुछ नहीं देते हैं सब ब्लैक कर रहे हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि जो डी0एस0ओ0 आपके बैठें है यही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। सबसे ज्यादा पैसा यह लेते हैं। जिस प्रकार से निगम के चेयरमैन कमा रहे हैं उसी तरह से यह पैसा ले रहे हैं। इन लोगों को कसिये। प्रोफेसर साहब राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में मिला था घी, इस तिवारी राज्य में सत्तापानी प्यारे फूंक मार के पी। एक किताब में मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा था कि महगाई का यही

आलम रहा तो कुछ दिन में यह हालत आ जायेगी कि दूध एक रुपये का एक बूंद, घी एक रुपये 10 पैसे में सूंघ। महंगाई की यह हालत है। आपका राज्य है आप जनता को चाहे पीड़ित करें या जो कुछ करें। सख्ती से काम करेंगे तो लोग खुश होंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

समय बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता--

समय निश्चित होता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

एक घंटे का समय निर्धारित था।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मेरे घर में मिट्टी का तेल नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--!

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक घंटे की चर्चा थी। एक घंटा पूरा होने जा रहा है। मेरा निवेदन कि सदन सर्वोपरि है सदन के सदस्यों की भावना को देखते हुये चर्चा पर थोड़ा समय बढ़ा दिया जाय।

श्री प्रमोद कुमार--

हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। समय बढ़ा दिया जायगा तो 3 हजार रुपये प्रति मिनट का बोझ और बढ़ जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। एक घंटे का समय है और माननीय हरीश जी इस पर काफी बोल चुके हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, यह महंगाई का गम्भीर विषय है। इसमें दो दो मिनट का समय सबको दे दें। महंगाई छोटी मोटी चीज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर माननीय हरीश जी काफी प्रकाश डाल चुके हैं। आपको कुछ कहना है तो मंत्री जी को लिख कर दे दें।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, जैसा कि मैंने स्वयं कहा और माननीय मंत्री जी ने उस पर कुछ कहा अपने उत्तर में। उधर से एक सुझाव आया कि जिला पूर्ति अधिकारी नाम का जो अधिकारी है, वह नगर पूर्ति अधिकारी बन कर बैठा है। उसको वास्तविक जिला पूर्ति अधिकारी बना दीजिये और संपूर्ण जिले की व्यवस्था का दायित्व उस पर कीजिये यह सुझाव उधर से आया है। मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी उस पर विचार कर लें। अन्य नीतिगत बातें मंत्रीजी के हाथ में न हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की वितरण व्यवस्था को ठीक करना उनका काम है, जो वे कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी विपक्ष के नेताओं की, जिनको वह चाहें और सत्ता पक्ष के मंत्री जो उससे संबंधित हों, उनकी तत्काल एक बैठक बुला लें। जिसमें एक दिन कम से कम 3-4 घंटे विचार कर लिया जाय और पूरे प्रदेश की यह जो सारी बातें हैं उनके सम्बन्ध में विचार कर लिया जाय। मैं चाहूंगा कि तत्काल इस प्रकार की एक बैठक बुला ली जाय। माननीय मंत्री जी बैठक बुलाने की बात स्वीकार लेंग। तो वहां बैठ कर शेष सुझाव हम दे देंगे जिससे इस महंगाई से प्रदेश को लोगों को बचाया जा सकेगा।

श्री वासुदेव सिंह--

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने जो बहुमुल्य सुझाव दिये हैं, पक्ष और विपक्ष से, मैं उनका स्वागत करता हूं। श्री त्रिलोक चन्द्र जी ने अच्छा सुझाव दिया और वह मानने लायक है। शासन में जो काम होता है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी करता है। डी0 एस0 ओ0 के हाथ में बहुत कम अधिकार हैं। यह देखते हुये वितरण प्रणाली का जो सूत्रपात इस प्रदेश में किया गया वह देश के अन्य प्रदेशों स सर्वथा भिन्न है। वह

सब जगह नहीं है; सन् 1981 में सहकारी समितियों के जरिये से इस समय 30,900 इसकी सरकारी और गैर सरकारी दुकानें हैं और तेल वगैरह जोड़ लें तो पूरी संख्या 40 हजार हो गयी है । अब वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का जो सुझाव हरीशजी ने रखा है, अच्छा सुझाव है । मैं चाहता हूं कि वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाय । और उसमें जो सुझाव पक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्य देना चाहें, मैं उनका स्वागत करता हूं । मैनेजर सिंह जी ने जो बात कही है, मैं उसको देखूंगा । यह बात है कि चीनी पहले कम पहुंचती थी, अब पहुंचने लगी है ।कम पहुंचती है । कहीं कहीं उठाने की कठिनाई है । नयी वितरण व्यवस्था में जो सुदृढ़ता सुनिश्चित हुई हैं, वह पहले नहीं थी । मैं समझता हूं कि यदि जिला परिषदों का गठन हो जाय और जन प्रतिनिधियों का समावेश करके जिला परिषद के चुनाव हो जांय, तो वितरण उनके द्वारा ठीक किया जा सकता है ।

बहुत सारे अधिकार वितरण के हम जिला परिषदों को देना चाहते हैं, क्षेत्र समितियों को देना चाहते हैं । हमने कह दिया है कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके जरिये से, यह चीजें बंटवायी जायं और जितने सुझाव माननीय हरीश जी ने दिये हैं, समय नहीं है मैं उन पर विस्तार से इस समय नहीं कह सकता । इस साल न मालूम कितनी जगहों पर छापे डाले गये हैं और आश्चर्यजनक चीजे पायी गई हैं । चाय में लोहे के कण पाये गये ।जन प्रतिनिधि सहयोग दें एक क्षेत्र में 2-3 ब्लाक हैं, अगर उनमें कोई सूचना दें, तो हम तैयार हैं वहां कार्यवाही करने पर ।

एक दृष्टांत देना चाहता हूं । आजमगढ़ के कोई शायद अभी सदस्य होंगे, मुझसे एक रात कहे कि अधिकार हमको दे दीजिये हम लोग बटवायें । हमने कहा ठीक है लेकिन, सुबह आकर कहे कि नहीं नहीं यह मत कीजिये नहीं तो लाठी चल जायेगी । हम आपकी सबकी कुछ सीमायें हैं लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सबके सहयोग से, इस वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जायेगा । मामूली से मामूली आदमी सुनिश्चित ढंग से सामान पायेंगे । इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि यह जो चुर्क फ़ैक्ट्री है, डाला फ़ैक्ट्री है सीमेंट की, यह लेवी सीमेंट नहीं देते हैं, नान-लेवी सीमेंट देते हैं, इन पर भी हमारी निगाह है । मैं आपको आश्वासन देता हूं कि शासन द्वारा किसी को बख्शा नहीं जायेगा चाहे वह कितना बड़े से बड़ा पूंजीपति क्यों न हो ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

बुलाकर मीटिंग करने पर आपने कुछ नहीं कहा ?

श्री वासुदेव सिंह--

आप लोगों को बुलायेंगे, आपकी राय बहुमूल्य सुझाव लेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं चीज़ों के दाम नीचे जा रहे हैं । और, अगले एक महीने बाद आप खुद कहेंगे कि दाम नीचे चले गये हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला परिषदों को काफ़ी अधिकार देने जा रहे हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में । क्षेत्र समितियां इस समय कार्यरत हैं, क्या मंत्री जी क्षेत्र समितियों का इसमें सहयोग लेंगे और उनको अधिकार देने का कष्ट करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, ऐसा विचार है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 11 है, उसमें जिला मजिस्ट्रेट इन ब्लैक मार्केटियर्स को सेंक्शन देते हैं उ समें बड़े आदमी आपूर्ति कर लेते हैं ।मेरा सुझाव है कि उसमें संशोधन करें जिससे अभियोजन के लिये सेंक्शन मिल सके । दूसरी बात जो वितरण व्यवस्था को-आपरेटिव में दे दी है, इसमें जो प्रशासक हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का साहस नहीं होता है, इसलिए कोआपरेटिव सेक्टर से इसे प्राइवेट सेक्टर में देने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दोनों ही बातें लचर वाली कही हैं। हमारे देश में व्यक्तित: आदमी शूरवीर ह लेकिन सामूहिक जीवन में वह इतना समन्वित नहीं है। सह-कारिता आन्दोलन पर बल दिया जा रहा है और यही एक विकल्प है समाजवाद के सिद्धांत का। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य यह पृष्ठभूमि को जानने के लिए चेष्टावान हों।

श्रीप्रमोदकुमार-- --

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण तो नहीं पूछता लेकिन द्विवेदी जी ने भ्रमित कर दिया है। वैसे भी हमेशा से ही श्री द्विवेदी जी का संबंध व्या-पारियों से बहुत रहा है लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है, उसने बहुत सुदृढ़ कदम उठाये हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा स्पष्टीकरण है कि माननीय श्री द्विवेदी जी ने जो सुझाव दिया है कि सहकारिता आन्दोलन से लेकर पुन: व्यापारियों को सौंप दिया जाय क्या इस संदर्भ में वह दृढ़तापूर्वक यह आश्वासन देंगे कि वह पुन: इन व्यापारियों को काला बाजारी व चोर बाजारी करने के लिये इसे देंगे या नहीं देंगे ?

डा0 बंगाली सिंह--

क्या इस वितरण प्रणाली में जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने पहले ही दे दिया है कि सबको शामिल किया जायेगा।

श्री वासुदेव सिंह--

यदि माननीय सदस्य के घर में दीपक भी नहीं जल रहा है तो यह इस बात को साबित करता है कि वह सामाजिक जीवन से बिलकुल जुड़े हुए हैं। जहां तक खाने-पीने का संबंध है इसमें महिलाओं और पुरुषों में कोई अन्तर नहीं है।

श्री मित्रसेन--

मंत्री जी के आदर्शपूर्ण भाषण को सुना। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कानपुर के सप्लाई आफ़ीसर ने लाखों बोरी सीमेण्ट की चोरी करके करोड़ों रुपया कमाया इसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री वासुदेव सिंह- -

कानून का शासन है कोई इच्छा या राजा-शाही नहीं है। कमिश्नर को इन्क्वायरी दी गई हैऔर एक महीने का समय दिया गया है।

शिकायत चाहे कानपुर की हो, चाहे जहां का भी डी0एस0ओ0 हो, सरकारी अधिकारी होने के नाते न कोई हमसे नजदीक है और न कोई हम से दूर है। मेरा परिवार बेटा भी मेरे नजदीक नहीं ह। और जो हमारे साथी हैं वह हमसे ज्यादा नजदीक हैं, हमारे जीवन की विचारधारा दूसरी है, अगर आपकी शिकायत सही होगी, जांच में कोई दोषी पाया जायगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाय, वह जरूर सजा पायेगा।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 33 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

3 सितम्बर, 1985

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32-35 पर)

1--प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेकनिक, गाजियाबाद द्वारा सत्यापन के संबंध में दी गयी रिपोर्ट के सुसंगत उद्धरण:

क्रय की गई मशीनों, उपकरण एवं साज-सज्जा का सत्यापन विषय के सम्बन्धित विशेषज्ञों द्वारा करा लिया गया है तथा तभी इनका मूल्य भुगतान किया गया है ।

2--प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेकनिक शाहजहांपुर द्वारा सत्यापन के संबंध में दी गई रिपोर्ट के कुसंगत उद्धरण:

यह समस्त साज-सज्जा एवं मशीनें संस्था के अध्यापकों द्वारा उचित सत्यापन के पश्चात् कर्मशाला/प्रयोगशालाओं में निर्गत कर दी गईं जहां उनके माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

3--प्रधानाचार्य संजय गांधी पालीटेकनिक जगदीशपुर (सुल्तानपुर) द्वारा सत्यापन के संबंध में दी गयी रिपोर्ट के सुसंगत उद्धरण:

इन मशीनों का सत्यापन संस्था के सम्बन्धित विशेषज्ञों द्वारा किया गया है तथा तभी नियमानुकूल इनका भुगतान भी किया गया है।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीठे पृष्ठ 35 पर)

आवेदन-पत्र देने वाले विभागीय उप-क्रीड़ा अधिकारियों के नाम	साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित हुए विभागीय उप क्रीड़ा अधिकारियों के नाम
(1) श्री लईक अहमद	(1) श्री लईक अहमद
(2) श्री ललित चन्द्र मट्ट	(2) श्री ललित चन्द्र मट्ट
(3) श्री प्रताप सिंह लुन्थी	(3) श्री प्रताप सिंह लुन्थी
(4) श्री लल्लू राम पटेल	(4) श्री लल्लू राम पटेल
(5) श्री अश्वनी कुमार सिंह	(5) श्री अश्वनी कुमार सिंह
(6) श्री परमजीत सिंह	(6) श्री एस0 पी0 सिंह
(7) श्री एस0 पी0 सिंह	(7) श्री सीता राम गोयल
(8) श्री गीता राम गोयल	(8) श्री समरीश सोमाल
(9) श्री समरीश सोमाल	(9) श्री अशोक तेजपाल
(10) श्री अशोक तेजपाल	(10) श्री बलवीर सिंह
(11) श्री बलबीर सिंह	(11) श्री एस0 एम0 ए0 रिजवी
(12) श्री एस0 एम0 ए0 रिजवी	
(13) श्री आर0 पी0 सिंह	

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35-38 पर)

वर्ष 1983-84 व 1984-85 में फैजाबाद/प्रतापगढ़ में वालीवाल प्रशिक्षण शिविरों का विवरण

क्रम-संख्या	जनपद	माह	स्थान	वर्ष 83-84	शिविर संख्या	व्यय की गई (धनराशि)
1	फैजाबाद	4/83	फैजाबाद	वालीबाल	2	100-00
2	,,	5/83	,,	,,	4	232-00
3	,,	6/83	,,	,,	4	232-00
4	,,	7/83	,,	,,	2	116-00
5	,,	8/83	,,	,,	2	116-00
6	,,	9/83	,,	,,	2	116-00
7	,,	10/83	,,	,,	2	116-00
8	,,	11/83	,,	,,	—	—
9	,,	12/83	,,	,,	2	119-90
10	,,	1/84	,,	,,	2	119-90
11	,,	2/84	,,	,,	2	119-90
12	,,	3/84	,,	,,	2	119-90
				योग	26	1507-60

वर्ष 1984-85

1	,,	4/84	,,	,,	—	—
2	,,	5/84	,,	,,	2	119-90
3	,,	6/84	,,	,,	2	119-90
				योग ..		239-80

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38–39 पर)

वर्ष 1984–85 एवं 1985–86 (जुलाई 1985) के कार्य
मार्ग का नाम---बस्ती बाईपास मार्ग

किये गये कार्यों का विवरण

किमी0	25–50 मी.मी. पत्थर की गिट्टी से कच्चा दाग मरम्मत मात्रा घन मी.	10–20 मी. बटवल सिंगिल से पक्का दाग मरम्मत मात्रा घन मी.	नवीनीकरण का कार्य किमी0	मैक्स फोल्ट मी0टन	पटरी मरम्मत का कार्य किमी0	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
201	20.00	25.00	..	--	201,202,210	
202	25.00	26.50	--	--	211,212,214	
204	214.13	--	--	8.09	215,216,217	4.21
206	214.66	--	--	--	218,219,220	लाख
209	210.00	--	--	--	= 12 किमी0	
रोलर मरम्मत का कार्य						
--	683.70	51.50	..	8.09	12 किमी0	4.21 लाख
200	--	--	0.130			
201	--		1.00			
202	--	--	1.00			
203	83.00	--	--			
204	168.00	46.00	--			
205	--	--	--	40.612		1.39 लाख
207	98.50	--	--			
218	200.00	27.50	--			
219	216.00	37.25	0.200			
220	195.00	30.25	1.00			
221	16.00	5.50	0.20			
योग	984.50	146.50	3.530	40.612		1.39 लाख
महायोग	1668.20	198.00	3.530	48.702	12 किमी0	5.60 लाख

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39–56 पर)

शिकायती-पत्र प्रस्तुत करने वालों के नाम व पते:—

1—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, भूतपूर्व विधायक, ग्राम विशुनपुरा थाना महराजगंज, गोरखपुर।

2—श्री लाल महेन्द्र शुक्ल पुत्र श्री बल्ल प्रसाद शुक्ल निवासी ग्राम पिपरपाती तिवारी थाना महराजगंज, गोरखपुर।

3—श्री टूमर हरिजन पुत्र मोहन हरिजन निवासी ग्राम बड़हरा रानी थाना महराजगंज गोरखपुर।

4—श्री हरिशंकर तिवारी निवासी धर्मशाला बाजार, गोरखपुर।

5—श्री हबीबुल्ला खां सा0 मदरसा सदातिया, महराजगंज, गोरखपुर।

6—श्री सुखलाल निवासी ग्राम व थाना महराजगंज, गोरखपुर।

7—श्री अरविन्द नाथ त्रिपाठी अध्यक्ष [illegible] पार्टी महराजगंज, गोरखपुर।

8—श्री रामवक्ष वर्मा पुत्र फौजदार वर्मा निवासी सिसवा, महराजगंज, गोरखपुर।

अनुबंध 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56–59 पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 में आवंटित एवं व्यपगत धनराशियों के मदवार विवरण:—

(हजार रु0 में)

मद का नाम	आवंटित धनराशि	व्यपगत धनराशि
अधिष्ठान (अनुदान सं0 71) ..	46,24,44	..
अनावासिक भवन (अनुदान सं0 72) ..	30,44,77	1,42,03
आवासिक भवन (अनुदान सं0 73) ..	14,66,79	48,31
कार्यात्मक भवन (अनुदान सं0 74) ..	23,63,30	1,36,75
सड़कें तथा पुल (अनुदान सं0 75) ..	2,59,60,06	..
योग ..	3,74,59,36 ..	3,27,09

परिशिष्ट 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59–142 पर)

सूची

तहसील	गांव
जनपद पिथौरागढ़	
1—धारचूला	.. 1–बूंदी 2–गर्बियांग 3–नपलच्यू 4–गुजी, 5–नावी 6–रागकाग 7–कुटी 8–सीपू 9–मारछा 10–बेदांग, 11–खिमलिंग 12–गो 13–बौन 14–फिलम 15–दातू-यासू 16–सोनदगतू 17–बोलिंग 8–नागलिंग 19–चल 20–सेलग ।
2—मुन्श्यारी	.. 1–खिलांग 2–गन्धर 3–दोला 4–पांछू 5–बूरफू 6–पोटिंग 7–मरतोली 8–माया 9–मिलम 10–रालम 11–रिलकोट 12–बिल्लू 13–लास्पा 14–ल्वां 15–सुमतू ।
जनपद उत्तरकाशी	
1—भटवारी	.. 1–बगोरी 2–मुखावा 3–धराली 4–घाला
जनपद चमोली	
1—जोशीमठ	.. 1–नीती 2–गमशाली 3–बाम्पा 4–फरिकियागांव 5–मेहरगांव 6–कैलाशपुर 7–मलारी 8–कोशा 9–जेलम 10–कग्गा 11–गारपक 12–द्रोणागिरी 13–जुम्मा 14–माना ।

पी0एस0यू0पी0—ए0 पी0 58 विधान सभा 201–86(3314)–813 (हि0) ।